

छत्तीसगढ़ राज्य जैव-विविधता बोर्ड से सम्बन्धित

अधिनियम / नियम एवं दिशानिर्देश

Act /Rules & guidelines

Related to the Chhattisgarh State Boidiversity Board

छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड रायपुर

Chhattisgarh State Boidiversity Board Raipur



महेश गागड़ा मंत्री वन, विधि एवं विधायी कार्य अध्यक्ष छ. ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड



कार्या. – कक्ष क्र. एफ–1–17, महानदी भवन, केपिटल काम्पलेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन : 0771- 2221221, 2510527

निवास - डी-7-8, शंकर नगर, रायपुर

फैक्स : 0771-4035778

ई-मेलः maheshgagda@gmail.com

संदेश

भारत विश्व की बारह विराट जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जैव विविधता का संरक्षण मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इसके बिना मानव—जीवन असंभव है, अतः इसका प्रभावी संरक्षण, संवर्धन, एवं प्रबन्धन अति—आवश्यक है।

छत्तीसगढ़, प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता संपन्न राज्य है। राज्य के वनांचलों में निवासरत आदिवासी एवं गरीब वर्ग अपनी आजीविका हेतु इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्मर हैं। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से राज्य में इन धरोहरों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण हेतु जैव विविधता अधिनियम— 2002 के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम—2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है। गठित बी.एम.सी. में जैव विविधता रिजस्टर का

इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य जैव जैवविविधता बोर्ड द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड से सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं दिशानिर्देश" शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पुस्तक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित सभी मैदानी अधिकारियों, कर्मचारियों, बी०एम०सी० के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य निर्वहन में सहायक सिद्ध होगी। आशा है यह द्विभाषी संकलन सर्व संबंधितों के लिये संग्रहणीय होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ

महेश गागड़ा

अनुक्रम

	· ·	
1.	जैव विविधता अधिनियम —2002	8-83
2.	जैव विविधता नियम — 2004	84-139
3.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अधिसूचना — 2008	140-141
4.	जैव विविधता अधिनियम — 2002 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अधिसूचना 2009	142-143
5.	जैव विविधता अधिनियम — 2002 के अधिन शिकायत फाईल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बाटना विनियम — 2014	144-175
6.	छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम — 2015	176-221
7.	जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के परिचालन सम्बंधी दिशा निर्देश	222-277
8.	जन जैव विविधता पंजी	278-359
9.	मैदानी अध्ययन हेतु दिशा निर्देश	360-403
10.	जैव विविधता धरोहर स्थलों के चयन व प्रबन्धन संबंधी दिशा निर्देश	404-429
11.	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार अधिसूचना 2016	430-495

Index

1.	Biodiversity Act -2002	8-83
2.	Biodiversity Rules - 2004	84-139
3.	Ministry of Enveironment and Forests notification-2008	140-141
4.	Officer authorised to file complaints under Biological	142-143

भूमिका

जैव विविधता पृथ्वी पर सारे जैव वैविध्य समावृत करती है। भारत विश्व के 12 मेगा विविधतापूर्ण देशों में से एक है। दुनिया में 2.5 प्रतिशत भू—क्षेत्रवाला भारत, वैश्विक प्रजातियों में से 7.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत पारंपरिक और समसामयिक ज्ञान की सांकेतिक एवं अनौपचारिक दोनों पद्धतियों में धनी है।

जैव विविधता (1992) के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भारत एक पक्षकार है। राज्यों का अपने जैव संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का संज्ञान करते हुए, कन्वेंशन यह चाहता है कि पक्षकार अपने राज्य के कानून तथा आपस में शर्तों का अनुपालन करते हुए अन्य पक्षकारों को आनुवंशिक संसाधनों की पहुँच के लिए अवसर प्रदान करें (कन्वेशन के अनुच्छेद 3 तथा 15)। कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 (जे) स्थानीय तथा देशीय समुदायों के योगदानों और पारंपरिक जानकारी, उपयोजन तथा नव परिवर्तनों द्वारा जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग का संज्ञान करता है और अपने ज्ञान, उपयोजन तथा नव परिवर्तनों के उपयोग द्वारा उदीयमान लोगों के लिए हितों में साम्या पूर्ण हिस्सा बंटाने का प्रावधान भी करता है।

जैव विविधता बहु विषयक तथा बहुमुखी कार्य कलापों का विषय है जिसके कार्य में कार्यकलाप अनेक हैं। इसके साझेदार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासित संगठन के संस्थान, उद्योग आदि हैं। भारत की प्रमुख चुनौतियों में, यह भी एक है कि जैव विविधता कन्वेंशन में प्रस्तावित साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के लक्ष्यों को नियमबद्ध बनायें।

साझेदारों के साथ विस्तृत एवं गहरी सलाह—प्रक्रिया को अपनाने के बाद, केन्द्र सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित किया है जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

- देश के जैव संसाधनों की पहुँच को नियमित करें, तािक जैविक संसाधनों के उपयोग से संप्राप्त लाभों का साम्यापूर्ण हिस्सा तथा जैव संसाधनों से संबंधित संबद्ध ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।
- 💠 जैव विविधता की संरक्षा तथा पोषणीय उपयोग भी कर सकें।
- 🌣 जैव विविधता से संबंधित स्थानीय समुदायों की जानकारी का आदर व संरक्षा करें।
- स्थानीय लोगों को जैव संसाधनों के संरक्षक एवं तत्संबंधी ज्ञान तथा सूचना के संवर्धकों के रूप में स्वीकृत करते हुए उन्हें तत्संबंधी लाभों का साम्यापूर्ण हिस्सा संप्राप्त करावें।
- 🌣 विनाश की ओर जाने वाली प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वास।
- सिमितियों के गठन के द्वारा जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारी संस्थाओं का भाग लेना।

PREFACE

Biodiversity subsumes all Living Beings on Earth. India is amongst the 12 Mega-Biodiverse Nations in the World. India, having 2.5% of the Landmass on Earth, represents 7.5% of the total Species known. India is rich in both Indicative and Unconventional Techniques of Traditional and Contemporary knowledge.

India is a signatory to the United Nations Convention on Biodiversity, 1992. Recognising the Independent stake of the Nations on their Bio resources, the Convention envisages the Equitable Distribution of Natural Resources amongst the Signatories while ensuring compliance to their Municipal Laws as well as agreements among each other (Clause 3 & 15 of the Convention). Clause 8J of the Convention recognises the Contribution of the Local as well as International Community towards the Sustainable Usage of Bio resources as well as their traditional knowledge about the same. It also provides for equitable distribution of Bio resources in favour of the people through their knowledge and retrieval of Diverse Resources.

Biodiversity is a multi- disciplinary and multi- faceted subject. Its stakeholders are the Central & State Governments, local Autonomous Bodies, Industries etc. One of India's major Challenges is to ensure proper provisioning which facilitates the equitable distribution of Resources as envisaged in the Convention.

The Central Government, after careful and detailed deliberation with all stakeholders, has passed the Biodiversity Act, 2002. The following are its focal points-

- Regulate the reach of Bio resources in the Country, so that equitable distribution and knowledge about the resources is ensured.
- Protection and Sustainable Usage of Bioresources.
- Protection and importance of Local Knowledge about the Biodiversity of a particular area.
- Educating Local Populace about the Protection of Bioresources and recognising them as the Informants and Protectors of the Bioresources in their areas, making them beneficiaries of the Profits entailing therein.
- Protection and Rehabilitation of Endangered Species.
 Participation of the State Government's Institutions in the Execution of the Biodiversity Act through formation of various committees.



जैव विविधता अधिनियम, २००२ व जैव विविधता नियम, २००४

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत



Biodiversity Act -2002 & Biodiversity Rules - 2004

National Biodiversity Authority India



(असाधारण)

भाग-।। खंड-1

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, बुधवार, 5 फरवरी, 2003 / 16 माघ, 1924

विधि व न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, बुधवार, 5 फरवरी, 2003 / 16 माघ, 1924 (शक)
5 फरवरी, 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त निम्नांकित संसद का
अधिनियम सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित है।
जैव विविधता अधिनियम, 2002

2003 का 18

(5 फरवरी, 2003)

जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम,

भारत जैव विविधता और उससे संबंधित सहबद्ध पारंपिक और समसामियक ज्ञान पद्धित में धनी है और भारत 5 जून, 1992 को रियो दि जेनेरो में हस्ताक्षर किये गये जैव विविधता से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में एक पक्षकार है और उक्त कन्वेंशन 29 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ और उक्त कन्वेंशन ने राज्यों के अपने जैव संसाधनों पर सम्प्रभु अधिकारों की पुष्टि की है और उक्त कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का पोषणीय उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाना है और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, पोषणीय उपयोग और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के लिये उपबंध करना और उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करना आवश्यक समझा गया है। भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—



EXTRAORDINARY PART II-SECTION-1

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2003/MAGHA 16, 1924

Separate paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilaton

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 5th February, 2003/Magha 16, 1924 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 5th February, 2003, and is hereby published for general information:

THE BIOLOGICAL DIVERSITY ACT, 2002

No. 18 OF 2003

[5th February, 2003]

An Act to provide for conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge and for matters connected therewith or incidental thereto.

And whereas India is rich in biological diversity and associated traditional and contemporary knowledge system relating thereto. And whereas India is a party to the United Nations Convention on Biological Diversity signed at Rio de Janeiro on the 5th day of June, 1992; And whereas the said Convention came into force on the 29th December, 1993; And whereas the said Convention reaffirms the sovereign rights of the States over their biological resources; And whereas the said Convention has the main objective of conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of utilization of genetic resources; And whereas it is considered necessary to provide for conservation, sustainable utilization and equitable sharing of the benefits arising out of utilization of genetic resources and also to give effect to the said Convention. BE it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार** (1) यह अधिनियम जैव विविधता अधिनियम, 2002 कहलाया जावेगा। और प्रारंभ। (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
 - (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जायेगा।

2 परिमाषायें

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

- (क) "फायदे के दावेदार" से जैव संसाधनों, उनके उपोत्पादों के संरक्षक, ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, ऐसे उपयोग और उपयोजन से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बंधित ज्ञान और जानकारी के सर्जक और धारक अभिप्रेत है;
- (ख) "जैव विविधता" से सभी संसाधनों से सप्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता और पारिस्थितिक जटिलतायें, जिनके वे भाग हैं, अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत प्रजातियों में या प्रजातियों और पारिस्थितिक प्रणालियों में विविधता भी है;
- (ग) "जैव संसाधनों" से पौधे, जीव जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं हैं;
- (घ) "जैव सर्वेक्षण और जैविक उपयोग" से किसी प्रयोजन के लिये जैव संसाधनों की प्रजातियों और उपप्रजातियों, जीन, अवयवों और सत्व का सर्वेक्षण या संग्रहण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वर्णन, आविष्करण और जैव अमापन भी है;

- 1. Short title,
- This Act may be called the Biological Diversity Act,
 2002

extent and commencement

- (2) It extends to the whole of India.
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Definitions In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "benefit claimers" means the conservers of biological resources, their byproducts, creators and holders of knowledge and information relating to the use of such biological resources, innovations and practices associated with such use and application;
- (b) "biological diversity" means the variability among living organisms from all sources and the ecological complexes of which they are part, and includes diversity within species or between species and of eco-systems;
- (c) "biological resources" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;
- (d) "bio-survey and bio-utilization" means survey or collection of species, subspecies, genes, components and extracts of biological resource for any purpose and includes characterization, inventorisation and bioassay;

- (ड.) "अध्यक्ष" से, यथारिथति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं:
- (च) "वाणिज्यिक उपयोग" से वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिये प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किणवक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाली पारंपरिक प्रजनन पद्धतियां नहीं हैं।
- (छ) "उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बंटाना" से धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अवधारित फायदों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है:
- (ज) "स्थानीय निकायों" से संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) के खंड (1) और अनुच्छेद 243 (थ) के खंड (1) के अर्थान्तर्गत पंचायतें और नगर पालिकायें, चाहे उनका कोई नाम हो, और पंचायतों और नगर पालिकाओं के अभाव में संविधान के किसी अन्य उपबंध या किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित स्वशासी संस्थायें अभिप्रेत हैं:
- (झ) ''सदस्य'' से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;
- (ञ) "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण" से धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (ठ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(f) "commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

be, of the State Biodiversity Board:

(e)

- (g) "fair and equitable benefit sharing" means sharing of benefits as determined by the National Biodiversity Authority under section 21;
- (h) "Iocal bodies" means Panchayats and Municipalities, by whatever name called, within the meaning of clause (1) of article 243B and clause (1) of article 243Q of the Constitution and in the absence of any Panchayats or Municipalities, institutions of self-government constituted under any other provision of the Constitution or any Central Act or State Act;
- "member" means a member of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board and includes the Chairperson;
- "National Biodiversity Authority" means the National Biodiversity Authority established under section 8;
- (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (I) "regulations" means regulations made under this Act;

- (ड) "अनुसंधान" से किसी जैव संसाधन का अध्ययन या क्रमबद्ध अन्वेषण या उसका प्रौद्योगिकीय उपयोजन अभिप्रेत है जो जैव प्रणालियों, सप्राण जीवों या किसी उपयोग के लिये उत्पादों को बनाने या उपांतरित करने या प्रक्रिया तय करने के लिये उनसे व्युत्पादियों का उपयोग करता है;
- (ढ) ''राज्य जैव विविधता बोर्ड'' से धारा 22 के अधीन स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड अभिप्रेत है:
- (ण) "पोषणीय उपयोग" से जैव विविधता के अवयवों का ऐसी रीति में और ऐसी दर से उपयोग अभिप्रेत है जिससे जैव विविधता का दीर्घकालिक हास न होता हो जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की इसकी संभाव्यता को बनाये रखा जा सके।
- (त) "मूल्यवर्धित उत्पादों" से ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें पौधों या पशुओं के अमान्यकरणीय और वस्तुतः अपृथक्करणीय रूप में भाग या उनके तत्व अंतर्विष्ट हो सकते हैं।

000

- (m) "research" means study or systematic investigation of any biological resource or technological application, that uses biological systems, living organisms or derivatives thereof to make or modify products or processes for any use;
- (n) "State Biodiversity Board" means the State Biodiversity Board established under section 22;
- (o) "sustainable use" means the use of components of biological diversity in such manner and at such rate that does not lead to the long-term decline of the biological diversity thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations;
- (p) "value added products" means products which may contain portions or extracts of plants and animals in unrecognizable and physically inseparable form.

000

अध्याय २

जैव विविधता का विनियमन और उस तक पहुंच

कितपय व्यक्तियों 3. द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव विविधता से सम्बंधित क्रियाकलापों का न किया जाना।

- (1) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, भारत में व्युत्पन्न कोई जैव संसाधन या अनुसंधान के लिये या वाणिज्यिक उपयोग के लिये अथवा जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिये उससे सहबद्ध जानकारी अभिप्राप्त नहीं करेगा।
- (2) वे व्यक्ति जिनसे उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—
- (क) वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है;
- (ख) भारत का ऐसा नागरिक जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30) में परिभाषित अनिवासी है।
- (ग) ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन जो –
- (i) भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है या;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रिजस्ट्रीकृत है जिसमें उसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदारी, है।

कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, भारत में उत्पन्न या भारत से अभिप्राप्त किन्हीं जैव संसाधनों से संबंधित किसी अनुसंधान के परिणामों को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारतीय नागरिक नहीं है या भारत का ऐसा नागरिक है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30) में यथा परिभाषित अनिवासी है या ऐसे निगमित निकाय या संगठन को, जो भारत में रिजस्ट्रीकृत या निगमित नहीं है अथवा जिसमें उसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है, धनीय प्रतिफल के लिये या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिये ''अंतरण'' के अंतर्गत अनुसंधान कागज–पत्रों का प्रकाशन या किसी सेमिनार या कार्यशाला में किसी जानकारी का विकीर्णन नहीं है यदि ऐसा प्रकाशन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शन के अनुसार है।

(1) धारा 3 और धारा 4 के उपबंध ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को लागू नहीं होंगे जो जैव संसाधनों या उससे संबंधित सूचना के संस्थाओं के बीच जिनके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय संस्थायें हैं और अन्य

अनुसंधान के 4. परिणाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कतिपय व्यक्तियों को अंतरित नहीं किये जायेंगे।

1961 का 43

धारा 3 और घारा 4 का कतिपय सहयोगी 5. अनुसंघान परि— योजनाओं का लागू न होना।

CHAPTER - II

Regulation of Access to Biological Diversity

Certain 3.

persons

not to

undertake

Biodiversity

related

activities

without

approval of

National

Biodiversity

Authority

- (1) No person referred to in sub-section (2) shall, without previous approval of the National Biodiversity Authority, obtain any biological resource occurring in India or knowledge associated thereto for research or for commercial utilization or for bio-survey and bio-utilization.
- (2) The persons who shall be required to take the approval of the National Biodiversity Authority under sub-section (1) are the following, namely:
- (a) a person who is not a citizen of India;
- (b) a citizen of India, who is a non-resident as defined in clause (30) of section 2 of the Income-tax Act, 196 1;
- (c) a body corporate, association or organization (i) not incorporated or registered in India; or
 - (ii) incorporated or registered in India under any law for the time being in force which has any non-Indian participation in its share capital or management.

Results of 4.
research not to be transferred to certain persons 43 of 1961 without approval of National Biodiversity Authority

No person shall, without the previous approval of the National Biodiversity Authority, transfer the results of any research relating to any biological resources occurring in, or obtained from, India for monetary consideration or otherwise to any person who is not a citizen of India or citizen of India who is non-resident as defined in clause (30) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 or a body corporate or organization which Is not registered or incorporated in India or which has any non-Indian participation in its share capital or management.

Explanation. - For the purposes of this section, "transfer" does not include publication of research papers or dissemination of knowledge in any seminar or workshop, if such publication is as per the guidelines issued by the Central Government.

Sections 3
and 4 not to
apply to
certain
collaborative
research
projects

(1) The provisions of sections 3 and 4 shall not apply to collaborative research projects involving transfer or exchange of biological resources or information relating thereto between institutions, including Government

देशों में ऐसी संस्थाओं के बीच अंतरण या विनिमय में लगी हुई हैं, यदि ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनायें उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर देती है।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं से भिन्न सभी परियोजनायें जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व पूरे किये गये करारों पर आधारित हैं और जो प्रवृत्त हैं, उस सीमा तक जहां तक करार के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों और उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन जारी किये गये किसी मार्गदर्शनों से असंगत हैं, शून्य होगी।
- (3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये सहयोगी अनुसंधान परियोजनायें.
- केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये नीति संबंधी मार्गदर्शनों के अनुरूप होंगी;
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।

बौद्धिक संपदा 6.
अधिकारों के लिये
आवेदन राष्ट्रीय
जैव विविधता
प्राधिकरण के
अनुमोदन के बिना
नहीं किया
जायेगा।

(1) कोई भी व्यक्ति किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिये, चाहे उसका कोई भी नाम हो, भारत में या भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिये या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिये ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किये बिना आवेदन नहीं करेगाः

परंतु यदि कोई व्यक्ति पेटेंट के लिये आवेदन करता है तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा पेटेंट के स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात्, किन्तु सम्बद्ध पेटेंट राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा पेटेंट में व्यवहार करने से पूर्व, अभिप्राप्त की जा सकेगी।

परंतु यह और कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उसको की गई अनुज्ञा हेतु आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा।

- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस धारा के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करते समय, फायदे में हिस्सा बंटाने की फीस या रायल्टी अथवा दोनों अधिरोपित कर सकेगा या ऐसे अधिकारों के वाणिज्यिक उपयोग से उद्भूत वित्तीय फायदों का हिस्सा बंटाने सहित शर्ते अधिरोपित कर सकेगा।
- (3) इस धारा के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो संसद द्वारा अधिनियमित पौधा किस्म के संरक्षण से संबंधित किसी विधि के अधीन किन्हीं अधिकारों के अधीन आवेदन कर रहा है।

- sponsored institutions of India, and such institutions in other countries, if such collaborative research projects satisfy the conditions specified in sub-section (3).
- (2) All collaborative research projects, other than those referred to in sub-section (1) which are based on agreements concluded before the commencement of this Act and in force shall, to the extent the provisions of agreement are inconsistent with the provisions of this Act or any guidelines issued under clause (a) of sub-section (3), be void.
- (3) For the purposes of sub-section (1), collaborative research projects shall-
- (a) conform to the policy guidelines issued by the Central Government in this behalf:
- (b) be approved by the Central Government.

Application for intellectual property rights not to be made without approval of National Biodiversity Authority

6.

(1) No person shall apply for any intellectual property right, by whatever name called, in or outside India for any invention based on any research or information on a biological resource obtained from India without obtaining the previous approval of the National Biodiversity Authority before making such application.

Provided that if a person applies for a patent, permission of the National Biodiversity Authority may be obtained after the acceptance of the patent but before the seating of tile patent by the patent authority concerned:

Provided further that the National Biodiversity Authority shall dispose of the application for permission made to it within a period of ninety days from the date of receipt thereof.

- (2) The National Biodiversity Authority may, while granting the approval under this section, impose benefit sharing fee or royalty or both or impose conditions including the sharing of financial benefits arising out of the commercial utilization of such rights.
- (3) The provisions of this section shall not apply to any person making an application for any right under any law relating to protection of plant varieties enacted by Parliament.

कतिपय प्रयोजनों के लिये जैव संसाधन अभिप्राप्त करने के लिये राज्य जैव 7. विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला। (4) जहां कोई अधिकार उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधि के अधीन अनुदत्त किया जाता है वहां संबद्ध प्राधिकारी ऐसे अधिकार अनुदत्त करते समय ऐसा अधिकार अनुदत्त करने वाले ऐसे दस्तावेज की प्रति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पृष्ठांकित करेगा।

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन है जो भारत में रिजस्ट्रीकृत है, वाणिज्यिक उपयोग के लिये कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिये या जैव संरक्षण और जैव उपयोग के लिये सम्बद्ध राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला देने के पश्चात् ही अभिप्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं।

परंतु इस धारा के उपबंध स्थानीय व्यक्ति या उस क्षेत्र के समुदायों को लागू नहीं होंगे जिनके अंतर्गत जैव विविधता के उगाने वाले और कृषक, और ऐसा वैद्य और हकीम है जो देशी औषधियों का व्यवसाय कर रहे हैं।

000

(4) Where any right is granted under law referred to in sub-section (3), the concerned authority granting such right shall endorse a copy of such document granting the right to the National Biodiversity Authority.

Prior intimation to State Biodiversity Board for obtaining biological resource for certain purposes

7.

No person, who is a citizen of India or a body corporate, association or organization which is registered in India, shall obtain any biological resource for commercial utilization, or bio-survey and bio-utilization for commercial utilization except after giving prior intimation to the State Biodiversity Board concerned: Provided that the provisions of this section shall not apply to the local people and communities of the area, including growers and cultivators of biodiversity, and *vaids* and *hakims*, who have been practicing indigenous medicine.

000

अध्याय 3

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना।

- 8. (1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के नाम के एक निकाय की ख्थापना की जायेगी।
 - (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा जिससे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्जित करने की या उसके व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उस नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।
 - (3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय चेन्नई में होगा और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
 - (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा,अर्थात :-
 - (क) अध्यक्ष, जो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास जैव विविधता के संरक्षण उसके पोषणीय उपयोग में तथा फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जायेगा;
 - (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों को नियुक्त किया जायेगा जिनमें जनजाति कार्यों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये और पर्यावरण और वन से संबंधित मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने के लिये दो सदस्य जिसमें से एक अपर वन महानिदेशक या वन महानिदेशक होगा;
 - (ग) निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सात पदेन सदस्य –
 - (i) कृषि अनुसंधान और शिक्षा;

CHAPTER - III

National Biodiversity Authority

Establishment 8. of National Biodiversity Authority

- (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established by the Central Government for the purposes of this Act, a body to be called the National Biodiversity Authority.
- (2) The National Biodiversity Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall by the said name sue and be sued.
- (3) The head office of the National Biodiversity Authority shall be at Chennai and the National Biodiversity Authority may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.
- (4) The National Biodiversity Authority shall consist of the following members,
- (a) a Chairperson, who shall be an eminent person having adequate knowledge and experience in the conservation and sustainable use of biological diversity and in matters relating to equitable sharing of benefits, to be appointed by the Central Government;
- (b) three exofficio members to be appointed by the Central Government, one representing the Ministry dealing with Tribal Affairs and two representing the Ministry dealing with Environment and Forests of whom one shall be the Additional Director General of Forests or the Director General of Forests;
- (c) seven exofficio members to be appointed by the Central Government to represent respectively the Ministries of the Central Government dealing with –
- (i) Agricultural Research and Education;

- (ii) जैव प्रौद्योगिकी;
- (iii) समुद्र विकास;
- (iv) कृषि और सहकारिता;
- (v) औषधि और होम्योपैथिक की भारतीय पद्धतियां;
- (vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
- (vii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान;
- (घ) ऐसे पांच गैर शासकीय सदस्य जो ऐसे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से नियुक्त किये जायेंगे जिनके पास जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव हो और जो उद्योग के प्रतिनिधि, जैव संसाधनों के संरक्षक, सर्जक और जानकारी धारण करने वाले हों।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते।

9.

10.

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जायें।

अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा।

अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

सदस्यों का हटाया जाना।

- 11. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि वह व्यक्ति —
 - (क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या
 - (ख) जो किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
 - (ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया है; या

- (ii) Biotechnology;
- (iii) Ocean Development;
- (iv) Agriculture and Cooperation;
- (v) Indian Systems of Medicine and Homoeopathy;
- (vi) Science and Technology;
- (vii) Scientific and Industrial Research;
- (d) five non-official members to be appointed from amongst specialists and scientists having special knowledge of, or experience in, matters relating to conservation of biological diversity, sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources, representatives of industry, conservers, creators and knowledge-holders of biological resources.

The term of office and conditions of service of the Chairperson and the other members other than *ex officio* members of the National Biodiversity Authority shall be such as may be prescribed by the Central Government.

The Chairperson shall be the Chief Executive of the National

The Chairperson shall be the Chief Executive of the National Biodiversity Authority and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed.

service of Chairperson 9. and members

Chairperson to

10.

Conditions of

be Chief
Executive of
National
Biodiversity
Authority

Removal of members

- The Central Government may remove from the National Biodiversity Authority any member who, in its opinion, has-
 - (a) been adjudged as an insolvent; or
 - (b) been convicted of an offence which involves moral turpitude; or
 - become physically or mentally incapable of acting as a member; or

- (घ) जिसने अपने पद का ऐस दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिये अहितकर है: या
- (ड.) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिवेशन।

12.

- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार में (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।
- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।
- (3) यदि अध्यक्ष किसी कारण से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (5) प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्षतः, अप्रत्यक्षतः या व्यक्तिगत रूप से अधिवेशन में विनिश्चित किये जाने वाले विषय से सम्बद्ध या हितबद्ध है, तो अपने सम्बन्ध या हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और इस प्रकार प्रकट करने के पश्चात् सम्बद्ध या हितबद्ध सदस्य उस अधिवेशन में भाग नहीं लेगा।
- (6) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि —
- (क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- (d) so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or
- (e) acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member.

Meetings of National Biodiversity Authority

12.

- (1) The National Biodiversity Authority shall meet at such time and place and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings) as may be prescribed.
 - (2) The Chairperson of the National Biodiversity Authority shall preside at the meetings of the National Biodiversity Authority.
 - (3) If for any reason the Chairperson is unable to attend any meeting of the National Biodiversity Authority, any member of the National Biodiversity Authority chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting.
 - (4) All questions which come before any meeting of the National Biodiversity Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson or, in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.
 - (5) Every member who is in any way, whether directly, indirectly or personally, concerned or interested in a matter to be decided at the meeting shall disclose the nature of his concern or interest and after such disclosure, the member concerned or interested shall not attend that meeting.
 - (6) No act or proceeding of the National Biodiversity Authority shall be invalidated merely by reason of-
 - (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the National Biodiversity Authority; or
 - (b) any defect in the appointment of a person acting as a member; or
 - (c) any irregularity in the procedure of the National Biodiversity Authority not affecting the merits of the case.

13.

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की समितियां।

- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कृषि जैव विविधता से व्यवहार करने के लिये एक समिति का गठन कर सकेगा।
- स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, "कृषि जैव विविधता" से कृषि से संबंधी जाति और उनकी जंगली प्रजातियों से संबंधित जैव विविधता अभिप्रेत है।
- (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन और कृत्यों के अनुपालन के लिये उतनी संख्या में समितियों का गठन कर सकेगा जो वह ठीक समझे।
- (3) इस धारा के अधीन गठित समिति में, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं, उतनी संख्या में सहयोजित किये जा सकेंगे जो वह ठीक समझे और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और इसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिये ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाये।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी।

14.

15.

16.

(1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, उतने अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जायें।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सभी आदेशों और विनिश्चयों की अधिप्रमाणन अध्यक्ष या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखतें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जारोंगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या किसी

Committees of National Biodiversity Authority

- (1) The National Biodiversity Authority may constitute a committee to deal with agro-biodiversity.
 - Explanation- For the purposes of this sub-section, "agrobiodiversity" means biological diversity, of agriculture related species and their wild relatives.
 - (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the National Biodiversity Authority may constitute such number of committees as it deems fit for the efficient discharge of its duties and performance of its functions under this Act.
 - (3) A committee constituted under this section shall co-opt such number of persons, who are not the members of the National Biodiversity Authority, as it may think fit and the persons so co-opted shall have the right to attend the meetings of the committee and take part in its proceedings but shall not have the right to vote.
 - (4) The persons appointed as members of the committee under sub-section (2) shall be entitled to receive such allowances or fees for attending the meetings of the committee as may be fixed by the Central Government.

Officers and employees of National Biodiversity Authority

14

- (1) The National Biodiversity Authority may appoint such officers and other employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.
- (2) The terms and conditions of service of such officers and other employees of the National Biodiversity Authority shall be such as may be specified by regulations.

Authenticatio 15. n of orders and decisions of National Biodiversity Authority

All orders and decisions of the National Biodiversity Authority shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any other member authorized by the National Biodiversity Authority in this behalf and all other instruments executed by the National Biodiversity Authority shall be authenticated by the signature of an officer of the National Biodiversity Authority authorized by it in this behalf.

Delegation of powers

 The National Biodiversity Authority may, by general or special order in writing, delegate to any member, officer of the अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये यदि कोई हों, जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 50 के अधीन अपील करने और धारा 64 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति से भिन्न), जो आवश्यक समझी जायें, प्रत्यायोजित की जा सकेंगी।

राष्ट्रीय जैव 17. विविधता प्राधिकरण के व्यय का भारत की संचित निधि में से चुकाया जाना।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि में से चुकाये जायेंगे।

000

National Biodiversity Authority or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of the powers and functions under this Act (except the power to prefer an appeal under section 50 and the power to make regulations under section 64) as it may deem necessary.

Expenses of
National
Biodiversity
Authority to
be defrayed
out of the
Consolidated
Fund of India

17.

The salaries and allowances payable to the members and the administrative expenses of the National Biodiversity Authority including salaries, allowances and pension payable to, or in respect of, the officers and other employees of the National Biodiversity Authority shall be defrayed out of the Consolidated Fund of India.

000

अध्याय 4

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियाँ

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य व शक्तियां।

- 18. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को विनियमित करने और विनियमों द्वारा जैव संसाधनों तक पहुंच और फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने तक के लिये मार्गदर्शन जारी करने का कर्तव्य होगा।
 - (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप को करने के लिये अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा।
 - (3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,
 - (क) केन्द्रीय सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के संबंध में सलाह दे सकेगा:
 - (ख) राज्य सरकारों को, जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों के चयन में जो विरासत स्थल के रूप में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किये जायें तथा ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंध के उपाय के चयन में सलाह दे सकेगा;
 - (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक समझे जायें।
 - (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत से अभिप्राप्त किसी जैव संसाधन या ऐसे जैव संसाधन से सहयोजित, जो भारत से व्युत्पन्न हुआ है, भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को मंजूर करने का विरोध करने के लिये आवश्यक कदम उठा सकेगा।

CHAPTER - IV

Functions and Powers of the National Biodiversity Authority

Functions and powers of National Biodiversity Authority

- 18. (1) It shall be the duty of the National Biodiversity Authority to regulate activities referred to in sections 3, 4 and 6 and by regulations issue guidelines for access to biological resources and for fair and equitable benefit sharing.
 - (2) The National Biodiversity Authority may grant approval for undertaking any activity referred to in sections 3, 4 and 6.
 - (3) The National Biodiversity Authority may
 - advise the Central Government on matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of biological resources;
 - (b) advise the State Governments in the selection of areas of biodiversity importance to be notified under sub-section (1) of section 37 as heritage sites and measures for the management of such heritage sites;
 - (c) perform such other functions as may be necessary to carry out the provisions of this Act.
 - (4) The National Biodiversity Authority may, on behalf of the Central Government, take any measures necessary to oppose the grant of intellectual property rights in any country outside India on any biological resource obtained from India or knowledge associated with such biological resource which is derived from India.

19.

अध्याय 5

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

कतिपय क्रियाकलाप करने के लिये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन।

- (1) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो भारत में होने वाली किसी जैव संसाधन को या उससे सहयोजित ज्ञान को, अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिये अथवा भारत में होने वाले या भारत के बाहर से अभिप्राप्त जैव संसाधन से संबंधित किसी अनुसंधान के परिणामों के अंतरण को प्राप्त करने के लिये आशयित हैं, ऐसे प्ररूप में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेगा और ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाये।
- (2) कोई व्यक्ति, जो भारत में या भारत के बाहर धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी पेटेंट के लिये या बौद्धिक संपदा संरक्षण के किसी अन्य प्ररूप के लिये आवेदन करना चाहता है तो वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा जो विहित की जाये।
- (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और यदि आवश्यक हो इस प्रयोजन के लिये गठित किसी विशेष सिमिति से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुये अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा और यह ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जायें जिनके अंतर्गत रायल्टी के रूप में प्रभारों का अधिरोपण या आवेदन को नामंजूर करने के कारण सिमिलित हैं:

परंतु यह कि नामंजूरी का ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा:

- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन दिये गये प्रत्येक अनुमोदन की सार्वजनिक सूचना देगा।
- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 19 के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया है किसी ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को, जो उक्त अनुमोदन की विषय वस्तु है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना अंतिर्शि नहीं करेगा।

जैव संसाधन या ज्ञान का अंतरण।

20.

CHAPTIER - V

Approval by the National Biodiversity Authority

Approval by N a t i o n a l Biodiversity Authority for undertaking certain activities

19.

- (1) Any person referred. to in sub-section (2) of section 3 who intends to obtain any biological resource occurring in India or knowledge associated thereto for research or for commercial utilization or for bio-survey and bio-utilization or transfer the results of any research relating to biological resources occurring in, or obtained from, India, shall make application in such form and payment of such fees as may be prescribed, to the National Biodiversity Authority.
- (2) Any person who intends to apply for a patent or any other form of intellectual property protection whether in India or outside India referred to in sub-section (1) of section 6, may make an application in such form and in such manner as may be prescribed to the National Biodiversity Authority.
- (3) On receipt of an application under sub-section (1) or subsection (2), the National Biodiversity Authority may, after making such enquiries as it may deem fit and if necessary after consulting an expert committee constituted for this purpose, by order, grant approval subject to any regulations made in this behalf and subject to such terms and conditions as it may deem fit, including the imposition of charges by way of royalty or for reasons to be recorded in writing, reject the application.

Provided that no such order for rejection shall be made without giving an opportunity of being heard to the person affected.

- (4) The National Biodiversity Authority shall give public notice of every approval granted by it under this section.
- (1) No person who has been granted approval under section 19 shall transfer any biological resource or knowledge associated thereto which is the subject matter of the said approval except with the permission of the National Biodiversity Authority.

Transfer of biological resource or knowledge

20.

- (2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को अंतरित करना चाहता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेगा, जो विहित की जाये।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जिन्हें वह उचित समझे और यदि आवश्यक हो, इस प्रयोजन के लिये गठित किसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुये अनुमोदन दे सकेगा और यह ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जायें जिनके अंतर्गत रायल्टी के रूप में प्रभारों का अधिरोपण या आवेदन को नामंजूर करने के कारण सम्मिलित हैं: परंतु यह कि नामंजूरी का ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा:
- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन दिये गये प्रत्येक अनुमोदन की सार्वजनिक सूचना देगा।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण साम्यापूर्ण फायदे में हिस्सा बंटाने का अवधारण। 21.

- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, धारा 19 या धारा 20 के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिनके अधीन रहते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया है, उपलब्ध जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों, उनके उपोत्पादों, उनके उपयोग से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों और उनसे संबंधित उपयोजनों तथा ज्ञान का, ऐसे अनुमोदन के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति, संबंधित स्थानीय निकाय और फायदे के दावेदारों के बीच पारस्परिक रूप से करार किये गये निबंधनों और शर्तों के अनुसार साम्यापूर्ण फायदे में हिस्सा बंटाना सुनिश्चित है।
- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुये फायदे में हिस्सा बंटाने की अवधारणा को निम्नलिखित किसी या सभी रीति में लागू किया जायेगा, अर्थात:—
- (क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या जहां फायदे के दावेदारों को, ऐसे फायदे के दावेदारों के रूप में पहचाना जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व देना;

- (2) Any person who intends to transfer any biological resource or knowledge associated thereto referred to in sub-section (1) shall make an application in such form and in such manner as may be prescribed to the National Biodiversity Authority.
- (3) On receipt of an application under sub-section (2), the National Biodiversity Authority may, after making such enquiries as it may deem fit and if necessary after consulting an expert committee constituted for this purpose, by order. grant approval subject to such terms and conditions as it may deem fit, including the imposition of charges by way of royalty or for reasons to be recorded in writing, reject the application: Provided that no such order for rejection shall be made without giving an opportunity of being heard to the person affected.
- (4) The National Biodiversity Authority shall give public notice of every approval granted by it under this section.

Determinatio n of equitable benefit sharing by National Biodiversity Authority

21.

- (1) The National Biodiversity Authority shall while granting approvals under section 19 or section 20 ensure that the terms and conditions subject to which approval is granted secures equitable sharing of benefits arising out of the use of accessed biological resources, their by-products, innovations and practices associated with their use and applications and knowledge relating thereto in accordance with mutually agreed terms and conditions between the person applying for such approval, local bodies concerned and the benefit claimers.
- (2) The National Biodiversity Authority shall, subject to any regulations made in this behalf, determine the benefit sharing which shall be given effect in all or any of the following manner, namely:
- grant of joint ownership of intellectual property rights to (a) the National Biodiversity Authority, or where benefit claimers are identified, to such benefit claimers;

- (ख) प्रौद्योगिकी का अंतरण;
- (ग) ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन, अनुसंधान और विकास एककों का अवस्थान जो फायदे के दावेदारों के बेहतर जीवन स्तर को सुकर बनाते हैं;
- (घ) भारतीय वैज्ञानिक संगम, फायदों का दावा करने वाले व्यक्ति और जैव संसाधन और जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के अनुसंधान और विकास में लगे स्थानीय व्यक्ति फायदे का दावा करने वाले;
- (ड.) फायदे का दावा करने वालों के हेतु की गई सहायता के लिये बौद्धिक पूंजी निधि की स्थापना;
- (च) फायदे का दावा करने वालों को धनीय प्रतिकर और अन्य गैर धनीय फायदों का संदाय जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जायें;
- (3) जहां धन की आवश्यक राशि का हिस्सा बंटाने का आदेश दिया जाता है, वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी राशि को राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में जमा करने का आदेश दे सकेगा:

परंतु यह कि जहां जैव संसाधन या ज्ञान किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टिक या व्यष्टिक—समूह या संगठन के परिणामस्वरूप उपलब्ध था वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि राशि का किसी करार के निबंधनों के अनुसरण में और ऐसी रीति में जो आवश्यक समझी जाये और विशिष्ट व्यष्टि और व्यष्टि समूह या संगठन को प्रत्यक्षतः संदाय किया जाये;

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विनियमों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा।

- (b) transfer of technology;
- (c) location of production, research and development units in such areas which will facilitate better living standards to the benefit claimers:
- (d) association of Indian scientists, benefit claimers and the local people with research and development in biological resources and bio-survey and bioutilization;
- setting up of venture capital fund for aiding the cause of benefit claimers;
- (f) payment of monetary compensation and nonmonetary benefits to the benefit claimers as the National Biodiversity Authority may deem fit.
- (3) Where any amount of money is ordered by way of benefit sharing, the National Biodiversity Authority may direct the amount to be deposited in the National Biodiversity Fund: Provided that where biological resource or knowledge was a result of access from specific individual or group of individuals or organizations, the National Biodiversity Authority may direct that the amount shall be paid directly to such individual or group of individuals or organizations in accordance with the terms of any agreement and in such manner as it deems fit.
- (4) For the purposes of this section, the National Biodiversity Authority shall, in consultation with the Central Government, by regulations, frame guidelines.

अध्याय 6

राज्य जैव विविधता बोर्ड

राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना।

- - (2) इस धारा में किसी बात के होते हुये भी किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड को किसी संघ राज्यक्षेत्र और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में गठन किया गया नहीं समझा जायेगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र के लिये किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों को प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा:

परंतु यह कि किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, इस उपधारा के अधीन सभी या किसी शक्ति अथवा कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

- (3) बोर्ड, उपयुक्त नाम से निगमित एक निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे स्थावर और जंगम संपत्ति दोनों को अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।
- (4) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--
- (क) एक अध्यक्ष, जो जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग तथा फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाला विशिष्ट व्यक्ति होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;
- (ख) राज्य सरकार के संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा पांच से अनधिक पदेन सदस्य नियुक्त किये जायेंगे;
- (ग) जैव विविधता के संरक्षण, जैव संरथाओं के पोषणीय उपयोग तथा जैव संस्थानों के उपयोग में ही उद्भूत कार्यों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों के विशेषज्ञों में से पांच से अनिधक सदस्य नियुक्त किये जायेंगे।

CHAPTER - VI

State Biodiversity Board

Establishment 22. of State Biodiversity Board

- (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be established by that Government for the purposes of this Act, a Board for the State to be known as the (name of the State) Biodiversity Board.
- (2) Notwithstanding anything contained in this section, no State Biodiversity Board shall be constituted for a Union territory and in relation to a Union territory, the National Biodiversity Authority shall exercise the powers and perform the functions of a State Biodiversity Board for that Union territory: Provided that in relation to any Union territory, the National Biodiversity Authority may delegate all or any of its powers or functions under this sub-section to such person or group of persons as the Central Government may specify.
- (3) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall by the said name sue and he sued.
- (4) The Board shall consist of the following members, namely:
- (a) a Chairperson who shall be an eminent person having adequate knowledge and experience in the conservation and sustainable use of biological diversity and in matters relating to equitable sharing of benefits, to be appointed by the State Government;
- not more than five ex officio members to be appointed by the State Government to represent the concerned Departments of the State Government;
- (c) not more than five members to be appointed from amongst experts in matters relating to conservation of biological diversity, sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources.

(5) राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाये।

राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य।

- 23. राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे :--
 - (क) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये किसी मार्गदर्शन के अधीन रहते हुये जो जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना;
 - (ख) वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और भारतीयों द्वारा किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिये अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध को मंजूर करके, विनियमित करना;
 - (ग) ऐसे अन्य कृत्यों को करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हों और राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें।

संरक्षण आदि के 24. उद्देश्यों का उल्लंघन करने के लिये कतिपय क्रियाकलापों को निर्बंधित करने की राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्ति।

- (1) भारत का कोई नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या भारत में रिजस्ट्रीकृत संगम, जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना ऐसे प्ररूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी संसूचना की प्राप्ति पर राज्य जैव विविधता बोर्ड सम्बंधित निगमित निकाय से परामर्श करके और ऐसे जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा ऐसे किसी क्रियाकलाप को प्रतिषेध या निबंधित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप, संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के प्रतिकूल या विरुद्ध हो:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(3) पूर्व इत्तिला के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गयी कोई सूचना गुप्त रखी जायेगी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उससे कोई संबंध नहीं, साशय या बिना आशय के प्रकट नहीं की जायेगी।

Functions of State Biodiversity Board

23.

24.

(5) The head office of the State Biodiversity Board shall be at such place as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

The functions of the State Biodiversity Board shall be to-

- (a) advise the State Government, subject to any guidelines issued by the Central Government, on matters relating to the conservation of biodiversity. sustainable use of its components and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of biological resources;
- regulate by granting of approvals or otherwise (b) requests for commercial utilization or bio-survey and bio-utilization of any biological resource by Indians;
- perform such other functions as may he necessary to (c) carry out the provisions of this Act or as may be prescribed by the State Government.

Power of State **Biodiversity** Board to restrict certain activities

- (1) Any citizen of India or a body corporate, organization or association registered in India intending to undertake any activity referred to in section 7 shall give prior intimation in such form as may be prescribed by the State Government to the State Biodiversity Board.
- (2) On receipt of an intimation under sub-section (1), the State Biodiversity Board may, in consultation with the local bodies concerned and after making such enquires as it conservation, may deem fit, by order, prohibit or restrict any such activity if it is of opinion that such activity is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity or equitable sharing of benefits arising out of such activity: Provided that no such order shall be made without giving an opportunity of being heard to the person affected.
- (3) Any information given in the form referred to in sub-section (1) for prior intimation shall be kept confidential and shall not be disclosed, either intentionally or unintentionally, to any person not concerned thereto.

25 .

राज्य जैव विविधता बोर्ड पर उपांतरणों सहित धारा 9 से धारा 17 के उपबंधों का लागू होना। धारा 9 से धारा 17 के उपबंध, किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिर्देश को राज्य सरकार के प्रतिनिर्देश समझा जायेगा;

- (ख) राष्ट्रीय जैव विविधिता प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश को राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिर्देश समझा जायेगा;
- (ग) भारत की संचित निधि के प्रतिनिर्देश को राज्य की संचित निधि के प्रतिनिर्देश समझा जायेगा।

The provisions of sections 9 to 17 shall apply to a State Biodiversity Board and shall have effect subject to the following modifications, namely:

- (a) references to the Central Government shall be construed as references to the State Government;
- (b) references to the National Biodiversity Authority shall be construed as references to the State Biodiversity Board.
- (c) reference to the Consolidated Fund of India shall be construed as reference to the Consolidated Fund of the State.

अध्याय ७

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्र सरकार के अनुदान या ऋण

26.

केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा सम्यक रूप से विनियोग के पश्चात. ऐसे अनुदान या ऋणों के द्वारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसी राशियों का संदाय कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये, आवश्यक समझे।

राष्ट्रीय जैव विविधता का उपयोजन।

- 27 .
- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा —
- धारा 26 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को दिया गया (क) कोई अनुदान या ऋण;
- इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा (ख) प्राप्त किये गये सभी प्रभार और स्वामित्वः और
- ऐसे अन्य संसाधनों से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त (ग) सभी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये।
- (2) निधि का निम्नलिखित के लिये उपयोग किया जायेगा -
- फायदे का दावा करने वालों को फायदों का दिया जाना-(क)
- जैव संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन और उन क्षेत्रों का विकास जहां से (ख) ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान उपलब्ध हुआ है.
- स्थानीय निकाय के परामर्श से खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्रों का (ग) सामाजिक-आर्थिक विकास।

राष्ट्रीय जैव विविधता पाधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट ।

28 .

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर जो विहित किये जायें, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों का संपूर्ण लेखा जोखा देगा तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाये, पेश करेगा और इसके साथ उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और लेखाओं की एक संपरीक्षित प्रति लगी होगी।

CHAPER - VII

Finance, Accounts and Audit of National Biodiversity Authority

Grants or loans by the Central Government

The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the National Biodiversity Authority by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

Constitution of 27.(1) National Biodiversity Fund

26.

There shall be constituted a Fund to be called the National Biodiversity Fund and there shall be credited thereto —

- (a) any grants or loans made to the National Biodiversity Authority under section 26;
- (b) all charges and royalties received by the National Biodiversity Authority under this Act; and
- (c) all sums received by the National Biodiversity Authority from such other sources as may be decided upon by the Central Government.
- (2) The Fund shall be applied for-
- (a) channeling benefits to the benefit claimers;
- (b) conservation and promotion of biological resources and development of areas from where such biological resources or knowledge associated thereto has been accessed;
- (c) socio-economic development of areas referred to in clause (b) in consultation with the local bodies concerned.

Annual report of National Biodiversity Authority

28.

The National Biodiversity Authority shall prepare, in such form and at such time each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and furnish, to the Central Government, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditors report thereon.

29

बजट, लेखा और लेखापरीक्षा।

- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक बजट तैयार करेगा, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख (जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख सम्मिलित हैं) बनाये रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण उस प्ररूप में जैसा केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रामर्श से विहित करे तैयार करेगा।
- (2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में किये गये खर्चे को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक को देय होगा।
- (3) भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो सामान्यतया नियंत्रक और लेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं और विशिष्टतः उसे बिहयों, लेखाओं, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज पत्र प्रस्तुत करने की मांग करने और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित लेखा, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे।

वार्षिक रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना।

30.

केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को उनके प्राप्त होने के यथासंभव शीघ्र पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

Budget accounts and audit

29

- (1) The National Biodiversity Authority shall prepare a budget, maintain proper accounts and other relevant records (including the accounts and other relevant records of the National Biodiversity Fund) and prepare an annual statement of account in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.
 - (2) The accounts of the National Biodiversity Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the National Biodiversity Authority to the Comptroller and Auditor-General of India.
 - (3) The Comptroller and Auditor-General of India and any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the National Biodiversity Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the National Biodiversity Authority.
 - (4) The accounts of the National Biodiversity Authority as certified by the Comptroller and Auditor- General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government.

Report to be laid before parliament

30. The Central G auditor's report received, before received, before

The Central Government shall cause the annual report and auditor's report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament.

राज्य जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट। 33. राज्य जैव विविधता बोर्ड, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों का संपूर्ण लेखाजोखा देगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा। 34. राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखा राज्य के महालेखाकार के परामर्श से ऐसी रीति में तैयार किये जायेंगे और लेखापरीक्षित किये जायेंगे तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य सरकार को, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाये, अपनी लेखापरीक्षित लेखा की प्रति और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित, प्रस्तुत करेगा।

राज्य जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना। 35. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को, उनके प्राप्त होने के यथासंभव शीघ्र पश्चात् विधान मंडल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

33. The State Biodiversity Board shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the State Government.

Audit of accounts of State Biodiversity Board 34.

The accounts of the State Biodiversity Board shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountant-General of the State, be prescribed and the State Biodiversity Board shall furnish, to the State Government, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditor's report thereon.

Annual Report 35.
of State
Biodiversity
Board to be
laid before
State
Legislature

The State Government shall cause the annual report and auditor's report to be laid, as soon as may be after they are received, before the House of State Legislature.

अध्याय 9

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्तव्य

जैव विविधता के 36. संरक्षण आदि के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कूटनीतियों, योजनाओं आदि को विकसित किया जाना।

- (1) केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन और पोषणीय उपयोग के लिये जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना और उनको अनुश्रवण करना भी है जो जैव संसाधनों के प्राकृतिक, आंतरिक और बाह्य संरक्षण से परिपूर्ण है, जैव विविधता के संबंध में जागृति बढ़ाने के लिये अनुसंधान, प्रशिक्षण और लोकशिक्षा के प्रोत्साहन के लिये राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों को विकसित करेगी।
- (2) जहां केन्द्रीय सरकार के पास इस बारे में विश्वास करने का कारण है कि ऐसे किसी क्षेत्र को जो जैव विविधता, जैव संसाधनों से समृद्ध है और उन संसाधनों से भरपूर है, उनके अधिक उपयोग, दुरुपयोग या उनकी उपेक्षा द्वारा उन्हें खतरा पैदा होता जा रहा है वहां वह सम्बद्ध राज्य सरकार को निदेश जारी करेगी कि वह ऐसी राज्य सरकार को कोई तकनीकी या अन्य सहायता प्रदान करते हुये तत्काल ऐसे सुधारक उपाय करे जिनको उपलब्ध कराना संभव हो या जो जरूरी हों।
- (3) केन्द्रीय सरकार, यथाशक्य जब कभी यह समुचित समझे, जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन और पोषणीय उपयोग को सुसंगत क्षेत्रीय या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में एकीकृत करेगी।
- (4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी -
- (i) जहां कहीं आवश्यक हो, एक परियोजना, जो पर्यावरणीय प्रभाव के ऐसे प्रभावों के निराकरण या उसको कम करने के विचार से निर्धारण के लिये जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और जहां ऐसे निर्धारण में जनता की भागीदारी के लिये समुचित व्यवस्था करना।
- (ii) उस जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप जीवित संशोधित जीवों के उपयोग और मोचन से सम्बद्ध जोखिमों को विनियमित करना, उनका प्रबंध या नियंत्रण करना जिससे जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

CHAPTER - IX

Duties of the Central and the State Governments

Central 36.
Government to develop National strategies plans. for conservation, etc., of biological diversity

- (1) The Central Government shall develop national strategies, plans, programmes for the conservation and promotion and sustainable use of biological diversity including measures for identification and monitoring of areas rich in biological resources, promotion of *in situ*, and *ex situ*, conservation of biological resources, incentives for research, training and public education to increase awareness with respect to biodiversity.
- (2) Where the Central Government has reason to believe that any area rich in biological diversity, biological resources and their habitats is being threatened by overuse, abuse or neglect, it shall issue directives to the concerned State Government to take immediate ameliorative measures, offering such State Government any technical and other assistance that is possible to be provided or needed.
- (3) The Central Government shall, as far as practicable wherever it deems appropriate, integrate the conservation, promotion and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.
- 4) The Central Government shall undertake measures,-
- (i) wherever necessary, for assessment of environmental impact of that project which is likely to have adverse effect on biological diversity, with a view to avoid or minimize such effects and where appropriate provide for public participation in such assessment;
- (ii) to regulate, manage or control the risks associated with the use and release of living modified organisms resulting from biotechnology likely to have adverse impact on the conservation and sustainable use of biological diversity and human health.

(5) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जैव विविधता से संबंधित स्थानीय व्यक्ति के ज्ञान पर विचार करने और ऐसे उपाय के राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ज्ञान का रिजस्ट्रीकरण, और विशिष्ट प्रणाली सहित संरक्षण के अन्य उपाय सम्मिलित होंगे।

स्पष्टीकरण -

इस धारा के प्रयोजनों के लिये -

- (क) प्राकृतिक बाह्य संरक्षण से उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर के जैव विविधता के अवयवों का संरक्षण अभिप्रेत है;
- (ख) प्राकृतिक संरक्षण से आर्थिक प्रणाली और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और प्राकृतिक वातावरण में उनकी जातियों की परिवर्तनीय संख्या को बनाये रखना और उन्हें प्राप्त करना तथा वातावरण में प्रजातियों के घरेलूकृत या संवर्धित की दशा, जहां उन्होंने अपने विभिन्न गुण विकसित किये हैं, अभिप्रेत है।

जैव विविधता विरासतीय स्थल।

37.

- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, समय—समय पर स्थानीय निकाय के परामर्श से राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन जैव विविधता विरासतीय स्थलों के रूप में जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी।
- (2) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सभी विरासतीय स्थलों के प्रबंध और संरक्षण विरचित करेगी।
- (3) राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिकर या पुनर्स्थापन के लिये योजनायें विरचित करेगी।

विलुप्त हो रही
प्रजाति को
अधिसूचित करने
की केन्द्रीय
सरकार की
शक्ति।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध सरकार से परामर्श करने के पश्चात् समय—समय पर, ऐसी प्रजातियों को जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है तथा किसी प्रयोजन के लिये उनके संग्रहण के (5) The Central Government shall endeavour to respect and protect the knowledge of local people relating to biological diversity, as recommended by the National Biodiversity Authority through such measures, which may include registration of such knowledge at the local, State or national levels, and other measures for protection,

including sui generis system.

Explanation:-For the purposes of this section,-

- "ex situ conservation" means the conservation of components of biological diversity outside their natural habitats;
- (b) "in situ conservation" means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

Biodiversity heritage sites

37

- .(1) Without prejudice to any other law for the time being in force, the State Government may, from time to time in consultation with the local bodies, notify in the Official Gazette, areas of biodiversity importance as biodiversity heritage sites under this Act.
- (2) The State Government, in consultation with the Central Government, may frame rules for the management and conservation of all the heritage sites.
- (3) The State Government shall frame schemes for compensating or rehabilitating any person or section of people economically affected by such notification.
- Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, the Central Government, in consultation with the concerned State Government, may from time to time notify any species which is on the verge of extinction or likely to become extinct in the near future as a threatened species

Power of
Central 38.
Government to
notify
threatened
species

39.

40.

लिये उनको प्रतिषेध या विनियमित कर सकेगी, उन प्रजातियों के पुनर्स्थापन और परिरक्षण के लिये समुचित कदम उठायेगी।

संग्रहालयों को अभिहित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

- (1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से विभिन्न प्रवर्गों के जैव संसाधनों के लिये इस अधिनियम के अधीन संग्रहालयों के रूप में संसाधनों को अभिहित कर सकेगी।
- (2) संग्रहालय जैव सामग्री को संरक्षित अभिरक्षा में र्रखेगा जिसके अंतर्गत उनके पास जमा किये गये वाउचर नमूने सम्मिलित हैं।
- (3) किसी व्यक्ति द्वारा आविष्कार किये गये किसी नये वर्गक को संग्रहालय में या इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित की गई किसी संस्था को अधिसूचित किया जायेगा और उसके द्वारा ऐसे संग्रहालय या संस्था के वाउचर नमूने को जमा किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार की कतिपय जैव संसाधनों को छूट देने की शक्ति।

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध किन्हीं मदों को लागू नहीं होंगे जिसके अंतर्गत वाणिज्य के रूप में साधारणतया व्यापार के जैव संसाधन सम्मिलित हैं।

Power of Central Government to designate

repositories

39.

40.

and prohibit or regulate collection thereof for any purpose and take appropriate steps to rehabilitate and preserve those species.

- (1) The Central Government may, in consultation with the National Biodiversity Authority, designate institutions as repositories under this Act for different categories of biological resources.
- (2) The repositories shall keep in safe custody the biological material including voucher specimens deposited with them.
- (3) Any new taxon discovered by any person shall be notified to the repositories or any institution designated for this purpose and he shall deposit the voucher specimens with such repository or institution.

Power of Central Government to exempt certain biological resources

Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Government may, in consultation with the National Biodiversity Authority, by notification in the Official Gazette, declare that the provisions of this Act shall not apply to any items, including biological resources normally traded as commodities.

अध्याय 10

जैव विविधता प्रबंध समितियां

जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन। (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय संरक्षण के संवर्धन, पोषणीय उपयोग और जैव विविधता के दस्तावेजीकरण के प्रयोजन के लिये, जिसके अंतर्गत आवासकों का भूमि की संरक्षण की प्रजाति का संरक्षण, व्यक्तियों के वर्गों और पशुधन के घरेलूकृत संवर्धकों तथा पशुओं के प्रजनन और सूक्ष्म जीवों तथा जैव विविधतासे संबंधित ज्ञान को श्रृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिये इसके क्षेत्र के भीतर है, जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा।

स्पष्टीकरण -

41

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये –

(क) "कल्टीवर" से पौधे की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो कृषि में पैदा होती थी और बढ़ती रहती थी या कृषि के प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से उगाई गई थी;

(ख) "लोक किस्म" से पौधे की पैदा की गई वह किस्म अभिप्रेत है जो क्रिसानों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और विनिमय की गई थी;

(ग) "भूमि प्रजाति" से पुरातन कल्टीवर अभिप्रेत है जो प्राचीन कृषकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई जाती थी।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव संसाधनों और ऐसे संसाधनों से सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के संबंध में, जो जैव विविधता प्रबंध समितियों की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर होते हैं, कोई विनिश्चय लेते समय जैव विविधता समितियों से परामर्श करेगा।
(3) जैव विविधता प्रबंध समिति, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी जैव संसाधन की पहुंच या संग्रहण के लिये किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के रूप में प्रभाव उद्गृहीत

कर सकेगी।

CHAPTER - X

Biodiversity Management Committees

Constitution 41.
of
Biodiversity
Management
Committee

(1) Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its area for the purpose of promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity including preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and micro organisms and chronicling of knowledge relating to biological diversity.

Explanation .- For the purposes of this sub-section,-

- (a) "cultivar" means a variety of plant that has originated and persisted under cultivation or was specifically bred for the purpose of cultivation;
- (b) "folk variety" means a cultivated variety of plant that was developed, grown and exchanged informally among farmers;
- (c) "land race" means primitive cultivar that was grown by ancient farmers and their successors.
- (2) The National Biodiversity Authority and the State Biodiversity Boards shall consult the Biodiversity Management Committees while taking any decision relating to the use of biological resources and knowledge associated with such resources occurring within the territorial jurisdiction of the Biodiversity Management Committee.
- (3) The Biodiversity Management Committees may levy charges by way of collection fees from any person for accessing or collecting any biological resource for commercial purposes from areas falling within its territorial jurisdiction.

अध्याय 11

स्थानीय जैव विविधता निधि

जैव विविधता निधि को अनुदान।

राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान मंडल द्वारा किये गये सम्यक् 42 . विनियोग के पश्चात स्थानीय जैव विविधता निधियों को ऐसी धनराशि का अनुदान या ऋण दे सकेगी जो वह इस अधिनिय्रम के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने के लिये ठीक समझे।

स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन।

- (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय जैव विविधता निधि 43 . के नाम से ज्ञात निधि का गठन किया जायेगा जहां कोई संस्था स्वशासित रूप में कार्य कर रही हो और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जायेगा –
 - धारा 42 के अधीन दिया गया कोई अनुदान और ऋण; (क)
 - राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिये गये कोई अनुदान और (ख) ऋण;
 - राज्य जैव विविधता बोर्डो द्वारा दिये गये कोई अनुदान या ऋण; (ग)
 - धारा 41 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट जैव विविधता प्रबंध समितियों (घ) द्वारा प्राप्त फीस;
 - ऐसे अन्य संसाधनों से स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त सभी (ভ.) राशियों जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये।

स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन।

44 .

- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, स्थानीय जैव विविधता निधि का ऐसी रीति से प्रबंध तंत्र और उसकी अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति तथा वे प्रयोजन जिनके लिये ऐसी निधि का उपयोग किया जायेगा, वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें।
- स्थानीय संबंधित (2) निधि का उपयोग अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिये और सामुदायिक फायदे के लिये, जहां तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत है, किया जायेगा।
- स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारूप में 45 . और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समय पर जो विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने

जैव विविधता प्रबंध समिति की वार्षिक रिपोर्ट ।

CHAPTER - XI

Local, Biodiversity Fund

Grants to Local Biodiversity Fund

42. The State Government may, after due appropriation made by State Legislature by law in this behalf, pay to the Local Biodiversity Funds by way of grants or loans such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

Constitution of Local Biodiversity Fund

43.

44.

45.

- (1) There shall be constituted a Fund to be called the Local Biodiversity Fund at every area notified by the State Government where any institution of self-government is functioning and there shall be credited thereto-
- (a) any grants and loans made under section 42;
- (b) any grants or loans made by the National Biodiversity Authority;
- any grants or loans made by the State Biodiversity Boards;
- (d) fees referred to in sub-section (3) of section 41 received by the Biodiversity Management Committees;
- (e) all sums received by the Local Biodiversity Fund from such other sources as may be decided upon by the State Government.

Application of Local Biodiversity Fund

- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the management and the custody of the Local Biodiversity Fund and the purposes for which such Fund shall be applied, be in the manner as may be prescribed by the State Government.
- (2) The Fund shall be used for conservation and promotion of biodiversity in the areas falling within the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the community in so far such use is consistent with conservation of biodiversity.
- Annual Report of Biodiversity Management Committees
- The person holding the custody of the Local Biodiversity Fund shall prepare, in such form and during each financial year at such time as may be prescribed, its annual report, giving a full

जैव विविधता 46 . प्रबंध समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षा। क्रियाकलापों का संपूर्ण लेखाजोखा देते हुये उसकी एक प्रति संबद्ध स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।

स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से ऐसी रीति में रखें और लेखापरीक्षित किये जायेंगे जो विहित की जाये और स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, संबद्ध स्थानीय निकाय को ऐसी तारीख से पूर्व जो विहित की जाये उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक लेखा संपरीक्षित प्रति देगा।

जिला मजिस्ट्रेट ⁴⁷. को प्रस्तुत की जाने वाली जैव विविधता प्रबंध समितियों की वार्षिक रिपोर्ट.आदि। धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करने वाला प्रत्येक स्थानीय निकाय क्रमशः धारा 45 और धारा 46 में निर्दिष्ट और ऐसी समिति से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट और उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को, जिसकी उक्त स्थानीय निकाय पर अधिकारिता हो, प्रस्तुत करायेगा।

Audit of accounts of Biodiversity Managemen Committees 46.

47.

Annual report, etc, of the Biodiversity Management Committee to be submitted to district Magistrate

account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the concerned local body.

The accounts of the Local Biodiversity Fund shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountant-General of the State, be prescribed and the person holding the custody of the Local Biodiversity Fund shall furnish, to the concerned local body, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditor's report thereon.

Every local body constituting a Biodiversity Management Committee under sub-section (1) of section 41, shall cause, the annual report and audited copy of accounts together with auditor's report thereon referred to in sections 45 and 46, respectively and relating to such Committee to be submitted to the District Magistrate having jurisdiction over the area of the local body.

अध्याय 12

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेशों से आबद्ध होना।

(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय—समय पर उसे लिखित रूप में दे:

परंतु यह कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व, जहां तक साध्य हो, अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा।

(2) इस संबंध में कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्य सरकार ⁴⁹. की निदेश देने की शक्ति।

130

(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य जैव विविधता बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति के ऐसे प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय—समय पर उसे लिखित रूप में दे:

परंतु यह कि राज्य जैव विविधता बोर्ड को, जहां तक साध्य हो, इस उपधारा ...के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा।

(2) इस संबंध में कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्य जैव विविधता बोर्डो के बीच विवादों का निपटान।

50.

(1) यदि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यथास्थिति, उक्त प्राधिकरण या बोर्ड केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये

(3) किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये :

परंतु यह कि किसी अपील के निपटान से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

CHAPTER - XII

Miscellaneous

National
Biodiversity
Authority to
be bound by
the
directions
given by
Central
Government

48.

49.

(1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the National Biodiversity Authority shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time.

Provided that the National Biodiversity Authority shall, as far as practicable, be given opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.

(2) The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.

Power of
State
Government
to give
Directions

- (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the State Biodiversity Board shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the State Government may give in writing to it from time to time: Provided that the State Biodiversity Board shall, as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.
- (2) The decision of the State Government whether a question is one of policy or not shall be final.
- Settlement of 50. disputes between State Biodiversity
- (1) If a dispute arises between the National Biodiversity Authority and a State Biodiversity Board, the said Authority or the Board, as the case may be, may prefer an appeal to the Central Government within such time as may be prescribed.
- (2) Every appeal made under sub-section (1) shall be in such form as may be prescribed by the Central Government.
- (3) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed by the Central Government.

Provided that before disposing of an appeal, the parties shall be given a reasonable opportunity of, being heard.

- (4) यदि राज्य जैव विविधता बोर्डों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार उसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को निर्देशित करेगी।
- (5) उपधारा (4) के अधीन किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करते समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये।
- (6) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिये, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-
- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये आयोग नियुक्ति आदेश निकालना;
- (इं.) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;
- (च) व्यतिक्रम के लिये किसी आवेदन को खारिज करना या इसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;
- (छ) व्यतिक्रम के लिये किसी आवेदन को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

1860 का 45 1974 का 2

राष्ट्रीय जैव

(7) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत और धारा 196 के प्रयोजन के लिये न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

विविधता का
प्राधिकरणऔर संि राज्य जैव सम् विविधता बोर्ड के 51. सदस्यों , अधिकारियों आदि को लोक सेवक समझा जाना।

1860 का 45

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

- (4) If a dispute arises between the State Biodiversity Boards, the Central Government shall refer the same to the National Biodiversity Authority.
- (5) While adjudicating any dispute under sub-section (4), the National Biodiversity Authority shall be guided by the principles of natural justice and shall follow such procedure as may be prescribed by the Central Government.
- (6) The National Biodiversity Authority shall have, for the purposes of discharging its functions under this section, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely—
- summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
- reviewing its decisions; dismissing an application for default or deciding it ex parte;
- (g) setting aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it ex parte;
- (h) any other matter which may be prescribed.
- (7) Every proceeding before the National Biodiversity Authority shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196, of the Indian Penal Code and the National Biodiversity Authority shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 and Chapter XXV1 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

All members, officers and other employees of the National Biodiversity Authority or the State Biodiversity Board shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions, of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

45 of 1860 2 of 1974

Members,
officers, etc.,
of National
Biodiversity
Authority and
State
Biodiversity
Board deemed
to be public
servants
45 of 1860

अपील।

इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के, फायदे में हिस्सेदारी की किसी अवधारण या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के अवधारण या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह सामाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अविध के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा है तो वह उक्त अपील साठ दिन से अनिधक की और अविध के भीतर फाइल किये जाने की अनज्ञात कर सकेगा।

अवधारण या आदेश का निष्पादन। 53.

इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया गया फायदे की हिस्सेदारी की प्रत्येक अवधारण या आदेश अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी अवधारण या आदेश के विरुद्ध किसी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी अधिकारी या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और उसी रूप में निष्पादनीय होगा जिसमें उस न्यायालय की डिक्री होती है।

स्पष्टीकरण — इस धारा और धारा 51 (क) के प्रयोजनों के लिये, "राज्य जैव विविधता बोर्ड" पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी है जिसे धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन की शक्तियां और कृत्य उस उपधारा के परंतुक के अधीन प्रत्यायोजित किये गये हैं और इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जारी किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवही के लिये संरक्षण। 54.

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशियत किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। Appeal

52. Any person, aggrieved by any determination of benefit sharing or order of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board under this Act, may file an appeal to the High Court within thirty days from the date of communication to him, of the determination or order of the National Biodiversity Authority or the State Biodiversity Board, as the case may be.

Provided that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal-within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

Execution of determination or order

53.

54.

Every determination of benefit sharing or order made by the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board under this Act or the order made by the High Court in any appeal against any determination or order of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board shall, on a certificate issued by any officer of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board or the Registrar of the High Court, as the case may be, be deemed to be decree of the civil court and shall be executable in the same manner as a decree of that court.

Explanation.- For the purposes of this section and section 52, the expression

"State Biodiversity Board" includes the person or group of persons to whom the powers or functions under sub-section (2) of section-22 have been delegated under the proviso to that sub-section and the certificate relating to such person or group of persons under this section shall be issued by such person or group of persons, as the case may be.

Protection of action taken in good faith

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or the State Government or any officer of the Central Government or the State Government or any member, officer or employee of the National Biodiversity Authority or the State Biodiversity Board for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

शास्तियां। 55.

(1) जो कोई धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अविध पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा और जहां कारित नुकसान दस लाख रुपये से अधिक हो वहां जुर्माना कारित नुकसान के अनुरूप होगा अथवा दोनों से दंडनीय किया जायेगा।"

(2) जो कोई धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

केन्द्रीय सरकार, 56. राज्य सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डी के निदेशों या आदेशों का उल्लंघन करने के लिये शास्ति।

यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिये गये किसी निदेश या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा तथा निरंतर उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माने से जो व्यतिक्रम जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिये दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा _{57 .} अपराध। (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है; वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध या उल्लंघन के किये जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिये उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध या उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:

Penalties

(1) Whoever contravenes or to or abets the contravention of 55. the provisions of section 3 or section 4 or section 6 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine which may extend to ten lakh rupees and where the damage caused exceeds tend lakh rupees such fine may commensurate with the damage caused, or with both.

> (2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 7 or any order made under sub-section (2) of section 24 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.

Penalty for contravention of directions or orders of Central government, State government, National Biodiversity Authority and State **Biodiversity** Boards

56.

If any person contravenes any direction given or order made by the Central Government, the State Government, the National Biodiversity Authority or the State Biodiversity Board for which no punishment has been separately provided under this Act, he shall be punished with a fine which may extend to one lakh rupees and in case of a second or subsequent offence, with fine which may extend to two lakh rupees and in the case of continuous contravention with additional fine which may extend to two lakh rupees everyday during which the default continues.

companies

Offences by 57.(1) Where an offence or contravention under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence or contravention was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence or contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

परंतु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध या उल्लंघन के किये जाने का निवारण करने के लिये सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई दंडनीय अपराध या उल्लंघन किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध या उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध या उल्लंघन का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध या उल्लंघन का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये –

- (क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और
- (ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

58 . इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

अपराघ संज्ञेय और अजमानतीय ^{59.} होंगे। अधिनियम अन्य अधिनियमों के अतिरिक्त होगा।

इस अधिनियम के उपबंध वन और वन्यजीव से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

केन्द्रीय सरकार 60. की राज्य सरकार को निर्देश दिये जाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम या किये गये आदेश के किन्हीं उपबंधों को किसी राज्य में निष्पादित करने के लिये किसी राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी। Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence or contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence or contravention.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1). where an offence or contravention under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence or contravention has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence or contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. -For the purposes of this section,-

- "company" means any body corporate and includes a (a) firm or other association of individuals; and
- "director", in relation to a firm, means a partner in the (b) firm.

The offences under this Act shall be cognizable and nonbailable.

Offences to be cognizable and non-58. bailable

Act to have effect in addition to other Acts

Power of

The provisions of this Act shall be in addition to, and not in 59. derogation of, the provisions in any other law, for the time being in force, relating to forests or wildlife.

Central Government to give directions to State Government

The Central Government may give directions to any State 60. Government as to the carrying into execution in the State of any of the provisions of this Act or of any rule or regulation or order made thereunder.

अपराधों का ⁶¹. संज्ञान।

- कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान
 - (क) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा; या
 - (ख) ऐसे किसी फायदे के दावेदार द्वारा जिसने ऐसे अपराध की और कोई परिवाद किये जाने के अपने आशय की केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को विहित रीति में तीस दिन से अन्यून की सूचना दे दी है, किये गये परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।"

केन्द्रीय सरकार 62. की नियम बनाने की शक्ति।

- (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--
- (क) धारा 9 के अधीन अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्ते:
- (ख) धारा 10 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;
- (ग.) अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में धारा 12 की उपधारा(1) के अधीन प्रक्रिया;
- (घ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय क्रियाकलाप करने के लिये आवेदन का प्ररूप और उसके लिये फीस का संदाय:
- (ভ.) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति;
- (च) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन जैवीय संसाधन या ज्ञान के अंतरण के लिये आवेदन का प्ररूप और रीति:
- (छ) वह प्ररूप जिसमें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वह समय जिस पर धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी और वह तारीख जिससे पूर्व उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जायेगी;
- (ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया जायेगा।

Cognizance of 61.

No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint made by—

- the Central Government or any authority or officer authorized in this behalf by that Government; or
- (b) any benefit claimer who has given notice of not less than thirty days in the prescribed manner, of such offence and of his intention to make a complaint, to the Central Government or the authority or officer authorized as aforesaid.

Power of 62. Central Government to make rules

- (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
- terms and conditions of service of the Chairperson and members under section 9;
- (b) powers and duties of the Chairperson under section10;
- (c) procedure under sub-section (1) of section 12 in regard to transaction of business at meetings,
- form of application and payment of fees for undertaking certain activities under sub-section (1) of section 19;
- the form and manner of making an application under sub-section (2) of section 19;
- (f) form of application and the manner for transfer of biological resource or knowledge under sub-section (2) of section 20;
- (g) form in which, and the time of each financial year at which, the annual report of the National Biodiversity Authority shall be prepared and the date before which its audited copy of accounts together with auditor's report thereon shall be furnished under section 28;
- (h) form in which the annual statement of account shall be prepared under subsection (1) of section 29;

- (झ) वह समय जिसके भीतर वह प्ररूप जिसमें अपील की जा सकेगी, और अपील का निपटारा करने के लिये प्रक्रिया तथा धारा 50 के अधीन न्याय निर्णयन के लिये प्रक्रिया;
- (ञ) वह अतिरिक्त विषय जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण धारा 50 की उपधारा (6) के खंड
- (ज) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;
- (ट) धारा 61 के खंड (ख) के अधीन सूचना देने की रीति;
- (ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाये अथवा जिसकी बावत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।
- (3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अविध के लिये रखा जायेगा। यह अविध एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जायें तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार की 63. नियम बनाने की शक्ति।

- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभावडाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:—
- (क) धारा 23 के खंड (ii) के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निर्वहन किये जाने वाले अन्य कृत्य;

- the time within which and the form in which, an appeal may be preferred, the procedure for disposing of an appeal and the procedure for adjudication, under section 50;
- the additional matter in which the National Biodiversity Authority may exercise powers of the civil court under clause
- (h) of sub-section (6) of section 50;
- (k) the manner of giving notice under clause (b) of section 61;
- any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in respect of which provision is to be made, by rules.
- (3) Every rule made under this section and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it Is in session or a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following. The session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Power of State Government to make rules

63.

- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
- the other functions to be performed by the State Biodiversity Board under clause (c) of section 23;

- (ख) वह प्रारूप जिसमें धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन पूर्व सूचना दी जायेगी:
- (ग) वह प्रारूप जिसमें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वह समय जिस पर धारा 33 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;
- (घ) धारा 34 के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखा रखने और उनकी संपरीक्षा करने की रीति तथा वह तारीख जिससे पूर्व उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जायेगी।
- (ड.) धारा 37 के अधीन राष्ट्रीय विरासत स्थलों का प्रबंध और संरक्षण;
- (च) वे प्रयोजन जिनके लिये धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय जैव विविधताा निधि का उपयोजन किया जायेगा;
- (छ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि के प्रबंध और अभिरक्षा की रीति तथा वह प्रयोजन जिनके लिये ऐसी निधि का उपयोग किया जायेगा:
- ·(ज) धारा 45 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और वह समय जिस पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी रिपोर्ट तैयार की जायेगी;
- (झ) धारा 46 के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा रखने और उनकी संपरीक्षा करने की रीति तथा वह तारीख जिससे पूर्व उन पर संपरीक्षा की रिपोर्ट के साथ उसके लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जायेगी।
- (ञ) कोई अन्य विशय जो विहित किया जाना है या किया जाये।
- (3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां इसके दो सदन हैं या जहां ऐसे विधान मंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जायेगा।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा।

विनियम बनाने की शक्ति। 64.

- (b) the form in which the prior intimation shall be given under sub-section (1) of section 24;
- (c) the form in which, and the time of each financial year at which, the annual report shall be prepared under section 33;
- (d) the manner of maintaining and auditing the accounts of the State Biodiversity Board and the date before which its audited copy of the accounts together with auditor's report thereon shall be furnished under section 34;
- (e) management and conservation of national heritage sites under section 37;
- (f) the manner of management and custody of the Local Biodiversity Fund and the purposes for which such Fund shall be applied under sub-section (1) of section 44;
- (g) the form of annual report and the time at which such report shall be prepared during each financial year under section 45;
- (h) the manner of maintaining and auditing the accounts of the Local Biodiversity Fund and the date before which its audited copy of the accounts together with auditor's report thereon shall be furnished under section 46;
- (i) any other matter which is to be, or may be, specified.
- (3) Every rule made by the State Government under this section shall he laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

Power to make regulation

64. The National Biodiversity Authority shall, with the previous approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make regulations for carrying out the purposes of this Act.

किताईयों को 65. दूर करने की शक्ति।

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी; परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सुभाष सी. जैन सचिव, भारत सरकार

000

Power to remove difficulties

65.

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.
- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of Parliament.

SUBHASH C. JAIN
Secretary, to the Government of India



(असाधारण)

भाग-।। खंड-3 उपखंड (i) प्राधिकार से प्रकाशित

जैव विविधता नियम, २००४

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 261 (अं) — केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात —

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव विविधता नियम, 2004 है।
 - (2) ये 15 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ :-

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों -

- (क) "अधिनियम" से जैव विविधता, 2002 (2003 का 18) अभिप्रेत है,
- (ख) ''प्राधिकरण'' से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है,
- (ग) "जैव विविधता प्रबंध समिति" से स्थानीय निकाय द्वारा धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई जैव विविधता प्रबंध समिति अभिप्रेत है,



The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART II – Section 3- Sub-section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY

BIODIVERSITY RULE, 2004

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, Thursday, April 15, 2004

G.S.R. 261 (E) - In exercise of the powers conferred by section 62 of theBiological Diversity Act , 2002, and in supersession of the National Biodiversity Authority (salary, Allowances and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2003 except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules namely:-

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Biological Diversity Rules, 2004.
- (2) Thus shall come into force on 15th April, 2004.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Biological Diversity Act 2002 (18 of 2003);
- (b) "Authority" means the National Biodiversity Authority established under sub-section (1) of Section 8,
- (c) "Biodiversity Management Committee" means a Biodiversity Management Committee established by a local body under subsection (1) of Section 41;

- (घ) ''अध्यक्ष'' से यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं :
- (ङ) "फीस" से अनसूची में नियत कोई फीस अभिप्रेत है :
- (च) "प्रारुप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप अभिप्रेत है :
- (छ) "सदस्य" से यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है, और जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है.
- (ज) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,
- (झ) ''सचिव'' से प्राधिकरण का पूर्णकालिक सचिव अभिप्रेत है।
- (ञ) ऐसे शब्दों और पदों के जिनका प्रयोग किया गया है, किन्तु वे इन नियमों में परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ हैं जो अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति

- प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की प्रत्येक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार से बाहर से प्रतिनियुक्ति के आधार पर या चयन द्वारा की जाएगी। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्तिं की दशा में आवेदक भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष की पदावधि

- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (2) परन्तु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसकी पदावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण नहीं करेगा।
- (3) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को कम से कम एक मास की सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

अध्यक्ष का वेतन भत्ते—

(1) अध्यक्ष 26,000 रु. प्रतिमाह के नियत वेतन का हकदार होगा। किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में, उसका वेतन उस व्यक्ति की लागू केन्द्रीय सराकर के आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा।

- (d) "Chairperson" means the chairperson of the National Biodiversity Authority or as the case may be, of the State Biodiversity Board.
- (e) "fee" means any fee stipulated in the Schedule;
- (f) "Form" means form annexed to these rules;
- (g) "Member" means a member of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board and includes the chairperson as the case may be;
- (h) "section" means a section of the Act;
- (i) "Secretary" means the full time Secretary of the Authority.
- (j) words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Manner of selection and appointment of the Chairperson

- (1) The Chairperson of the Authority shall be appointed by the Central Government.
- (2) Every appointment of Chairperson under sub-section (1) shall be made either on deputation basis or by selection from outside the Central Government. In case the appointment is through deputation, the applicant should not be below the rank of Additional Secretary to the Government of India.

Term of Office of the Chairperson

- The Chairperson of the Authority shall hold the office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment,
- (2) Provided that no Chairperson shall hold office as such after he attains the age of sixty five years or his term of office expires which is earlier.
- (3) The Chairperson may resign from his office by giving at least one month notice in writing to the Central Government.

Pay and Allowances of Chairperson:-

(1) A Chairperson shall be entitled to a fixed pay of Rs. 26,000/- per month. In case of retired person is appointed as Chairperson, his pay shall be fixed in accordance with the orders of the Central Government as applicable to such persons. (2) अध्यक्ष ऐसे भत्तों, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, आवास और अन्य परिलब्धियों आदि का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर विनिश्चित की जाएं।

गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते

- (1) प्राधिकरण का प्रत्येक गैर सरकार सदस्य राजपत्र में उसकी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से एक समय में तीन वर्ष से अनिधक की अविध के लिए अपना पद धारण करेगा।
- (2) प्राधिकरण की बैठक में उपस्थिति होने वाले प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य ऐसे बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के आयोगों और समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को ऐसे आयोगों या समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए लागू है।

7. गैर सरकारी सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना

- (1) प्राधिकरण का कोई गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय लिखित में अपने हस्ताक्षर से केन्द्रीय सरकार को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और प्राधिकरण में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।
- (2) प्राधिकरण में किसी गैर सरकारी सदस्य की आकिस्मक रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति इस पद को उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नाम निर्देशित किया गया है, शेष पदावधि तक धारण करेगा।

प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना

प्राधिकरण के किसी सदस्य को, धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव से नीचे की रेंक का न हो, सम्यक् और उचित जांच कराए बिना और ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उसके पद से हटाया नहीं जाएगा।

9. प्राधिकरण का सचिव

- (1) प्राधिकरण अपने लिए एक सचिव की नियुक्ति करेगा।
- (2) सचिव की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें प्राधिकरण द्वारा विनियम द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (3) सचिव प्राधिकरण के अधिवेशनों का समन्वयन और अधिवेशन बुलाने और प्राधिकरण के कर्मचारियों का अभिलेख रखने और ऐसे अन्य विषयों जो उसे प्राधिकरण द्वारा सौंपे जाए, के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) A Chairperson shall be entitled to such allowances, leave, pension, provident fund, house and other perquisites etc. to be decided by the Central Government from time to time.

6. Term of Office and Allowances of non-official Members. -

- (1) Every non-official member of the Authority shall hold his office not exceeding three years at a time from the date of publication of his appointment in the official Gazette.
- (2) Every non-official member attending the meeting of the Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as are applicable to non official member of commissions and committees of the Central Government attending the meeting (s) of such Commissions or Committees.

Filling up of vacancies of non-official members

- (1) A non-official member of the Authority may resign his office at any time by giving in writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of that member in the Authority shall become vacant.
- (2) A casual vacancy of a non-official member in the Authority shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he was nominated.

Removal of the members of the Authority.

No member of the Authority shall be removed from his office on any ground specified in section 11, without a due and proper enquiry by an officer not below the rank of a Secretary to the Government of India appointed by the Central Government and without giving such member a reasonable opportunity of being heard.

9. Secretary of the Authority

- The Authority shall appoint a Secretary to it.
- (2) The terms and conditions of the appointment of the Secretary shall be determined by the Authority by regulation.
- (3) The Secretary shall be responsible for co-ordinating and convening the meetings of the Authority, maintenance of the records of the proceedings of the Authority and such other matters as may be assigned to him by the Authority.

10. प्राधिकरण के अधिवेशन

- (1) प्राधिकरण के अधिवेशन तीन मास की अविध के पश्चात् एक वर्ष में कम से कम चार बार प्राधिकरण के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, आयोजित किए जाएंगे।
- (2) अध्यक्ष प्राधिकरण के कम से कम पांच सदस्यों से लिखित अनुरोध पर या केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकेगा।
- (3) सदस्यों को कोई सामान्य अधिवेशन आयोजित करने के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना दी जाएगी और विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए उद्देश्य, समय व स्थान जिस पर ऐसा अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करते समय कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी।
- (4) प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपिश्चिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (5) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विनिश्चय, यदि आवश्यक हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाएगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन में गणपूर्ति पांच होगी।
- 8. कोई सदस्य किसी अधिवेशन में ऐसे किसी विषय पर, जिसमें उसें दस दिन की सूचना नहीं दी गई है, अधिवेशन पर विचार करने के लिए अग्रसरित नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अध्यक्ष स्वविवेक से अनुज्ञात न करें।
- 9. अधिवेशन की सूचना सदस्यों से संवाहक द्वारा परिदत्त करके या इसे उसके अंतिम निवास या कारबार के ज्ञात स्थान पर रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसी अन्य रीति में जिसे मामले की परिस्थितियों में प्राधिकरण का सचिव ठीक समझे, दी जा सकेगी।

11. प्राधिकारण द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और उनकी हकदारी:-

- प्राधिकरण ऐसे प्रयोजनों के लिए,जिन्हें वह ठीक समझे,उतनी संख्या में सिमतियां गठित कर सकेगा जो पूर्णतः सदस्यों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों या अंशतः सदस्यों या अंशतः अन्य व्यक्तियोंसे मिलकर बनेगी।
- प्राधिकरण के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों द्वारा अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसी फीस और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो प्राधिकरण ठीक समझे।

10. Meetings of the Authority

- (1) The Authority shall meet at least four times in a year normally after a period of three months at the Head quarters of the Authority or at such place as may be decided by the Chairperson.
- (2) The Chairperson shall, upon a written request from not less than five Members of the Authority or upon a direction of the Central Government, call a special meeting of the Authority.
- (3) The members shall be given at least fifteen days' notice for holding an ordinary meeting and atleast three days' notice for holding a special meeting specifying the purpose, the time and the place at which such meeting is to be held.
- (4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a presiding officer to be elected by the members present from amongst themselves.
- (5) The decision of the Authority at a meeting shall, if necessary, be taken by a simple majority of the Members present and voting and the Chairperson or in his absence, the Member presiding shall have a second or casting vote.
- (6) Each member shall have one vote.
- (7) The quorum at every meeting of the Authority shall be five.
- (8) No Member shall be entitled to bring forward for the consideration of a meeting any matter of which he has not given ten days' notice unless the Chairperson in his discretion permits him to do so.
- (9) Notice of the meeting may be given to the Members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or in such other manner as the Secretary of the Authority may, in the circumstances of the case, think fit.

11. Appointment of Expert Committee by the Authority and their entitlements:-

- (1) The Authority may constitute any number of Committees for such purposes as it may deem fit consisting wholly of members or wholly of other persons or partly of members or partly of other persons.
- (2) The members of the Committee other than the members of the Authority shall be paid such fees and allowances for attending the meetings as the Authority may deem fit.

12. प्राधिकरण के साधारण कृत्य :— प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा,अर्थात्:—

- (i) धारा 3,धारा 4 और 6 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करनाः
- (ii) केन्द्रीय सरकार के जैव विविधता के संरक्षण और उसके संघटको को पोषाणीय उपयोग ताकि जैविक स्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित विषयों के संबंध में सलाह देना:—
- (iii) राज्य जैव विविधता बोर्डों के क्रियाकलापों को समन्वित करनाः
- (iv) राज्य जैव विविधता बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करानाः
- (v) अध्ययन आरंभ करना और अन्वेषण तथा अनुसंधान प्रायोजित करनाः
- (vi) प्राधिकरण को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्ष से अनिधक की विनिर्दिष्ट अविध के लिए परामर्शदाताओं को लगानाः परन्तु यह कि यदि तीन वर्ष से अधिक की अविध के लिए किसी परामर्शदाता को लगाना आवश्यक और समीचीन हो तो प्राधिकरण ऐसे लगाए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन मांगेगा।
- (vii) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान और उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े और मेनुअल, संहिताएं या गाइडें संगृहीत, संकलित और प्रकाशित करना।
- (viii) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान और उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित जन , प्रचार द्वारा एक वृहत् कार्यक्रम आयोजित करनाः
- (ix) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे या लगाए जानेवाले कार्मिकों के लिए योजना और प्रशिक्षण आयोजित करनाः
- (x) प्राधिकरण का उसकी रसीदों और केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी समाविष्ट करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा।

12. General functions of the Authority :- The Authority may perform the following functions; namely:-

- (i) lay down the procedure and guidelines to govern the activities provided under sections 3,4 and 6;
- (ii) advise the Central Government on any matter concerning conservation of bio-diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (iii) coordinate the activities of the State Bio-diversity Boards;
- (iv) provide technical assistance and guidance to the State Bio-diversity Boards;
- (v) commission studies and sponsor investigations and research;
- (vi) engage consultants, for a specific period, not exceeding three years, for providing technical assistance to the Authority in the effective discharge of its functions:
 - Provided that if it is necessary and expedient to engage any consultant beyond the period of three years, the Authority shall seek prior approval of the Central Government for such an engagement.
- (vii) collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guides relating to conservation of bio-diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (viii) organise through mass media a comprehensive programme regarding conservation of bio-diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge.
- (ix) plan and organise training of personnel engaged or likely to be engaged in programmes for the conservation of bio-diversity and sustainable use of its components;
- (x) prepare the annual Budget of the Authority incorporating its own receipts as also the devaluation from the Central Government provided that the allocation by the Central Government shall be operated in accordance with the budget provisions approved by the Central Government;

- (xi) प्राधिकरण के कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पदों के सृजन करने की सिफारिश करना परन्तु ऐसा पद चाहे स्थायी/अस्थायी हो या किसी भी प्रकृति का हो,केन्दीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा।
- (xii) प्राधिकारियों के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती की पद्धति का अनुमोदन करनाः
- (xiii) प्रभावी प्रबंधन,संवर्धन और पोषणीय उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रिजस्टर और इलैक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के लिए डाटा बेस बनाने और जानकारी तथा दस्तावेज पद्धतिज सृजित करने के लिए कदम उठाना:
- (xiv) राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता समितियों को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लिखित में निर्देश देना:
- (xv) प्राधिकरण के कार्यकरण और अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट देना:
- (xvi) समय—समय पर जैवीय संसाधनों की बाबत धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन फीस या धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन स्वामित्वों के प्रभारों के फायदे के प्रभाजन की सिफारिश,उपांतरित और संगृहीत करनाः
- (xvii) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंध समितियों के लिए अनुदान सहायता और अनुदान मंजूर करनाः
- (xviii) अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बंध में किसी क्षेत्र का वास्तविक निरीक्षण करना।
- (xix) भारत से बाहर किसी देश में किसी जैवीय संस्थान और किसी अवैध रीति में भारत सें अभिप्राप्त ज्ञान के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार अनुदत्त किए जाने का विरोध करने कें लिए विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करनाः
- (xx) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय—समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या निदेशित किए जाएं।

- (xi) recommend creation of posts to the Central Government, for effective discharge of the functions by the Authority and to create such posts, provided that no such post whether permanent/ temporary or of any nature, would be created without prior approval of the Central Government;
- (xii) approve the method of recruitment to the officers and servants of the Authority;
- (xiii) take steps to build up data base and to create information and documentation system for biological resources and associated traditional knowledge through bio-diversity registers and electronics data bases, to ensure effective management, promotion and sustainable uses;
- (xiv) give directions to State Bio-diversity Boards and the Bio-diversity Management Committees in writing for effective implementation of the Act;
- (xv) report to the Central Government about the functioning of the Authority and implementation of the Act;
- (xvi) recommend, modify, collection of benefit sharing fee under subsection (1) of Section 6 or Changes of royalties under sub-section (3) of section 19 in respect of biological resources from time to time;
- (xvii) sanction grants-in-aid and grants to the State Bio-diversity Board and Bio-diversity Management Committees for specific purposes;
- (xviii) undertake physical inspection of any area in connection with the implementation of the Act;
- (xix) take necessary measures including appointment of legal experts to oppose grant of intellectual property right in any country outside India on any biological resource and associated knowledge obtained from India in an illegal manner;
- (xx) do such other functions as may be assigned or directed by the Central Government from time to time.

13. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

- अध्यक्ष का प्राधिकरण के दिन—प्रतिदिन के कियाकलापों पर सम्पूर्ण नियंत्रण होगा।
- धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारीवृंद के ऊपर साधारण अधीक्षण की शक्तियां होंगी और वह प्राधिकरण के कार्यों के संचालन और प्रबंध के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा।
- अध्यक्ष प्राधिकरण के सभी गोपनीय कागजों और अभिलेखों का भारसाधक होगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश अध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन होंगे।
- अध्यक्ष या तो स्वयं अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के माध्यम से अनुमोदित बजट के सभी संदायों को मंजूरी और संवितरित कर सकेगा।
- अध्यक्ष को सभी प्राक्कलनों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी अनुदत्त के लिए पूर्ण शक्तिंयां होंगी।
- उध्यक्ष, प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों को बुलाएगा ओर उनको अधिसूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी विनिश्चय समुचित रीति में कार्यान्वित किए गए हैं।
- अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो समय—समय पर प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारंपिरक ज्ञान के प्रति पहुंच के लिए प्रकिया

- अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच रखने के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन चाहने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप 1 में कोई आवेदन करेगा।
- 2. उपनियम (1) के अधीन प्रतयेक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में चैक या मांगपत्र के रूप में 10,000 रू. की फीस होगी।

13. Powers and duties of Chairperson

- (1) The Chairperson shall have the overall control of the day- to -day activities of the Authority.
- (2) Subject to the provisions of Section 10, the Chairperson shall have the powers of general superintendence over the officers and staff of the Authority and he may issue necessary directions for the conduct and management of the affairs of the Authority.
- (3) The Chairperson shall be In charge of all the confidential papers and records of the Authority and shall be responsible for their safe custody.
- (4) All orders and instructions to be issued by the Authority shall be under the signature of the Chairperson or of any other officer authorized by the Chairperson in this behalf.
- (5) The Chairperson, either himself or through an officer of the authority authorized for the purpose, may sanction and disburse all payments against the approved budget.
- (6) The Chairperson shall have full powers for granting administrative and technical sanction to all estimates.
- (7) The Chairperson shall convene and preside over all the meetings of the Authority and shall ensure that all decisions taken by the Authority are implemented in proper manner.
- (8) The Chairperson shall exercise such other powers and perform such other functions as may be delegated to him from time to time by the Authority or the Central Government.

Procedure for access to biological resources and associated traditional knowledge

- (1) Any person seeking approval of the Authority for access to biological resources and associated knowledge for research or for commercial utilization shall make an application in Form I.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees in the form of a cheque or demand draft drawn in

- 3. प्राधिकरण आवेदक के सम्बद्ध स्थानीय निकाय से परामर्श करने और ऐसी कोई जानकारी संगृहीत करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाए,आवेदन का यथाशक्य शीघ्र प्राप्ति से छः मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
- 4. प्राधिकरण आवेदन के गुणागुण का समाधान करने के पश्चात् जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच का अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करने के लिए ठीक समझे,अनुदत्त कर सकेगा।
- पहुंच के संबंध में अनुमोदन प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार के प्ररूप में होगा।
- उपनियम (5) में निर्दिष्ट करार का प्ररूप प्राधिकरण द्वारा अधिकथित किया जाएगा और उसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा,अर्थात्:—
 - साधारण उद्देश्य और अनुमोदन चाहने के लिए आवेदन का प्रयोजनः
 - 2. जैवीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का वर्णन जिसके अंतर्गत संलग्न जानकारी भी है:
 - 3. जैवीय संसाधन (अनुसंधान,प्रजनन,वाणिज्यिक उपयोग आदि) के आशयित उपयोगः
 - वे शर्तें जिनके अधीन आवेदक बौद्धिक संपदा अधिकार चाहता है:
 - 5. मौद्रिक और अन्य आनुषंगिक फायदों की मात्रा,यदि आवश्यक हो,विशिष्टतया यदि जैवीय सामग्री अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ली गई हैं और बाद में उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है और उसके पश्चात्वर्ती उपयोग के सम्बंध में किसी अन्य परिवर्तन की दशा में भी प्रतिबद्धता के लिए कोई नया करार करनाः
 - 6. किसी तृतीय पक्षकार को पहुंच प्राप्त जैव प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को अंतरित करने से निर्बन्धित करनाः
 - गैवीय संसाधनों की मात्रा और क्वालिटी के विनिर्देश के सम्बन्ध में जिसके लिए आवेदक पहुंच चाहता है, प्राधिकरण द्वारा नियत की गई सीमा का अनुपालन करनाः

- favour of the Authority.
- (3) The Authority shall after consultation with the concerned local bodies and collecting such additional information from the applicant and other sources, as it may deem necessary, dispose of the application, as far as possible, within a period of six months from the date of its receipts.
- (4) On being satisfied with the merit of the application, the Authority may grant the approval for access to biological resources and associated knowledge subject to such term and conditions as it may deem fit to impose.
- (5) The approval to access shall be in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant.
- (6) The form of the agreement referred to in sub-rule (5) shall be laid down by the Authority and shall include the following; namely:-
 - general objectives and purpose of the application for seeking approval;
 - description of the biological resources and traditional knowledge including accompanying information;
 - (iii) intended uses of the biological resources (research, breeding, commercial utilization etc.)
 - (iv) conditions under which the applicant may seek intellectual property rights;
 - (v) quantum of monetary and other incidental benefits. If need be, a commitment to enter into a fresh agreement particularly in case if the biological material is taken for research purposes and later on sought to be used for commercial purposes, and also in case of any other change in use thereof subsequently.
 - restriction to transfer the accessed biological resources and the traditional knowledge to any third party without prior approval of Authority;
 - (vii) to adhere to a limit set by the Authority on the quantity and specification of the quality of the biological resources for

- धारा 39 में पहचान किए गए निक्षेपों के साथ पहुंच चाहने के लिए जैवीय सामग्री के किसी निर्देश नमूने का निक्षेप करने के लिए प्रत्याभृतिः
- प्राधिकरण को अनुसंधान और अन्य विकासों की नियमित प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनाः
- अधिनियम के उपबंधों और अन्य विकासों की नियम तथा देश में प्रवृत्त अन्य संबंधित विधानों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्धताः
- 11. पहुंच प्राप्त जैवीय संसाधनों के संरक्षण और पोषणीय उपयोग के लिए उपायों को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्धताः
- संग्रहण करने के लिए कियाकलापों के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्धताः
- 13. करार की अवधि,करार के पिरसमापन की सूचना,व्यक्तिगत खंडों की स्वतंत्र प्रवर्तनीयता, उस सीमा तक उपबंध का फायदा ,प्रभाजन खंडों में बाध्यता से करार का पिरसमापन , घटना ,सीमांकन , दायित्व (प्राकृतिक आपदाएं), माध्यस्थम, कोई गोपनीयता खंड बना रहता है जैसे विधिक उपबंध ।
- 7. पहुंच के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट रूप से उन जैवीय संसाधनों जिनके लिए पहुंच अनुदत्त की जा रही है, के परिरक्षण और संरक्षण के लिए उपायों का विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध कर सकेगी;
- प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को नामंजूर कर सकेगा
 यदि वह यह समझता है कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता ।
- 9. कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा तब तक कि आवेदक के सुनवाई का युकितयुक्त अवसर न दिया गया हो ;
- 10. प्राधिकरण अनुदत्त अनुमोदनों को मुद्रण या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए कदम उठाएगा और आवधिक रूप से उन शर्तों का , जिन पर अनुमोदन मंजूर किया गया था, अनुपालन मानीटर करेंगे ;

पहुंच या अनुमोदन का प्रतिसंहरणः—

 प्राधिकरण किन्ही शक्तियों के आधार पर या स्वप्रेरणा से नियम 15 के अधीन पहुंच के लिए अनुदत्त अनुमोदन को वापस ले सकेगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिखित आधार को प्रतिसंहत कर सकेगा,अर्थात्ः

- which the applicant is seeking access;
- (viii) guarantee to deposit a reference sample of the biological material sought to be accessed with the repositories identified in Section 39;
- submitting to the Authority a regular status report of research and other developments;
- (x) commitment to abide with the provisions of Act and rules and other related legislations in force in the country;
- (xi) commitment to facilitate measures for conservation and sustainable use of biological resources accessed;
- (xii) commitment to minimize environmental impacts of collecting activities;
- (xiii) legal provisions such as duration of the agreement, notice to terminate the agreement, independent enforceability of individual clauses, provision to the extent that obligations in benefit sharing clauses survive the termination of the agreement, events limiting liability (natural calamities), arbitration, any confidentiality clause.
- (7) The conditions for access may specifically provide measures for conservation and protection of biological resources to which the access is being granted.
- (8) The Authority may for reasons to be recorded in writing reject an application if it considers that the request cannot be acceded to.
- (9) No application shall be rejected unless the applicant is given a reasonable opportunity of being heard.
- (10) The Authority shall take steps to widely publicize the approvals granted, through print or electronic media and shall periodically monitor compliance of conditions on which the approval was accorded.

Revocation of access or approval. -

(1) The Authority may either on the basis of any complaint or suo moto withdraw the approval granted for access under rule 15 and revoke

- युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि उस व्यक्ति ने जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया
 था अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या शर्त जिस पर अनुमोदन अनुदत्त किया गया
 था,का उल्लंघन किया है:
- वह व्यक्ति जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है,करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा है:
- 3. अनुदत्त पहुंचों की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहने परः
- 4. लोकहित या पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता परिरक्षण का अतिसंघन करने प्रर
- 2. प्राधिकरण पहुंच को प्रतिषिद्ध करने और नुकसान का निर्धारण करने के लिए भी,यदि कोई हो,और नुकसान को पूरा करने के लिए किए गए कदमों के संबंध में उसके द्वारा प्रतिसंहरण के प्रत्येक आदेश की एक प्रति और संबंद्ध राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंध समितियों को भेजेगा।

16. जैव संसाधनों के प्रति पहुंच से संबंधित कियाकलापों पर निर्बन्धन:-

- प्राधिकरण, यदि आवश्यक और समुचित समझे तो जैव संसाधनों के प्रति पहुंच के अनुरोध का निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारणों से कदम उठाएगा,अर्थात्:—
 - पहुंच के लिए अनुरोध किसी संकटापन्न टैक्सा (प्रजाति) से हैं:
 - 2. पहुंच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक और विरल जातियों के संबंध में:
 - पहुंच के लिए अनुरोध से स्थानीय व्यक्तियों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है:
 - पहुंच के लिए अनुरोध से प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव पड़ने का परिणाम हो सकेगा जिससे नियंत्रण और उसका उपशमन किया जाना कठिन हो सकेगा:
 - पहुंच के लिए अनुरोध से आनुवंशिक क्षरण हो सकेगा या पारिस्थितिक कृत्य प्रभवित हो सकेंगे:
 - प्रयोजनों के लिए स्रोतों का उपयोग राष्ट्रीय हित के और भारत द्वारा किए गए अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय करारों के प्रतिकूल हैं।

संसाधनके परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन चाहने के लिए प्रकिया:—

 भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधनों से संबंधित संसाधन के परिणामों को कोई व्यक्ति किसी विदेशी राष्ट्रीय कंपनी और अनिवासी भारतीय को मौद्रिक प्रतिफल करने के लिए अंतरण करने का इच्छुक है तो वह प्राधिकरण को प्ररूप 2 में आवेदन करेगा। the written agreement under the following conditions; namely:-

- on the basis of reasonable belief that the person to whom the approval was granted has violated any of the provisions of the Act or the condition on which the approval was granted;
- (ii) when the person who has been granted approval has failed to comply with the terms of the agreement;
- (iii) on failure to comply with any of the conditions of access granted;
- (iv) on account of over riding public interest or for protection of environment and conservation of biological diversity;
- (2) The Authority shall send a copy of every order of revocation issued by it to the concerned State Biodiversity Board and the Biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.

Restriction on activities related to access to biological resources.-

- (1) The Authority, if it deems necessary and appropriate shall take the steps to restrict or prohibit the request for access to biological resources for the following reasons; namely:-
 - the request for access is for any endangered taxa;
 - (ii) the request for access is for any endemic and rare species;
 - the request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods of the local people;
 - (iv) the request to access may result in adverse environmental impact which may be difficult to control and mitigate;
 - the request for access may cause genetic erosion or affecting the ecosystem function;
 - use of resources for purposes contrary to national interest and other related international agreements entered into by India.

17. Procedure for seeking approval for transferring results of research.

(1) Any person desirous of transferring results of research relating to biological resources obtained from India for monetary consideration to foreign nationals, companies and Non Resident Indians (NRIs),

- उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट या चैक के रूप में पांच हजार रूपए की फीस लगी होगी।
- उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विनिश्चिय उसके प्राप्त होने की तारीख से यथाशक्य शीघ्र तीन मास की अविध के भीतर किया जाएगा।
- 4. यदि समाधन हो जाने पर कि आवेदक ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है. प्राधिकरण अनुसंधान के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन हैं जिन्हें वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझता है,अनुदत्त कर सकेगा।
- 5. अंतरण का अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा ऐसा करार का प्ररूप वह होगा जो प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाए।
- 6. प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदक को, यदि वह समझता है कि आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, नामंजूर कर सकेगाः परन्तु आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए आवेदन करने से पूर्व पूर्वानुमोदन चाहने की प्रकिया:-

- कोई व्यक्ति जो जैव सामग्री के संबंध में अनुसंधान के आधार पर भारत से अभिप्राप्त ज्ञान के आधार पर किसी पेटेंट या किसी अैन्य बौद्धिक संपदा के लिए आवेदन करने का इच्छुक है वह प्ररूप 3 में आवेदन करेगा।
- उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रूपए की फीस होगी।
- 3. प्राधिकरण आवेदन का सम्यक् रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् और कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर उसकी प्राप्ति से यथासंभव शीघ्र तीन मास की अविध के भीतर आवेदन का विनिश्चिय करेगा।
- 4. यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा किया है,प्राधिकरण किसी पेटेंट या किसी अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए किए गए आवेदन का अनुमोदन ऐसे निबंधन और शर्तों पर जिसे वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझे,अनुदत्त कर सकेगा।
- 5. अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी या आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किसी लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा। करार के रूप का विनिश्चिय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।

- shall make an application to the Authority in the Form II.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of five thousand rupees in the form of a Bank draft or Cheque drawn in favour of the Authority.
- (3) Every application under sub-rule (1) shall be decided upon by the Authority, as far as possible within a period of three months from the receipt of the same.
- (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled all the requirements, the Authority may grant the approval for transferring the results of research subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose in each case.
- (5) The approval for transfer shall be granted in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant. The form of the agreement shall be such as may be decided by the Authority.
- (6) The Authority may for reasons to be recorded in writing reject an application if it considers that the application cannot be allowed; Provided that the application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

Procedure for seeking prior approval before applying for intellectual property protection. -

- (1) Any person desirous of applying for a patent or any other intellectual property based on research on biological material and knowledge obtained from India shall make an application in Form III.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by paying a fee of five hundred rupees.
- (3) The Authority after due appraisal of the application and after collecting any additional information, on the basis of merit shall decide the application, as far as possible within a period of three months of receipt of the same.
- (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled all the necessary requirements, the Authority may grant approval for applying for a patent or any other IPR subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose in each case.
- (5) The approval shall be granted in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant. The

6. प्राधिकरण कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। नामंजूरी आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

19. धरा 20 की उपधरा (2) के अधीन तीसरे पक्षकार को अंतरण के लिए प्रकिया:-

- ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रित पहुंच के लिए अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, पहुंच प्राप्त जैव संसाधन या ज्ञान को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को अंतरण करने का आशय रखता है तो वह प्राधिकरण को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा।
- उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट या चैक के रूप में दस हजार रूपए की फीस लगी होगी ।
- प्राधिकरण कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् उसके प्राप्त होने के यथाशक्य शीघ्र छः मास की अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करेगा।
- 4. यदि समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है, प्राधिकरण अनुसंधान के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है जिन्हें वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझता है,अनुदत्त कर सकेगा।
- 5. अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी या आवेदक द्वारा सम्यक् प्ररूप से हस्ताक्षरित उपनियम (4) के अधीन किसी लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा। करार के प्ररूप का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।
- 6. प्राधिकरण अभिलेख किए जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह सपझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता,कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

20. साम्यपूर्ण फायदें प्रभाजन के लिए मानदंड (धारा 21)

- प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मानदंड बना सकेगा और फायदे प्रभाजन सूत्र वर्णित कर सकेगा।
- मार्गदर्शक सिद्धांतों में मौद्रिक और अन्य फायदों जैसे स्वामित्व, संयुक्त उद्यम प्रौद्योगिकी, अंतरण उत्पाद, विकास, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने वाला कियाकलाप, संस्थागत, क्षमता निर्माण करने और वैंचर पूंजी विधि का उपबंध करेंगे।

- form of the agreement may be decided by the Authority.
- (6) The Authority may reject the application if it considers that the request cannot be acceded to after recording the reasons. Before passing order of rejection, the applicant shall be given an opportunity of hearing.

Procedure for third party transfer under sub-section (2) of Section 20.-

- (1) The person who have been granted approval for access to biological resources and associated knowledge, intend to transfer the accessed "biological resource or knowledge to any other person or organization shall make an application to the Authority in Form IV.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees in the form of Bank draft or cheque drawn in favour of the Authority.
- (3) The Authority shall after collecting any additional information, decide upon the application as far as possible within a period of six months of receipt of the same.
- (4) On being satisfied that the applicant has fulfilled all the necessary requirements, the Authority may grant approval for third party transfer subject to such terms and conditions it may deem fit to impose in each case.
- (5) The approval as may be granted under sub-rule (4) in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Authority and the applicant. The form of the agreement shall be such as may be decided by the Authority.
- (6) The Authority may for reasons to be recorded in writing reject the application if it considers that the request cannot be accepted to provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

Criteria for equitable benefit sharing (Section 21)

- (1) The Authority shall by notification in the Official Gazette formulate the guidelines and describe the benefit sharing formula.
- (2) The guidelines shall provide for monetary and other benefits such as royalty; joint ventures; technology transfer; product development; education and awareness raising activities; institutional capacity building and venture capital fund.

- फायदों के प्रभाजन के लिए सूत्र का अवधारण प्रकरण दर प्रकरण आधार पर किया जाएगा।
- 4. प्राधिकरण किसी व्यक्ति को पहुंच के लिए या अनुसंधान के परिणामों के अंतरण के लिए या पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिंकारों के लिए या पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान का तीसरे पक्ष को अंतरण के लिए कोई अनुमोदन अनुदत्त करते समय पहुंच प्राप्त जैव सामग्री और सहबद्ध ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों का साम्यपूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करने के लिए निबंधन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा।
- 5. फायदों की मात्रा ऐसे अनुमोदन करने वालों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों और प्राधिकरण के बीच आपसी करार से स्थानीय निकायों और फायदा दावेदारों के परामर्श से आपस में करार किये जाएंगे और उनका विनिश्चय परिभाषित पहुंच मापदंडों, उपयोग के विस्तार, पोषणीय पहलू, प्रभाव और प्रत्याशित निष्कर्ष स्तर, जिसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय भी हैं, को सम्यक ध्यान में किया जाएगा।
- 6. प्राधिकरण के मामले के आधार पर लघु,मध्यम और दीर्घावधि फायदों के संबंध में फायदे
 प्रभाजन का निर्धारण करने के लिए समय सूची नियत करेगा।
 - प्राधिकरण यह अनुध्यात करेगा कि फायदे जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।
- 8. जहां जैव संसाधनों या ज्ञान की पहुंच किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठन से है,अथवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकेगा कि करार पाए रकम का संदाय जिला प्रशासन के माध्यम से उन्हें सीधे ही किया गया है। जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठनों की पहचान नहीं की जा सकती वहां मौद्रिक फायदे राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में निक्षेपित किए जाएंगे।
 - यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड के लिए प्रशासनिक और सेवा प्रभारों के मध्य निर्धारित फायदों का पांच प्रतिशत अंकित किया जाएगा।
 - प्राधिकरण उपनियम (4) में यथा अवधारित फायदे के प्रभार को उसके द्वारा अवधारित रीति में मानीटर करेगा।

21. राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के लिए आवेदन:—

 राष्ट्रीय जैव विविधता निधि का प्रचालन प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, किया जाएगा।

- (3) The formula for benefit sharing shall be determined on a case-by case basis.
- (4) The Authority while granting approval to any person for access or for transfer of results of research or applying for patent and IPR or for third party transfer of the accessed biological resource and associated knowledge may impose terms and conditions for ensuring equitable sharing of the benefits arising out of the use of accessed biological material and associated knowledge.
- (5) The quantum of benefits shall be mutually agreed upon between the persons applying for such approval and the Authority in consultation with the local bodies and benefit claimers and may be decided in due regard to the defined parameters of access, the extent of use, the "sustainability aspect, impact and expected outcome levels, including measures ensuring conservation and sustainable use of biological diversity.
- (6) Depending upon each case, the Authority shall stipulate the time frame for assessing benefit sharing on short, medium, and long term benefits.
- (7) The Authority shall stipulate that benefits shall ensure conservation and sustainable use of biological diversity.
- (8) Where biological resources or knowledge is accessed from a specific individual or a group of individuals or organizations, the Authority may take steps to ensure that the agreed amount is paid directly to them through the district administration. Where such individuals or group of individuals or organizations cannot be identified, the monetary benefits shall be deposited in the National Biodiversity Fund.
- (9) Five percent of the assessed benefits shall be earmarked for the Authority or Board as the case may be, towards administrative and service charges.
- (10) The Authority shall monitor the flow of benefits as determined under sub rule (4) in a manner determined by it.

21. Application of National Biodiversity Fund. -

(1) The National Biodiversity Fund shall be operated by the Chairperson or by such other officer of the Authority as may be authorized in this regard राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के दो पृथक लेखाशीर्ष होंगे एक केन्द्रीय सरकार से रासीदों के संबंध में और दूसरा प्राधिकरण की फीस ,अनुज्ञप्ति फीस,स्वामित्व और अन्य रसीदों से संबंधित होगा।

22. जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन

- प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा।
- उपनियम (1) के अधीन यथा गठित जैव विविधता प्रबंध समिति एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट छः से अनिधक व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनमें से एक तिहाई से अन्यून महिलाएं और 18 प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।
- जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी अधिवेशन में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।
- जैव विविधता प्रबंध समिति में अध्यक्ष की कालाविध तीन वर्ष होगी।
- विधान समा / विधान परिषद् के स्थानीय सदस्य और संसद् सदस्य समिति के अधिवेशनों में विशेष आमंत्रित होंगे ।
- 6. जैव विविधता सिमिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से व्यक्तियों का जैव विविधता रिजस्टर तैयार करना है। रिजस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारंपिरक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी।
- 7. जैव विविधता प्रबंध समिति के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड या स्थानीय वैद्यों और व्यवसायियों को जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं,इस संबंध में आंकड़े रखने के बारे में अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी के सम्बंध में सलाह देना है।
- प्राधिकरण व्यक्तियों के जैव विविधता रिजस्टर और उसकी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने और इलैक्ट्रानिक डाटा बेस के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए कदम उठाएगा।
- प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंध समितियों को व्यक्तियों के जैव विविधता रिजस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।

(2) The National Biodiversity Fund shall have two separate heads of accounts, one relating to the receipts from the Central Government and the other concerning the fee, licence fee, royalty and other receipts of the Authority.

22. Constitution of Biodiversity Management Committees

- Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee (BMCs) within its area of jurisdiction.
- (2) The Biodiversity Management Committee as constituted under subrule (1) shall consist of a Chairperson and not more than six persons nominated by the local body, of whom not less than one third should be women and not les than 18% should belong to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
- (3) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst the members of the committee in a meeting to be chaired by the Chairperson of the local body. The Chairperson of the local body shall have the casting votes in case of a tie.
- (4) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall have a tenure of three years.
- (5) The local Member of Legislative Assembly/ Member of Legislative Council and Member of Parliament would be special invitees to the meetings of the Committee.
- (6) The main function of the BMC is to prepare People's Biodiversity Register in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them.
- (7) The other functions of the BMC are to advise on any matter referred to it by the State Biodiversity Board or Authority for granting approval, to maintain data about the local vaids and practitioners using the biological resources.
- (8) The Authority shall take steps to specify the form of the People's Biodiversity Registers, and the particulars it shall contain and the format for electronic database.
- (9) The Authority and the State Biodiversity Boards shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers.

- जैव विविधता प्रबंध समितियों द्वारा व्यक्तियों के जैव विविधता रिजस्टर रखा जाएगा और विधिमान्य किए जाएंगे।
- 11. सिमिति जैव संसाधनों और पारंपिरक ज्ञान के प्रित पहुंच अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे और अभिप्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की रीति के ब्यौरों के संबंध में जानकारी देने वाले रिजस्टर भी रखेगी।

23. धारा 50 के अधीन विवादों के निपटारे के लिए अपील :--

- 1. यदि प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच या एक बोर्ड और दूसरें बोर्डों के बीच किसी आदेश या निदेश या नीतिगत विनिश्चय के किसी मुददे के कार्यान्वयन के कारण कोई भी व्यथित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति प्राधिकरण या बोर्ड केन्द्रीय सरकार को धारा 50 के अधीन प्ररूप 5 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव को अपील कर सकेगा।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड और अन्य राज्य विविधता बोर्ड या बोर्डों के बीच विवाद उद्भूत होने की दशा में व्यथित बोर्ड या बोर्डों द्वारा विवाद के बिंदु या बिन्दुओं को केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो उन्हें प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगा।
- अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, वे धारा जिनको अपीलार्थी ने अपील करने के लिए आश्रय लिया हे और चाहा गया अनुतोष कथित होंगे।
- 4. अपील ज्ञापन के साथ आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय यथारिथित उस आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की एक अधिप्रमाणित प्रति होगी जिसके द्वारा अपीलार्थी व्यथित है और जो अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होंगे।
- 5. अपील का ज्ञापन विवादित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर चार प्रतियों में या तो व्यक्तिगत रूप से रसीदी रिजस्ट्रीकृत डाक से या सम्यक् रसीदी रिजस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपील करने में विलंब होने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण था तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह पूर्वगत

तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किंतु यथास्थिति,विवादित आदेश,निदेश या नीतिगत विनिश्चय की तारीख से 45 दिन के अवसान से पूर्व अपील किया जाना अनुज्ञात कर सकेगी।

- (10) The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Biodiversity Management Committees.
- (11) The Committee shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing.

23. Appeal for settlement of disputes under Section 50. -

133

- (1) If a dispute arises between the Authority or a State Biodiversity Board or between one Board and other Board(s) on account of implementation of any order or direction or on any issue of policy decision, either of the aggrieved parties i.e., Authority or the Board, as the case may be, prefer an appeal to the Central Government under section 50, in Form V to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (2) In case the dispute arises between a State Biodiversity Board and another state Biodiversity Board or Boards, the aggrieved Board or Boards, shall prefer the point or points of dispute to the Central Government which shall refer the same to the Authority.
- (3) The memorandum of appeal shall state the facts of the case, the grounds relied upon by the appellant, for preferring the appeal and the relief sought for.
- (4) The memorandum of appeal shall be accompanied by an authenticated copy of the order, direction or policy decision, as the case may be, by which the appellant is aggrieved and shall be duly signed by the authorised representative of the appellant.
- (5) The memorandum of appeal shall be submitted in quadruplicate, either in person or through a registered post with Acknowledgement due, within 30 days from the date of the orders, direction or policy decision, impunged provided that if the Central Government is satisfied that there was good and sufficient reason for the delay in preferring the appeal, it may, for reason to be recorded in writing, allow the appeal to be preferred after the expiry of the aforesaid period of 30 days but before the expiry of 45 days from the date of the orders impugned, direction or policy decision, as the case may be.

- अपील की सुनवाई की सूचना प्ररूप 6 में सम्यक् रसीदी रिजस्ट्रीकृत डाक से दी जाएगी ।
- केन्द्रीय सरकार अपीलार्थी और पक्षकारों के पश्चात् अपील की निपटारा सुनवाई करेगी।
- किसी अपील का निपटारा करते समय वह यथास्थिति विवादित आदेश,निदेश या नीतिगत विनिश्चय को परिवर्तित, उपांतरित या रदद कर सकेगा।
- 9. प्राधिकरण किसी विवादित का न्याय निर्णयन करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और यथासाध्य उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जिसको इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार से अपनाए जाने की अपेक्षा है।

24. धारा 61 के अधीन सूचना देने की रीति

- 1. धरा 61 के खंड (ख) के अधीन सूचना देने की रीति निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-
 - 1. सूचना लिखित में प्ररूप 7 में होगी ।
 - 2. सूचना देने वाला व्यक्ति उसे:--
 - क ्यदि अभिकथित अपराध संघ राज्य क्षेत्र में हुआ है तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष को; और
 - खं यदि अभिकथित अपराध राज्य में हुआ है तो राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष को भेजेगा।
- उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना सम्यक् रसीदी रिजस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी, और
- धरा 61 के खंड (ख) में वर्णित तीस दिन की अविध की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको उपनियम (1) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है ।

- (6) The notice for hearing of the appeal shall be given in Form VI by a registered post with an acknowledgement due.
- (7) The Central Government shall, after hearing the appellant and the other parties, dispose of the appeal.
- (8) In disposing of an appeal it may vary or modify or cancel impugned order, direction or policy, as the case may be.
- (9) In adjudicating a dispute, the Authority shall be guided by the principles of natural justice and as far as practicable, follow the same procedure which the Central Government is required to follow under this rule.

Manner of giving notice under Section 61

411

- (1) The manner of giving notice, under clause (b) of section 61, shall be as follows namely:-
 - (i) The notice shall be in writing in Form VII.
 - (ii) The person giving the notice may send it to ,-
 - If the alleged offence has taken place in a Union territory, to the Chairperson of the National Bio-diversity Authority; and
 - (b) If the alleged offence has taken place in a State, to the Chairperson of the State Bio-diversity Board
- (2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be sent by registered post acknowledgement due; and
- (3) The period of thirty days mentioned in clause (b) of section 61 shall be reckoned from the date, the notice is received by the Authorities mentioned in sub-rule (1).

प्रारूप 1

(नियम 14 देखिए)

जैव विविधता संसाधनो और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के लिए आवेदन प्ररूप

भाग क

- 1. (i) विभाग की पूर्ण विशिष्टियां
 - (ii) नामः
 - (iii) स्थायी पताः
 - (iv) भारत में संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता,यदि कोई हो,का पताः
 - (v) संगठन का विवरण (विभाग कोई व्यष्टि हैं तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)। कृपया
 अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें:
 - (vi) कारबार की प्रकृतिः
 - (vii) संगठन का अमेरिकी डालरों में व्यावृत्तः
- 2. चाही गई पहुंच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुंच किए जाने वाले सहबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।
 - क पहचान (वैज्ञानिक नाम) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचानः
 - ख प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलीय अवस्थितिः
 - ग पारंपरिक ज्ञान का वर्णन प्रकृति (मौखिक / दस्तावेजित)ः
 - घ पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यष्टि / समुदायः
 - ड संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा (अनुसूची दे):
 - च समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है:
 - छ चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्याः
 - ज वह प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया और विस्तार,व्युत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किए जाने की संभावना भी है:
 - झ, क्या संसाधनों के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुंच से उत्पन्न हो सकेगाः

FORM I

(see rule 14)

Application form for access to Biological resources and associated traditional knowledge

Part A

- 1. (i) Full particulars of the applicant
 - (ii) Name:
 - (iii) Permanent address:
 - (iv) Address of the contact person / agent, if any, in India:
 - (v) Profile of the organization (personal profile in case the applicant is an individual). Please attach relevant documents of authentication):
 - (vi) Nature of business:
 - (vii) Turnover of the organization in US\$:
- Details and specific information about nature of access sought and biological material and associated knowledge to be accessed
 - a) Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use:
 - Geographical location of proposed collection:
 - c) Description / nature of traditional knowledge (oral / documented):
 - d) Any identified individual / community holding the traditional knowledge:
 - e) Quantity of biological resources to be collected (give the schedule):
 - f) Time span in which the biological resources is proposed to be collected:
 - g) Name and number of person authorized by the company for making the selection:
 - h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:
 - i) Whether any collection of the resource endangers any component of biological diversity and the risks which may arise from the access:

- 3 किसी राष्ट्रीय संस्था के ब्यौरे जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी।
- पहुंच प्राप्त संसाधन का प्रारंभिक गंतव्य और उस अवस्थिति की पहचान, जहां अनुसंधान और विकास किया जाएगा।
- 5. आर्थिक और अन्य फायदे,इसके अंतर्गत वे भी हैं जो पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और ज्ञान से अभिप्राप्त किसी बौद्धिक संपदा अधिकार से प्राप्त हुए हैं या उस देश को जिसका / जिसकी वह है,के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा।
- पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों या ज्ञान से अभिप्राप्त तकनीकी / वैज्ञानिक, सामाजिक या कोई अन्य फायुद्धे जो या उस आदेश को जिसका / जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा।
- पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपिक ज्ञान के उपयोग के भारत / समुदायों को प्रविहत होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन।
- फायदे प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं।
- कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएं।

भाग ख

घोषणा

मैं / हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- 3 प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिक प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा / होंगे।

स्थान तारीख हस्ताक्षरित

नाम

शीर्षक

- Details of any national institution which will participate in the Research and Development activities.
- Primary destination of accessed resource and identity of the location where the R&D will be carried out.
- 5. The economic and other benefits including those arriving out of any IPR, patent obtained out of accessed biological resources and knowledge that are intended, or may accrue to the applicant or to the country that he/she belongs.
- The biotechnological, scientific, social or any other benefits obtained out of accessed biological resources and knowledge that are intended, or may accrue to the applicant or to the country that he/she belongs
- Estimation of benefits, that would flow to India/ communities arising out of the use of accessed bioresources and traditional knowledge
- 8. Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing.
- 9. Any other information considered relevant.

Part B

Declaration

I/ we declare that:

- 1 Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources;
- Collection of proposed biological resources shall not entail any environmental impact;
- Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems;
- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities:

I/we further declare the Information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information.

Place Date Signed Name Title

प्रारूप 2

(नियम 17 देखिए)

विदेशी राष्ट्रीय कंपनियों,अनिवासी भारतीयों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन चाहने के लिए आवेदन ।

- 1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
 - (i) नाम
 - (ii) पता
 - (iii) वृत्तिक विवरण
 - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें):
- 2. किए गए अनुसंधान के परिणामों के ब्यौरे
- 3. अनुसंधान में प्रयुक्त जैव अनुसंधान और / या सहबद्ध ज्ञान के ब्यौरे
- वह भौगोलीय अवस्थिति जहां अनुसंधान में प्रयुक्त जैव अनुसंधानों को संगृहीत किया जाता है।
- अनुसंधान में प्रयुक्त पारम्परिक ज्ञान और किसी पहचान किए गए व्यष्टि/समुदाय के ब्यौरे जो पारंपरिक ज्ञान धारित किए हुए हैं।
- उस संस्था के ब्यौरे जहां अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप किए जाते हैं।
- उस व्यष्टि / संगठन के ब्यौरे जिसको अनुसंधान परिणाम अंतरित किए जाने का आशय है।
- आर्थिक,जैव तकनीकी,वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अंतरित अनुसंधान परिणामों के वाणिज्यीकरण के कारण व्यष्टि / संगठन को आशयित हैं या प्रोद्भूत होने हैं।
- 9. आर्थिक,जैव तकनीकी,वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित है या प्रोद्भूत हुए हैं।
- 10 प्रस्तावित प्राप्तकर्ता और अनुसंधान के परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक द्वारा किसी करार या उनके बीच सद्भावना ज्ञापन के ब्यौरे।

घोषणा

मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा / होंगे।

स्थान तारीख

हस्ताक्षरित

नाम

शीर्षक

FORM II

(see Rule 17)

Application for seeking prior approval of National Biodiversity Authority for transferring the results of research to foreign nationals, companies, NRI's, for commercial purposes.

- Full particulars of the applicant
 - i) Name
 - ii) Address:
 - iii) Professional profile
 - iv) Organizational affiliation (Please attach relevant documents of authentication):
- Details of the results of research conducted
- Details of the Biological resources and /or associated knowledge used in the research.
- Geo-graphical location from where the biological resources used in the research are collected
- 5 Details of any traditional knowledge used in the research and any identified individual /community holding the traditional knowledge
- Details of institution where R&D activities carried out.
- Details of the individual / organization to whom the research results are intend to transfer.
- Details of economic, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the individual /organization due to commercialization of transferred research results.
- Details of economic, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the applicant seeking approval for transfer of results of research.
- Details of any agreement or MOU between by the proposed recipient and applicant seeking approval for transfer of results of research.

Declaration

I/we declare the Information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information.

Place Date Signed Name Title

प्ररूप 3

(नियम 18 देखिए)

बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन चाहने के लिए आवेदन

- आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
 - (i) नाम
 - (ii) पता
 - (iii) वृत्तिक विवरण
 - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता(कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें):
- 2. उस अन्वेषण के व्यौरे जिन पर बौद्धिक संपदा अधिकार चाहे गए हैं।
- 3. अन्वेषण में प्रयुक्त जैव अनुसंधान और / या सहबद्ध ज्ञान के व्यौरे।
- 4. वह भौगोलिक अवस्थिति जहां अन्वेषण में प्रयुक्त जैव अनुसंधान संगृहीत किए जाते हैं।
- अन्वेषण में प्रयुक्त किन्हीं पारम्परिक ज्ञान और किसी पहचान किए गए व्यष्टि / समुदाय के ब्यौरे जो पारंपरिक ज्ञान धारण किए हए हैं।
- 6. उस संस्था क्रे ब्यौरे जहां अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप किया जाता है।
- 7. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित है या प्रोद्भूत हुए हैं।

घोषणा

मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा / होंगे।

स्थान तारीख हस्ताक्षरित नाम

शीर्षक

FORM III

(See rule 18)

Application for seeking prior approval of National Biodiversity Authority for applying for Intellectual Property Right

- Full particulars of the applicant
 - i) Name
 - ii) Address:
 - iii) Professional profile
 - Organizational affiliation (Please attach relevant documents of authentication):
- Details of the invention on which IPRs sought
- Details of the Biological resources and /or associated knowledge used in the invention.
- Geo-graphical location from where the biological resources used in the invention are collected
- Details of any traditional knowledge used in the invention and any identified individual/communitily holding the traditional knowledge
- 6. Details of institution where Research and Development activities carried out.
- Details of economic, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the applicant due commercialization of the invention.

Declaration

I/we declare the Information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information.

Place Signed Name Date Title

प्ररूप 4

(नियम 19 देखिए)

पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के तीसरे पक्षकार को अंतरण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन चाहने के लिए आवेदन प्ररूप

- आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
 - (i) नाम
 - (ii) पता
 - (iii) वृत्तिक विवरण
 - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें):
- 2. पहुंच प्राप्त जैव सामग्री और पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे।
- 3. किए गए पहुंच संविदा के ब्यौरे (प्रति संलग्न की जाएं)।
- पहले से कार्यान्वित फायदा प्रभाजन के लिए तंत्र / व्यवस्थाएं के ब्यौरे।
- 5. तीसरे पक्षकार की पूर्ण विशिष्टियां जिसको पहुंच प्राप्त सामग्री / ज्ञान अंतरण किए जाने का आशय है।
- 6. आशयित तृतीय पक्षकार अंतरण का प्रयोजन।
- आर्थिक, जैव तक नीकी, वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित है या प्रोद्भूत हुए हैं।
- आवेदक और तृतीय पक्षकार के बीच किए जाने वाले करार के ब्यौरे।
- फायदों का प्राक्कलन जिनका पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपिरक ज्ञान के तीसरे पक्षकार को अंतरण के कारण भारत / समुदाय में प्रवाह होगा।
- 10. प्रस्तावित तृतीय पक्षकार अंतरण के कारण फायदा प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं।
- 11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

घोषणा

मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा / होंगे।

स्थान हस्ताक्षरित तारीख नाम शीर्षक

FORM IV

(See rule 19)

Application form for seeking approval of National Biodiversity Authority for third party transfer of the accessed Biological resources and associated traditional knowledge.

- 1. Full particulars of the applicant
 - (i) Name
 - (ii) Address:

(iii) Professional profile

- (iv) Organizational affiliation (Please attach relevant documents of authentication):
- Details of the biological material and traditional knowledge accessed.

Details of the access contract entered (Copy to be enclosed)

 Details of the benefits and mechanism / arrangements for benefit sharing already implemented.

 Full particulars of the third party to whom the accessed material / knowledge is intended to transfer.

The purpose of the intended third party transfer.

 Details of economic, social, biotechnological, scientific or any other benefits that are intended, or may accrue to the third party due to transfer of accessed biological material and knowledge.

Details of any agreement to be entered between the applicant and the third

party.

 Estimation of benefits that would flow to India/ communities arising out of the third party transfer of accessed biological resources and traditional knowledge

Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing arising out of the

proposed third party transfer.

Any other relevant information

Declaration

I/we declare the Information provided in the application form is true and correct and I /We shall be responsible for any incorrect / wrong information. "Signed

Place Date Name Title

प्ररूप 5

(नियम 23 (1) देखिए) अपील के ज्ञापन का प्ररूप पर्यावरण और वन मंत्रालय,नई दिल्ली के समक्ष

> या जैव विविधता प्राधिकरण (यथास्थिति)

(राष्ट्र	ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,2002 की धारा 50 के अर्ध	ोन अपील का ज्ञापन)
_	200की अप	
	बनाम	अपीलार्थी (अपीलार्थियों)
	*	
	*	
	1	प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों)
(यथ	ास्थिति यहां प्राधिकरण / बोर्ड का पदाभिधान वर्णित व	गरें)
	अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर प्र	त्यर्थी द्वारा पारित तारीखवं
आदेश	ग के विरूद्ध यह अपील ज्ञापन करना चाहता है।	8
1.	तथ्य	
	(यहां मामले के संक्षेप में तथ्य वर्णित करें)	
2.	आधारः	
	(वे आधार वर्णित करें जिन पर अपील वर्णित की व	ाई है)
	(i)	
	(ii)	
	(:::)	

"FORM V

(See rule-23(1)

Form of Memorandum of Appeal

BEFO	RETHEMINISTRY OF ENVIRONMENTAND FORESTS, NEW DELHI OR
	NAL BIODIVERSITY AUTHORITY case may be)
(Memorandum of appeal under Section 50 of the Biological Diversity Act, 2002.)
	Appeal Noof 200
	Appellant (s)
	Respondent(s)
/ha	cut a Authority/Board, as the case may be)
dated	The appellant begs to prefer this werner and grounds.
1.	FACTS: (Here briefly mention the facts of the case):
2.	GROUND: (Here mention the grounds on which the appeal is made):
	i.)
	ii.)
	iii.)

छत्तीसग	राज्य जैव–विविधता बोर्ड से संबन्धित अधिनियम/नियम एवं दिशा निर्देश – 128
3.	चाहा गया अनुतोषः
	(i)
	(ii)
	(iii)
4. प्रा	ना १४६५ हा १८ - १८६४ विकास स्थापन विकास स्थापन
आदे	ावेदक जो ऊपर कथन किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी के /विनिश्यच को अपखंडित/अपास्त किया जाए।
(ख)	त्यर्थी द्वारा बनायी गई नीति / मार्ग निर्देश / विनियम / सीमा तक अपखंडित / उपांतरित / शुन्यकृत
किए	नाएं।
(ग)	
	आवेदक के हस्ताक्षर
स्थाः	मुहर सहित
तारी	4 : ————————————————————————————————————
	. पताः
	सत्यापन
	मैं,आवेदक घोषणा करता हूं / करती हूं कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है मेरी सर्वोत्त

जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

.....दिन...को सत्यापित।

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित पताः

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नकः उस आदेश / निदेश / नीति विनिश्चय की अधिप्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

3.	RELIEF SOUGHT:		
٥.	i)		
	ii)		
	iii)		
	,		
4.	PRAYER:		207
a)	In the light of what is stated above	, the appellant respectfully prays	s that the
100		dilasileu/set-aside.	
b)	The policy/quidelines/regulation tra	med by the respondent so	quashed
,	/modified/annulled to the extent		
		the state of the s	
c)			-
		Signature of the app	nellant
Pla	rce:	with Seal	ZONGITE
	ted:	Address:	
		Addiose	
		- CATION	
	VERI	FICATION	e to the
12000	I , the appellant do hereby declar	e that what is stated	
be	st of my information and belief		
١.			
V	erified onday of		
		Signature of the a	ppellant
	4	With Seal	
		Address	
		he Authorised representative of t	he appella

Signature of the Authorised representative of the appellant Enclosures: Authenticated copy of the order/direction/policy decision, against which the appeal has been preferred.

प्ररूप 6

(नियम 23 (5) देखिए) ...पर्यवरण और वन मंत्रालय,नई दिल्ली के समक्ष

00

जैव विविधता प्राधिकरण (यथास्थिति)

ोच:	
	अपीलार्थी (अपीलार्थियों)
ग नाम	
	पलार्थी (पलार्थियों)

सूचना

कृपया ध्यान दें कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील आदेश / निदेश / नीति विनिश्चय (ब्यौरे दें) के विरूद्ध फाइल की गई है। सुनवाई की तारीख में नियत हुई है। अपील ज्ञापन की प्रतियां और अपील के साथ फाइल किए गए अन्य उपाबंध आपके निर्देश के लिए भेजे जाते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त तारीख को या अपील की सुनवाई की अन्य प्रस्तावित तारीख को उपसंजात होने में असफल रहते हैं अपील का निपटारा अंतिम रूप से एक पक्षीय मानकर कर दिया जाएगा।

अपील प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (मुहर)

200 की अपील सं

तारीखः स्थानः

FORM VI (See rule 23(5)

BEFORE THE	MINISTRY OF ENVIRONMEN NEW DELHI	IT AND FORESTS,
	OR	ALI .
NATIONAL BIODIVE (as the case may be)	ERSITYAUTHORITY	
Between:	Appeal No.	of 200
	Appellant(s)	
Vs.		
	Respondents(s)	
	NOTICE	
Please take order/direction/police.	notice that the above appeal filed by the appeal fixed for hearing	pellant, against the g on at
appeal are sent here Please note	f the appeal memorandum and other annexuments for your reference. that if you fails to appear on the said date of the said d	r other subsequent
ex-parte.	ne appeal, the appeal would be disposed of f	many by placing you
	Authorised signatory on behalf of the Appe	llate Authority (Seal)
Date: Place :		

प्ररूप 7

सूचना का प्ररूप (नियम 24 (1) देखिए)

रजिस्टीकत	डाक / सम्यक्	अभिस्वीकृति	टारा
11-11-12	ALL 11 445	ALL LY ALLEST VI	GIVI

		रजिस्ट्रीकृत डाक / सम्यक् अभिस्वीकृति	द्वा
प्रेषक,			
	श्री		
	2		
	सेवा में,		
	11m2x 920		
97			
		_	

विषयः जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (ख) के अधीन सूचना ..द्वारा जैव विविधता अधिनियम,2002 के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है।

- 2. मैं / हम जैव विविधता अधिनियम,2002 की धारा 61 (ख) के अधीन के विरूद्ध जैव विविधता अधिनियम,2002 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के लिए फाइल में परिवाद फाइल करने अपने / हमारे आशय की तीस दिन की सूचना देता हूं / देते हैं।
- 3. मेरें / हमारे सूचना के स्थान में मैं / हम सबूत के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं।

स्थानः

तारीखः

Signature

FORM VII

FORM OF NOTICE (See rule 24 (1)

By Registered Post/Acknowledgement due From, Shri To, Sub: NOTICE UNDER SECTION 61(b) OF THE BIOLOGICAL DIVERSITY ACT, 2002. Whereas an offence under the Biological Diversity Act, 2002 has been committed/is being committed by 2. I/we hereby give notice of 30 days under Section 61(b) of the Biological Diversity Act, 2002 of my /our intention to file a complaint in the Court against __ violation of the provisions of the Biological Diversity Act, 2002. 3. In support of my/our notice, I am/we are enclosing herewith the following documents as evidence of proof. Place: Dated:

स्पष्टीकरण :-

- किसी कंपनी के नाम से सूचना दिए जाने की दशा में कंपनी की ओर से सूचना को हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने का दस्तावेज साक्ष्य सूचना के साथ संलग्न किया जाए।
- 2. अभिकथित अपराधी का नाम और पता दें। प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव संसाधन/ज्ञान/अनुसंधान/जैव सर्वेक्षण और जैव पोषण/बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटेंट का उपयोग किए जाने की दशा में उसके ब्यौरे और वाणिज्यिक उपयोग, यदि कोई हों, प्रस्तुत किया जाएगा।
- अभिकथित उल्लंघन/अपराध/जांच को समर्थ बनाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत फोटो, तकनीकी रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं।

(सं.जे. 22018/57/2002—सी एस सी (बी.सी) देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

000

EXPLANATION:

- (1) In case the notice to be given in the name of a company, documentary evidence authorising the person to sign the notice on behalf of the company shall be enclosed to the notice.
- (2) Give the name and address of the alleged offender. In case of using biological resource/ knowledge/research/bio-survey and bio utilisation /the intellectual property right /patent, without the approval of the Authority, the details thereof and the commercial utilisation if any, may be furnished.
- (3) Documentary evidence shall include photograph, technical report etc. for enabling enquiry into the alleged violation/offence.

[No. J 22018/57/2002 CSC (BC)] (Desh Deepak Verma) Joint Secretary "

000

पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनाएं

का.आ.1146 (अ) केन्द्रीय सरकार, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 2003 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं प्रवृत होंगी, अर्थातः—1 अक्तूबर, 2003 से प्रभावी जैव विविधता अधिनियम की धारा 1 और 2, धारा 8 से 17 (दोनों सम्मिलित हैं) धारा 48, 54, 59, 62, 63, 64 और 65.

(फा.सं. जे—22018/46/2003—सीएससी (बीसी)) देश दीपक वर्मा,संयुक्त सचिव

सा.का.नि. 179 (अ)— केन्द्रीय सरकार,जैव विविधता अधिनियम,2002 (2003 का 18) की धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निमनलिखित नियम बनाती है,नामत:अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा षर्ते नियम,2003 (1) अक्तूबर,2003 से प्रभावी होंगे।

(फा.सं. जे—22018/46/2003—सीएससी (बीसी)) देश दीपक वर्मा,संयुक्त सचिव

का.आ1147 (अ) — केन्द्रीय सरकार जैव विविधता अधिनियम,2002 2003 का 18 की धारा 8 की उपधारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नामक निकाय की स्थापना 1 अक्तूबर,2003 से ही करती है जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगाः धारा 8 की उपधारा 4 के खंड क के अधीन 1 अक्तूबर 2003 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सदस्य।

(फा.सं. जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी))

देश दीपक वर्मा,संयुक्त सचिव

का.आ.497 अ—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें नियम,2003 के नियम 5 के उप नियम 1 के साथ पठित जैव विविधता अधिनियम,2002 2003 का 18 की धारा 8 की उपधारा 1 और उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय जैव विविधता

NOTIFICATIONS ISSUED BY MINISTRY OF FORESTS AND ENVIRONMENT, NEW DELHI

SO 1146 (E): In exercise of powers conferred by Sub-section (3) of section 1 of Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of October 2003 as the date on which the following sections of the said Act shall come into force namely: section 1 and 2, 8 to 17 (both inclusive), sections 48, 54, 59, 62, 63, 64 and 65.

{F. No. J-22018/46/2003-CSC (BC)}
Desh Deepak Verma, Joint Secretary

GSR 179 (E): In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 62 of Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules: namely National Diversity Authority (Salary, allowances and conditions of service of Chairperson and other members) Rules 2003. They shall come into force on the first day of October 2003

{F. No. J-22018/46/2003-CSC (BC)} Desh Deepak Verma, Joint Secretary

SO 1147 (E): In exercise of powers conferred by Sub-section (1) and (4) of section 8 of Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby establishes a body to be called National Biodiversity Authority, on and from the 1st day of October 2003 for the purposes of the Act consisting of the following members. Member appointed as chairman under clause (a) of Sub-section (4) of section 8 of the Act from the first day of October 2003.

{F. No. J-22018/46/2003-CSC (BC)}
Desh Deepak Verma, Joint Secretary

SO 479 (E): In exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (4) of section 8 of Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) read with National Diversity Authority (Salary, allowances and conditions of service of Chairperson and other members) Rules 2003, the Central Government

प्राधिकरण में निम्नलिखित गैर—सरकारी सदस्यों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए अधिसूचना संख्या का.आ.अ,तारीख1 अक्तूबर,2003 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकायान की तारीख 15 अप्रैल,2004 से संषोधित करती है।

(फा.सं. जे—22018 / 46 / 2003—सीएससी (बीसी)) देश दीपक वर्मा,संयुक्त सचिव

सा.का.नि.261 केन्द्रीय सरकार 15 अप्रैल ,2004 से जेव विविधता अधिनियम,2002 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन,भत्ते और सेवा की शर्ते नियम,2003 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए,जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करते का लोप किया गया है,निम्निलिखित नियम बनाती है।

(फा.सं. जे—22018/46/2003—सीएससी (बीसी)) देष दीपक वर्मा,संयुक्त सचिव

का.आ.753 अ केन्द्रीय सरकार जैव विविधता अधिनियम,2002 (2003 का 18) की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,तारीख1 जुलाई,2004 को,उस तारीख के रूप में नियम करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिलिखत धाराएं प्रवृत्त होंगी,आर्तित:— धारा (3) से धारा 7 दोनों सिम्मलित;धारा 18 से धारा 47 (दोनों सिम्मलित);धारा 49 से धारा 53 दोनों सिम्मलित ; धारा 55 से धारा 58 (दोनों सिम्मलित)और धारा 60 एवं धारा 61।

(फा.सं. जे—22018/46/2003—सीएससी (बीसी)) देष दीपक वर्मा,संयुक्त सचिव hereby appoints the following non-official members to the National Biodiversity Authority and for that purpose amends the notification number 1147 (E) dated 1st October 2003, on and from the date of publication of this notification in the official gazette.

{F. No. J-22018/46/2003-CSC (BC)}
Desh Deepak Verma, Joint Secretary

GSR 261 (E): In exercise of the powers conferred by section 62 of the Biological Diversity Act 2002, and in supersession of the National Diversity Authority (Salary, allowances and conditions of service of Chairperson and other members) Rules 2003, except as respect to things done or omitted to be done, before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, to come into effect from 15 April, 2004

{F. No. J-22018/46/2003-CSC (BC)}
Desh Deepak Verma, Joint Secretary

SO 753(E): In exercise of powers conferred by Sub-section (3) of section 1 of Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby appoints first day of July 2004 as the date on which the following sections of the said Act shall come into force namely section 3 and 7 (both inclusive), sections 18 to 47 (both inclusive), sections 49 to 53 (both inclusive), section 60 and 61

{F. No. J-22018/46/2003-CSC (BC)} Desh Deepak Verma, Joint Secretary रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L .- 33004/99

The Gazette of India

आसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3- उप-खंड (ii)

Part-II- Section 3- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

क्र.सं. 1639 ,No. 1639 नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2008/कार्तिक 30, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, NOVERMBER 21, 2008/KARTIKA 30, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2008

का.आ. 2708 (अ)— केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खंड (क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को इस शर्त के अधीन उक्त स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में प्रत्येक के सम्बंध में विनिर्दिष्ट अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के सम्बंध में शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत करती है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सके या उक्त धारा के अधीन शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सके, यदि उसकी राय में ऐसी कार्रवाई करना लोकहित में आवश्यक है अर्थात:—

ह, अथात् :-		
क्र.सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारी, जो वैज्ञानिक 'ग' के रैंक से नीचे न हो।	सम्पूर्ण भारत
2.	राज्य जैव विविधिता प्राधिकरण के अधिकारी जो वैज्ञानिक 'ग' रैंक से नीचे न हो	सम्पूर्ण सम्बंधित राज्य
3.	पर्यावरण और वन मंत्रालय भागत स्थानम के क्षेत्रीय कार्यालयों	सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की

के अधिकारी जो वैज्ञानिक 'ग' रैंक से नीचे न हो

(फा.सं.28–14/2008–सीएस–III(एनबीए) ए.के. गोयल, संयुक्त सचिव

क्षेत्राधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण राज्य

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एस॰-33004/99

Scientist 'C'

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

आसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3- उप-खंड (ii)

Part-II- Section 3- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639 No. 1639 नई दिल्ली, शुकवार, नवम्बर 21, 2008/कार्तिक 30, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, NOVERMBER 21, 2008/KARTIKA 30, 1930

MINISTRY OF ENVERONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th Novembers, 2008

S.O. 2708(E)- In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government here by authorises the officers specified in column (2) of the Table below, to file complaints with regard to offences punishable under the said Act, within the areas of jurisdiction specified against each in the corresponding entry in column (3) of the Table aforesaid, subject to the condition that the Central Government may revoke such authorisation or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest, namely:-

SI.No.	Officers authorised to file complaints under section 61 (a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Officers of the National Biodiversity Authority, not below the rank of Scientist 'C'	Whole of India
2.	Officers of the State Biodiversity Boards, not below the rank of Scientist 'C'	Whole of the concerned State
3.	Officers of the Regional of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, notbelow the rank of	Whole of the States under the jurisdiction of the respective

[F.No. 28-14/2008-CS-III(NBA)] A.K. Goyal, It.Sect.

Regional Offices.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

आसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3- उप-खंड (ii)

Part-II- Section 3- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68 No. 68 नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009 / पौष 22, 1930

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSH 22, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

का.आ. 120 (अ)— जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है. नामत:—

उपर्युक्त अधिसूचना में :-

तालिका में क्रम सं.3, क्रम सं. 4 और उनके कालम सं. 2 और 3 में की कई अनुरूपी—प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, नामतः—

क्र.सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अंतर्गत	अधिकार क्षेत्र
	शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)
4.	वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर के रैंक से कम न हों	उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र में

[फा.सं.28-14/2008-सीएस-III (एनबीए)]

ए.के. गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को अधिसूचना सं.का. आ.2708 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

155GI/2009

रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD, NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

आसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3- उप-खंड (ii)

Part-II- Section 3- Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68 No. 68 नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009 / पौष 22, 1930

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSH 22, 1930

MINISTRY OF ENVERONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2009

S.O. 120(E)- In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government here by make the following further amendments in the Notification No. S.O. 2708(E), dated 17th November, 2008 namely:-

In the said Notification :-

In the TABLE after SI. No. 3 SI.No. 4 and the corresponding entries in colum No. 2 & 3 there of, shall be inserted, Namely:-

SI. No.	Officer authorised to file complaints under section of the Biological Diversity Act, 2002	61 (a) Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
(4)	Forest Officers not below the rank of Range Officers	In their recepective Jurisdictions

[F.No. 28-14/2008-CS-III (NBA) A.K. Goyal, Jt. secty.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. S.O. 2708(E), dated 17th November, 2008.

155GI/2009



(असाधारण)

भाग—।। खंड—3 उपखंड (i) प्राधिकार से प्रकाशित सं. 612 नम्बर 612

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21,2014/कार्तिक 30, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण) अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 827(अ) — राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 21 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों का ऋजु और साम्यपूर्ण विभाजन करने पर नागोया प्रोटोकॉल और जैव विविधता कन्वेशन तारीख 29 अक्टूबर, 2010 के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- जैविक संसाधनों और /या सहयुक्त पारंपिरक जानकारी तक अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की प्रकिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग :--
 - (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो जैविक संसाधनों और / या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तक अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की प्रक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग का आशय रखता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को जैव विविधता नियम, 2004 के



The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART II – Section 3- Sub-section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY
SI.No. 612 Number 612
New Delhi, the 21st November, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (National Biodiversity Authority) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

G.S.R 827.—In exercise of the powers conferred by section 64 read with sub-section (1) of section 18 and sub-section (4) of section 21 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), hereinafter referred to as the Act, and in pursuance of the Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity dated the 29th October, 2010, the National Biodiversity Authority hereby makes the following regulations, namely.—

Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Procedure for access to biological resources and/ or associated traditional knowledge for research or bio-survey and bio-utilization for research.—
 - (1) Any person referred to under sub-section (2) of section 3 of the Act, who intends to have access to biological resources and/ or associated traditional knowledge for research or bio-survey and bioutilization for research shall apply to the National Biodiversity Authority (NBA) in Form I of the Biological Diversity Rules, 2004 for

- प्ररुप-1 में भारत में उपगत होने वाले ऐसे से जैविक संसाधनों और / या सहयुक्त जानकारी तक पहुंच अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा।
- (2) एनबीए उप—विनियम (1) के अधीन किसी आवेदन पर उसका समाधान हो जाने पर, आवेदक के साथ फायदा बंटाने का करार करेगा जिसे उस विनियम में निर्दिष्ट अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्रदान करना समझा जाएगा; परंतु जैविक संसाधनों की दशा में जिनका उच्च स्थानिक मूल्य है, तो करार फायदे को बंटाने के विषय में आवेदक द्वारा एक ऐसी रकम के अग्रिम संदाय के अभाव का खंड अंतर्विष्ट हो सकेगा, जो एनबीए और आवेदक के बीच सहमत हो।
- 2. वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच की प्रकिया और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव उपयोग—
 - (1) कोई व्यक्ति जो जैविक संसाधनों तक पहुंच का आशय रखता है, जिसके अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएसएमसी)/वनवासी/ जनजाति कृषक/ ग्राम सभा द्वारा की जा रही फसल भी है, इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप 'क' के साथ यथास्थिति जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप 1 में एनबीए को या राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) को ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जो एसबीबी द्वारा विहित किया जाए।
 - (2) यथास्थिति, एनबीए या एसबीबी उप विनियम (1) के अधीन आवेदन से समाधान हो जाने पर, आवेदक के साथ फायदा बंटाने का करार करेगा जिसे जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव सर्वेक्षण के लिए और उस उप–विनियम में निर्दिष्ट वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव उपयोग के लिए अनुमोदन समझा जाएगा।
- (3) वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव सर्वेक्षण के लिए और वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए फायदा बंटाने का ढंग
 - (1) जहाँ आवेदक / व्यापारी / विनिर्माता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) / वनवासी / जनजाति कृषक / ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ फायदा बंटाने के लिए पूर्व बातचीत नहीं की है और इन व्यक्तियों से सीधे जैविक संसाधन का क्रय करता है तो व्यापारी पर फायदा बंटाने की बाध्यता जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य के 1.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत की रेंज में होगी और

- obtaining access to such biological resource and/ or associated knowledge, occurring in India.
- (2) The NBA shall, on being satisfied with the application under sub-regulation (1), enter into a benefit sharing agreement with the applicant which shall be deemed as grant of approval for access to biological resource for research referred to in that sub-regulation: Provided that in case of biological resources having high economic value, the agreement may contain a clause to the effect that the benefit sharing shall include an upfront payment by applicant, of such amount, as agreed between the NBA and the applicant.
- Procedure for access to biological resources, for commercial utilization or for bio-survey and bio-utilization for commercial utilization. —
 - (1) Any person who intends to have access to biological resources including access to biological resources harvested by Joint Forest Management Committee (JFMC)/ Forest dweller/ Tribal cultivator/ Gram Sabha, shall apply to the NBA in Form-I of the Biological Diversity Rules, 2004 or to the State Biodiversity Board (SBB), in such form as may be prescribed by the SBB, as the case may be, along with Form 'A' annexed to these regulations.
 - (2) The NBA or the SBB, as the case may be, shall, on being satisfied with the application under sub-regulation (1), enter into a benefit sharing agreement with the applicant which shall be deemed as grant of approval for access to biological resources, for commercial utilization or for bio-survey and bio-utilization for commercial utilization referred to in that sub-regulation.
- Mode of benefit sharing for access to biological resources, for commercial utilization or for bio-survey and bio-utilization for commercial utilization.—
 - (1) Where the applicant/ trader/ manufacturer has not entered into any prior benefit sharing negotiation with persons such as the Joint Forest Management Committee (JFMC)/ Forest dweller/ Tribal cultivator/ Gram Sabha, and purchases any biological resources directly from these persons, the benefit sharing obligations on the trader shall be in the range of 1.0 to 3.0% of the purchase price of the biological

विनिर्माता पर फायदा बंटाने की बाध्यता जैविक संसाधनों के क्य मूल्य के 3.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत की रेंज में होगी।

परंतु व्यापारी द्वारा उसके द्वारा क्रय किए गए जैविक संसाधनों को किसी अन्य व्यापारी या विनिर्माता को विक्रय करने की दशा में, क्रेता पर फायदा बंटाने की बाध्यता यदि वह व्यापारी है तो क्रय मूल्य के 1.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत की रेंज में और यदि वह विनिर्माता है तो 3.0 प्रतिशत से 5.0 प्रौतिशत की रेंज में होगी।

परन्तु यह और कि यदि केता तुरंत पश्चातवर्ती विकेता के साथ आपूर्ति शृंखला में फायदा बंटाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो केता पर फायदा बंटाने की बाध्यता केवल उस क्य मूल्य के भाग तक लागू होगी, जिसके लिए फायदे को आपूर्ति श्रंखला में बांटा नहीं गया है।

- (2) जहां आवेदक / व्यापारी / विनिर्माता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) / वनवासी / जनजाति कृषक / ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ पूर्व फायदा बंटाने के लिए बातचीत की है और इन व्यक्तियों में सीधे जैविक संसाधन का क्य करता है तो आवेदक पर फायदा बंटाने की बाध्यता उस दशा में जब क़ेता कोई व्यापारी है, जैविक संसाधनों के क्य मूल्य के 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी और केता के विनिर्माता होने की दशा में ये 5.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- (3) ऐसे जैविक संसाधनों की दशा में जिनका उच्च आर्थिक मूल्य है जैसे चंदन, लाल सेंडर्स आदि या उनके व्युत्पन्नों की दशा में, फायदा बंटाने में नीलामी या विक्रय की रकम से आगतों के 5 प्रतिशत से अन्यून का संदाय जैसा कि, यथास्थिति, एनबीए या एसबीबी द्वारा विनिश्चय किया जाए और सफल बोली दाता या क्रय कर्ता अभिहित निधि में जैविक संसाधनों तक पहुंच से पूर्व रकम का संदाय करेगा।

4. विनियम 2 के अधीन वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहुंच बनाए गए जैविक संसाधनों के विकय मूल्य के फायदे को बंटाने का विकल्प—

जब जैविक संसाधनों तक वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव सर्वेक्षण के लिए पहुंच की जाती है और जैव उपयोग से वाणिज्यिक उपयोग होता है तो आवेदक के पास फायदा बंटाने का 0.1 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत की रेंज में उस उत्पाद की वार्षिक समग्र कारखाना पूर्व विकय की प्रतिशतता के निम्नलिखित ग्रेड में जिसकी

resources and the benefit sharing obligations on the manufacturer shall be in the range of 3.0 to 5.0% of the purchase price of the biological resources:

Provided that where the trader sells the biological resource purchased by him to another trader or manufacturer, the benefit sharing obligation on the buyer, if he is a trader, shall range between 1.0 to 3.0% of the purchase price and between 3.0 to 5.0%, if he is a manufacturer:

Provided further that where a buyer submits proof of benefit sharing by the immediate seller in the supply chain, the benefit sharing obligation on the buyer shall be applicable only on that portion of the purchase price for which the benefit has not been shared in the supply chain.

- Where the applicant/ trader/ manufacturer has entered into any prior benefit sharing negotiation with persons such as the Joint Forest Management Committee (JFMC)/ Forest dweller/ Tribal cultivator/ Gram Sabha, and purchases any biological resources directly from these persons, the benefit sharing obligations on the applicant shall be not less than 3.0% of the purchase price of the biological resources in case the buyer is a trader and not less than 5.0% in case the buyer is a manufacturer.
- (3) In cases of biological resources having high economic value such as sandalwood, red sanders, etc. and their derivatives, the benefit sharing may include an upfront payment of not less than 5.0%, on the proceeds of the auction or sale amount, as decided by the NBA or SBB, as the case may be, and the successful bidder or the purchaser shall pay the amount to the designated fund, before accessing the biological resource.
- Option of benefit sharing on sale price of the biological resources accessed for commercial utilization under regulation 2.—

When the biological resources are accessed for commercial utilization or the bio-survey and bio-utilization leads to commercial utilization, the applicant shall have the option to pay the benefit sharing ranging from 0.1 to 0.5 % at the following graded percentages of the annual gross ex-factory sale of the product which shall be worked out based on the annual gross ex-factory sale minus

गणना वार्षिक कारखाना पूर्व समग्र बिकी को सरकारी करों से कम करके, जैसा कि नीचे दियागया है, विकल्प होगा।

उत्पाद का कारखाना पूर्व वार्षिक विकय	फायदा बंटाने वाले संघटक	
1,00,00,000 रुपए तक	0.1 प्रतिशत	
1,00,00,001 रुपए से 3,00,00,000 रुपए तक	• 0.2 प्रतिशत	
3,00,00,000 रुपए से ऊपर	0.5 प्रतिशत	9

फीस का संग्रहण —

अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन किसी जैविक संसाधन तक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पहुंच या संग्रहण के लिए उन क्षेत्रों से जो जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में आते हैं, फीस का संग्रहण इन विनियमों के अधीन एनबीए / एसबीबी को फायदा बंटाने के अतिरिक्त होगा।

- 6. जैविक संसाधनों से संबंधित अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने की प्रकिया—
 - (1) धनीय प्रतिफल या अन्यथा के लिए अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भारत में उपगत होने वाले या भारत में अभिप्राप्त जैविक संसाधनों से संबंधित अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति—
 - (क) भारत में अभिप्राप्त जैविक संसाधनों से संबंधित अनुसंधान के परिणामों को किसी प्रयोजन के लिए अंतरित करने के लिए जैविक विविधता नियम 2004 के प्रारूप 2 में आवेदन करेगा;
 - (ख) अनुसंधान में अंतवर्लित जैविक संसाधन और / या सहयुक्त जानकारी तक पहुंच के लिए एनबीए के अनुमोदन का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;

परंतु किसी आवेदक को, जो भारत का नागरिक है या निगमित निकाय, संगम या संगठन है जो भारत में रिजस्ट्रीकृत है और उसकी पूंजी या प्रबंधन में किसी गैर भारतीय की कोई सहभागिता नहीं है, इस खंड के अधीन साक्ष्य देने की अपेक्षा लागू नहीं होगी;

(ग) आवेदक की जानकारी में अनुसंधान के परिणामों के संभावित

government taxes as given below:-

Annual Gross ex-factory sale of product	Benefit sharing component
Up to Rupees 1,00,00,000.	0.1 %
Rupees 1,00,00,001 up to 3,00,00,000	0.2 %
Above Rupees 3,00,00,000.	0.5 %

Collection of fees.—

Collection of fees, if levied by Biodiversity Management Committee (BMC) for accessing or collecting any biological resource for commercial purposes from areas falling within its territorial jurisdiction under sub-section (3) of section 41 of the Act, shall be in addition to the benefit sharing payable to the NBA/SBB under these regulations.

Procedure for transfer of results of research relating to biological resources.—

- (1) Any person who intends to transfer results of research relating to biological resources occurring in or obtained from India, to persons referred to under sub-section (2) of section 3 of the Act for monetary consideration or otherwise, shall—
 - apply to the NBA in Form II of the Biological Diversity Rules, 2004 for transfer of the results of research relating to biological resources occurring in or obtained from India for any purpose;
 - (b) provide evidence of approval of NBA for access to the biological resource and/or associated knowledge involved in the research:

Provided that the requirement of evidence under this clause shall not apply to an applicant who is a citizen of India or a body corporate, association or organization which is registered in India and not having any non-Indian participation in its share capital or management;

(c) provide complete information on potential commercial value

वाणिज्यिक मूल्य की संपूर्ण जानकारी देगा।

- (2) एनबीए, उप—विनियम (1) के अधीन आवेदन से समाधान हो जाने पर, आवेदक के साथ एक फायदा बंटाने का करार करेगा जिसे उस विनियम में निर्दिष्ट अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने का अनुमोदन समझा जाएगा।
- 7. अनुसंघान के परिणामों को अंतरित करने के लिए फायदे बंटाने का ढंग— आवेदक, विनियम 6 के अधीन अनुसंघान के परिणामों को अंतरित करने की दशा में एनबीए को ऐसे धनीय और गैर धनीय फायदे का संदाय करेगा जैसी कि आवेदक और एनबीए के बीच सहमति हुई हो;

परंतु उसके द्वारा धनीय फायदे की प्राप्ति पर, यदि कोई हो, ऐसे अंतरण पर आवेदक एनबीए को धनीय विचारण का 3.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत तक का संदाय करेगा।

- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अभिप्राप्त करने की प्रकिया–
 - (1) कोई व्यक्ति जो किसी बौद्धिक संपदा अधिकार को भारत का भारत से बाहर अभिप्राप्त करने का आशय रखता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी खोज के लिए जो किसी भारत में अभिप्राप्त अनुसंधान या किसी जैविक संसाधान पर किसी सूचना पर आधारित है, जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रारूप 3 में एनबीए को आवेदन करेगा;

परंतु यदि आवेदक अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति है, तो वह जैविक संसाधनों और /या सहयुक्त जानकारी के उपयोग, जो उसके अनुसंधान में उपयोग की गई है जिससे वह खोज हुई है, तक पहुंच के लिए एनबीए के अनुमोदन का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;

परंतु यह और कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का 53) के अधीन किसी अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को इस उप–विनियम से छूट होगी।

- (2) एनबीए उप विनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर समाधान हो जाने पर आवेदक के साथ फायदा बंटाने का करार करेगा और इसे आईपीआर अभिप्राप्त करने का अनुमोदन माना जाएगा।
- 9. आईपीआर में हिस्सा बंटाने का ढंग—
 - (1) आवेदक, अभिप्राप्त आईपीआर के वाणिज्यिकरण की दशा में एनबीए को ऐसा धनीय और /या गैर धनीय फायदे का संदाय करेगा जैसे कि आवेदक और एनबीए के बीच सहमति हो।

within the knowledge of the applicant, of the results of research.

- (2) The NBA shall, on being satisfied with the application under subregulation (1), enter into a benefit sharing agreement with the applicant which shall be deemed as grant of approval for transfer of the results of research referred to in that sub-regulation.
- 7. Mode of benefit sharing for transfer of results of research. Applicant shall, in case of transfer of results of research under regulation 6, pay to the NBA such monetary and / or non-monetary benefit, as agreed between the applicant and the NBA:

Provided that in case of monetary benefit received by him, if any, on such transfer, the applicant shall pay to the NBA 3.0 to 5.0% of the monetary consideration.

8. Procedure for obtaining Intellectual Property Rights (IPR). —

- (1) Any person who intends to obtain any intellectual property right by whatever name called, in or outside India, for any invention based on any research or information on any biological resources obtained from India, shall make an application to the NBA in Form III of the Biological Diversity Rules, 2004:
 - Provided that if the applicant is a person referred to under sub-section (2) of section 3 of the Act, he shall provide evidence of approval of NBA for access to the biological resources and/or associated knowledge used in the research leading to the invention:
 - Provided further that any person applying for any right under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) shall be exempted from this sub-regulation.
- (2) The NBA shall, on being satisfied with the application under subregulation (1), enter into a benefit sharing agreement with the applicant which shall be deemed as grant of approval for obtaining IPR.

9. Mode of benefit sharing in IPR. —

(1) The applicant shall, in case of commercializing the IPR obtained, pay to the NBA such monetary and/or nonmonetary benefit, as agreed between the applicant and the NBA.

- (2) जहाँ आवेदक स्वयं प्रकिया / उत्पाद / नई पद्धित का वाणिज्यिकरण करता है, धन सेक्ट्रल अप्रोच के आधार पर जिसकी गणना सरकारी करों को घटाकर वार्षिक समग्र कारखाना पूर्व विकय के आधार पर की जाएगी, 0.2 से 1.0 प्रतिशत की रेंज में बांटा जाएगा।
- (3) जहाँ आवेदक प्रक्रिया को अनुज्ञप्त/उत्पाद नई पद्धित को वाणिज्यिकरण के लिए तृतीय पक्षकार को समानुदेशित करता है, (क्रिसी भी रूप में जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति/समनुदेशन फीस है) आवेदक एनबीए को प्राप्त फीस का 3.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत और सेकटोरल अप्रोच के आधार पर समानुदेशिति/ अनुज्ञप्तिधारी से वार्षिक रूप से प्राप्त स्वामिस्व की रकम का 2.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत के बीच संदाय करेगा।

10. आईपीआर के वाणिज्यिकरण की दशा में आवेदक की बाध्यताएं -

- (1) कोई आवेदक, जिसे आईपीआर प्रदान किया गया है, जो भारत का नागरिक है या निगमित निकाय है, संगम या संगठन है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है और जिसकी शेयर पूंजी या प्रबंधन में किसी गैर भारतीय की सहभागिता नहीं है जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संबंधित एसबीबी को एसबीबी द्वारा विहित प्ररूप में पूर्व सूचना देगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा, यदि कोई हों, जो एसएसबी द्वारा संरक्षण और धारणीय उपयोग के हित में अधिरोपित की जाएं।
- (2) कोई आवेदक जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति है, जिसे आईपीआर प्रदान किया गया है और जो निगमित निकाय या कोई संगम या कोई संगठन है, जैविक विविधता नियम, 2004 के प्ररुप 1 में एनबीए को जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए आवेदन करेगा।
- 11. ऐसे जैविक संसाधनों जिन तक पहुंच की गई है और /या सहयुक्त जानकारी को अनुसंधान के लिए /वाणिज्यिक उपयोग के लिए तृतीय पक्षकार को अंतरित करने की प्रकिया—
 - (1) कोई व्यक्ति जो, जैविक संसाधनों को और /या सहयुक्त जानकारी को अंतरित करने का आशय रखता है जिसे विनियम 1 के अधीन तृतीय पक्षकार को अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहुंच प्रदान की गई है, जैविक विविधता नियम, 2004 के प्ररुप 4 में एनबीए को ऐसे तृतीय पक्षकार को अंतरण के लिए आवेदन करेगा।
 - (2) एनबीए उप विनियम (1) के अधीन आवेदन से समाधान हो जाने पर आवेदक हिस्सा बंटाने का करार करेगा जिसे पहुंच किए गए जैविक संसाधनों और / या उस विनियम में निर्दिष्ट सहयुक्त जानकारी के अंतरण के लिए अनुमोदन प्रदान करना समझा जाएगा।

- (2) Where the applicant himself commercialises the process/ product/ innovation, the monetary sharing shall be in the range of 0.2 to 1.0% based on sectoral approach, which shall be worked out on the annual gross ex-factory sale minus government taxes.
- (3) Where the applicant assigns / licenses the process / product / innovation to a third party for commercialisation, the applicant shall pay to NBA 3.0 to 5.0% of the fee received (in any form including the license / assignee fee) and 2.0 to 5.0% of the royalty amount received annually from the assignee / licensee, based on sectoral approach.

10. Obligations of applicant in the event of commercialisation of IPR. —

- An applicant, granted IPR, who is a citizen of India or a body corporate, association or organisation which is registered in India and not having any non-Indian participation in its share capital or management, shall give prior intimation to the concerned SBB for access to biological resources, in the form prescribed by the SBB, and shall comply with such terms and conditions, if any, imposed by the SBB in the interest of promoting conservation and sustainable use.
- (2) An applicant, granted IPR, who is a person or a body corporate or an association or an organization referred to under sub-section (2) of section 3 of the Act shall apply in Form I of the Biological Diversity Rules, 2004 to the NBA for access to biological resources.
- Procedure for transfer of accessed biological resource and/ or associated knowledge to third party for research/ commercial utilization. —
 - (1) Any person who intends to transfer the biological resources and/or associated knowledge which has been granted access under regulation 1 to a third party for research or for commercial utilization, shall apply to NBA in Form IV of the Biological Diversity Rules, 2004 for transfer to such third party.
 - (2) The NBA shall, on being satisfied with the application under sub-regulation (1), enter into a benefit sharing agreement with the applicant, which shall be deemed as grant of approval for transfer of accessed biological resource and/ or associated knowledge referred to in that sub-regulation.

- 12. जैविक संसाधनों जिन तक पहुंच की गई है और या सहयुक्त जानकारी को अनुसंधान / वाणिज्यिक उपयोग के लिए तीसरे पक्षकार को अंतरित करने का ढंग—
 - (1) आवेदक एनबीए को ऐसे धन और या गैर धनीय फायदे को संदाय करेगा जैसा कि आवेदक और एनबीए के बीच सहमित हो।
 - (2) आवेदक (अंतरक) एनबीए को किसी रकम और /या अंतरिती से प्राप्त राजस्व का करार की संपूर्ण अविध के दौरान फायदा बंटाने के रूप में 2.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत (सेक्ट्रल अप्रोच का अनुसरण करते हुए) का संदाय करेगा।
 - (3) जैविक संसाधन का उच्च आर्थिक मूल्य होते ही दशा में, आवेदक, एनबीए को एक अग्रिम संदाय का भी जैसा कि आवेदक और एनबीए के बीच सहमति हो, संदाय करेगा।
- 13. भारतीय अनुसंघानकर्ताओं / संस्थाओं द्वारा भारत से बाहर जैव वाणिज्यिक अनुसंघान करना या आपातकालीन प्रयोजनों के लिए अनुसंघान करना :-
 - (1) कोई भारतीय अनुसंधानकर्ता / सरकारी संस्था जो जैविक संसाधनों को अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट सहयोगी अनुसंधान से भिन्न आधारभूत अनुसंधान करने के लिए ले जाने / भेजने का आशय रखता है, एनबीए को इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररुप 'ख' में आवेदन करेगा।
 - (2) ंकोई सरकारी संस्था जो महामारी आदि से बचने के लिए कतिपय शीघ्र अध्ययन करने के लिए जैविक संसाधन भेजने का आशय रखता है, एनबीए को इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररुप 'ख' में आवेदन करेगा।
 - (3) एनबीए उप विनियम (1) या उप विनियम (2) के अधीन आवेदन से समाधान हो जाने पर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।
 - (4) उप विनियम (3) के अधीन एनबीए से अनुमोदन की प्राप्ति पर, आवेदन भारत से बाहर जैविक संसाधनों को ले जाने/भेजने से पूर्व अभिहित राष्ट्रीय निक्षेपागार को वाउचर नमूने जमा करेगा और ऐसे जमा की प्रति सबूत के रूप में एनबीए को पृष्ठांकित किया जाएगा।

14. फायदा बंटाने का अवधारणा —

(1) धनीय और गैर धनीय ढंग से फायदा बंटाना जैसी कि आवेदक और एनबीए / संबंधित एसबीबी के बीच सहमति हो, बीएमसी / फायदे का दावा करने वाले आदि के बीच परामर्श से किया जा सकेगा। ऐसे फायदा बंटाने के लिए विकल्प उपाबंध 1 में दिए गए हैं।

- Mode of benefit sharing for transfer of accessed biological resource and/ or associated knowledge to third party for research/ commercial utilization.—
 - (1) The applicant shall pay to the NBA such monetary and/ or non-monetary benefit, as agreed between the applicant and the NBA.
 - (2) Applicant (transferor) shall pay to the NBA 2.0% to 5.0 % (following a sectoral approach) of any amount and/ or royalty received from the transferee, as benefit sharing, throughout the term of the agreement.
 - (3) In case the biological resource has high economic value, the applicant shall also pay to the NBA an upfront payment, as mutually agreed between the applicant and the NBA.
- Conducting of non-commercial research or research for emergency purposes outside India by Indian researchers/ Government institutions.—
 - (1) Any Indian researcher/ Government institution who intends to carry/ send the biological resources outside India to undertake basic research other than collaborative research referred to in section 5 of the Act shall apply to the NBA in Form 'B' annexed to these regulations.
 - (2) Any Government Institution which intend to send biological resources to carry out certain urgent studies to avert emergencies like epidemics, etc., shall apply in Form 'B' annexed to these regulations.
 - (3) The NBA shall, on being satisfied with the application under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), accord its approval within a period of 45 days from the date of receipt of the application.
 - (4) On receipt of approval of the NBA under sub-regulation (3), the applicant shall deposit voucher specimens in the designated national repositories before carrying / sending the biological resources outside India and a copy of proof of such deposits shall be endorsed to NBA.

14. Determination of benefit sharing.—

(1) Benefit sharing may be done in monetary and/ or non-monetary modes, as agreed upon by the applicant and the NBA/ SBB concerned in consultation with the BMC/ Benefit claimer, etc. Options for such benefit sharing are provided in Annexure—1.

(2) फायदा बंटाने का अवधारण विचारणों पर आधारित होगा जैसे कि जैविक संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान और विकास के प्रक्रम, अनुसंधान के परिणाम के लिए संभावित बाजार अनुसंधान और विकास में पहले ही किए गए विनिधान की रकम उपयोग की गई प्रौद्योगिकी की प्रकृति अनुसंधान प्रारंभ करने से उत्पाद के विकास तक समय और प्राप्त की गई उल्लेखनीय उपलब्धियां तथा उत्पाद के वाणिज्यिकरण में अंतवर्लित जोखिम:

परंतु ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा जहाँ प्रौद्योगिकियों/उत्पादों का विकास महामारियों/बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए और मानव/प्राणी/पादप स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है।

- (3) फायदा बंटाने की रकम समान रहेगी चाहे अंतिम उत्पाद में एक या अधिक जैविक संसाधन अंतर्विष्ट हैं।
- (4) किसी उत्पाद के लिए, दो या अधिक एसबीबी के क्षेत्राधिकार से प्राप्त जैविक संसाधनों की दशा में उद्भूत फायदों की कुल रकम को उनकी बीच एनबीए द्वारा यथा विनिश्चित समानुपात में बांटा जाएगा।

15. फायदों का बंटाना-

- (1) जहाँ एनबीए द्वारा अनुमोदन अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या अनुसंधान के परिणाम के अंतरण के लिए या बौद्धिक संपदा अधिकारों या तृतीय पक्षकार अंतरण के लिए प्रदान किया जाता है, हिस्सा बंटाने का ढंग नीचे दिए अनुसार होगा—
 - (क) अद्भूत फायदों 5.0 प्रतिशत एनबीए को मिलेगा जिसमें से आधी रकम को एनबीए द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और शेष आधी रकम को प्रशासनिक प्रभारों के लिए संबंधित एसबीबी को दिया जा सकेगा।
 - (ख) उद्भूत फायदों का 95 प्रतिशत संबंधित बीएमसी को और / या फायदे का दावा करने वालों को मिलेगा :

परंतु जैविक संसाधन या जानकारी किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह या संगठन से प्राप्त करने की दशा में, इस खंड के अधीन रकम सीधे ऐसे व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह या संगठनों को किसी करार के निबंधनों के अनुसार और ऐसी रीति में जो ठीक समझी जाए, दी जाएगी:

परंतु यह और कि जहाँ फायदे का दावा करने वालों की पहचान नहीं की गई है, ऐसी निधि का उपयोग जैविक संसाधनों के संरक्षण और धारणीयता का उपयोग करने के लिए और उन स्थानीय व्यक्तियों के जीवन यापन का संवर्द्धन करने के लिए जहां संसाधन प्राप्त किए गए हैं, किया जाएगा।

- (2) Determination of benefit sharing shall be based on considerations such as commercial utilization of the biological resource, stages of research and development, potential market for the outcome of research, amount of investment already made for research and development, nature of technology applied, time-lines and milestones from initiation of research to development of the product and risks involved in commercialization of the product:
 - Provided that special consideration may be given to cases where technologies/products are developed for controlling epidemics/diseases and for mitigating environmental pollution affecting human/animal/plant health.
- (3) The amount of benefit sharing shall remain the same whether the end product contains one or more biological resources.
- (4) Where the biological resources of a product are sourced from the jurisdiction of two or more SBBs, the total amount of the accrued benefits shall be shared among them in proportion as decided by the NBA/SBBs concerned, as the case may be.

15. Sharing of benefits.-

- (1) Where approval has been granted by the NBA for research or for commercial utilization or for transfer of results of research or for Intellectual Property Rights or for third party transfer, the mode of benefit sharing shall be as under:—
 - (a) 5.0% of the accrued benefits shall go to the NBA, out of which half of the amount shall be retained by the NBA and the other half may be passed on to the concerned SBB for administrative charges.
 - (b) 95% of the accrued benefits shall go to concerned BMC(s) and/or benefit claimers:

Provided that where the biological resource or knowledge is sourced from an individual or group of individuals or organizations, the amount received under this clause shall directly go to such individual or group of individuals or organizations, in accordance with the terms of any agreement and in such manner as may be deemed fit:

Provided further that where benefit claimers are not identified, such funds shall be used to support conservation and sustainable use of biological resources and to promote livelihoods of the local people from where the biological resources are accessed.

(2) जहाँ अनुमोदन इन विनियमों के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है । एसबीबी उद्भूत फायदों का 5 प्रतिशत से अनिधक भाग का प्रशासनिक प्रभारों के लिए प्रतिधारण कर सकेगा और शेष हिस्सा संबंधित बीएमसी या फायदे का दावा करने वालों को, जहाँ उनकी पहचान की गई है, दे दिया जाएगा, परंतु यह कि जहाँ व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह या संगठनों की पहचान नहीं की जा सकती है, ऐसी निधियों का उपयोग जैविक संसादनों के संरक्षण और धारणीयता का उपयोग करने के लिए और उन स्थानीय व्यक्तियों के जीवन यापन का संवर्द्धन करने के लिए जहाँ संसाधन प्राप्त किए गए हैं, किया जाएगा।

एनबीए द्वारा प्राप्त आवेदनों को प्रकियागत् करना —

- (1) प्रत्येक आवेदन उसमें निर्दिष्ट संलग्नकों सहित सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण होगी।
- (2) अपूर्ण आवेदन जिनमें कोई सूचना जो विशिष्ट रूप से चाही गई है जिसके अंतर्गत अस्पष्ट प्रत्युत्तर, अपूर्ण प्रकटन, साक्ष्य का अभाव आदि हैं, को आवेदकों को लौटा दिया जाएगा।
- (3) आवेदनों को प्रक्रियागत करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा केवल तब प्रारंभ होगी जब आवेदन सभी परिप्रेक्ष्यों में जिसके अंतर्गत विहित फीस का प्राप्त करना है, पूर्ण हों।
- (4) आवेदन में किसी सूचना, जिसे गोपनीय विनिर्दिष्ट किया गया है, का प्रकटन जान बूझकर या अनजाने में किसी व्यक्ति को जो उससे संबंधित नहीं है, नहीं किया जाएगा।
- (5) एनबीए, किसी जैविक संसाधन (जिसे अंतर्गत पादप और /या प्राणी और /या उनके भाग या आनुवांशिक सामग्री या व्युतपन्न हैं) तक पहुंच के लिए किसी आवेदन का प्रसंस्करण करते हुए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकेगा, अर्थात् –

क्या जैविक संसाधन की-

- (i) कृषि की गई है या पालतु या वन्य हैं :
- (ii) दुर्लभ या स्थानीय या संकटापन्न या जोखिम में प्रजाति है,
- (iii) पहुंच सीधे प्रारंभिक संग्राहक के माध्यम से की गई है जो प्राकृतिक पर्यवास में रह रहा है या उसे मध्यवर्तियों जैसे व्यापारियों के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया है,
- (iv) विकास या अनुरक्षण पूर्व के आस-पास की परिस्थितियों के अधीन किया गया है,
- (v) स्थानीय समुदायों के जीवन यापन के लिए उच्च मूल्य / महत्ता है:
- (vi) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्बन्धित है :
- (vii) अधिनियम की धारा 40 के अधीन छूट प्राप्त है :

(2) Where approval has been granted by State Biodiversity Board under these regulations.—

The sharing of accrued benefits shall be as under.— the SBB may retain a share, not exceeding 5% of the benefits accrued towards their administrative charges and the remaining share shall be passed on to the BMC concerned or to benefit claimers, where identified:

Provided that where any individual or group of individuals or organizations cannot be identified, such funds shall be used to support conservation and sustainable use of biological resources and to promote livelihoods of the local people from where the biological resources are accessed.

16. Processing of applications received by NBA. —

- Every application shall be complete in all respects, including all the enclosures referred thereto.
- (2) Incomplete applications devoid of any relevant information specifically sought, including ambiguous replies, incomplete disclosure, absence of proof, etc., shall be returned to the applicants.
- (3) The time limit specified for processing the applications shall commence only when the application complete in all respects including fee prescribed is received.
- (4) Any information specified in the application as confidential shall not be disclosed, either intentionally or unintentionally, to any person not concerned thereto.
- (5) While processing the application for access to any biological resource (including plants and/ or animals and/or their parts or genetic material or derivatives), the NBA may consider the following factors, namely:-- Whether the biological resource is -
- (i) cultivated or domesticated or wild;
- (ii) rare or endemic or endangered or threatened species;
- (iii) accessed directly through the primary collectors living in natural habitat or obtained through intermediaries like traders;
- (iv) developed or maintained under ex-situ conditions;
- (v) of high value/importance to livelihoods of local communities;
- (vi) restricted under the Act or any other law for time being in force;
- (vii) exempted under section 40 of the Act;

- (viii) अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवंशिकी संसाधन संधि (आईटीपीजीआरएफए) जिसमें भारत एक संविदाकारी पक्षकार है, के उपाबंध 1 के अधीन सूचीबद्ध फसलों में शामिल हैं.
- (ix) संकटापन्न प्रजाति का अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट (सीआईटीईएस) में शामिल हैं।
- (6) एनबीए, जैविक संसाधनों और /या सहयुक्त जानकारी के उपयोग से संबंधित आवेदन पर की विनिश्चय करते समय एसबीबी, बीएमसी, जिनकी अधिकारिता के भीतर जैविक संसाधन और /या जानकारी उद्भूत होती है, से परामर्श कर सकेगा।
- (7) एनबीए जैविक विविधता नियम, 2004 के नियम 16 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से जैविक संसाधनों तक पहुंच के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा ।
- (8) किसी आवेदन की प्राप्त पर एनबीए ऐसी जांच कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे और यदि आवश्यक हो तो वह इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से परामर्श कर सकेगा।
- (9) एनबीए, ऐसी जांच और / या उप विनियम (8) में निर्दिष्ट परामर्श करने पर आदेश द्वारा अनुमोदन प्रदान कर सकेगा या आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा: परंतु जहाँ एंनबीए ने ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, ऐसे अस्वीकार करने के कारणों को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात्, लेखबद्ध किया जाएगा।
- (10) एनबीए द्वारा किया गया अनुमोदन एनबीए को सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी, आवेदक और यथा लागू अन्य के बीच हस्ताक्षरित लिखित करार के रूप में होगा: परन्तु एनबीए गैर वाणिज्यिक अनुसंधान करने या भारत से बाहर भारतीय अनुसंधानकर्ताओं / संस्थाओं द्वारा विनियम 13 के अधीन आपातकालीन प्रयोजनों के लिए अनुसंधान करने के लिए बिना किसी लिखित करार के अनुमोदन प्रदान कर सकेगा।
- (11) एनबीए, किसी शिकायत के आधार पर या स्व प्रेरणा से पहुंच के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगा और जैविक विविधता नियम, 2004 के नियम 15 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों पर लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकेगा, परंतु ऐसे प्रतिसंहण के आदेश की प्रति संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड को और जैव

विविधता प्रबंधन समितियों को पहुंच को प्रतिषिद्ध करने के प्रयोजन के लिए जारी की जाएगी।

(12) जहाँ आवेदक द्वारा आवेदन को वापस लेने के लिए अनुरोध किया जाता है या आवेदन

(12) जहाँ आवेदक द्वारा आवेदन को वापस लेने के लिए अनुरोध किया जाता है या आवेदन अनुबद्ध समय के भीतर एनबीए के प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने में असफल रहता है, एनबीए

- (viii) included in crops listed under Annex I to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), to which India is a contracting party;
- included in the Appendices of the Convention on International Trade on Endangered Species (CITES).
- (6) The NBA while taking any decision on the application relating to the use of biological resources and/or knowledge associated thereto may consult through the SBBs, the BMCs within whose jurisdiction the biological resources and/or the knowledge occur.
- (7) The NBA shall reject the application requesting access to biological resources for the reasons specified under rule 16 of the Biological Diversity Rules, 2004.
- (8) On receipt of application, the NBA may make enquiries, as it may deem fit, and if necessary, may consult an expert committee constituted for this purpose.
- (9) The NBA may upon such enquiry and/or consultation referred to in sub-regulation (8), by order, grant approval or reject the application: Provided that where the NBA has rejected such application, the reasons for such rejection shall be recorded in writing after giving an opportunity of being heard to the applicant.
- (10) Approval granted by the NBA shall be in the form of written agreement duly signed by an authorised officer of the NBA, the applicant and others as applicable:
 - Provided that the NBA may grant approval without a written agreement for the purposes of conducting of non-commercial research or research for emergency purposes outside India by Indian researchers/ Government institutions under regulation 13.
- (11) Based on any complaint or suo moto, the NBA may withdraw the approval granted for access and revoke the written agreement on the grounds specified under rule 15 of the Biological Diversity Rules, 2004:
 - Provided that a copy of the order of such revocation shall be issued to the concerned State Biodiversity Board and the Biodiversity Management Committees for the purposes of prohibition of access.
- (12) Where a request has been made by the applicant for withdrawal of his

आवेदनों को बंद कर देगा या इस अधिनियम के अधीन जैसा वह उचित समझे कार्रवाई प्रारंभ करेगा :

परंतु यह कि यदि आवेदक आवेदन को पुनर्जीवित करना चाहता है तो वह अपेक्षित फीस के साथ नया आवेदन करेगा।

टिप्पणः जैविक संसाधनों तक पहुंच या सहयुक्त जानकारी, मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए भरने के लिए आवेदन फार्म और करार के फार्म एनबीए की वेबसाईट—www.nbaindia.org पर उपलब्ध हैं।

17. एनबीए या एसबीबी से छूट प्राप्त कतिपय कार्यकलाप या व्यक्ति-

निम्नलिखित कार्यकलाप या व्यक्तियों को एनबीए या एसबीबी के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी। अर्थात् :--

- (क) जैविक संसाधनों और /या सहयुक्त जानकारी को, जो भारत में उद्भूत हो रही है या भारत में अभिप्राप्त है, अनुसंधान या जैविक सर्वेक्षण और भारत में अनुसंधान के लिए जैव उपयोग के लिए पहुंच करते हुए भारतीय नागरिक या निकाय:
- (ख) सहयोगकारी अनुसंधान परियोजनाएं, जिनमें जैविक संसाधनों या संबंधित जानकारी का अंतरण या विनिमय अंतवर्लित है, यदि ऐसी सहयोगकारी अनुसंधान परियोजनाओं को राज्य या केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है और वे ऐसी सहयोगकारी अनुसंधान परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नीति मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप हैं;
- (ग) क्षेत्र के स्थानीय लोग और समुदाय, जिनके अंतर्गत जैविक संसाधनों को उगाने वाले और उनकी कृषि करने वाले सिवाय बौद्धिक संपदा अधिकार अभिप्राप्त करने के, तथा स्वदेशी औषधि का व्यवसाय करने वाले वैद्य और हकीम भी हैं;
- (घ) पारंपरिक प्रजनन या भारत में किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशु पालन या मधु मक्खी पालन के लिए पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग;
- (ङ) अनुसंधान पेपरों का प्रकाशन या किसी सेमिनार या कार्यशाला में जानकारी का प्रसार यदि ऐसा प्रकाशन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्वांतों के अनुसार हैं;
- (च) मूल्यवर्धित उत्पाद, जो ऐसे उत्पाद हैं जिनमें पादपों और प्राणियों का निष्कर्षण पहचानी न जा सकने वाली और भौतिक रूप से अलग न किए जा सकने वाले रूप में है; और
- (छ) जैविक संसाधन, जिनका साधारणतया व्यापार केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 40 के अधीन अधिसूचित सामग्रियों के रूप में होता है।

(फा.सं.एनबीए / टेक / 2 / 11) हेम पाण्डे, अध्यक्ष application or the applicant fails to respond to queries of the NBA within the stipulated time, the NBA shall close the applications or initiate action under these regulations as it deems appropriate:

Provided that if the applicant wishes to revive the application, he shall make a fresh application with the requisite fee.

Note: Application forms for access to biological resources and/ or associated knowledge, guidelines for filling them and form of agreements, are available in the NBA website: www.nbaindia.org.

 Certain activities or persons exempted from approval of NBA or SBB.—

The following activities or persons shall not require approval of the NBA or SBB, namely:--

- (a) Indian citizens or entities accessing biological resources and/ or associated knowledge, occurring in or obtained from India, for the purposes of research or bio-survey and bio-utilization for research in India:
- (b) collaborative research projects, involving the transfer or exchange of biological resources or related information, if such collaborative research projects have been approved by the concerned Ministry or Department of the State or Central Government and conform to the policy guidelines issued by the Central Government for such collaborative research projects;

(c) local people and communities of the area, including growers and cultivators of biological resources, and vaids and hakims, practising indigenous medicine, except for obtaining intellectual property rights;

 accessing biological resources for conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping, in India;

(e) publication of research papers or dissemination of knowledge, in any seminar or workshop, if such publication is in conformity with the guidelines issued by the Central Government from time to time;

- accessing value added products, which are products containing portions or extracts of plants and animals in unrecognizable and physically inseparable form; and
- (g) biological resources, normally traded as commodities notified by the Central Government under section 40 of the Act.

[F.No. NBA/Tech/2/11] HEM PANDE, Chairman

प्ररुप क

(विनियम 2 देखिए)

आवेदक द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

स्वतः प्रकटन

वैज्ञानिक नाम :				-
व्यापार किए जाने वाले पादप	। या प्राणी या उनव	क्रे भाग :		
पहुंच का विशिष्ट प्रयोजन :				
अवस्थिति / स्रोत जहां से	मात्रा किलो	दर प्रति	राज्य जैविक	भावी क्रेता/
उपाष्त किए गए हैं*	ग्राम में	इकाई	विविधता बोर्ड	उपभोगकर्ता
				(यदि ज्ञात हों)

*स्थानीय निकाय / बीएससी, यदि पहले ही पहचान कर ली गई है तो सूची संलग्न करें

वचनबंध

- मैंने एबीएस मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा मैं जैविक संसाधनों को लागू सुसंगत विधिक उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।
- मैं कथित प्रयोजन में कोई परिवर्तन करने से पूर्व एनबीए / एसबीबी का अनुमोदन अभिप्राप्त करने का वचन देता हूँ।
- मैं, एनबीए / एसबीबी को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने / दिखाने का, जब भी अपेक्षा हो, वचन देता हूँ।
- 4. मैं यह और घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दी गई सूचना सत्य और सही है तथा मैं किसी असत्य / गलत जानकारी और जानबूझकर तथ्यों को छिपाने के लिए उत्तरदायी होउंगा।

हस्ताक्षर

व्यापारी / कंपनी / विनिर्माता / प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम व्यापारी / कंपनी / विनिर्माता के पूरे पते के साथ फोन नं. और ई-मेल का पता

स्थान

तारीख

FORM A

(See regulation 2)

Information to be furnished for use of biological resources by the applicant Self-disclosure

Scientific Name :				-0.01
Plants or animals or part	s thereof traded:		The state of the s	
Specific purpose of acce	ss:			
Locations / source from	Overstitu in Man	Data sas vait	Ctata Diadicaraito	Decementive
Locations / source from I	Quantity in Kgs	Rate per unit	State Biodiversity	Prospective
			-	- " "
where procured*			Board	Buyers/Users (if known)

Undertaking

- I have read and understood the terms and conditions of ABS guidelines and I undertake to abide by relevant legal provisions applicable to biological resource.
- I undertake to obtain the approval of the NBA/ SBB before making any change in the stated purpose.
- I undertake to furnish/ share the relevant records with the NBA/ SBB, as and when required.
- I further declare that the Information provided in the form is true and correct and I shall be liable for any incorrect/ wrong information and wilful suppression of the facts.

Signature

Name of the trader/ company/manufacturer/ Authorized Representative Complete Address of the trader/ company/ manufacturer along with phone number and email address

Place

Date

^{*}List of local body/BMCs, if already identified shall be attached.

प्ररुप ख (देखिए विनियम 13)

भारतीय अनसंधानकर्ताओं / संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए गैर वाणिज्यिक अनुसंधान या आपातकालीन प्रयोजनों के लिए अनुसंधान

1.	आवेदक का नाम (भारतीय अनुसंधानकर्ता / संस्था)	
2.	पूरा पता*	
	क. स्थायी	.4
	ख. वर्तमान	-28
3.	भारत में संस्थान का पता	
4.	भारत में कार्य स्थल पर संस्था के पर्यवेक्षक या अध्यक्ष का नाम	
5.	संस्थान या संगठन का नाम और संपर्क के ब्यौरे जो प्रस्तावित अनुसंधान का मार्गदर्शन करेगा/जैविक संसाधनों को प्राप्त करेगा,	
6.	संस्थान या संगठन के पर्यवेक्षक के ब्यौरे जो प्रस्तावित अनुसंधान का मार्गदर्शन करेगा/जो जैविक संसाधनों का प्राप्तकर्ता है	
7.	प्रस्तावित अध्ययन की सहायता करने वाले वित्त पोषण अभिकरण का नाम	
8.	अनुसंधान का संक्षिप्त विवरण	
9.	अनुसंधान के लिए साथ ले जाए जाने वाले या भेजे जाने वाले प्रस्तावित जैविक संसाधनों के ब्यौरे	
	(i) जैविक संसाधन का नाम (वैज्ञानिक / सामान्य नाम)	
	(ii) संग्रहण की अवस्थिति	
	(iii) अपेक्षित मात्रा	
10	(iv) अनुसंधान की अवधि	
10.	यदि ये आपातकालीन प्रयोजन के लिए है तो ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।	

*स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित पते / पहचान के सबूत जैसे कि आधार कार्ड / पेन कार्ड / पासपोर्ट आदि संलग्न करें।

वचनबंध

मैं.पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति आयु में निवास कर रहा हूँ, मैं स्थायी पहचान सं....... (पेन कार्ड / आधार कार्ड / पास पोर्ट आदि) का धारक हूँ, एतद्वारा घोषणा करता हूँ

Form B

(See regulation 13)

Conducting of non-commercial research or research for emergency purposes outside India by Indian researchers/Government institutions using the biological resources

1	Name of the Applicant (Indian researcher/ Government Institution)
2	Complete Address *
	a. Permanent
	b. Present
3	Name and address of Institution in India
4	Name of the Supervisor or Head of Institution at the place of work in India
5	Name and contact details of the Institution or organization who
	shall guide the proposed research / receiving the biological resources.
6	Details of the Supervisor or Head of Institution or organization
	who guides the proposed research or recipient of the biological resources
7	Name of the funding agency supporting the proposed research
8	Brief description of the research
9	Details of biological resources proposed to be carried along or sent
	for the research
	i. Name of the biological resource (scientific/ common name)
	ii. Location of collection (Village/Taluk/Dist./State)

Uı	٦d	er	ta	ki	ng	

	Ι,	Son/Daughter/Wife/Husband of			
aged	_residing	at	in	holding a	permanent.
I.D.No_	(P	AN Card	Aadhaar Card/ Passpor	t, etc,) hereby declar	re

^{*} Attach self-attested address / ID proof such as Aadhaar card/ PAN card / Passport, etc.

कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और सत्य है। मैं एतद द्वारा पुष्टि करता हूँ कि जैविक संसाधनों का उपयोग केवल आवेदन में कथित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा। मैं किसी सहयोगकर्ता की प्रसुविधा / प्रयोगशाला में एनबीए का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी जैविक संसाधन को नहीं बांटूंगा / उपलब्ध कराउंगा / छोडूंगा / रहने दूंगा। मैं अपने पर्यवेक्षक और सहयोकर्ता के साथ व्यष्टिक रूप से और पृथक रूप से घोषणा करता हूँ कि न तो जैविक संसाधनों और सहयुक्त पारंपरिक जानकारी जिसका उपयोग अनुसंधान / सहयोग में किया गया है, का वाणिज्यिक उपयोग करुंगा न ही उस पर कोई आईपीआर दावा करुंगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेंगे। इस कार्यकलाप से उद्भूत परिणामों, प्रक्रियाओं, उत्पादों या अन्य नतीजों को हम अनुसंधान के दौरान और अनुसंधान के पूरा होने पर एनबीए के साथ सुसंगत दस्तावेजों और प्रकाशनों की प्रति के साथ बांटेंगे।

	रामार
	तारीख
	स्थान
संस्था के प	र्यवेक्षक / अध्यक्ष द्वारा घोषणा
मैं के रूप में में (संस्था	का नाम) पुष्टि करता हूँ कि
웨 / 링 / 웨버리 / 전체 립킨 I	देए गए ब्योरे सत्य और सही है।
श्रा / डा. / श्रामता / सुश्रा द्वारा ।	देए गए ब्यौरे सत्य और सही हैं।
श्रा / डा. / श्रामता / सुश्रा द्वारा । तारीख	देए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता / सहयोगकर्ता द्वारा घोषणा

 that all the information provided above is correct and true. I hereby affirm that the biological resources shall be used only for the purposes as stated in the application. I shall not share/provide/part/leave behind any biological resource at my collaborator's facility/ laboratory without approval of the NBA. I, along with my supervisor and collaborator, individually and severally declare that we shall not put to commercial utilization, nor shall seek any IPR claim on the biological resources and associated traditional knowledge used in this research/ collaboration. In case such a situation arises we shall apply to National Biodiversity Authority to seek prior approval. Results, process (es), products or other outcomes arising out of this activity shall be shared with the NBA during and/ or upon completion of research intended along with the copy of relevant documents and publications.

- 19 CH 19 10 CH 19 TH 19 CH 1		Sign	ature:	
				••••
		P	lace:	
Declaration	n by the Supervisor			
I,	working as	in		(Name of
institution) confirm that t	the details provided b	y Mr/Dr/Mrs/	/Ms	are
true and correct.	**			
Date:		Signature:		141
Place:		Designation:		
		Official Seal: .		
Declar	ation by the Recipie	nt / Collabor	ator	927
and the second s	working as			(Name
of Institution / Organization) I the biological resources for	nereby affirm that I or or the purposes as star	my institution ted in the app	/ organiza lication ar	ation shall use nd which were
sent by				
Mr./Dr./Mrs./Ms		100		
full after the completion of	the studies/ partners	hip or upon co	ompletion	of the studies
the biological resources s	hall be sent back to the	e institution fr	om where	the biologica
resources were received a	as the case may be. I	or the instituti	on I am a	ssociated with
shall not claim any owner	ship under instant app	olication nor s	hall claim	any IP Rights
over the biological resou	rces, derivatives or o	ther such co	mponents	s without prio

बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा करेंगे।

	हस्ताक्षर
	पदनाम
कार्यालय क	ो मुहर
	उचातंत्र 1

उचित और साम्यापूर्ण फायदा बंटाने के विकल्प

निम्नलिखित विकल्पों को या तो एक या अधिक को आवेदक और एनबीए के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों के आधार पर मामला दर मामला के आधार पर जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 20 के उप नियम (3) के केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से अनुमोदित किए जाएं, को भी अंगीकार किया जा सकता है,

क. धनीय फायदे विकल्प:

- (i) अग्रिम संदाय,
- (ii) एक मुश्त संदाय,
- (iii) मुख्य उपलब्धियों पर संदाय,
- (iv) स्वामित्व और उद्भूत फायदों को बांटना,
- (v) अनुज्ञप्ति फीसों को बांटना,
- (vi) राष्ट्रीय, राज्य का स्थानीय जैव विविधता निधियों में अंशदान,
- (vii) भारत में अनुसंधान और विकास वित्त पोषण,
- (viii) भारतीय संस्थाओं और कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम,
- (ix) सुसंगत बौद्धिक संपदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व,

(ख) गैर धनीय फायदों का विकल्प

- सांस्थानिक सक्षमता वर्धन का उपबंध करना जिसके अंतर्गत धारणीय उपयोग पर प्रशिक्षण अवसंरचना का सृजन और जैविक संसाधनों के संरक्षण और धारणीयता से संबंधित विकास कार्य हाथ में लेना,
- (ii) प्रौद्योगिकी का अंतरण या भारतीय संस्थाओं / व्यष्टिकों / निकायों के साथ अनुसंधान और विकास के परिणामों को बांटना,
- (iii) प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण और भारत को प्रौद्योगिकियों का अंतरण और/या भारतीय संस्थाओं/ व्यष्टिकों/निकायों के साथ सहयोगकारी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

approval of the applicant, institution a	ffiliated and the National Biodiversity Authority.
	Signature:
	Designation:
	Official Seal:
	Annexure 1

Fair and equitable benefit sharing options

The following options, either one or more, may be applied in accordance with mutually agreed terms between the applicant and the NBA, on a case by case basis, in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 20 of the Biological Diversity Rules, 2004. These options are indicative in nature and other options, as approved by the NBA in consultation with the Central Government, may also be adopted:

(a) Monetary benefits options:

- (i) Up-front payment;
- (ii) One-time payment;
- (iii) Milestone payments;
- (iv) Share of the royalties and benefits accrued;
- (v) Share of the license fees;
- (vi) Contribution to National, State or Local Biodiversity Funds;
- (vii) Funding for research and development in India;
- (viii) Joint ventures with Indian institutions and companies;
- (ix) Joint ownership of relevant intellectual property rights.

(b) Non-monetary benefits options:

- Providing institutional capacity building, including training on sustainable use practices, creating infrastructure and undertaking development of work related to conservation and sustainable use of biological resources;
- (ii) Transfer of technology or sharing of research and development results with Indian institutions/ individuals/entities;
- (iii) Strengthening of capacities for developing technologies and transfer of technology to India and/or collaborative research and development programmes with Indian institutions/ individuals/ entities;

- (iv) भारत में जैविक संसाधनों के संरक्षण और भरणीयता उपयोग पर शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित अंशदान / सहयोग;
- (v) उत्पादन, अनुसंधान और विकास एककों की अवस्थिति और उस क्षेत्र में प्रजातियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए उपाय जहाँ जैविक संसाधनों तक पहुंच की गई हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में अंशदान और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन;
- (vi) जैविक संसाधनों के संरक्षण और भरणीय उपयोग जिसके अंतर्गत जैविक सूचियां और वर्गीकरण से सुसंगत वैज्ञानिक जानकारी को बांटना भी है;
- (vii) भारत में पूर्वीकता आवश्यकताओं की ओर निदेशित अनुसंधान का संचालन जिसके अंतर्गत खाद्य, स्वास्थ्य और जैविक संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जीवन यापन सुरक्षा भी है;
- (viii) अध्येता वृत्तियों, सहायता और वित्तीय सहायता का भारतीय संस्थाओं / व्यष्टियों को उन क्षेत्रों / जनजातियों / पंथों जो जैविक संसाधनों और पश्चातवर्ती लाभ, यदि कोई है के परिदान में योगदान कर रहे हैं, का उपबंध करना;
- (ix) फायदा दावाकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जोखिम पूंजी निधि की स्थापना;
- (x) फायदे का दावा करने वालों को धनीय प्रतिकर और अन्य गैर धनीय फायदों का संदाय करना, जैसा कि एनबीए उपयुक्त समझें।

000

- (iv) Contribution/ collaboration related to education and training in India on conservation and sustainable use of biological resources;
- (v) Location of production, research, and development units and measures for conservation and protection of species in the area from where biological resource has been accessed, contributions to the local economy and income generation for the local communities;
- (vi) Sharing of scientific information relevant to conservation and sustainable use of biological diversity including biological inventories and taxonomic studies;
- (vii) Conducting research directed towards priority needs in India including food, health and livelihood security focusing on biological resources;
- (viii) Providing scholarships, bursaries and financial aid to Indian institutions/ individuals preferably to regions, tribes/ sects contributing to the delivery of biological resources and subsequent profitability if any;
- Setting up of venture capital fund for aiding the cause of benefit claimers;
- (x) Payment of monetary compensation and other non-monetary benefits to the benefit claimers as the NBA may deem fit.

000

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2015

क्रमांक एफ 08–04/2011/10–2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) की धारा 63 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम, 2015 कहलायेंगे।
- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18),
 - (ख) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 की उप—धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण;
 - (ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उप—धारा (1) के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड;
 - (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उप–धारा (4) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष;
 - (ङ) ''समिति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 41 की उप—धारा (1) के अधीन स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित जैव विविधता प्रबंधन समिति;
 - (च) "विशेषज्ञ सदस्य" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य तथा इसमें इसका अध्यक्ष सम्मिलित है;
 - (छ) "शुल्क" से अभिप्रेत है इन नियमों में नियत कोई शुल्क;
 - (ज) "प्ररुप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररुप;
 - (झ) "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत है बोर्ड का सदस्य-सचिव;
 - (ञ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की घारा;
 - (ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

FOREST DEPARTMENT

Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 1st June 2015

No. 08-04/2011/10-2.—In exercise of the powers conferred by the subsection (1) of Section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003), the State Government, hereby, makes the following rules relating to implementation of Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003) in the State of Chhattisgarh, namely:—

RULES

Short title and commencement.—

- These Rules may be called (Chhattisgarh Biological Diversity Rules, 2015).
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.—

- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003);
 - (b) "Authority" means the National Biodiversity Authority established under sub-section (1) of Section 8 of the Act;
 - (c) "Board" mean the Chhattisgarh State Biodiversity Board established under sub-section (1) of Section 22 of the Act;
 - (d) "Chairperson" means the Chairperson of the State Biodiversity Board appointed under clause (a) of sub-section (4) of Section 22 of the Act;
 - (e) "Committee" means Biodiversity Management Committee established by the local bodies under sub-section (1) of Section 41 of the Act;
 - (f) "Expert Member" means member of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board, as the case may be and includes the Chairperson thereof;
 - (g) "Fee" means any fee stipulated in these Rules;
 - (h) "Form" means form appended to these Rules;
 - (i) "Member Secretary" means the Member-Secretary of the Board;
 - (j) "Section" means a section of the Act;
 - (k) "State Government" means the Government of Chhattisgarh;

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और जो अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति :--

- (1) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- (2) उप—िनयम (1) के अधीन जैव विविधता के मुद्दों पर अपेक्षित ज्ञान तथा विशेषज्ञता रखने वाले राज्य सरकार के सेवारत अधिकारी, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा कोई विख्यात व्यक्ति, जिसे जैव विविधता के संरक्षण, पोषणीय उपयोग और लाभों के साम्यपूर्ण विभाजन का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हो, बोर्ड का अध्यक्ष होगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की दशा में, आवेदक राज्य सरकार के प्रमुख सचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए:
- (3) राज्य सरकार, अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने हेतु एक समिति गठित कर सकेगी;

" 4. अध्यक्ष की पदावधि :--

- बोर्ड का अध्यक्ष, तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पांत्र होगा। परन्तु अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा;
- अध्यक्ष, राज्य सरकार को कम से कम एक मास की लिखित सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा;
- (3) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह—
 - (क) दिवालिया निर्णित किया गया है; या
 - (ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या
 - (ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया हो; या
 - (घ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित के लिये अहितकर है; या
 - (ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ता हो;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defineed in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Manner of selection and appointment of the Chairperson.—

- (1) The Chairperson of the Board shall be appointed by the State Government;
- (2) The Chairperson of the Board under sub-section (1) shall be a serving officer of the State Government on deputation basis with requisite knowledge and expertise on issues of biological diversity or an eminent person having adequate knowledge and experience in the conservation, sustainable use of biodiversity and equitable sharing of the benefits. In case, the appointment is on deputation, the applicant should not be below the rank of Principal Secretary to the State Government;
- (3) The State Government may Constitute a Committee to prepare a panel of suitable candidates for the post of the Chairperson.

Term of Office of the Chairperson.—

- (1) The Chairperson of the Board shall hold the office for a terms of three years and shall be eligible for re-appointment: Provided that no Chairperson shall hold office beyond the age of 65 years.
- (2) The Chairperson may resign from his office by giving at least one month notice in writing to the State Government.
- (3) The Chairperson can be removed from his office by the State Government if he/she has—
 - (a) been adjudged as an insolvent; or
 - (b) been convicted of an offence which involves moral turpitude; or
 - become physically or mentally incapable of acting as member;
 or
 - (d) abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or
 - (e) acquired such financial or other interest which is prejudicial to his functions as Chairperson

परंतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न के अधिकारी द्वारा सम्यक् तथा उचित जांच किये बिना एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, उप—नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, अध्यक्ष को उसके पद से नहीं हटाया जायेगा।

अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते—

10

- (1) अध्यक्ष, प्रतिमाह निश्चित वेतन, जो एच.ए.जी.+ वेतन्नमान (रु. 75500-80000) प्रति माह के अधिकतम वेतन के समतुल्य होगा, का हकदार होगा, सेवानिवृत्त व्यक्ति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की दशा में, उसका वेतन ऐसे व्यक्तियों को यथा लागू राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
- (2) अध्यक्ष ऐसे भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास तथा अन्य ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किये जायें।

6. विषेशज्ञ सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि और भत्ते-

- (1) जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) के विषयों के विशेषज्ञों में से पांच सदस्य नियुक्त किए जाएंगे,
- (2) राजपत्र में उनकी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से, एक समय में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बोर्ड के प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य, अपना पद धारण करेंगे।
- (3) राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह-
 - (क) दिवालिया निर्णित किया गया है; या
 - (ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धिदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
 - (ग) शारीरिक या मानिसक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया है; या
 - (घ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित के लिये अहितकर है; या
 - (ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

परंतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न के अधिकारी द्वारा सम्यक

Provided that the Chairperson shall not be removed from his office on any ground specified in sub-section (3), without a due and proper enquiry by an officer not below the rank of Principal Secretary to the Government of Chhattisgarh and without giving a reasonable opportunity of being heard.

Pay and Allowances of the Chairperson.—

- (1) The Chairperson shall be entitled to fixed pay equivalent to the maximum of HAG+pay scale (Rs. 75500-80000) per month. In case, a retired person is appointed as Chairperson, his pay shall be fixed in accordance with the orders of the State Government as applicable to such persons;
- (2) The Chairperson shall be entitled to such allowances, leave, provident fund, house and other perquisites etc. as may be determined by the State Government from time to time.

Appointment, Term of office and Allowances of Expert Member.—

- (1) Five members shall be appointed from experts in matters of conservation of biological diversity, sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources;
- (2) Every Expert Member of the Board shall hold his office for a term not exceeding three years at a time, from the date of publication of his appointment in the Official Gazette;
- (3) The Expert Member can be removed from his office by the State Government if he/she has—
 - (a) been adjudged as an insolvent; or
 - (b) been convicted of an offence which involves moral turpitude; or
 - (c) become physically or mentally incapable of acting as member; or
 - (d) abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or
 - (e) acquired such financial or other interest which is prejudicial his functions as an expert member:

- तथा उचित जांच किये बिना एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, विशेषज्ञ सदस्य को उसके पद से नहीं हटाया जायेगा;
- (4) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य, बैठक भत्ते, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ते एवं ऐसे अन्य भत्ते, जैसा कि ऐसे आयोग या समितियों की बैठक में उपस्थित होने वाले राज्य शासन के आयोगों एवं समितियों के गैर शासकीय सदस्यों को लागू हों, के हकदार होंगे.

विषेशज्ञ सदस्य की रिक्तियों का भरा जाना—

- (1) बोर्ड का कोई विशेषज्ञ सदस्य, राज्य सरकार को लिखित में सूचना देते हुए किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और बोर्ड में उस सदस्य का पद (सीट) रिक्त हो जायेगा;
- (2) बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नई नियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा तथा रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नामांकित किया गया है, केवल शेष कालावधि के लिए ही पद धारण करेगा.

पदेन सदस्यों की नियुक्ति – पांच पदेन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी–

- (एक) तीन पदेन सदस्य, निम्नलिखित विभागों, / संस्थाओं से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्-
 - (क) कृषि विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (ख) पशु पालन विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (ग) मत्स्योद्योग विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (घ) उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ;
 - (ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ:
 - (च) संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (छ) पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़;
 - (ज) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग;
 - (झ) छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड, रायपुर:
 - (ञ) छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, रायपुर;
 - (ट) आदिमजाति कल्याण विभाग, छत्तीसगढ.

- on any ground specified in sub-section (3), without a due and proper enquiry by an officer not below the rank of Principal Secretary to the Government of Chhattisgarh and without giving a reasonable opportunity of being heard.
- (4) Every Expert Member attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official member of Commissions and Committees of the State Government attending the meeting(s) of such Commissions or Committees.

Filling up of vacancies of Expert Member.—

- (1) An Expert Member of the Board may resign from his office at any time by giving a notice in writing to the State Government and the seat of that member in the Board shall become vacant;
- (2) An unexpected vacancy in the Board shall be filled up by a fresh appointment and the person appointed to fill the vacancy shall hold office only for the remaining period of the member, in whose place he is nominated.
- 8. **Appointment of the Ex-officio Members.**—Five Ex-officio members shall be appointed by the State Government in following manner.—
 - (I) Three Ex-officio members shall be appointed from the following department/organizations, namely:—
 - (a) Department of Agriculture, Chhattisgarh;
 - (b) Department of Animal Husbandry, Chhattisgarh;
 - (c) Department of Fisheries, Chhattisgarh;
 - (d) Department of Horticulture, Chhattisgarh;
 - (e) Council of Science and technology, Chhattisgarh;
 - (f) Department of Culture and Tourism, Chhattisgarh;
 - (g) Department of Environment, Chhattisgarh;
 - (h) Department of Indian System of Medicines and Homeopathy;
 - (i) Chhattisgarh State Medicinal Plant Board, Raipur;
 - (j) Chhattisgarh State Forest Research and Training Institute, Raipur;
 - (k) Department of Tribal Welfare, Chhattisgarh.

- (दो) जैव विविधता के कार्यों की देख-रेख करने वाले वन विभाग, छत्तीसगढ़ का प्रमुख;
- (तीन) बोर्ड का सदस्य सचिव;
- बोर्ड का मुख्यालय बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा।
- 10. बोर्ड का सदस्य सचिव-

10

- (1) राज्य के वन विभाग के मुख्य संरक्षक, अतिरिक्त प्रमुख मुख्य संरक्षक को राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा उसकी नियुक्ति की अविध एवं शर्ते, राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी;
- (2) सदस्य सचिव, बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा। वह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा उनके मार्गदर्शन के अनुसार निर्मुक्त निधियों का भी उपयोग करेगा:
- (3) बोर्ड द्वारा जारी समस्त आदेश या निर्देश, सदस्य सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षराधीन होंगे;
- सद्स्य सचिव या तो स्वयं या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से, अनुमोदित बजट पर, समस्त भुगतानों को स्वीकृत तथा संवितरित कर सकेगा;
- (5) सदस्य सचिव को प्राक्कलनों, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई है या जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति देने की शक्तियाँ, सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित की गई हैं, की तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति होगी;
- (6) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त गोपनीय पत्रों का भारसाधक होगा तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, बोर्ड / राज्य सरकार द्वारा जब कभी भी इस प्रकार निर्देशित किया जाए, वह ऐसे पत्रों को प्रस्तुत करेगा;
- (7) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अभिलेख, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्रम से अनुसार लिखने के पश्चात् संधारित करेगा;
- (8) सदस्य सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि उसे बोर्ड द्वारा समय—समय पर प्रत्यायोजित किया जाये।

- (II) Head of the Department of Forest, Chhattisgarh dealing with the affairs of Biodiversity;
- (III) Member Secretary of the Board.
- Head Office of the Board.—The Head Office of the Board shall be at Raipur.

Member Secretary of the Board.—

- (1) Chief Conservator/Additional Principal Chief Conservator of Forests from State Forest Department shall be appointed as the Member Secretary of the Board by the State Government on deputation basis. His terms and conditions of appointment shall be determined by the State Government;
- (2) The Member Secretary shall be responsible for day to day administration of the Board. He/She shall also be responsible for implementation of various activities or programmes approved by the Board.
 - He/She may also utilize funds released by National Biodiversity Authority as per their direction;
- (3) All orders or directions issued by the Board shall be under the signature of the Member Secretary or any other officer authorized in this behalf by the Board;
- (4) The Member Secretary either himself or through an officer authorized for the purpose may sanction and disburse all payments against the approved budget;
- (5) The Member Secretary shall have power to give technical sanctions to the estimates for which administrative sanction has been given by the Board or for which powers of administrative sanction has been delegated to the Member Secretary;
- (6) The Member Secretary shall be in charge of all the confidential papers of the Board and shall be responsible for their safe custody. He shall produce such papers whenever so directed by the Board/ State Government;
- (7) The Member Secretary shall maintain the records of confidential reports of all the officers and staff of the Board after having been written as per channel specified by the State Government;
- (8) The Member Secretary shall exercise such other powers and perform such other function, as may be delegated to him from time to time by the Board.

11. बोर्ड का बैठक (अधिवेशन)-

- (1) बोर्ड की बैठक, सामान्यतः छः मास की कालावधि के पश्चात् एक वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये;
- (2) बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या राज्य सरकार के निर्देश पर, अध्यक्ष, बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलायेगा;
- (3) प्रयोजन, समय तथा स्थल, जिस पर ऐसी बैठक आयोजित की जानी है, को विनिर्दिष्ट करते हुए, सामान्य बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिनों की तथा विशेष बैठक की कम से कम तीन दिनों की सूचना सदस्यों को दी जायेगी;
- (4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी;
- (5) बोर्ड का निर्णय, यदि आवश्यक हो तो, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से लिया जाएगा और अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा;
- (6) प्रत्येक सदस्य का एक मत (वोट) होगा;
- (7) बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति पांच होगी;
- (8) कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय को, जिसकी उसने दस दिन की सूचना न दी हो, बैठक में विचारण के लिए लाने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न दें;
- (9) सदस्य की बैठक की सूचना, उसके अंतिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान पर संदेशवाहक द्वारा परिदत्त कर या रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या इलेक्ट्रानिक मेल के माध्यम से दी जायेगी;
- (10) इसके अतिरिक्त, बोर्ड अपने कारबार के संव्यवहार के लिये ऐसी प्रकिया, अधिनियमित कर सकेगा, जैसा कि वह उपयुक्त तथा उचित समझें.

बोर्ड द्वारा विषेशज्ञ समिति की नियुक्ति तथा उनकी पात्रतायें :-

- (1) बोर्ड, ऐसे प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में, जैसा कि वह उचित समझे, सिमतियों का गठन कर सकेगा, जो पूर्णतः सदस्यों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या अशंतः सदस्यों से या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी;
- (2) बोर्ड के सदस्यों को छोड़कर, विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए, ऐसे बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि बोर्ड के गैर—शासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय हो;

11. Meetings of the Board.—

- (1) The Board shall meet at least two times in a year normally after a period of six months at the Head quarters of the Board or at such place, as may be decided by the Chairperson;
- (2) The Chairperson shall call a special meeting of the Board on a written request from not less than five members of the Board or on a direction of the State Government;
- (3) The Members shall be given at least fifteen days notice for holding an ordinary meeting and atleast three days notice for holding a special meeting specifying the purpose, time and venue, at which such meeting is to be held;
- (4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a presiding officer to be elected by the members present from amongst themselves;
- (5) The decision of the Board shall, if necessary, be taken by a simple majority of the members present and voting and the Chairperson or in his absence; the member presiding, shall have a second or casting vote;
- (6) Each member shall have one vote;
- (7) The quorum for the meeting of the Board shall be five;
- (8) No member shall be entitled to bring forward for the consideration of a meeting any matter of which he has not given ten days' notice unless the Chairperson in his discretion permits him to do so;
- (9) Notice of the meeting shall be given to the member by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or through electronic mail;
- (10) In addition, the Board may enact such procedure for the transaction of its business as it may deem fit and proper.

12. Appointment of Expert Committee by the Board and their entitlements.—

- (1) The Board may constitute any number of Committees for such purposes as it may think fit comprising wholly of members or wholly of other persons or partly of members or partly of other persons;
- (2) The member of the Expert Committee, other than the members of the Board shall be paid such sitting allowance, travel allowance and daily allowance for attending the meetings, as admissible to the nonofficial members of the Board;

- (3) बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा, जिनकी सहायता या सलाह, वह अपने किन्हीं कृत्यों के निष्पादन में तथा अपने किन्हीं बैठकों (सम्मेलनों) के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए अभिप्राप्त किया जाना उपयोगी समझे, बोर्ड से सहबद्ध ऐसे व्यक्ति, बोर्ड के गैर—शासकीय सदस्यों को अनुझेय अनुसार बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.
- 13. बोर्ड के सामान्य कृत्य बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा, अर्थात् :-
 - (एक) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना;
 - (दो) जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना;
 - (तीन) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
 - (चार) भारतीय नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या अधिनियम की धारा 3 (2) के अधीन ऐसे आने वाले को छोड़कर भारत में पंजीकृत संगठन द्वारा किसी जैव संसाधन की वाणिज्यिक उपयोगिता के लिये जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता या वाणिज्यिक उपयोगिता के लिये अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करते हुये या अन्यथा विनियमित करना;
 - (पांच) राज्यं की जैव विविधता रणनीति तथा कार्य योजना के उद्यतीकरण की सुविधा प्रदान करना तथा उसे क्रियान्वित करना;
 - (छ:) अध्ययन करवाना तथा जांच और अनुसंधान प्रायोजित करना;
 - (सात) बोर्ड के उसके कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, सलाहकार नियुक्त करना परंतु यदि किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से परे नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा समीचीन हो, तो बोर्ड ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगेगा;
 - (आठ) जैव विविधता के संरक्षण, इसके संगटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैवीय संसाधनों के उपयोग तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित तकनीकी और सांख्यकीय आंकड़े नियमावली, संहिता और मार्गदर्शन (डेटा) संग्रहित, संकलित तथा प्रकाशित करना;

- (3) The Board may invite any person, whose assistance or advice is necessary to obtain opinion in performing any of its functions and to participate in the deliberations of any of its meeting. Such person associated with the Board shall be entitled to get sitting allowances, travelling allowance and daily allowance as admissible to nonofficial members of the Board.
- 13. General functions of the Board.—The Board may perfom the following functions, namely:—
 - lay down the procedure and guidelines to govern the activities provided under Section 23 of the Act;
 - (ii) advice the State Government on any matter concerning conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
 - (iii) provide technical assistance and guidance to the departments of the State Government;
 - (iv) regulate by granting of approvals or otherwise requests for commercial utilization or bio-survey and bio-utilization for commercial utilisation of any biological resource by Indian citizen, or body corporate, association or organization registered in India except those covered under Section 3(2) of the Act;
 - facilitate updating and implementation of State Biodiversity Strategy and Action Plan:
 - (vi) shall conduct studies and sponsor investigations and research;
 - (vii) engage consultant for a specific period, not exceeding three years, for providing technical assistance to the Board in the effective discharge of its functions:
 - Provided that if it is necessary and expedient to engage any consultant beyound the period of three years, the Board shall seek prior approval of the State Government for such an engagement;
 - (viii) collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guides relating to conservation of biological biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;

- (नौ) जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम जनसंपर्क साधन के माध्यम से आयोजित करना;
- (दस) जैव विविधता के संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के कार्यक्रमों में लगे हुए या संभाव्यतः लगाए जाने वाले कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाना और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- (ग्यारह) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रिजस्टर तथा इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध अतिरिक्त ज्ञान के लिए डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और प्रलेखीकरण प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना;
- (बारह) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासकीय संस्थानों, स्थानीय निकायों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों को निर्देश देना तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन (हिस्सा बांटने) से संबंधित समस्त उपायों में उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता को सरल बनाना;
- (तेरह) जैव विविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता एवं अनुदान स्वीकृत करना;
- (चौदह) अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का दायित्व लेना;
- (पन्द्रह) बोर्ड के कृत्यों तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना;
- (सोलह) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति से किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) द्वारा शुल्क की अनुशंसा करना, विहित करना, उपांतरित करना तथा संग्रहित करना;
- (सत्रह) अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये तरीके ढूंढना जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे सहयुक्त ज्ञान पर बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकार सम्मिलित हैं और समुचित रूप से ऐसी जानकारी की गोपनीयत बनाए रखे जाने की प्रणालियाँ तथा पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में दर्ज की गई जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित हैं;
- (अट्ठारह) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा जैव विविधता पर आश्रित जीविका, योजना एवं प्रबंधन के समस्य सेक्टर में, तथा राज्य से लेकर स्थानीय योजना के सभी स्तरों पर एकीकृत हो, जिससे उनके संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए योगदान देने हेतु ऐसे सेक्टर और प्रशासकीय स्तरों को समर्थ बनाया जा सके;

- (ix) organize through mass media a comprehensive programme regarding conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge;
- plan and organize training of personnel engaged or likely to be engaged in programmes for the conservation of biological diversity and sustainable use of its components;
- (xi) take steps to build up database and to create information and documentation system for biological resources and associated additional knowledge through biodiversity registers and electronics data bases, to ensure effective management, promotion and sustainable uses;
- (xii) give direction to Government organizations, the local bodies/Biodiversity Management Committees for effective implementation of the Act and to facilitate their meaningful participation in all measures relating to conservation, sustainable use, and equitable benefit-sharing;
- (xiii) sanction grants-in aid and grants to Biodiversity Management Committees for specific purposes;
- (xiv) undertake physical inspection of any area in connection with the implementation of the Act;
- report to the State Government about the functioning of the Board and implementation of the Act and the Ruels made there under;
- (xvi) recommend, prescirbe, modify the collection of the fee by BMCs from any person for accessing or collecting any biological resource for commercial purposes;
- (xvii) to devise methods to ensure protection of rights including intellectual property rights over biological resources and associated knowledge including systems of maintaining confidentiality of such information as appropriate, including the protection of the information recorded in People's Biodiversity Registers;
- (xviii) ensure that biodiversity and biodiversity-dependent livelihoods are integrated into all sectors of planning and management and at all levels of planning from local to state, to enable such sectors and administrative levels to contribute for conservation and sustainable use:

- (उन्नीस) बोर्ड का, उसकी स्वयं की प्राप्तियों के साथ ही राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी निगमित करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना, परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया आबंटन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अनुसार प्रचलित किया जायेगा;
- (बीस) बोर्ड को समस्त प्राक्कलनों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी, तथापि वह ऐसी प्रशासकीय स्वीकृति की शक्तियाँ, जैसी कि आवश्यक समझी जाएं, बोर्ड के सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा;
- (इक्कीस)बोर्ड द्वारा कृत्यों के प्रभावखारी निर्वहन के लिए, राज्य सरकार को पदों के सृजन की अनुशंसा करना तथा ऐसे पदों को सृजित करना, परंतु स्थायी प्रकृति का पद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा;
- (बाईस) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा कि अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विहित किया जाये;
- (तेईस) जंगम तथा स्थावर, दोनों ही संपत्ति का अर्जन, धारण तथा व्ययन करने और उसके लिए संविदा कंरने की शक्ति होगी.

14. अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य :-

- (1) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के क्रियाकलाप कुशलतापूर्वक तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार चल रहे हैं;
- (2) अध्यक्ष को, बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों (स्टॉफ) पर सामान्य अधीक्षण की शक्ति होगी तथा अध्यक्ष, बोर्ड के क्रियाकलाप के संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा;
- (3) अध्यक्ष, बोर्ड का समस्त अधिवेशन आहुत करेगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चयों का उचित रीति में क्रियान्वयन हो रहा है.
- बोर्ड का सेटअप— बोर्ड का प्रशासकीय सेटअप, बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
- बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्ते :-
 - (1) बोर्ड के कर्मचारियों के निबंधन तथा शर्ते, राज्य सरकार के अधीन तत्स्थानी वेतनमान के समान ही होंगी, नियुक्तियाँ सामान्यतः संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न की जाएं:

- (xix) prepare the annual budget of the Board incorporating its own receipts as also the devaluation from the State and Central Government provided that the allocation by the Central Government shall be operated in accordance with the budget provisions approved by the Central Government;
- (xx) Board shall have full powers for granting administrative sanctions to all the estimates; it may however delegate such administrative sanction powers to the Member secretary of the Board, as may be deemed necessary;
- (xxi) recommend creation of posts to State Government, for effective discharge of the functions by the Board and to create such posts, provided that no posts of permanent nature would be created without prior apporval of the State Government;
- (xxii) perform such other functions, as may be necessary to carry out the provisions of the Act or as may be prescribed by the State Government from time to time;
- (xxiii) shall have power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and enter into contract for the same.

Powers and duties of the Chairperson.—

- (1) The Chairperson shall ensure that the affairs of the Board are run efficienty and in accordance with the provisions of the Act and the ruels mae there under;
- (2) The Chairperson shall have the powers of general superintendence over the officers and staff of the Board and the Chairperson may issue necessary directions for the conduct and management of affairs of the Board;
- (3) The Chairperson shall convene and preside over all the meetings of the Board and shall ensure that all decisions taken by the Board are implemented in proper manner.
- Setup of the Board.—The administrative setup of the Board shall be sanctioned by the State Government on recommendation of the Board.

Terms and conditions of service of employees of the Board.—

(1) The terms and conditions of the employees of the Board shall be the same as those of corresponding scale of pay under the State Government. The appointments in general shall be on contractual basis or on deputation, unless otherwise decided by the State Government; (2) बोर्ड में पदों पर भर्ती / पदोन्नित के तरीके, बोर्ड अनुमोदित करेगा;

17. जैव संसाधनों तक पहुंच / उसके संग्रहण की प्रकिया :-

- (1) भारत का कोई नागरिक या एक निगमित निकाय, संगम या संगठन, जो भारत में पंजीकृत है, जो अधिनियम की धारा 7 के परंतुक में यथा उपबंधित ऐसे अपवाद के साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिये या वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोग के लिये जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच / उनका संग्रहण चाहता है, इन नियमों से संलग्न प्ररुप-एक में बोर्ड को आवेदन करेगा वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्रत्येक आवेदन जैव विविधता बोर्ड के पक्ष में 1000 / रुपये के डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;
- (2) बोर्ड, आवेदन की सम्यक् समीक्षा करने, संबंधित स्थानीय निकायों से परामर्श करने तथा ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् आवेदन का, उसकी प्राप्ति से, यथासंभव, 3 माह की कालाविध के भीतर, विनिश्चय करेगा;

इस संदर्भ में, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द ''परामर्श'' में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कदम भी सम्मिलित हैं :—

- (क) पहुंच / संग्रहण के लिए प्रस्ताव की, स्थानीय भाषा में, सार्वजनिक सूचना जारी करना;
- (ख) स्थानीय निकाय की साधारण सभा में चर्चा / संवाद; और
- (ग) प्रस्ताव के बारे में तथा संरक्षण एवं आजीविका हेतु उसके प्रभावों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् सभा से औपचारिक सहमित प्राप्त करना;
- (3) आवेदन के गुणागुण की संतुष्टि हो जाने पर, बोर्ड, आवेदन की अनुज्ञात कर सकेगा या ऐसे क्रियान्वयन को निर्बन्धित कर सकेगा, यदि उसकी राय हो कि ऐसे क्रियाकलाप, जैव विविधता के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप से उद्भूत लाभ के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) के उद्देश्यों के लिए हानिकारक या उसके प्रतिकूल हैं;
- (4) बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लिखित अनुबंध द्वारा जैव संसाधनों की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव उपयोगिता निगमित होगा;
- (5) पहुंच / संग्रहण की शर्तों में जैव संसाधनों के जिनके लिए पहुंच / संग्रहण स्वीकृत किया जा रहा है, संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से उपाय किए जाएंगे;

(2) The Board shall approve the method of recruitment/promotion to the posts in the Board.

17. Procedure for access to/collection of biological resources.—

- (1) Any citizen of India or a body corporate, association or organization registered in India seeking access to/collection of biological resources for commercial utilization or bio-survey and bio-utilisation for commercial utilisation with the exception of those as provided in the proviso to Section 7 of the Act, shall make an application to the Board in Form-1 appended to these rules. Every application for commercial utilization shall be accompanied with a demand draft of Rs. 1,000/- in favour of Biodiversity Board;
- (2) The Board, after due evaluation of the application, consultation with the concerned local bodies and collecting such additional information as it may deem necessary, shall take decision on the application as far as possible within a period of 3 months of receipt of the same; In this context, the word "consult", for the purposes of the Act, includes the following steps, inter alia:—
 - issuing of public notice of the proposal for access/collection in local languages;
 - (b) discussion/dialogue with the general assembly of the local body; and
 - (c) formal consent from the assembly after being provided adequate information about the proposal and its implications for conservation and livelihoods.
- On being satisfied with the merit of the application, the Board may allow the application or restrict any such activity if it is of the apinion that such activity is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity or equitable sharing of benefits arising out of such activity;
- (4) A written agreement duly signed by an authorized officer of the Board and the applicant shall regulate commercial utilization or bioutilization of biological resource;
- (5) The conditions for access to/collection may specifically provide measures for conservation and protection of biological resources to which the access to/collection is being granted;

- (6) बोर्ड यदि यह समझता है कि आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा। नामंजूरी का आदेश जारी करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा;
- (7) पूर्व सूचना के लिए उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररुप में दी गई कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी एवं उससे असंबद्ध किसी भी व्यक्ति को या तो आशय के साथ अथवा किसी आशय के बिना, प्रकट नहीं की जाएगी।

जैव संसाधनों तक पहुंच से संबंधित क्रियाकलापों (गतिविधियों) पर निर्बन्धन

- (1) बोर्ड, यदि आवश्यक तथा समुचित समझे तो निम्नलिखित कारणों से जैव संसाधनों तक पहुंच के प्रस्ताव को निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए कदम उठायेगा, अर्थात्—
- (एक) यदि पहुंच के लिए अनुरोध किसी संकटग्रस्त प्रजाति के लिए हो अथवा उस प्रजाति के लिए हो, जो इस तरह की पहुंच से संकटग्रस्त हो सकती हो;
- (दो) यदि पहुंच के लिए अनुरोध किसी स्थानीय तथा दुर्लभ प्रजाति के लिये हो;
- (तीन) यदि पहुंच के लिए अनुरोध का स्थानीय जनों की जीविका, संस्कृति तथा जातीय ज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
- (चार) यदि पहुंच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हो, जिसे नियंत्रित एवं क^म करना कठिन हो;
- (पाँच) यदि पहुंच के लिए अनुरोध से अनुवांशिक क्षरण होता हो अथवा पारिस्थितिक तंत्र क्रि^{या} विधि प्रभावित होती हो;
- (छः) यदि राष्ट्रीय हित तथा देश में किए गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के विप्^{रीर्त} उद्देश्यों के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाये।

19. पहुंच/अनुमोदन का प्रतिसंहरण :--

- (1) बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन या तो किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के विनियमन हेतु किंगे गये अनुमोदन को वापसं ले सकेगा तथा लिखित अनुबंध का प्रतिसंहरण कर सकेगा अर्थात् :--
- (एक) इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि जिस व्यक्ति का उक्त जैव संसाधन तक पहुँ है, उसने अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या शर्तों का, जिन पर आवेदन स्वीकृत किया ^{ग्रा} था, उल्लंघन किया है;
- (दो) अनुबंध के निबंधनों का अनुपालन करने में विफल होने पर;

- The Board may reject the application, if it considers that the request (6)cannot be acceded to, after recording the reasons thereof. Before passing an order of rejection, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard;
- Any information given in the form referred to in the sub-rule (1) for (7)prior intimation shall be kept confidential and shall not be disclosed. either intentionally or unintentionally, to any person not concerned thereto.

Restriction on activities related to access to biological resources.— 18

- The Board, if it deems necessary and appropriate, shall take the (1) steps to restrict or prohibit the proposal for access to biological resources for the following reasons, namely:-
 - If the request for access is for any threatened taxa or taxa that is (i) likely to become threatened due to such access;
 - If the request for access is for any endemic and rare species; (ii)
 - If the request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods, culture or indigenous knowledge of the local (iii)
 - If the request for access may result in adverse enviornmental impact which may be difficult to control and mitigate; (iv)
 - If the request for access may cause genetic erosion or affecting (v) the ecosystem function;
 - If use of resources for purposes contrary to national interest and other related international agreements entered into by the (vi) country.

Revocation of access/approval.—

19

- The Board may either on the basis of any complaint or suo moto withdraw the approval granted to regulate the access or collection of (1)biological resource for commercial utilization and revoke the written agreement under the following conditions, namely:
 - on the basis of reasonable belief that the person accessing the said bio-resource has violated any of the provision of the Act or (i) the condition on which application was allowed;
 - on failure to comply with the terms of agreement; (ii)

- (तीन) पहुंच / संग्रहण की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल होने पर;
- (चार) पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण, आजीविका एवं ज्ञान के संदर्भ में लोकहित का उल्लंघन करने के कारण;
- (2) प्रतिसंहरण आदेश, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि अपेक्षित हो तथा ऐसे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही, पारित्र किया जाएगा;
- (3) बोर्ड, ऐसे प्रतिसंहरण के आदेश की एक प्रति, पहुंच को निषिद्ध करने तथा क्षति, यदि कोई हो, को निर्धारित करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति को भेजेगा तथा क्षति की वसूली के लिये कदम उठायेगा।

20. राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन—

111

- (1) राज्य जैव विविधता निधि को बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा या बोर्ड के किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाये, प्रचलित किया जाएगा;
- (2) राज्य जैव विविधता निधि में दो पृथक लेखा शीर्ष होंगे, जिसमें से एक केन्द्र शासन/राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा राज्य सरकार की प्राप्तियों (अनुदान तथा ऋण) से सम्बंधित होगा जिसमें ऐसे अन्य स्रोतों से सम्बंधित प्राप्तियाँ जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये, सम्मिलित होगी तथा दूसरा, बोर्ड की विविध प्राप्तियों से संबंधित होंगी:
- (3) राज्य सरकार, बोर्ड को ऐसी निधि उपलब्ध करायेगी, जैसा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक समझे;
- (4) बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा कि निधि के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित विनिश्चय पारदर्शी हों।

21. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण—

- (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण देते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;
- (2) बोर्ड, लेखाओं को रखने की प्रक्रिया अधिकथित करेगा। बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक लेखा परीक्षण बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा, राज्य का महालेखाकार भी लेखाओं की संपरीक्षा कर सकेगा;

- (iii) on failure to comply with any of the conditions of access/collection;
- (iv) on account of overriding public interest with reference to protection of environment and conservation of biological diversity, and protection of the rights, livelihoods and knowledge of local communities.
- (2) The revocation order shall be made only after making such inquiries as required and after giving the person so affected an opportunity of being heard;
- (3) The Board shall send a copy of such revocation order to the Biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.

20. Operation of State Biodiversity Fund.—

21.

- (1) The State Biodiversity Fund shall be operated by the Member-Secretary of the Board or by such any other officer of the Board as may be authorized by the Board in this behalf;
- The State Biodiversity Fund shall have two separate heads of account, one relating to the receipts (grants and loans) from the Central Government/National Biodiversity Authority and State Government, including receipts from such other sources as decided by the State Government and other relating to miscellaneous receipts of the Board;
- (3) The State Government shall provide such fund to the Board as the State Government think necessary for affective implementation of the Act;
- (4) The Board shall frame guidelines to ensure that decisions regarding the management and use of the Fund are transparent.

Annual Report and Annual Statement of Accounts.—

- (1) The Board shall prepare its annual report for each financial year giving detailed account of its activities and annual statement of accounts and submit it to the State Government;
- (2) The Board shall lay down the procedure for upkeep of the accounts. The accounts of the Board shall be audited annually by the Chartered Accountant appointed for the purpose by the Board. The Accountant General of the State may audit the accounts as well;

(3) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, आगामी वर्ष के सितंबर मास तक वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखा विवरण सहित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

22. जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबंधन—

- (1) बोर्ड, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के परामर्श से, महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सरल बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा, बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य सरकार इस आशय की अधिसूचना जारी करेगी;
- (2) बोर्ड, विरासत स्थलों के चयन, प्रबंधन तथा अन्य पहलुओं पर मार्गदर्शक सिद्वांत विरचित करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें, संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए निर्णय लेने की व्यवस्था उपलब्ध हैं।

23. जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन —

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा, तदनुसार, जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर के साथ—साथ नगर पंचायत, नगरपालिका एवं नगर निगम स्तर पर भी गठित की जायेगी;
- (2) उप-नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में स्थानीय निकायों द्वारा नामनिर्देशित सात स्थानीय जानकार व्यक्ति होंगे, जिनमें महिलाएं एक तिहाई से कम नहीं होगी। इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्तियों को जड़ीबूटी विशेषज्ञ, कृषक, नान टिम्बर वनोपज संग्राहक / व्यापारी, मछली—पालक, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् या किसी संगठन का कोई व्यक्ति / प्रतिनिधि, जिनके बारे में स्थानीय निकाय का यह विश्वास हो कि वह जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, में से लिया जाएगा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अनुपात, जिले के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नामनिर्देशित समस्त व्यक्ति, उक्त स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर के निवासी होने चाहिए तथा उनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए;
- (3) स्थानीय निकाय द्वारा वन, कृषि पशुपालन, स्वास्थ, मछली पालन तथा शिक्षा विभाग में से छः विशेष आमंत्रितों को नाम निर्देशित किया जायेगा;

(3) The Board shall submit the Annual Report together with the audited statement of accounts for each financial year to the State Government by September of the following year.

22. Establishment and Management of Biodiversity Heritage Site.—

- (1) The Board shall, in consultation with the local bodies and other key stakeholders, take necessary steps to facilitate setting up of areas of significant biodiversity values as Heritage Sites. The State Government may issue notification to this effect on recommendation from the Board;
- (2) The Board shall frame guidelines on the selection, management and other aspects of Heritage Sites, ensuring that these provide decision -making role for relevant Biodiversity Management Committees

23. Constitution of Biodiversity Management Committees (BMC).—

- (1) Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its area of jurisdiction. Accordingly, Biodiversity Management Committees are to be constituted at Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat level as well as at Nagar Panchayat, Municipality and Municipal Corporation level;
- The Biodiversity Management Committees constituted under subrule (1) shall have seven local knowledgeable persons nominated by the local body, of which not less than one third shall be women. The persons so nominated should be drawn from amongst the herbalists, agriculturist, Non Timber Forest Produce collectors/traders, fisherfolk, representative of user associations, community workers, academicians and any person/representative of organization on whom the local body trusts that he can significantly contribute to the mandate of the Biodiversity Management Committee. The proportion of members belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe should not be less than the percentage of Scheduled Caste/Scheduled Tribe population of the district. All the persons so nominated should be residents within the said local body limits and be in the voter lists;
- (3) The local body shall nominate six special invitees from forest, agriculture, animal husbandry, health, fisheries and education department;

- (4) जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। बराबर (मत) रहने की दशा में, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा;
- (5) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा उसे पुनः निर्वाचित किया जा सकेगा;
- (6) विभिन्न स्तरों की जैव विविधता प्रबंधन समितियों की बैठक में, विधान सभा के स्थानीय सदस्य तथा संसद सदस्य, विशेष आमंत्रित होंगे;
- (7) सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक क्षेत्रों, समुदायों और व्यक्तियों में से जैव विविधता के क्षेत्र में विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक तकनीकी सहयोग समूह, जिला पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह जैव विविधता समितियों को सहयोग प्रदान करेगा;
- (8) जैव विविधता प्रबंधन समितियों का प्रमुख कार्य जैव विविधता का संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन (हिस्सा बांटने) को सुनिश्चित करना होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति, जन जैव विविधता पंजी तैयार करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी। पंजी में, स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान, उनके आषधीय या कोई अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी अंतर्विष्ट होगी। जिला पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति, जन जैव विविधता पंजी डेटा बेस के जिला स्तरीय नेटवर्क के विकास के लिए उत्तरदायी होगी। जन जैव विविधता पंजी, बोर्ड द्वारा नियत की गई प्रक्रिया तथा प्ररुपों (फार्मेट) की उपयोग करते हुये, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/ नगरपालिका निगम के स्तर पर तैयार की जायेगी। जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ एवं स्थानीय निकाय, जन जैव विविधता पंजियों में अभिलिखित ज्ञान की संरक्षा सुनिश्चित करने, विशेषकर बाह्य अभिकरणों एवं व्यक्तियों तक इसकी पहुंच को विनियमित करने के लिये, उत्तरदायी होंगे;
- (9) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कृत्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन हेतु उसको संदर्भित किसी मामले पर सलाह देना या जैविक स्रोतों की उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्य तथा चिकित्सकों के बारे में आंकड़े (डेटा) संधारित

- (4) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst the members of the Committee in a meeting to be presided over by the chairperson of the local body. The chairperson of the local body shall have the casting vote in case of a tie;
- (5) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall have tenure of three years and may be re-elected;
- (6) The local Member of the Legislative Assembly and Member of Parliament would be special invitees to the meetings of the Biodiversity Management Committees at different levels;
- (7) A technical support group comprising of experts in the field of biodiversity drawn from Government agencies, Non Government Organizations, academic field, community and individuals shall be established by Zila Panchayat/district administration. The expert group shall lend support to Biodiversity Management Committees;
- The key mandate of the Biodiversity Management Committees shall (8)have to ensure conservation, sustainable utilization and equitable sharing of benefits from the biodiversity. The Biodiversity Management Committees shall facilitate preparation of People's Biodiversity Registers. The Registers shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resournces, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them. The Zila Panchayat Biodiversity Management Committee shall be responsible for developing a district wide network of people's Biodiversity Registers database. The People's Biodiversity Registers shall be prepared at the Gram Panchayat/Nagar Panchayat/Municipality/Municipal Corporation level by using the process and the format set by the Board. The Biodiversity Management Committees and local bodies shall be responsible for ensuring the protection of the knowledge recorded in the People's Biodiversity Registers, specially to regulate its access to outside agencies and individuals;
- (9) The other functions of the Biodiversity Management Committees are to advice on any matter referred to it by the State Biodiversity Board or Authority for granting approval or to maintain data about the local vaids and practitioners using the biological resources;

- (10) जिला तथा जनपद जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण संबंधी मुद्दों को निगमित करने का प्रयास करेंगी;
- (11) जैव विविधता प्रबंधन बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जन जैव विविधता पंजियां तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पंजियों में अभिलिखित समस्त जानकारियों को बाहरी अभिकरणों तथा व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग तथा विनियोग के विरुद्ध विविधिक संरक्षण प्राप्त हो;
- (12) जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक स्वीकृत पहुंच के विवरण (ब्यौरे), अधिरोपित फीस के संग्रहण के विवरण तथा उनसे व्युत्पन्न लाभों के विवरण एवं उनके प्रभाजन (हिस्सा बांटने) की पद्धति के बारे में जानकारी देते हुए एक पंजी भी संधारित करेगी;
- (13) जैव विविधता प्रबंधन सिमित, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर पालिक निगम स्तर पर, ऐसे निबंधन विनिश्चित कर सकेगी, जिन पर उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच की अनुज्ञा प्रदान की जा सके तथा उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के तरीके द्वारा प्रभारों का उदग्रहण करेगी। निजी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों को उदग्रहण का प्रमुख हिस्सा, भूमि के स्वामी/जोतधारक (कृषक) / ज्ञानधारक को देना चाहिए तथा शेष जैव विविधता प्रबंधन सिमिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए। सरकारी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों के उदग्रहण को पूर्ण रूप से जैव विविधता प्रबंधन सिमिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए;
- (14) बोर्ड, जैव विविधता समितियों द्वारा पहुंच और फीस के संग्रहण के लिए उनसे परामर्श के पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा;
- (15) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिक निगम के स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ, जन जैव विविधता पंजी से उत्पाद का उपयोग करते हुए, एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करेगी तथा इसके कियान्वयन के लिए या उसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायी होगी;

- (10) The Zila and Janpad Biodiversity Management Committees shall strive to incorporate biodiversity conservation concerns in the developmental planning at the local level;
- (11) The Biodiversity Management Board shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers and shall ensure that all information recorded in such Registers receives legal protection against misuse and appropriation by outside agencies and individuals;
- (12) The Biodiversity Management Committee shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing;
- Panchayat/Municipality/ Municipal Corporation level may decide the terms on which it would permit access to biodiversity resources and associated knowledge to different parties for various purpose within their jurisdiction and levy charges by way of collection of fees from any person for accessing or collecting any biological resources for commercial purpose from the area falling within its jurisdiction. The major share of levy charged for the material collected/cultivated from private land should be given to the owner/cultivator of the land/knowledge holders and the balance should be deposited in local Biodiversity Fund of Biodiversity Management Committee. The levy charged for the material collected/cultivated from Government land should be totally deposited in local Biodiversity Fund Biodiversity Management Committee;
- (14) The Board shall frame guidelines for access and fee collection by the Biodiversity Management Committees after consulting them;
- (15) The Gram Panchayat/Nagar Panchayat/Municipality/Municipal Corporation level Biodiversity Management Committees shall prepare a Biodiversity Management Plan using output from people's Biodiversity Register and shall be responsible for or participate in its implementation;

(16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि प्रति सदस्यता, नियमित समन्वय बैठक तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा, जैसा कि स्थानीय निकायों द्वारा अवधारित किया जाये या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, विद्यमान स्थानीय संस्थानों के कृत्यों से जैव विविधता प्रबंधन समिति एकीकृत है।

24. स्थानीय जैव विविधता निधि-

- (1) स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर पर एक जैंव विविधता निधि गठित की जाएगी श्रस्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रयोजन जिसके लिये निधि प्रयुक्त की जायेगी, वह रीति ऐसी होगी, कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये;
- (2) बोर्ड, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण से उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऋण या अनुदान, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिष्टिचत अन्य स्रोतों के माध्यम से भी, पहुंच सकेंगे;
- (3) स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रचालन, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा निधि के प्रचालन के लिए ऐसी . रीतियां सम्मिलित करते हुये, जिसमें इसके कृत्य पारदर्शी हों, प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी;
- (4) निधि का उपयोग, संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए जहाँ तक उसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत हो, किया जाएगा;
- (5) स्थानीय जैव विविधता निधि का लेखा, ऐसे प्ररुपों में तैयार किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;
- (6) जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी;

(7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे, ऐसी रीति में संधारित तथा संपरीक्षित किए जाएंगे, जैसे कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

25. विवादों का निपटारे के लिए अपील-

(1) यदि किसी आदेश / निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या किसी नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर, प्राधिकरण तथा बोर्ड के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो या तो पीड़ित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड, अधिनियम की धारा 50 के अधीन

The local bodies shall ensure that the Biodiversity Management (16)Committee are integrated with the functioning of exiting local institutions by cross-membership, regular coordination meetings and other such measures, as determined by the local bodies or as specified by the Board.

Local Biodiversity Fund.— 24

- A Local Biodiversity Fund shall be constituted at each level of local (1) body. Management, custody of the Local Boidiversity Fund and the purposes for which the fund shall be applied in the manner as may be prescribed by the State Government;
- The Board shall provide to the local body any loan or grant received by (2)it from State Government, Central Government or from the Authority for the purpose of the Act. The local body can also access such funds from other sources as may be decided upon by the State Government:
- The Local Biodiversity Fund shall be operated by the Biodiversity Management Committees. The Board shall lay down the operational (3)guidelines for operation of the fund by the Biodiversity Management Committees, including ways, in which its functioning is transparent;
- The fund shall be used for the conservation and promotion of biodiversity in the areas falling with in the jurisdiction of the concerned (4)local body and for the benefit of the local community in so far such use is consistent with conservation of biodiversity;
- The account of the Local Biodiversity Fund shall be prepared in such (5)forms as may be specified by the Board;
- The Biodiversity Management Committees shall prepare its annual report, giving full account of its activities during the previous financial (6)year and submit a copy thereof to the District Magistrate of the area and to the Board;
- The accounts of the Local Biodiversity Fund shall be maintained and audited in such manner, as may be specified by the Board. (7)

Appeal for settlement of disputes.— 25.

If a dispute arises between the Authority and the Board on account of implementation of any order/ direction or on any issue of policy (1) decision, either of the aggrieved parties i.e., Authority or the Board, as the case may be, prefer an appeal in Form-II under Section 50 of the

- (10) जिला तथा जनपद जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण संबंधी मुद्दों को निगमित करने का प्रयास करेंगी;
- (11) जैव विविधता प्रबंधन बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जन जैव विविधता पंजियां तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पंजियों में अभिलिखित समस्त जानकारियों को बाहरी अभिकरणों तथा व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग तथा विनियोग के विरुद्ध विविधिक संरक्षण प्राप्त हो;
- (12) जैव विविधता प्रबंधन सिमिति, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक स्वीकृत पहुंच के विवरण (ब्यौरे), अधिरोपित फीस के संग्रहण के विवरण तथा उनसे व्युत्पन्न लाभों के विवरण एवं उनके प्रभाजन (हिस्सा बांटने) की पद्धित के बारे में जानकारी देते हुए एक पंजी भी संधारित करेगी:
- (13) जैव विविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर पालिक निगम स्तर पर, ऐसे निबंधन विनिश्चित कर सकेगी, जिन पर उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तथा उससे सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच की अनुज्ञा प्रदान की जा सके तथा उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं जैविक संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के तरीके द्वारा प्रभारों का उदग्रहण करेगी। निजी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों को उदग्रहण का प्रमुख हिस्सा, भूमि के स्वामी/जोतधारक (कृषक) / ज्ञानधारक को देना चाहिए तथा शेष जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए। सरकारी भूमि से संग्रहित/जोती गई सामग्री के लिए प्रभारों के उदग्रहण को पूर्ण रूप से जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा किया जाना चाहिए।
- (14) बोर्ड, जैव विविधता समितियों द्वारा पहुंच और फीस के संग्रहण के लिए उनसे परामर्श के पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा;
- (15) ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगरपालिक निगम के स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ, जन जैव विविधता पंजी से उत्पाद का उपयोग करते हुए, एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करेगी तथा इसके क्रियान्वयन के लिए या उसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायी होगी;

- (10) The Zila and Janpad Biodiversity Management Committees shall strive to incorporate biodiversity conservation concerns in the developmental planning at the local level;
- (11) The Biodiversity Management Board shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers and shall ensure that all information recorded in such Registers receives legal protection against misuse and appropriation by outside agencies and individuals;
- (12) The Biodiversity Management Committee shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing;
- Panchayat/Municipality/ Municipal Corporation level may decide the terms on which it would permit access to biodiversity resources and associated knowledge to different parties for various purpose within their jurisdiction and levy charges by way of collection of fees from any person for accessing or collecting any biological resources for commercial purpose from the area falling within its jurisdiction. The major share of levy charged for the material collected/cultivated from private land should be given to the owner/cultivator of the land/knowledge holders and the balance should be deposited in local Biodiversity Fund of Biodiversity Management Committee. The levy charged for the material collected/cultivated from Government land should be totally deposited in local Biodiversity Fund Biodiversity Management Committee;
- (14) The Board shall frame guidelines for access and fee collection by the Biodiversity Management Committees after consulting them;
- (15) The Gram Panchayat/Nagar Panchayat/Municipality/Municipal Corporation level Biodiversity Management Committees shall prepare a Biodiversity Management Plan using output from people's Biodiversity Register and shall be responsible for or participate in its implementation;

(16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि प्रति सदस्यता, नियमित समन्वय बैठक तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा, जैसा कि स्थानीय निकायों द्वारा अवधारित किया जाये या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, विद्यमान स्थानीय संस्थानों के कृत्यों से जैव विविधता प्रबंधन समिति एकीकृत है।

24. स्थानीय जैव विविधता निधि—

- (1) स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर पर एक जैव विविधता निधि गठित की जाएगी। स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रयोजन जिसके लिये निधि प्रयुक्त की जायेगी, वह रीति ऐसी होगी, कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये;
- (2) बोर्ड, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण से उसके द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऋण या अनुदान, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य स्रोतों के माध्यम से भी, पहुंच सकेंगे;
- (3) स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रचालन, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा निधि के प्रचालन के लिए ऐसी रीतियां सम्मिलित करते हुये, जिसमें इसके कृत्य पारदर्शी हों, प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी;
- (4) निधि का उपयोग, संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए जहाँ तक उसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत हो, किया जाएगा;
- (5) स्थानीय जैव विविधता निधि का लेखा, ऐसे प्ररुपों में तैयार किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;
- (6) जैव विविधता प्रबंधन सिमतियां, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी;
- (7) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे, ऐसी रीति में संधारित तथा संपरीक्षित किए जाएंगे, जैसे कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

25. विवादों का निपटारे के लिए अपील-

(1) यदि किसी आदेश / निर्देश के क्रियान्वयन के कारण या किसी नीतिगत निर्णय के किसी मुद्दे पर, प्राधिकरण तथा बोर्ड के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो या तो पीड़ित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड, अधिनियम की धारा 50 के अधीन

(16) The local bodies shall ensure that the Biodiversity Management Committee are integrated with the functioning of exiting local institutions by cross-membership, regular coordination meetings and other such measures, as determined by the local bodies or as specified by the Board.

Local Biodiversity Fund.—

- (1) A Local Biodiversity Fund shall be constituted at each level of local body. Management, custody of the Local Boidiversity Fund and the purposes for which the fund shall be applied in the manner as may be prescribed by the State Government;
- (2) The Board shall provide to the local body any loan or grant received by it from State Government, Central Government or from the Authority for the purpose of the Act. The local body can also access such funds from other sources as may be decided upon by the State Government;
- (3) The Local Biodiversity Fund shall be operated by the Biodiversity Management Committees. The Board shall lay down the operational guidelines for operation of the fund by the Biodiversity Management Committees, including ways, in which its functioning is transparent;
- (4) The fund shall be used for the conservation and promotion of biodiversity in the areas falling with in the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the local community in so far such use is consistent with conservation of biodiversity;
- (5) The account of the Local Biodiversity Fund shall be prepared in such forms as may be specified by the Board;
- (6) The Biodiversity Management Committees shall prepare its annual report, giving full account of its activities during the previous financial year and submit a copy thereof to the District Magistrate of the area and to the Board;
- (7) The accounts of the Local Biodiversity Fund shall be maintained and audited in such manner, as may be specified by the Board.

25. Appeal for settlement of disputes.—

(1) If a dispute arises between the Authority and the Board on account of implementation of any order/ direction or on any issue of policy decision, either of the aggrieved parties i.e., Authority or the Board, as the case may be, prefer an appeal in Form-II under Section 50 of the छत्तीसगढ़ राज्य जैव-विविधता बोर्ड से संबन्धित अधिनियम/नियम एवं दिशा निर्देश - 208

प्रारुप-दो में अपील प्रस्तत करेगा किसी आदेश / निर्देश के कियान्त्रमन के

प्ररुप-एक

(नियम 17 देखिए)

वाणिज्यिक उपयोग एवं सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच/संग्रहण के लिए आवेदन प्ररुप

भाग-क

197

- 1. आवेदक का पूर्ण विवरण
 - (क) नाम:
 - (ख) स्थायी पता:
 - (ग) सम्पर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :
 - (घ) संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा)ः (कृपया अभिप्रमाणन के लिए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।)
 - (ङ) कारोबार की प्रकृतिः
 - (च) भारतीय रूपये में संगठन का व्यापारावर्त (टर्नओवर):
- पहुंच के लिए चाही गई प्रकृत्ति तथा जैविक सामग्री और / या सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच के बारे में विवरण तथा विशिष्ट जानकारी :-
 - (क) जैव संसाधनों की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारंपरिक उपयोग :
 - (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें ग्राम, जनपद तथा जिला सम्मिलित हैं):
 - (ग) पारंपिक ज्ञान का विवरण / प्रकृति, उसकी विद्यमान अभिव्यक्तियाँ एवं उपयोग (मौखिक / दस्तावेजी):
 - (घ) पारंपरिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति / कुटुंब / समुदाय :
 - संग्रहित किये जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा :
 - (च) समय सीमा, जिसमें जैव संसाधन संग्रहित किया जाना प्रस्तावित है:
 - (छ) संग्रहण करने के लिए कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्या :
 - (ज) पहुंच का प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें सम्मिलित हैं अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, व्युत्पन्न किया जा रहा वाणिज्यिक उपयोग और जिससे व्युत्पन्न होना प्रत्याशित हैं:
 - (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण अथवा उपयोग से जैव विविधता के किसी घटक को खतरा है और क्या खतरा, पहुंच से उत्पन्न हो सकता है?
- कोई अन्य जानकारी :

FORM 1

(See rule 17)

Application form for access to/collection of Biological resources for commercial utilization and associated

traditional knowledge

Part A

- 1. Full particulars of the applicant
 - (a) Name:
 - (b) Permanent address:
 - (c) Address of the contact person/agent, if any:
 - (d) Profile of the organization (personal profile in case the applicant is an individual).
 - (Please attached relevant documents of authentication):
 - (e) Nature of business:
 - (f) Turnover of the organization in Indian Rupee:
- Details and specific information should nature of access sought and biological material and/or associated knowledge to be accessed:—
 - (a) Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use:
 - (b) Geographical location (including village, janpad and district) of proposed collection:
 - (c) Description/nature of traditional knowledge, its existing manifestations and uses (oral/documented):
 - (d) Any identified individual/family/community holding the traditional knowledge:
 - (e) Quantity of biological resources to be collected:
 - (f) Time limit in which the biological resources are proposed to be collected:
 - (g) Name and number of person authorized by the company for making the collection:
 - (h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:
 - (i) Whether any collection or use of the resource endangers any component of biological diversity and the risk which may arise from the access?
- Any other information :

भाग-ख

घोषणा

* /	-		4 ,	24	0	
में / हम	घावणा	करत	夏/	8	कि	

- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल
 प्रभाव नहीं डालेगाः
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय समाघात नहीं होता:
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग, पारिश्थितिक तंत्र, प्रजातियों तथा
 आनुवांशिक विविधता सिहत जैव विविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा:
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग, स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

मैं / हम यह और घोषणा करते हूँ / हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, सत्य एवं प्रमाणिक है तथा मैं / हम किसी गलत़ / असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार रहूंगा / रहेंगे।

स्थान :	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम :
	पदनाम

Part B Declaration

I/We declare that:

- Collection and use of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources;
- Collection and use of proposed biological resources shall not entail any environmental impact;
- Collection and use of proposed biological resources shall not pose any risk to biodiversity including ecosystems, species, and genetic diversity;
- Collection and use of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities;

I/We further declare the Information provided in the application form is ture and correct and I/We shall be responsible for any incorrect/wrong information.

Place:	Signature	
Date:	Name:	
	Title:	

(तीन)

प्ररुप-दो

अपील के ज्ञापन का प्रारुप

(नियम 25 देखिए)

सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा

अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (जैसी भी स्थिति हो) के समक्ष (जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन अपील का ज्ञापन)

	अपील क 20
	Fig. 5. 12 tribum Lightness San
	अपीलार्थी (गण)

- Cons	विरुद्ध
**********	. प्रत्यार्थी (गण)
(यहाँ	, यथास्थित, प्राधिकरण / बोर्ड के पदनाम का उल्लेख करें)
इस ३	अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक के विरुद्ध अपील के ज्ञापन को अधिमानता देने की प्रार्थना करता है :—
1.	तथ्य:-
	(यहाँ मामले में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें) :
2.	आधार :
	(यहाँ उन आधारों का उल्लेख करें, जिन पर अपील की गयी है):
	(एक)
	(दो)
	(तीन)
3.	चाहा गया अनुतोष :
	(एक)
	(বা)

FORM II

Form of Memorandum of Appeal

(See rule 25)

BEFORE THE SECRETARY, MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS, GOVERNMENT OF INDIA,

NEW DELHI

OR

CHAIRPERSON, NATIONAL BIODIVERSTIY AUTHORITY

(as the case may be)

(Me		Pr Section 50 of the Biologica Noof 20	
	•••••	Appellant(s)	
	Vs.		
	•••••	Respondent(s)	
dated	The appellant begs to p	the Authority/Board, as the ca prefer this Memorandum of A d by the Respondent on t	ppeal against the order
1,	FACTS:		

- - (Here briefly mention the facts of the case):
- 2. GROUNDs:

(Here mention the grounds on which the appeal is made):

- (i)
- (ii)
- (iii)
- 3. RELIEF SOUGHT:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)

छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड से संबन्धित अधिनियम/नियम एवं दिशा निर्देश – 216

4.	प्रार्थना :-	
	(क) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते ह आदेश / निर्णय को अभिखंडित / अ	हुए, अपीलार्थी सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी के पास्त कर दिया जाये।
		कि सिद्धांत /नियम/विनियम सीमा तक
	(刊)	
5.	इसी अपील के लिए फीस के रूप में आदेश क	दिनांक के माध्यम से रु
	(रुपए) का भुगतान	को किया गया।
स्थान :		अपीलार्थी के हस्ताक्षर
तारीख:		मुद्रासहित
	Ч	п
	सत्याप	न
	में, अपीलार्थी, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि	उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास
के अनुसार	सत्य हैं।को सत्य	गपित ।
		अपीलार्थी के हस्ताक्षर / मुद्रासहित
	ч	ता
संत्राच -		अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
1011-	उस आदेश, निदेश या नीति निर्णय, जिसके विर	न्द्ध अपील की गई है, की अधिप्रमाणित प्रति।

4.	PRAY	ER:
	(a)	In the light of what is stated above, the appellant respectfully prays that the order/decision of the respondent be quashed/set-aside.
	(b)	The Policy/guidelines/rules/regulations framed by the Respondent be quashed/modified/annulled to the extent
	(c)	
5.	as fee	mount of Rs (Rupees) e for this appeal has been
	paid t	tovide order No
Place :		Signature and seal of the appellant
		Address:
		VERIFICATION
of my ii		appellant do hereby declare that what is stated above is true to the best tion and belief.
		day of
		Signature and Seal of the Appellant
		Address:

Signature of the Authorised representative of the appellant

Enclosures: Authenticated copy of the order, direction or policy decision, against which the appeal has been preferred.

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।। आदेश।।

रायपुर दिनांक 01-08-2015

क्रमांक एफ 8–4/2011/10–2: छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं जिला/ विकासखंड/ ग्राम पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee) के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए सप्तम एवं उत्तरदायी संस्था के रूप में प्रत्येक वनमंडल स्तर पर तकनीकी सहायता समूह का गठन किया जावेगा। जिले के वनमंडलाधिकारी उक्त तकनीकी सहायता समूह के नोडल अधिकारी/ समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

जैव विविधता समिति के नोडल अधिकारी निम्नानुसार वर्णित कार्य संपादित करेंगे :--

- तकनीकी सहायता समूह में कृषि/पशुपालन/उद्यानिकी/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विषय संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित कर वनमंडल स्तर पर तकनीकी सहायता समूह का गठन करेंगे।
- छच्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के निर्देशानुसार जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जिला / विकासखण्ड / पंचायत स्तरीय जैव विविधता समिति (Biodiversity Management Committee) का गठन करेंगे।
 - जैव विविधता पंजी तैयार करने में जैव विविधता समिति को मार्गदर्शन देंगे एवं उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे।
 - 4. छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के साथ-साथ उनका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कर बोर्ड को प्रतिवेदन देगें।
 - राज्य के Biological Heritage Sites के सर्वेक्षण एवं उनके संरक्षण संबंधी प्रस्ताव तैयार करेंगे।
 - 6. विभिन्न संस्थाओं से संबंधित जैव विविधता के मुद्दों एवं क्रियाकलापों पर छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड को प्रतिवेदन देंगे।
 - छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के मार्ग दर्शन में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे एवं जैव विविधता संरक्षण एवं संर्वधन संबंधित कार्यों का संपादन करेंगे।

Government of Chhattisgarh Forest Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, New Raipur

//ORDER//

No: F 8-4/20011/10-2

Raipur, Dated 01/08/2015

Technical Assistance Groups, as competent and responsible bodies, are to be constituted in each forest division for establishing co-ordination between Chhattisgarh State Biodiversity Board and Biodiversity Management Committees at district/ block/ village panchayat levels. The Divisional Forest Officers of the district will act as nodal officer/ co-ordinator of these Technical Assistance Groups.

The nodal officers of Biodiversity Committees will have the following responsibilities:

- Constitute Technical Assistance Groups at forest division level with the participation of technical specialists related with Agriculture/ Animal Husbandry/ Horticulture/ Tribal and SC Development/ Panchayats and Rural Development departments.
- Constitute Biodiversity Management Committees at district/ development block/ Panchayat levels as per the directives of Chhattisgarh State Biodiversity Board and in accordance with the provisions of the Biodiversity Act, 2002.
- Guide the Biodiversity Management Committees in preparation of Biodiversity Register and review their working.
- Implement, supervise and evaluate various projects run by Chhattisgarh State Biodiversity Board and submit reports to the Board.
- Conduct a survey to identify Biodiversity Heritage Sites in the state and prepare proposals for their conservation.
- Submit reports to Chhattisgarh State Biodiversity Board regarding biodiversity issues and activities by different institutions.
- Conduct different activities under the guidance of Chhattisgarh State Biodiversity Board and work for preservation and promotion of Biodiversity.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार (अनिल कुमार साहू) सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग पृष्ठां. क्रमांक एफ 8-4/2011/10-2 रायपुर, दिनांक 01/08/2015

प्रतिलिपि:-

- 1. अपर मुख्य सचिव, मानवीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
- 3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि / पशुपालन / उद्यानिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
- 4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
- 5. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन विभाग एवं अध्यक्ष, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड।
- 6, स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षंकं, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर।
- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर।
- 10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर।
- 11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड, रायपुर।
- 12. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
- 13. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
- 14. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) छत्तीसगढ।
- 15. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
- बोर्ड के नामांकित सदस्य श्री की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग This order will come into force with immediate effect.

In the name of]
Governor of Chhattisgarh and as per orders

(Anil Kumar Sahu) Secretary Government of Chhattisgarh, Forest Department

No: F 8-4/20011/10-2

Raipur, Dated 01/08/2015

Copy to:

- Additional Chief Secretary to Honourable Chief Minister, Government of Chhattisgarh, Chief Minister's Secretariat, Mantralaya, New Raipur
- Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Tribal and SC Development Department, Mantralaya, New Raipur
- Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Agriculture/ Animal Husbandry / Horticulture Departments, Mantralaya, New Raipur
- Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, New Raipur
- Special Assistant to Honourable, Minister for Forests and Chairman, Chhattisgarh State Biodiversity Board, Raipur.
- Staff Officer to Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Forests, Urban Administration and Development, Mantralaya, New Raipur
- Principal Chief Conservator of Forests, Chhattisgarh, Raipur
- 8. Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Chhattisgarh, Raipur
- 9. Managing Director, Chhattisgarh State Forest Development Corporation,
 Raipur
- Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce Federation, Raipur
- CEO, Chhattisgarh State Medicinal Plants Board, Raipur
- 12. Director, Urban Administration and Development Department, New Raipur
- 13. Director, Panchayats and Rural Development Department, New Raipur
- All Chief Conservators of Forests (Territorial)
- All District Collectors, Chhattisgarh
- All CEOs, District Panchayat, Chhattisgarh
- 17. Nominated member of Board Shri.....

 For information and necessary action

अध्याय-2

जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के क प्रचालन सम्बन्धी दिशानिर्देश

> राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) चेन्नई जनवरी, 2013

Chapter -2

Guidelines for Operationalization of Biodiversity Management Committees (BMCs)

National Biodiversity Authority (NBA) Chennai January 2013 111

जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन सम्बन्धी दिशानिर्देश

भाग-1: प्रचालन

1.1 बीएमसी के गठन में एसबीबी, संस्थानों व नागरिक समाज की भूमिका

बीएमसी के गठन की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों व अन्य हाशिये के समुदायों सहित ग्राम सभा के सभी हितधारकों को शामिल किया जायेगा ताकि राज्य की और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी परामर्श सुनिश्चित हो सके।

बीएमसी के गठन में संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों या तकनीकी सहायता समूहों (टीएसजी) द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभायी जा सकती है। ऐसे इलाकों, जो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध हैं व ऐसे स्थानों जिनमें जनसामान्य की रूचि है या उनका समर्थन उपलब्ध है, की पहचान की जाकर बीएमसी की स्थापना की जा सकती है। तकनीकी दृष्टि से सक्षम समूह, बीएमसी के गठन व परिचालन और उपयुक्त स्थानों की पहचान में हर संभव सहायता प्रदान कर सकते हैं।

राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) को अपने बजट का एक हिस्सा, बीएमसी के गठन के लिए निर्धारित करना पड़ सकता है। इसमें बीएमसी के गठन के लिए संभावित स्थानों की पहचान के कार्य में नागरिक समाज संगठनों व टीएसजी को शामिल करने में होने वाला व्यय शामिल है।

स्थानीय संस्था यह प्रयास करेगी कि बीएमसी का, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के कार्य से जुड़ी ग्राम स्तर की अन्य संस्थाओं से समन्वय हो सके।

1.2 बीएमसी का, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के कार्य से जुड़ी ग्राम स्तर की अन्य संस्थाओं से समन्वय

बीएमसी का गठन स्थानीय संस्था द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनभागीदारी वन/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समितियों के सदस्यों व उद्यानिकी/वनस्पति विज्ञान के जानकारों/जनजातियों के प्रमुखों, वैद्यों आदि में से किया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

बीएमसी में संबंधित सरकारों द्वारा उनके वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए या प्रशासनिक आदेशों द्वारा गठित पहले से विद्यमान समितियों के सदस्यों को भी लिया जा सकता है।

Guidelines for Operationalization of BiodiversityManagement Committees (BMCs)

SECTION I: OPERATIONAL ASPECTS

1.1 Role of SBBs, Institutions and Civil Society in the formation of BMCs

The process of BMC formation would involve all the stakeholders in the gram sabha including tribal groups and other marginalized communities to ensure an effective consultative process to meet the requirements of the state and local conditions.

BMC formation can possibly be mediated through institutions or civil society organizations or Technical Support Groups (TSGs). Potential areas rich in biodiversity and locations where there is popular interest or support should be identified and BMCs established. Technical Support Groups can extend all possible help in identification, formation and operationalization of BMCs.

The State Biodiversity Boards may require a percentage of the funds earmarked for the establishment of each BMC. This may include costs incurred by the SBBs in involving civil society organizations and TSGs in identifying potential areas for BMC formation.

The local body shall make efforts to integrate BMCs to other village level committees related to natural resources management.

1.2. Integration of BMCs to other village level committees related to natural resource management

The BMC will be constituted by the local body with members of the Participatory forest/natural resources management committees members, including from members of horticulture/vaids/foot botanists/tribal heads., etc., based on the local conditions. The SBB should issue suggestive list of persons to be included in the BMC. The representation may be flexible to meet the local requirements.

The Biodiversity Management Committee may also draw its members from amongst the existing committees which have been formed under statutory powers/administrative orders of the respective Governments.

1.3 परिचालन प्रारंभ करने हेतु निर्धारित समायावधि

बीएमसी के गठन के तुरंत बाद उसे कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए और निर्धारित कार्यों को 12 माह की अविध में पूरा किया जाना चाहिए। स्टार्टअप बीएमसी राशि का कोई हिस्सा व्यय नहीं हो पाता है उसे बाद में खर्च किया जा सकता है। बीएमसी को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह उसे स्वीकृत अनुदान की राशि में से से 50 प्रतिशत को सुरक्षित रख ले और उसके ब्याज से अपनी गतिविधियों का संचालन करे।

1.4 बीएमसी का कार्यालय

बीएमसी स्थानीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यालय में संचालित होगी।

1.5 बीएमसी का कार्यकाल

बीएमसी का कार्यकाल पांच वर्ष / संबंधित स्थानीय संस्था के कार्यकाल के बराबर होगा। परंतु नई सिमित के गठन तक पुरानी सिमिति कार्य करती रहेगी।

1.6 बीएमसी स्टार्टअप के लिए धन राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

प्रत्येक राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य में जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध इलाकों व सामाजिक दृष्टि से जागृत इलाकों के आधार पर यह निर्धारण करेगा कि राज्य में कितनी संख्या में बीएमसी की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा मांगी गई राशि उपलब्ध करवाएगी। एसबीबी को यह सलाह दी जाती है कि वे हर बीएमसी को व्यय का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त करने के बाद किश्तों (दो से चार) में धनराशि जारी करें।

क्र.	विवरण	ग्राम स्तर बीएमसी रूपए	ब्लॉक स्तर बीएमसी रूपए	जिला स्तर बीएमसी रूपए
1.	बैंक खाता खोलने पर	10,000	13,344	16,600
2.	स्टेशनरी व कार्यालय सामग्री का क्रय	15,000	20,000	25,000
3.	बैठकों का आयोजन (प्रतिवर्ष दो बैठकें)	3,000	4,000	5,000
4.	बीएमसी का एक प्रशिक्षण और पंचायत की सामान्य जैव विविधता रूपरेखा तैयार करना	7,000	9,328	11,740
5.	बीएमसी का गठन	25,000	33,328	41,660
	स्टार्टअप धनराशि (कुल)	60,000	80,000	1,00,000

1.3 Time period for operationalization

Once a BMC is formed, its operation should commence immediately and a set of tasks completed in a period of 12 months. Any, unspent part of the startup BMC fund may be utilized at a later date. BMCs may be authorized to retain up to 50% of the sanctioned grant amount and make use of the interest for conducting their activities.

1.4 Office of the BMC

The BMC will function from the office premises to be provided by the local body.

1.5 Tenure of the BMC

The tenure of the BMC will be five years / co terminus with the tenure of the local body however, the existing BMC will continue to operate, until a new committee is constituted.

1.6 Methodology of BMC Startup Fund Release

Each State Biodiversity Board shall arrive at a realistic number of BMCs to be established in the state based on biodiversity rich areas and socially conscious areas. The National Biodiversity Authority (NBA) on its part shall release the amount requested by the State Biodiversity Boards (SBBs). The SBBs are advised to release the amount to each BMC in instalments (2-4) instalments after obtaining either a Statement of Expenditure and an Utilisation Certificate (UC). No copies of bills should be insisted upon by the SBBs

No.	Item	Village Level BMC Rs.	Block level BMC Rs.	District level BMC Rs.
1.	On opening of Bank account	10,000	13,344	16,600
2.	Purchase of Office equip- ment including stationary	15,000	20,000	25,000
3.	Conduct of meetings (2meetings in a year)	3,000	4,000	5,000
4.	One training to BMC and Panchayat general BD profile	7,000	9,328	11,740
5.	Formation of BMC Start up Fund (Total)	25,000 60,000	33,328 80,000	41,660 1,00,000

1.7 बीएमसी की भूमिका व कार्य

जन जैव विविधता पंजी (पीबीआर) तैयार करने के अतिरिक्त बीएमसी निम्न कार्य सुनिश्चित करने में भागीदारी करेगी:

- जैविक संसाधनों का धारणीय उपयोग व संरक्षण
- स्थानीय जैव विविधता का पुनःस्थापन
- एसबीबी को आईपीआर, पारंपिक ज्ञान व जैव विविधता से जुड़ी स्थानीय समस्याओं की जानकारी देना और जहां कहीं संभव व अनिवार्य हो तो ऐसी जानकारी एनबीबी को देना।
- धरोहर वृक्षों, पशुओं / सूक्ष्म जीवों इत्यादि व पवित्र कुंजों व पवित्र जलाशयों सहित धरोहर स्थलों का प्रबंधन।
- जैविक संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बंटवारा ।
- आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों / पशुओं की पारंपिक प्रजातियों / किस्मों का संरक्षण।
- जैव विविधता शिक्षा व जैव विविधता के संबंध में समाज में जागृति लाना।
- जैविक—सांस्कृतिक प्रोटोकोल का दस्तावेजीकरण और इसकी प्रक्रिया का निर्धारण।
- धारणीय उपयोग व लाभों का बंटवारा ।
- पीबीआर में लेखबद्ध पारंपिरक ज्ञान की रक्षा।

1.8 बीएमसी की बैठकें

बीएमसी की वर्ष में कम से कम 4 और हर तीन माह में कम से कम एक बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बीएमसी के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य करेगा।

हर बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित और आधिकारिक सदस्यों को छोड़कर तीन होगा।

बीएमसी की बैठकों का कार्य विवरण

बीएमसी की बैठकों का कार्य विवरण तैयार किया जाकर स्थानीय संस्था / जिला नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। एसबीबी, बैठकों का कार्य विवरण तैयार करने, बैठक पंजियों के संधारण और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए प्रारूप उपलब्ध करवाएगी और पंजियों के अद्यतनीकरण व चर्चा के विवरण, पारित संकल्पों, ऑडिट इत्यादि के लिए प्रक्रिया निर्धारण करेगी जिससे बीएमसी स्तर पर प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण सुगम हो सके (परिशिष्ट 7)।

1.7 Roles and Functions of the BMCs

The BMCs would, in addition to the preparation of the People's Biodiversity Register (PBR), participate in ensuring:

- Conservation and sustainable utilization of biological resources
- Eco restoration of the local biodiversity
- Proper feedback to the SBB in the matter of IPR, Traditional Knowledge and local Biodiversity issues, wherever feasible and essential feedback to be provided to the NBA.
- Management of Heritage Sites including Heritage Trees, Animals/ Micro organisms etc., and Sacred Groves and Sacred Water bodies.
- Regulation of access to the biological resources and/ or associated
 Traditional Knowledge, for commercial and research purposes.
- Sharing of usufructs arising out of commercial use of bio resources
- Conservation of traditional varieties/breeds of economically important plants/animals.
- Biodiversity Education and Awareness building.
- Documentation, enable procedure to develop bio cultural protocols.
- Sustainable Use and Benefit Sharing.
- Protection of Traditional Knowledge recorded in PBR

1.8 Meetings of BMCs

BMC shall hold a minimum of 4 meetings in a year, and meet once at least in every 3 months.

The meetings shall be chaired by the Chairperson of the BMC, and in his/her absence, by any other member elected by the members present.

The quorum at every meeting shall be three including the chairperson and excluding official members.

1.9 Minutes of the BMC Meetings

Minutes/proceedings of the BMC Meetings will be drawn and submitted to the Local Body / District Nodal Officer. The SBB shall provide a format for drafting of minutes of the meetings, maintenance of meeting registers and alike, lay down the procedures for updating the registers & record of discussions, resolutions made, audit etc., which would facilitate Process Documentation at the BMC level (Annexure 7).

1.10 बीएमसी कार्य योजना

प्रत्येक बीएमसी एक कार्य योजना तैयार करेगी। जो जन जैव विविधता पंजी में दर्ज मान्य सूचनाओं पर आधारित होगा। तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) कार्य योजना की तैयारी में पथ प्रदर्शन करेगा। जैव संसाधनों के संरक्षण के लिए ऊपर वर्णित कार्यों के अतिरिक्त इसमें बीएमसी के किमेंयों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का विवरण होगा और उन वस्तुओं की सूची होगी जिनका भौगोलिक संकेतकों (जीआई) के रूप में पंजीकरण पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय जैव विविधता संसाधनों, जिनमें औषधीय पौधे और उनसे जुड़ा पारंपरिक ज्ञान शामिल है, के धारणीय उपयोग के लिए सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करना।

1.11 जैव विविधता अधिनियम के अनुरूप बीएमसी का क्षमता निर्माण

जैव विविधता अधिनियम 2002 के विस्तार व निहितार्थों से जुड़े वे मुद्दे जो बीएमसी के कार्य संचालन के संबंध में जागरूकता निर्माण में निम्न बिन्दु शामिल हो सके हैं:

जैव विविधता अधिनियम 2002, बीएमसी की भूमिका, बीएमसी की अन्य शासकीय विभागों जैसे वन, पर्यावरण, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, स्वास्थ्य, स्थानीय चिकित्सा प्रणालियां, शिक्षा इत्यादि के संबंध में भूमिका व प्रक्रियाएं।

- (अ) जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित अधिनियमों, नियमों और संस्थाओं के संबंध में जागरूकता निर्माण।
- (ब) राज्य, जिला व स्थानीय स्तर के चुने हुए प्रतिनिधियों सहित सरकारी व गैर-सरकारी एजेंसियों के विभिन्न स्तरों का क्षमता निर्माण।
- (स) बीएमसी सदस्यों की एसबीबी द्वारा चिन्हित बिन्दुओं पर क्षमता निर्माण व कौशल विकास। कौशल विकास में शामिल हो सकता है
- जन, जैव विविधता पंजी का निर्माण
- बीएमसी की प्रशासनिक प्रक्रिया
- लेखा संधारण / ऑडिट
- बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे
- पहुंच और लाभ वितरण से संबंधित मुद्दे
- शुल्क लगाया जाना
- कार्य योजना, परियोजना रपट व वार्षिक रपट तैयार करना
- जैव विविधता से संबंधित सभी अधिनियम व नियम जैव विविधता धरोहर स्थलों का प्रबंधन

1.10 BMC Action Plan

Each BMC shall prepare an Action Plan, drawing information validated in the People's Biodiversity Register. The Technical Support Group (TSG) shall guide in the preparation of the action plan. The Action Plan may include in addition to the steps outlined for conservation of the bio resources, the training needs identified for the personnel of the BMC and the list of potential items for consideration for registration as Geographical Indicators (G.I).

To draw a management micro plan for the sustainable use of local biodiversity including medicinal plants and associated traditional knowledge.

1.11 Capacity Building on BD Act and BMCs

Awareness Building on Biological Diversity Act 2002, its scope and implications with issues specific to operation of Biodiversity Management Committees (BMCs), may include:

Awareness building on the Biodiversity Act 2002, the role of Biodiversity Management Committees, the procedures, the role of BMCs with various associated departments of the Government such as Forests, Environment, Tribal Welfare, Rural Development, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Fisheries and Aquaculture, Poultry, Health, Local systems of Medicine, Education etc.

- Awareness building on the Acts, Rules and Institutions pertaining to the Conservation of Biodiversity at large.
- Capacity Building at various levels of Government and Non Governmental Agencies including the elected representatives at State, District and Local levels.
- Capacity Building and Skill development of BMC members as identified by SBB. The areas of skill building may include:
- Preparation of PBR
- Administrative procedures of BMC
- Maintenance of accounts/audit.
- Intellectual Property Issues.
- Access and Benefit Sharing issues.
- Levy of fees.
- Preparation of Action Plan, Project Report, Annual Report.
- All Acts and Rules pertaining to Biodiversity
- Management of Biodiversity Heritage Sites

भाग 2: आर्थिक पहलू

2.1 बीएमसी के आर्थिक संसाधन

बीएमसी निम्न तरीकों से अपने लिए धन की व्यवस्था करेगी:

- (अ) एनबीए, एसबीबी व राज्य सरकार से प्राप्तियां (अनुदान व ऋण)। इसके अतिरिक्त बीएमसी दान, भारत सरकार व राज्य सरकारों के विभागों, अन्य केंद्रीय व राज्य बोर्डों व संस्थानों और कार्पोरेट संस्थाओं से व दान के ज़रिए धन की व्यवस्था कर सकेगी।
- (ब) शुल्क, लाइसेंस शुल्क, लेवी, रॉयलटी व अन्य प्राप्तियां।
 पारदर्शिता व अनुश्रवण को सुगम बनाने के लिए बीएमसी दोनों श्रेणियों से प्राप्त होने
 वाली धनराशि अलग—अलग बैंक खातों में रखेगी।

2.2 बीएमसी का वित्तपोषण व उनके लेखा का संधारण

एसबीबी की सिफारिश पर राज्य सरकार हर जिले में बीएमसी के पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इससे जुड़े किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। यह नोडल अधिकारी एसबीबी के प्रति जिम्मेवार होगा।

बीएमसी विभिन्न स्त्रोतों जैसे एनबीए, एसबीबी, अनुदान, दान, भारत सरकार व राज्य सरकारों के संबंद्ध विभागों, अन्य केंद्रीय व राज्य बोर्डों, संस्थाओं व कार्पोरेट संस्थाओं से संसाधन जुटाने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी।

स्टार्टअप राशि एनबीबी या एसबीबी से प्राप्त की जा सकेगी। राज्य सरकार अपने बजट में एसबीबी के वित्त पोषण के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगी और एसबीबी के जरिए बीएमसी को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी।

एसबीबी, बीएमसी को इस आशय का पत्र देगी कि बीएमसी का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है ताकि बीएमसी बैंक में खाता खोल सके।

एसबीबी, बीएमसी को सीधे वित्त पोषित करेगी और इससे संबंधित जानकारी संबंध जिला स्तरीय नोडल अधिकारी / वन मंडल अधिकारी / जिला प्रशासन / जिला परिषद को देगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) व व्यय का विवरण एसबीबी को प्रस्तुत किया जाएगा। बीएमसी यथोचित उस संस्था एनबीए / एसबीबी इत्यादि को उपयोगिता प्रमाण पत्र देगी जिससे उसे धनराशि प्राप्त हुई। बीएमसी के बैंक खाते व कोष का संचालन संयुक्त रूप से बीएमसी के अध्यक्ष व सचिव द्वारा किया जाएगा। बीएमसी का सचिव बीएमसी के लेखा का संधारण करेगा। लेखा प्रक्रिया एसबीबी द्वारा निर्धारित की जाएगी और वही लेखा संधारण का प्रारूप उपलब्ध करवाएगा। एसबीबी एक चेकलिस्ट तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखा का ठीक ढंग से संचालन हो रहा है और उसे उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

SECTION II FINANCIAL ASPECTS

2.1 Financial Resources for BMCs

BMCs shall generate funds through the following modes:

- Receipts (grants and loans) from NBA, SBB and State Government. In addition, BMCs may access funds from various sources including raising donations, line departments of Government of India and state governments, other Central and State Boards, institutions and corporate bodies.
- b) Receipts from fee, license fee, levies, royalties and other receipts.
 For purpose of transparency, monitoring and follow up, each BMC shall maintain bank accounts separately for both categories of receipts.

2.2 Funding BMCs and maintenance of their accounts

The State Government on the recommendation of the SBB shall designate Nodal officers for each of the districts to oversee the various matters of the BMC. An officer from appropriate line department relevant to the local conditions may be appointed as Nodal Officer, who will report to the SBB.

BMC should draw a plan of Action for accessing resources from various sources such as – NBA, SBB, Grants, Donations, Various line departments of Government of India and the State Governments, other Central and State Boards, Institutions, Corporate Bodies etc.,

Start up funds may be obtained from the NBA, SBB. The state government may make appropriate provision in the budget for funding SBBs and provide financial support through SBBs to the BMCs.

The SBB shall facilitate the BMC to open a Bank Account with an Enabling Letter that BMC have been formed in accordance with The Biological Diversity Act, 2002.

The SBB shall fund the BMC directly and the concerned district level Nodal officer/ the DFO /District Administration/ Zilla parishad shall be duly informed. The Utilization Certificate (UC) along with the Statement of Expenditure should be submitted to the SBB. The BMC would give Utilization Certificate (UC) to the appropriate authority from whom they received the Funds/NBA/SBB etc., as required.

All the funds of the BMC will be operated jointly by the Chairperson and the Secretary of the BMC.

The Secretary of the BMC will maintain the accounts of the BMC. The accounting procedures will be drawn up and format for the maintenance of the accounts will be provided by the SBB. The SBB will also draw a check list to ensure that there is proper maintenance and submission of accounts.

लेखा का ऑडिट प्रतिवर्ष इस हेतु विशेष रूप से नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा और बीएमसी ऑडिट किए हुए लेखा को पारित करने के बाद उसे स्थानीय संस्था व एसबीबी को उपलब्ध कराएगी।

बीएमसी के सदस्यों व उसके सचिव को उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) देने की प्रक्रिया और वार्षिक रपट तैयार करने व बीएमसी द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुरूप स्थानीय जैव विधिता के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक संसाधनों का उपयोग करने से संबंधित प्रशिक्षण व शिक्षण दिया जाएगा।

राज्य सरकार एसबीबी की सिफारिशों के आधार पर और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में प्रवते हुए नोडल / जिला स्तरों पर पर्याप्त धनराशि और कर्मी उपलब्ध करवाएगा ताकि अधिनियम का अनुपालन हो सके। यह धनराशि एसबीबी के जरिए उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

2.3 धनराशि की अभिरक्षा

बीएमसी की निधियां एक बैंक खाते में रखी जाएंगी। बीएमसी की निधियों की अभिरक्षा की ज़िम्मेदारी स्थानीय/जिला प्रशासन की स्थायी स्थापना के किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी जो धनराशि की प्राप्ति उसे जमा करवाने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय उसकी सुरक्षा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा और लेखा संधारण व ऑडिट के लिए उपयुक्त रिकार्ड रखेगा।

बीएमसी यथांसंभव सभी भुगतान चैक के ज़रिए करेगा और नकद लेनदेन से बचेगा।

बीएमसी को उपकरण, फर्नीचर व अन्य सामग्री की खरीदी करनी होगी और इनके संधारण, देखभाल व इनके इस्तेमाल के लिए परामर्शदात्री सेवाओं व तकनीकी और प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ सकती है।

सामग्री व सेवाओं का क्रय करते समय धनराशि का कार्यक्षम व उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। खरीदी आदि के संबंध में स्थानीय संस्थाओं में लागू मानक नियमों का पालन किया जाएगा।

2.4 बीएमसी द्वारा व्यय की प्रक्रिया

प्रत्येक बीएमसी को उसके स्तर के अनुरूप स्टार्टअप फंड उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका वितरण निम्नांकित तरीके से होगा।

2.5 जन जैव विविधता पंजी पर व्यय की प्रक्रिया

जन जैव विविधता पंजी (पीबीआर) तैयार करने के लिए निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल निम्न तरीके से किया जा सकेगा। The accounts would be audited annually by an Auditor specially appointed for the purpose and after being passed by the BMC will be given to the local body and the SBB.

The members of the BMC and the Secretary of the BMC should be trained and educated on the procedure for giving Utilization certificate (UC) and accounting procedures including preparation of Annual Report and utilization of the resources in accordance with the Action Plan drawn up by the BMC, prioritizing the conservation of the local biodiversity.

The State Governments upon the recommendation of the SBB shall provide adequate fund and support staff at Nodal/district levels, to carry out the implementation of the Act, keeping in view the priorities and importance of the regional issues. Such funds may be routed through the SBB.

2.3 Custody of funds

The funds of the BMCs will be kept in a bank account. The custody of the funds of the BMC is the responsibility of the person belonging to the permanent establishment like local / district administration and will take necessary steps for safeguarding during receipt, deposition and transmission of the money, maintain suitable records for purposes of accounting and auditing.

The BMC shall issue cheques for making payments and by and large avoid cash transactions. BMCs may require the procurement of good, equipments, furniture and other supplies and services like consultancy, upkeep and maintenance, other management services, technical services and expert assistance.

Procurement of goods and services can be made in a most efficient and judicious manner keeping in view the financial properties of the funds. Standard rules and regulations governing purchases etc., on such activity relevant in the Local bodies may be adhered to.

2.4 Modus Operandi of Expenditure for BMC

A startup fund, appropriate for its level may be provided for each BMCs and a manner of disbursement would be in the manner prescribe below:

2.5 Modus Operandi of Expenditure for People's Biodiversity Register

Funds earmarked for preparation of People's Biodiversity Registers (PBRs) may be utilized in the following manner:

क्र.	मद	ग्राम स्तर बीएमसी और पीबीआर (रूपए में)	ब्लॉक / ताल्लुक स्तर बीएमसी और पीबीआर (रूपए में)	जिला स्तर बीएमसी और पीबीआर (रूपए में)
1	पीबीआर तैयार करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए धनराशि	15,000	20,000	30,000
ill Co	चरण-1	MACHINE LINE		19
1	जागरूकता / पीआरए अभियान	5,000	10,000	15,000
2	कौशल विकास/फील्ड विजिट/बैठकें	10,000	10,000	20,000
3	प्राथमिक आंकड़ों का संकलन	20,000	20,000	35,000
	चरण-2			
4	आंकड़ों का अध्ययन, दस्तावेजीकरण और मसविदा तैयार करना	20,000	30,000	40,000
5	पीबीआर का मुद्रण	10,000	20,000	30,000
6	तकनीकी सहायता समूह / कर्मियों का यात्रा व्यय व दैनिक भत्ता	25,000	25,000	40,000
7	विविध व्ययं	10,000	15,000	20,000
	कुल	1,15,000	1,50,000	2,30,000

2.6 चैकों पर हस्ताक्षर और स्थायी स्थापना के कर्मियों के लिए व्यवस्था

चैकों पर हस्ताक्षर बीएमसी के अध्यक्ष व सचिव द्वारा किए जा सकते हैं। सचिव वन / पंचायती राज विभाग इत्यादि के स्थायी स्थापना का सदस्य होना चाहिए। बीएमसी का सचिव बीएमसी के लेखा का संधारण करेगा। यह कार्य स्थायी स्थापना के सदस्य के लिए अतिरिक्त प्रभार माना जाएगा अतः प्रत्येक सचिव को उसकी सेवाओं के लिए उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार एसबीबी के परामर्श से उपयुक्त आदेश / संकल्प जारी कर सकेगी।

2.7 रोकड़ बही

बीएमसी को रोकड़ वही बनानी होगी। रोकड़ वही में सभी नगद / बैंक लेनदेन की प्रविष्टि की जाएगी। रोकड़ बही में सभी रसीदों / नगद भुगतान प्रमाणपत्रों के रिकॉर्ड की पृष्ठ संख्या दर्ज होनी चाहिए। नगद लेनदेन की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में की जानी चाहिए।

No	Item	Village level BMC & PBR (in Rs.)	Block/Taluk level BMC & PBR (in Rs.)	District level BMC & PBR (in Rs.)
1	Amount apportioned for SBB to meets its expendi- ture for undertaking various activities during the prepa- ration of PBR	15,000	20,000	30,000
	PHASE-I			The state of the s
1	Awareness/PRA exercise	5,000	10,000	15,000
2	Skill development/field visit /Meetings	10,000	10,000	20,000
3	Collection of primary data PHASE-II	20,000	20,000	35,000
4	Processing of data / documentation /drafting	20,000	30,000	40,000
5	Printing cost of PBR	10,000	20,000	30,000
6	Remuneration /TA/DA to Technical Support group /personnel	25,000	25,000	40,000
7	Miscellaneous charges Total	10,000 1,15,000	15,000 1,50,000	20,000 2,30,000

2.6 Signing of cheques and support for member of the permanent establishment

Cheques may be signed by the Chairperson and the Secretary of the BMC. The Secretary should be from permanent establishment like forest/panchayat raj Department etc., The Secretary of the BMC will maintain the accounts of the BMC. This task would be treated as an Additional Charge for the member of the permanent establishment. And therefore suitable honorarium in rupees would be paid for the services rendered to every Secretary. In this regard the State Government may issue a suitable Government Order/Resolution in consultation with SBB.

2.7 Cash Book

A Cash Book is to be maintained by the BMC. All records of cash/ bank transaction are to be recorded in the cash Book. While compiling the cashbook, page numbers of all receipts / cash payments record of certificates must be maintained. Cash payments must also be recorded in the cash book

2.8 व्यय पर नियंत्रण

बीएमसी के अध्यक्ष, वित्तीय अनुशासन लागू करने और हर कदम पर मितव्ययिता बरतने के लिए जिम्मेदार होंगें।

सचिव निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, लेखा का संधारण करने और उसे अद्यतन रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

2.9 बैंक मिलान विवरण

प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को रोकड़ बही और बैंक खाते की शेष राशि का मिलान किया जाना चाहिए और रोकडिये को मिलान विवरण तैयार करना चाहिए। किसी माह में कोई व्यय न होने की स्थिति में, ऐसा विवरण तैयार करना अपेक्षित नहीं है।

2.10 व्यय का विवरण

धनराशि के प्राप्त होने या उसका व्यय होने की दशा में, निर्धारित समयाविध में, वित्तपोषण करने वाली एजेंसी को व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त धनराशि के कम से कम 80 प्रतिशत का व्यय हो जाने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा (प्रारूप परिशिष्ट में उपलब्ध है)।

2.11 बीएमसी व जैविक संसाधनों तक पहुंच, करारोपण व लामों का बंटवारा

बीएमसी एक पंजी का संधारण करेगी जिसमें जैविक संसाधनों तक पहुंच एवं उपलब्ध करवाए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण सिहत आरोपित शुल्कों, उनसे प्राप्त राशि व लाभ के बंटवारे से संबंधित सूचनाएं होंगी। इस पंजी का स्थानीय संस्था द्वारा समय—समय पर निरीक्षण किया जाएगा। शुल्क के आरोपण, लाभों के बंटवारे, धरोहर स्थलों व पवित्र कुंजों, जलाशयों आदि के प्रबंधन का कार्य एसबीबी की तकनीकी सहायता से किया जाएगा। इस हेतु एसबीबी स्थानीय विशेषज्ञों के तकनीकी सहायता समूहों का गठन करेगी जो राज्य / क्षेत्र / जिला स्तर पर बीएमसी को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएंगे।

2.8 Control of Expenditure

The Chairperson of the BMC is responsible for enforcing financial order and strict economy in every step.

The Secretary of the BMC is responsible for maintenance and upkeep of accounts in the prescribed manner.

2.9 Bank Reconciliation Statement

Balance in Bank and in the cash book should be reconciled in the last day of every month and the cashier should prepare the reconciliation statement. In case there is no expenditure, then such statement need not be prepared.

2.10 Statement of expenditure

A Statement of Expenditure upon receipt and expenditure of funds is to be submitted to the funding agency within the stipulated time. After expenditure of a minimum of 80% of the funds received, an Utilization Certificate in the prescribed format shall be submitted. (Format to be Annexed to the Guidelines)

2.11 BMCs and Access to Biological Resources, Levy and Benefit Sharing

The Committee (BMC) shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing; which shall be intermittently examined by the local body.

The issues related to collection fee, benefit sharing and management of heritage sites, sacred groves, water bodies etc., will be done in consultation with the technical support of the SBB, and the SBB shall in this regard set up technical support groups comprising of local experts to provide necessary assistance to the BMC at State/Regional/District level.

भाग 3: तकनीकी पहलू

3.1 छठवीं अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र

छठवीं अनुसूची क्षेत्रों के मामले में, स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थाओं के स्तर पर बीएमसी का गठन किया जाएगा। स्थानीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि बीएमसी का वर्तमान में कार्यरत स्थानीय संस्थाओं से उचित समन्वय हो सके। इस हेतु नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी और अन्य संस्थाओं के सदस्यों को बीएमसी का, व बीएमसी के सदस्यों को अन्य संस्थाओं का सदस्य नियुक्त जाएगा।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड, नस्लीय व सांस्कृतिक विविधताओं का

संज्ञान लेते हुए, बीएमसी के सदस्यों के नामांकन के संबंध में सलाह दे सकेगा।

3.2 बीएमसी के सशक्तिकरण के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)

एसबीबी, जिला स्तर पर तकनीकी सहायता समूहों का गठन करेगी जिनमें ऐसे अधिकारी/संस्थान/व्यक्ति शामिल किए जाएंगे जो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता से संबंधित मुद्दों के जानकार व विशेषज्ञ हों। ये समूह बीएमसी का उसके कार्यसंचालन में मार्गर्शन करेंगे। बीएमसी, स्थानीय तकनीकी सहायता समिति की सहायता/मार्गदर्शन में जन जैव विविधता पंजियों का संधारण, प्रमाणीकरण व मान्यकरण करेगी। इन पंजियों की एक प्रति एसबीबी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

उपयुक्त स्तर (राज्य/क्षेत्र/जिला) पर गठित तकनीकी सहायता समूह, संग्रहण शुल्क, लाभों के बंटवारे व धरोहर स्थलों, पवित्र कुंजों व जलाशयों के प्रबंधन में बीएमसी की सहायता करेगी। जिला स्तर पर तकनीकी सहायता समूह का गठन, वन, कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा व मत्स्य पालन विभागों, स्थानीय शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों, स्वायत्त जिला परिषदों, गैर—सरकारी संस्थाओं व जड़ी—बूटियों का इस्तेमाल करने वाले चिकित्सकों के प्रतिनिधियों को, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप, शामिल कर किया जाएगा।

तकनीकी सहायता समूह, स्थानीय पौधों, जंतुओं व इनसे संबंधित पारंपरिक जानकारियों व विभिन्न समुदायों की इनके संरक्षण के लिए प्रचलित विधियों के संबंध में जानकारियां संकलित करने व

उन्हें सूचीबद्ध करने में बीएमसी की सहायता करेंगे।

3.3 अनुश्रवण

राष्ट्रीय जैव विविधिता प्राधिकरण प्रत्येक दो वर्षों में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन कर सकेगा जो बीएमसी के कार्यों की समीक्षा करेगी और समय—समय पर दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन कर सकेगी। इस समिति में मैदानी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, सदस्य—सचिव व अन्य शामिल होंगे।

3.4 पीबीआर व उनमें दर्ज सूचनाओं की अभिरक्षा बीएमसी, जन भागीदारी पंजी में दर्ज सूचनाओं और जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी व ग्राम सीमा के बाहर के व्यक्तियों व एजेंसियों की इन सूचनाओं तक पहुंच का नियमन करेगी। पंजियों तक पहुंच के संबंध में लिखित अभिलेख एसबीबी / तकनीकी सहायता समूह की सलाह से रखे जाएंगे। जन जैव विविधिता पंजी में दर्ज किसी जानकारी / सूचना के इस्तेमाल की विधिवत व यथोचित अभिस्वीकृति की जाएगी।

3.5 बीएमसी व जैव विविधता धरोहर स्थल जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की संरक्षा करने के लिए बीएमसी को प्रोत्साहित करने हेतु किसी स्थान को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करने वाली बीएमसी के नाम पर एक

SECTION III TECHNICAL ASPECTS

3.1 Areas covered by the Sixth Schedule

In case of sixth schedule areas, BMCs shall be formed at the levels of local institutions recognized by Autonomous District Councils. The Local Bodies shall ensure that the Biodiversity Management Committees are integrated with the existing local institutions by cross membership and regular coordination meetings.

The concerned State Biodiversity Board in the North Eastern states will provide a suggestive list of members for the constitution of the Biodiversity Management Committees duly taking into cognizance the ethnic and cultural

diversity.

3.2 Technical Support Groups (TSG) for strengthening BMCs

The SBB shall formulate District level technical support groups (TSGs) comprising of officials/ institutions /people of excellence and expertise in the biodiversity issues at local level, which should guide the BMC in its operation. The People's Biodiversity Registers shall be maintained, authenticated and validated by the Biodiversity Management Committees with the assistance/guidance of the Local Technical Support Committee, a copy of which would be made available to the SBB.

The TSGs established at the appropriate level (State/Regional/ District) shall assist BMCs with regard to collection fee, benefit sharing and management

of heritage sites, sacred groves and water bodies.

The Technical Support Group shall be formed at district level including representative from the departments of Forests, Agriculture, Horticulture, Veterinary and Fishery, Local Educational and Research Institutions, Autonomous District Councils, Non Governmental Organisations, Herbal Practitioner etc. based on the local conditions.

The Technical support group shall assist the BMC in listing local names of flora, fauna, traditional knowledge relating to flora and fauna, and current practices of communities regarding conservation within its territorial

jurisdiction, to be included in the PBR.

3.3 Monitoring

The National Biodiversity Authority (NBA) may constitute every two years a Committee of Experts consisting field officers, scientists, academicians, member secretaries and others to review the workings of BMCs to amend the guidelines from time to time.

3.4 Custody of PBRs and information therein

The BMC shall ensure the protection of the knowledge recorded in the People's Biodiversity Register principally in the matters of regulation of access to agencies and individuals outside the village limits. Access to registers need to be recorded in writing and maintained in consultation with SBB/ Technical Support group. Use of any information/knowledge from PBR should be duly and properly acknowledged

3.5 BMCs and Biodiversity Heritage Sites

To incentivize BMCs to protect more areas of biodiversity importance, a sum

राष्ट्रीयकृत बैंक में रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार) की धनराशि जमा की जाएगी। इस धनराशि के ब्याज का इस्तेमाल बीएमसी अपनी गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए कर सकेगी।

3.6 विवादों का निपटारा

एक जिले की एक या एक से अधिक बीएमसी के बीच किसी भी प्रकार का विवाद, निराकरण हेतु नोडल अधिकारी/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

000

of Rs.50,000/= (Rupees fifty thousand only) would be deposited in a nationalized bank in the name of BMCs declaring Biodiversity Heritage Sites (BHS). The interest of the said amount can be use by the BMC to pursue activities that aid in strengthening the efforts.

3.6 Resolution of Disputes

Disputes between/amongst BMCs in the same district may be referred to the Nodal Officer/ CEO ZP /District Magistrate.

000

परिशिष्ट-1

ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श बीएमसी संकल्प ग्राम पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

संकल्प क्रम ग्राम पंचायत	दिनांकदिनांक न का नाम	तालुका	ਗਿলা
	341 11 1	सासुपग	101011
दिनांक	को पर्वान्ह / अपर	गन्हबजे अध्यक्ष की अध्यक्षता	
ग्र	ाम पंचायत कार्यालय में श्री	अध्यक्ष की अध्यक्षता	में ग्राम पंचायत की
बै	ठक आयोजित की गई और सभी स	दस्यों की सहमति से जैव विविधता	अधिनियम, २००२ की
		4 की धारा 22 व जैव विविधता नियम	
		जैव विविधता प्रबंधन	
	न / पांच वर्षों की अवधि के लिए किय		
	सदस्यों का विवरण		

क्रमांक	पूरा नाम व पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनुसूचित जाति/ जनजाति सदस्य	
5	(*)		सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव	

जैव विविधता समिति निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

- अपने क्षेत्राधिकार में जैविक संसाधनों का संरक्षण व धारणीय उपयोग ।
- अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक गैर–कानूनी पहुंच पर रोक।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक पहुंच / उनके संग्रहण पर संग्रहण शुल्क आरोपित करना।
- स्थानीय वैद्यों व जैव संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले चिकित्सकों के संबंध में जानकारियों का संधारण।
- जैविक संसाधनों तक पहुंच एवं उपलब्ध करवाए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण सहित आरोपित शुल्कों, उनसे प्राप्त राशि व लाभ के बंटवारे से संबंधित सूचनाओं की पंजी का संधारण।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति जैव विविधता व उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण।
- 8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वजैव विविधता बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार जैव विविधता कोष का प्रबंधन व उपयोग।

हस्ताक्षर ग्राम पंचायत अध्यक्ष

हस्ताक्षर ग्राम पंचायत सचिव / स्थाई स्थापना का

Annexure 1

Model BMC Resolution at Gram Panchayat Level FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT GRAM PANCHAYATS

Name of	on No. Date:				
		Tabels s	Di-t	429	
Fram Pa	nchayat:	_ raiuk :	Disti	ict:	
he Gran	m Panchayat meeting was	s held	on at AM/PI	A in Gram	Panchava
	nder the Chairmanship				
	s,Biodiv				
Biologica	al Diversity Act 2002 and			P. C.	0
	Biological Divers	sity Rules 200	05, for the period of three	/ five years.	
	of Committee Members				
	Full Name and Address	Age	Category	Signature	
2			Chairman		
3			Woman member		
4			Woman member SC/ST member		
5		_	Member		
6		\rightarrow	Member		
7			Secretary ()		
1. 2.	odiversity Management Co Conservation and susta Stop illegal access of bio	inable utilizat resources w	tion of bio resources with vithin its area of jurisdiction	on.	
3.	Furnishing of opin	ty Board on v	arious subjects as and v	hen required.	
4.	Levying charges by w commercial purpose wi	ay of collect	tion fees for accessin fiurisdiction, as per the a	g/collecting bio reso act.	ources fo
5.	Maintain data about loca	al vaidvae and	I practitioners using biol	ogical resources.	
6.	Maintain register contai traditional knowledge derived and mode of the	ning informat granted, det	ion about details of acc	ess of biological reso	ources and of benefit
7.	The Biodiversity Mana	agement Cor	al knowledge.		
8.	Management and use Biodiversity Authority a	of Biodiversi	ty Fund as per guidel	nes provided by th I from time to time.	e Nationa

विकास खण्ड स्तर पर आदर्श बीएमसी संकल्प विकास खण्ड/तालुक/मंडल पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

संकल्प क्रमांक	दिनांक		
विकास खण्ड	जिला		
दिनांक	को पूर्वान्ह/अपर	रान्हबजे	
ग्राम पंचायत कार्यालय में	श्री	अध्यक्ष की अध्यक्षता में विकार	न खण्ड पंचायत की बैठक
आयोजित की गई और स	भी सदस्यों की सहमति	से जैव विविधता अधिनियम, 200	02 की धारा 41(1) व जैव
		नियम 2005 के नियम	
जैव वि	विधता प्रबंधन समिति क	ग गठन तीन / पांच वर्षों की अवधि	वे के लिए किया गया।

समिति के सदस्यों का विवरण

133

क्रमांक	पूरा नाम व पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1	HARTE THE		अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्य	
5			सदस्य	
6	414.		सदस्य	
7			सचिव	

जैव विविधता समिति निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

- अपने क्षेत्राधिकार में जैविक संसाधनों का संरक्षण व धारणीय उपयोग। 1.
- 2. अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक गैर-कानूनी पहुंच पर रोक।
- आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई वजैव विविधता बोर्ड को 3. राय देना।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक पहुंच / उनके संग्रहण पर 4. संग्रहण शुल्क आरोपित करना।
- स्थानीय वैद्यों व जैव संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले चिकित्सकों के संबंध में जानकारियों का 5. संधारण।
- जैविक संसाधनों तक पहुंच एवं उपलब्ध करवाए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण सहित आरोपित 6. शुल्कों, उनसे प्राप्त राशि व लाभ के बंटवारे से संबंधित सूचनाओं की पंजी का संधारण।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति जैव विविधता व उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण। 7.
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वजैव विविधता बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार जैव 8. विविधता कोष का प्रबंधन व उपयोग।

Annexure 2

Model BMC Resolution at Gram Panchayat Level FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT BLOCK/TALUK/ MANDAL PANCHAYATS

Resolution No Name of the	Date:	
Block:	District:	and the second
The Block Panchayat meeting was held	on at	AM/PM in
Gram Panchayat office, under the Chairm with the consent of all the members,		
Committee was formed under Section 41(1) 22 of Biological Diversity Rules 2004 and	of Biological Dive	ersity Act 2002 and Rule
Biological Diversity Rules 2005, for the period	d of three / five yea	ars.

Details of Committee Members

SI. No. Full Name and Address	Age	Category	Signature
1		Chairman	
2		Woman member	
3		Woman member	
4		SC/ST member	
5		Member	
6		Member	
7		Secretary ()	

The Biodiversity Management Committee will be responsible for:

- Conservation and sustainable utilization of bio resources within its area of jurisdiction.
- Stop illegal access of bio resources within its area of jurisdiction.
- 3. Furnishing of opinion to National Biodiversity Authority, Chennai andBiodiversity Board on various subjects as and when required.
- Levying charges by way of collection fees for accessing/collecting bio resources for commercial purpose within its area of jurisdiction, as per the act.
- Maintain data about local vaidyas and practitioners using biological resources.
- Maintain register containing information about details of access of biological resources and traditional knowledge granted, details of collection fee imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.
- The Biodiversity Management Committee will also be involved in documentation of biodiversity and associated traditional knowledge.
- 8. Management and use of Biodiversity Fund as per guidelines provided by the National Biodiversity Authority and ______ Biodiversity Board from time to time.

Siganture taluk/ Block/ Mandal President

Signature executive officer Taluk/Block/Mandal Panchayat

परिशिष्ट-3

जिला पंचायत स्तर पर आदर्श बीएमसी संकल्प जिला पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

संकल	य क्रमांक	व	रेनांक		
जिला	ſ				
दिनां	क	को प	र्वान्ह / ३	अपरान्हबजे	
				अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला प	
				मति से जैव विविधता अधिनियम, 2002 की ध	
				धता नियम 2005 के नियम	
			विवय स	मिति का गठन तीन / पांच वर्षों की अवधि के	ालए किया गया।
सामा	त क सदस	यों का विवरण			
	क्रमांक	पूरा नाम व पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
	1			अध्यक्ष	
	2			महिला सदस्य	
	3			महिला सदस्य	
110	4			अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्य	
	5			सदस्य	
	6	***		सदस्य	
	7			सचिव	
जैव 1 1.		तमिति निम्न कार्यों वं क्षेत्राधिकार में जैविक		जिम्मेदार होगीः नों का संरक्षण व धारणीय उपयोग।	
2.	अपने ध	क्षेत्राधिकार में जैव सं	साधनों	तक गैर-कानूनी पहुंच पर रोक।	
3.	आवश्य	कतानुसार राष्ट्रीय उं ाय देना।	ोव विवि	धता प्राधिकरण, चैन्नई वं	नैव विविधता बोर्ड
4.		यम के प्रावधानों के ण पर संग्रहण शुल्क		अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक प त करना।	हुंच/उनके
5.	स्थानीर	य वैद्यों व जैव संसाध ांधारण।	ानों का	इस्तेमाल करने वाले चिकित्सकों के संबंध	। में जानकारियों
6.	जैविक	संसाधनों तक पहुंच पेत शुल्कों, उनसे प्र	एवं उप प्त राशि	नलब्ध करवाए गए पारंपरिक ज्ञान के विव ा व लाभ के बंटवारे से संबंधित सूचनाओं	रण सहित की पंजी का
7.	जैव वि	वेविधता प्रबंधन समि	ते जैव	विविधता व उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का	दस्तावेजीकरण।
8.	11 ×10	। जैव विविधता प्राधि विविधता कोष का प्र	करण व	जैव विविधता बोर्ड के दिशा	निर्देशों के अनुसा
हस्ता	क्षर जिला	पंचायत अध्यक्ष	991 9	हस्ताक्षर मुख्य कार्यकारी आ	धेकारी
			111	जिला पंचायत	-1,51,117

Annexure 3

Model Resolution at Zilla Panchayat Level FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT ZILLA PANCHAYATS

	olution No		Date:		
Dist					
	Zilla Panchayat meeting was	sheld	on at	AM/PM in	Zilla
Pane cons was Biolo Dive	chayat office, under the Chasent of all the members, formed under Section 41(spical Diversity Rules 2004 arsity Rules 2005, for the periods of Committee Members	airmansh 1) of Bio	ip of Sri the Biodiversity logical Diversity	e President, and Management Co Act 2002 and Ru	with the ommittee ule 22 of
S	il. No. Full Name and Address	Age	Category	Signature	
1			Chairman		
2			Woman member		100
3			Woman member		
4			SC/ST member		
5			Member		
6			Member		
7			Secretary ()		
The 1. 2. 3. 4.	resources for commerci	resource to Natio y Board o ay of co al purpos	es within its area of onal Biodiversity on various subjects llection fees for se within its area	sources within its furisdiction. Authority, Chens as and when recacessing/collector, as	nai and quired. cting bio s per the
5.	Maintain data about I				
6.	Maintain register contain resources and tradition	al know	wiedge granted,	their sharing	ction tee
7.	The Biodiversity Man	agement	l associated traditi	onal knowledge	oivea in
8.	Management and use of National Biodiversity Autime to time.	f Biodiver uthority a	rsity Fund as per only and	guidelines provid Biodiversity Bo	de by the pard from

Signature Cheif executive officer Zilla Panchayat

परिशिष्ट-4

नगर पालिका हेत आदर्श बीएमसी संकल्प

		नगर पालिका मे	जैव 1	विविधता प्रबंधन समितियों का ग	ाठन
संकल्प	क्रमांक	दि	नांक		
नगर प	ालिका क	ा नाम			
पालिका आयोजि विविधत	कार्याल ात की गर् ा नियम 2	य में श्रीई और सभी सदस्यों व 004 की धारा 22 व जै	 ही सहम व विविध	रान्हबजे अध्यक्ष की अध्यक्षता में नगर पा ति से जैव विविधता अधिनियम, 200 ता नियम 2005 के नियम ति का गठन तीन / पांच वर्षों की अवि	लिका परिषद की बैठक 2 की धारा 41(1) व जैव के अंतर्गत
	क्रमांक	पूरा नाम व पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
	1			अध्यक्ष	
	2 .			महिला सदस्य	
	3			महिला सदस्य	

1	अध्यक्ष
2.	महिला सदस्य
3	महिला सदस्य
4	अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्य
5	सदस्य
6	सदस्य
7	सचिव

जैव विविधता समिति निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

- अपने क्षेत्राधिकार में जैविक संसाधनों का संरक्षण व धारणीय उपयोग।
- 2. अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक गैर-कानूनी पहुंच पर रोक।
- 3. आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई वजैव विविधता बोर्ड को राय देना।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक पहुंच / उनके संग्रहण पर 4. संग्रहण शुल्क आरोपित करना।
- स्थानीय वैद्यों व जैव संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले चिकित्सकों के संबंध में जानकारियों का 5. संधारण।
- जैविक संसाधनों तक पहुंच एवं उपलब्ध करवाए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण सहित आरोपित 6. शुल्कों, उनसे प्राप्त राशि व लाभ के बंटवारे से संबंधित सूचनाओं की पंजी का संधारण।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति जैव विविधता व उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण। 7.
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वजैव विविधता बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार जैव 8. विविधता कोष का प्रबंधन व उपयोग।

हस्ताक्षर अध्यक्ष, नगर पालिका

हस्ताक्षर आयुक्त नगरपालिका

Model Resolution at Municipal Level FORMATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES AT ZILLA PANCHAYATS

	1 / 11 4	01111110	
Resolution No Name of the		Date:	
Municipal Council:			
The Municipal council me	eting wa	s held	on at AM/PN
The Municipal council medinZilla Panchayat office and with the consent of all the Committee was formed under 22 of Biological Diversity Rules 2005 Details of Committee Member	members Section 4 les 2004 5, for the p	s, 1(1) of Biological I and Rule	_ Biodiversity Managemer Diversity Act 2002 and Rul of
Sl. No. Full Name and Address	Age	Category	Signature
1		Chairman	
2		Woman member	
3		Woman member	
4		SC/ST member	
5		Member	
6		Member	
7		Secretary ()	

The Biodiversity Management Committee will be responsible for:

- Conservation and sustainable utilization of bio resources within its area of jurisdiction.
- Stop illegal access of bio resources within its area of jurisdiction.
- 3. Furnishing of opinion to National Biodiversity Authority, Chennai andBiodiversity Board on various subjects as and when required.
- Levying charges by way of collection fees for accessing/collecting bio resources for commercial purpose within its area of jurisdiction, as per the act.
- Maintain data about local vaidyas and practitioners using biological resources.
- Maintain register containing information about details of access of biological resources and traditional knowledge granted, details of collection fee imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.
- The Biodiversity Management Committee will also be involved in documentation of biodiversity and associated traditional knowledge.
- Management and use of Biodiversity Fund as per guidelines provided by the National Biodiversity Authority and ______ Biodiversity Board from time to time.

नगर निगम हेत आदर्श बीएमसी संकल्प

कल्प क्रमांक	दिन	नांक		
	नाम			
ानांक गर निगम काय ।योजित की गः विधता नियम 2	को पूर्वा र्गलय में श्रीई और सभी सदस्यों की 2004 की धारा 22 व जैव धन समिति का गठन ती	न्ह / अप ो सहमति व विविध	रान्हअध्यक्ष की अध्यक्षता में नगर निगम ते से जैव विविधता अधिनियम, 2002 की ध ता नियम 2005 के नियमके उ च वर्षों की अवधि के लिए किया गया।	गरा 41(1)
क्रमांव	ह पूरा नाम व पता	आय्	श्रेणी	हस्ताक्षर
क्रमांव	पूरा नाम व पता	आयु	श्रेणी अध्यक्ष	हस्ताक्षर
	पूरा नाम व पता	आयु		हस्ताक्षर
1	पूरा नाम व पता	आयु	अध्यक्ष	हस्ताक्षर
1 2	पूरा नाम व पता	आयु	अध्यक्ष महिला सदस्य	हस्ताक्षर
1 2 3	पूरा नाम व पता	आयु	अध्यक्ष महिला सदस्य महिला सदस्य	हस्ताक्षर
1 2 3 4	पूरा नाम व पता	आयु	अध्यक्ष महिला सदस्य महिला सदस्य अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्य	हस्ताक्षर

- आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई वजैव विविधता बोर्ड को राय देना।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों तक पहुंच / उनके संग्रहण पर संग्रहण शुल्क आरोपित करना।
- स्थानीय वैद्यों व जैव संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले चिकित्सकों के संबंध में जानकारियों का 5. संधारण।
- जैविक संसाधनों तक पहुंच एवं उपलब्ध करवाए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण सहित आरोपित 6. शुल्कों, उनसे प्राप्त राशि व लाभ के बंटवारे से संबंधित सूचनाओं की पंजी का संधारण।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति जैव विविधता व उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण। 7.
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वजैव विविधता बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार जैव 8. विविधता कोष का प्रबंधन व उपयोग।

FORM	ATION OF BIODIVER	RSITY M	ANAGEMENT COME HAYATS	MITTEES AT Z	ZILLA
Name of the Municipal The Municipal In President, Manageme 2002 and	Corporation: cipal Corporation m Zilla Panchayat of and with the conser ent Committee was for Rule 22 of Biologic	eeting wolffice, un of all the commed un al Diversiversity Ru	Date:	n atship of Sri Bio Biological Dive	the diversity ersity Act of
	Full Name and Address	Age	Category	Signature	
1	ruii Naille allu Address	Age	Chairman	Signature	
2			Woman member		
3			- Woman member		
4			SC/ST member		
5			Member		
6			Member		
7			Secretary ()		
1. Co jui 2. St 3. Fu 4. Le re ac 5. Ma	vying charges by v sources for commerc	ainable users oresource to Nati ity Board way of containing the co	es within its area of ju onal Biodiversity A on various subjects a ollection fees for a ose within its area o	ources within it urisdiction. Authority, Cher as and when red accessing/colle f jurisdiction, a	nnai and quired. cting bio s per the

Maintain register containing information about details of access of biological 6. knowledge granted, details of collection fee resources and traditional imposed and details of benefits derived and mode of their sharing.

The Biodiversity Management Committee will also be involved in 7. documentation of biodiversity and associated traditional knowledge.

Management and use of Biodiversity Fund as per guidelines provided by the 8. Biodiversity Board from National Biodiversity Authority and time to time.

Siganture President Municipal Corporation

Signature of the Commissioner

बीएमसी की बैठकों का कार्यविवरण दर्ज करने का प्रारूप

आयोजित बैठक का कार्यविवरण	को
बैठक का स्थान	
बैठक की कार्यसची के विषय	
1)	971
2)	17.5
3)	
4)	
5)	
चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु व लिए गए निर्णयों सहित कार्यविवरण	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
उपस्थित सदस्यों के नाम, पद व हस्ताक्षर	
अ)	
ৰ)	
स)	
द)	
इ)	
ई)	
B)	
y)	

हस्ताक्षर बीएमसी अध्यक्ष

हस्ताक्षर बीएमसी सचिव

Format for recording Minutes of BMC Meetings

Minutes of the	Biodiversity Management	Committee
	40	
Agenda Items of the meeting		
i)		
ii)		
iii)		
iv)		
v)		
Proceedings including key	issues discussed and decisions made:	
i)		
ii)		
iii)		
iv)		
List of members present an	d their designation and signature a)	
b)		
c)		
d)		
e)		
f)		
g)		
h)		

Signature of the Chairperson of the BMC

Signature of the Secretary of the BMC

बीएमसी की वार्षिक रपट का प्रारूप

1)	समिति	का	नाम

- 2) रपट की अवधि (वित्तीय वर्ष)
- 3) उपरोक्त अवधि में समिति के पदाधिकारीगण (अध्यक्ष व सच्चिव के नाम)
- 4) वर्ष के दौरान क्रियान्वित की गयी कार्य योजनाओं का विस्तृत विवरण
- 5) वर्ष के दौरान की गयी गतिविधियों का विस्तृत विवरण
- समिति की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण
- 7) क्षेत्राधिकार का नक्शा
- जन जैव विविधता पंजी के कार्य की प्रगति
 दस्तावेजीकरण
 जानकारियों का अद्यतन किया जाना
 एसबीबी व टीएसजी के परामर्श से मान्यकरण
- 9) बीएमसी द्वारा पारित संकल्पों व लिए गए निर्णयों की कार्यविवरण पुस्तिका
- 10) बीएमसी के संकल्प व उसकी वार्षिक वित्तीय रपट
- 11) आगंतुकों की सूची
- 12) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें बीएमसी द्वारा जैविक संसाधनों व पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच दी गयी हो
- 13) बीएमसी-एसबीबी-एनबीए के बीच महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार
- 14) छायाचित्र / अखबारों में प्रकिशत समाचारों आदि की कतरनें (अगर कोई हों तो)

Model Annual Report format for Biodiversity Management Committee (BMC)

- The name of the committee.
- 2. The period to which the report relates (Financial Year)
- The incumbency of office for the period (Names of the Chairperson and Secretary)
- 4. Detailed statement of programmes of action for the year
- Detailed report on the activities performed during the year
- 6. A brief account of financial position of the committee
- Map of jurisdiction
- Progress of work in People's Biodiversity Register (PBR):
 Documentation
 Updation
 Validation in consultation with the SBB and TSG
- Minutes Book recording resolutions and decisions made by BMC
- BMC Annual Financial Report with resolutions of the BMC
- 11. List of Visitors
- List of persons provided access to biological resources and traditional knowledge by BMC
- Important communication between BMC SBB NBA
- Photographs, Newsclippings (if any)

वैद्यों व जैविक संसाधनों का प्रयोग करने वाले चिकित्सकों की सूची

वैद्यों, हकीमों व पारंपरिक (मनुष्य व पशु) चिकित्सकों की सूची जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं और / या वहां के जैविक संसाधनों का प्रयोग करते हैं

नामः आयुः लिंगः पताः विशेषज्ञता का क्षेत्रः

वह स्थान जहाँ उपलब्ध जैविक संसाधनों का व्यक्ति इस्तेमाल करता है: चिकित्सक की दृष्टि में संसाधन की स्थिति:

नामः

आयु:

लिंग:

पताः

विशेषज्ञता का क्षेत्रः

वह स्थान जहाँ उपलब्ध जैविक संसाधनों का व्यक्ति इस्तेमाल करता है: चिकित्सक की दृष्टि में संसाधन की स्थिति:

नामः

आयुः

लिंगः

पताः

विशेषज्ञता का क्षेत्रः

वह स्थान जहाँ उपलब्ध जैविक संसाधनों का व्यक्ति इस्तेमाल करता है: चिकित्सक की दृष्टि में संसाधन की स्थिति:

Format for Vaids and practitioners making use of biological resources

List of Vaids, hakims and traditional health care (human and livestock) practitioners residing and orusing biological resources occurring within the territorial jurisdiction of the village panchayat

Name		
Name:		
Age:		
Gender:		
Address:		
Area of Specialization:		
Location from which the perspractitioner on the resource	on accesses biological material:	Perception of the
Name:		
Age:		
Gender:		
Address:		
Area of Specialization:		
Location from which the perspractitioner on the resource	on accesses biological material:	Perception of the
Name:		
Age:		
Gender:		
Address:		
Area of Specialization:		

Location from which the person accesses biological material: Perception of the practitioner on the resource status:

जैविक संसाधनों तक पहुँच व उपलब्ध कराये गए पारंपरिक ज्ञान से सम्बंधित जानकारी के अभिलेखीकरण का प्रारूप

सरल क्रमांक	व्यक्ति/संस्था/कंपनी/ अन्य का नाम एवं पता	उपयोग किये गए जैविक संसाधन का स्थानीय व वैज्ञानिक नाम एवं मात्रा	बीएमसी का संकल्प, दिनांक व पंचायत की पुष्टि	आँरोपित संग्रहण शुल्क का विवरण	लाभ के वितरण की प्रत्याशित विधि अथवा बांटे गए लाभ की वास्तविक मात्रा
	1.00				

Annexure 9 Format for recording information related to access of biological resources and traditional knowledge granted

Details of access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing

S.No.	Name and address of thePerson /institution/ company/ others	Local and Scientific Name of the biological material Accessed and quantity	Date and resolution of the BMC and endorsement by the panchayat	Details of collection Fee imposed	Anticipated mode of sharing benefits or quantum of benefits shared
				E mos	
			27 100		

	का नाम		पंजी प्रमाणपत्र		
	नांक			प्रमाण पत्र क्रमा दिनांक	
उपरोक्त	देयक की राशि नि	नेम्न खातों में जमा,	/नामे की गई		

क्रमांक	खाता	नामे की राशि	जमा की राशि
	The state of the s	-	
	योग		

रूपये	. (शब्दों में)	
प्रमाणपत्र की प्रविष्टि	पंजी क्रमांकमें की गुष्ठ क्रमांकमें की गड़	5

अधिकारी के हस्ताक्षर

Expenditure Register Certificate

Bill Serial No Date	0		Certifica	ate Serial No.	
			Date	427	of Tellum
	ntioned in the a	fore said bill is		lited in the foll	lowing
ccounts.					
	S.No.	Account Name	Amount Debited	Amount Credited	
			Denited	Credited	
		Trains 1	Debited	Credited	2-1
			Debited	Credited	1
			Debited	Credited	
			Debited	Credited	

Rs	(In Words)	
	certificate done in register no	on page
	Signature officer	

Signature officer

रसीद गेएमसी का नाम
रुतक क्रमांक
देनांक
सीद क्रमांक
गी / सुश्री / कार्यालय
ता
कद / चैक / ड्राफ्ट क्रमांकवैंक का नाम देनांक
ाप्त हुआ।
प्त धनराशि की प्रंविष्टिलेखा शीर्ष में की गई।
खा शीर्ष में रूपये (अंकों में)प्राप्त हुए।
क द्वारा भुगतान की गई राशि की रसीद, बैंक से भूगतान प्राप्त होने पर ही मान्य होगी।

हस्ताक्षर बीएमसी सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी

Receipt

Name of BMCBook No.
Date
Receipt No.
Mr./Ms./Office
Address
Received cash / cheque/ draft of bank No
Dated
Received amount entered underaccounting head
Received Rupees (in figures) accounting head.
(In words)
Receipt of payment made cheque is issued subject to realization of the cheque.

Signature

Secretary BMC / Drawing Disbursement Officer

चेक / ड्राफ्ट पंजी

बीएमसी का नाम.....

क्रमांक	चेक / ड्राफ्ट के आदाता का नाम	चेक / ड्राफ्ट क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम	श्रेणी	राशि (रू)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				1		

परिशिष्ट 13

देयक पंजी

बीएमसी का नाम.....

दिनांक	देयक क्रमांक	देयक का प्रकार	देयक की राशि	सचिव बीएमसी / आहरण एवं संवितरण अधिकारी कें हस्ताक्षर	भुगतान का माध्यम	चेक अथवा प्रमाणपत्र क्रं.	चेक क्रमांक अथवा दिनांक	राशि (रु.)	सचिव बीएमसी / आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

नोटः

- 1) कॉलम क्रमांक 6 में लिखें नकद अथवा चेक।
- 2) देयक क्रमांक देयक पर भी लिखा जाना चाहिए। देयक क्रमांक वित्तीय वर्ष के अंतिम दो अंकों के अनुसार होगा।

Cheque / Draft Register

Name of BMC

S.No	. Bank Draft Cheque Payee Name	Bank Draft / Cheque No. & Date	Name of Bank	Category	Amount (Rs.)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		No.				
						Teller and
						141
		77.0				Lastowick
		- 20				

Annexure 13

Bill Register

Name of BMC

Bill Number	Bill Type	Bill Amount	Drawing Secretary BMC / Disbursement Officer Signature	Payment Mode	Cheque Number or Certificate Number	Cheque Number or Date	Amount (Rs.)	Drawing Secretary BMC / Disbursement Officer Signature	Remark
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					1111111			1 11/4	
				(OTHER)					
						_		-	
			**			100	a land	Policy Trans	
						10.5		of the last	
	Number	Number Type	Number Type Amount	Number Type Amount Secretary BMC / Disbursement Officer Signature (2) (3) (4) (5)	Number Type Amount Secretary BMC / Disbursement Officer Signature (2) (3) (4) (5) (6)	Number Type Amount Secretary BMC / Disbursement Officer Signature (2) (3) (4) (5) (6) (7)	Number Type Amount Secretary BMC / Disbursement Officer Signature (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	Number Type Amount Secretary BMC / Disbursement Officer Signature (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	Number Type Amount Secretary BMC / Disbursement Officer Signature (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Note

- 1. Mention Cash or Bank in column no. 6.
- 2. Bill serial no. should be mentioned on bill also. Bill serial number will be according to financial year's end digits.

नकद भुगतान प्रमाण पत्र

बीएमसी का नाम					
प्रमाणपत्र क्रमांक					
विभाग / शाखा का नाम					
दिनांक				•	
दिनांक					
₹	(शब्दों में)		का नकद भुगतान वि	ज्या जाये। भुगतान व	_{वि} गयी राशि
की प्रविष्टी					
दिनांकको व					
	2			सचिव/आहरण एवं र	संवितरण अधिकारी
					परिशिष्ट 15
18		चेक भुगतान प्रम	<u>।णपत्र</u>		
वीएमसी का नाम	**************				
प्रमाणपत्र क्रमांक	*14.				
विभाग/शाखा का नाम					
दिनांक	देयक क्रमांक	दिनांक			
₹	(शब्दों में)	***************************************	का निम्न चेक द्वारा भु	गतान	
किया जाये।			3		

क्र	नाम	चेक क्रमांक	दिनांक	राशि
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

भुगतान की राशि की प्रविष्टिलेखा शीर्ष में की जावे।

Cash Payment Certificate

Name of BMC						
Certificate Serial N	lo					
Department/Bran	ch Nan	ne				
			Date		Bill serial	
Date						
Rs.,		(In Words	s)			
Be paid in cash.	The pa	yment amou	int should be e	ntered und	ler	accounting
head. Payment p	articula	ars recorded	on cash book	page nur	mber	dated
	Payme	nt of the conc	erned done and	receipt of the	he same kept in red	cords.
				Secr	retary BMC / Draw	Signature ving Disbursement Officer
Certificate Seria	al 				ficate	
Date	E	Bill Serial	(In Words)		Date	
	S. No.	Name	Cheque Number	Date	Amount	
	(1)					
	(2)					
	(3)				100	
	(4)		- 10 106			
	2020	4		The same of	0.0	

The above payment amount should be entered under......accounting head.

प्रमाण पत्र पंजी

क्र	बिल क्र व दिनांक	राशि	नकद भुगतान प्रमाणपत्र क्रं	चेक भुगतान प्रमाणपत्र क्रं	बीएमसी सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	, (6)	(7)

38

Certificate Register

S.No.	Bill Serial No. & Date	Amount	Cash Payment Certificate No.	Cheque Payment Certificate No	Signature Secretary BMC / Drawing Disbursement Officer	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						M. W.
			- 13			

रोकड़ वही

वीएमसी	का	नाम
--------	----	-----

J. March		प्राप्तियां			10-10-11	भुगतान					
प्राप्ति दिनांक	रसीद विवरण क्र (जमाकर्ता का नाम इत्यादि)		राशि		लेखा में प्रविष्टि की तिथि	भुगतान की तिथि	प्रमाणपत्र दिनांक तथा क्र.	विवरण	रा	शि	लेखा शीर्ष
			नकद	वेंक							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		99.									
			-					अंतिम शेष			
		योग						योग			

11/12/20						-
Δ	nr	e	CU	re	1	1

		_		
Cas				1.
1.25	п	_	nn	BC.

Name of BMC	

Receipt Side						Payment Side							
Receipt Date	Receipt No. Particulars (Name of Depositor etc.)		Amount		Accounting Date	, recounting		No. &	Date No. & culars		Amount		Accounting Head
			Cash	Bank									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
									2				
			- 1			Maria				33			
								Closing Blance					
		Total					TA TA	Total					

वैंक मिलान विवरण

माह			
कार्यालय व	ग नाम		

क्रमांकं	विवरण	राशि
1	जोड़ें: जारी किए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए चेक	
2	जोड़ें जारी किए गए परंतु संबंधित को नहीं सौंपे गए चेक	
3	जोड़ें जारी किए गए परंतु अनादरित चेक	
4	जोड़ें: परिपक्वता पर जोड़ी जाने वाली राशि जिसे बैंक द्वारा जमा कर दिया	
	गया है परंतु रोकड़ बही में जिसकी प्रविष्टि नहीं हुई है	
5	जोड़ें बैंक द्वारा भुगतान किया गया ब्याज या बैंक के जरिए सीधे प्राप्त भुगतान	
6	घटाएं: बैंक के जरिए सीधे किए गए भुगतान जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की	
	गई है	
7	घटाएं: बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क व सेवा प्रभार जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं	
	की गई है	
8	घटाएं: प्राप्त चेक जिन्हें हिसाब में नहीं लिया गया है	

हस्ताक्षर बीएमसी सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी

Bank Reconciliation Statement

For the Month of	
Name of Office	

S.No.	Particulars	Amount
1	Add : Issued Cheques but not presented for payment	
2.	Add: Issued cheques but handed over to concern	
3.	Add : Issued cheques but dishonored	
4.	Add: Maturity addable cash credited by bank but not recorded	
	in cash book	
5.	Add: Interest paid by bank or payments received directly through	
	bank	
6.	Deduct: Payment done directly through bank but not recorded in	
	cash book	
7.	Deduct: Bank charges, bank service charges levied by bank not	
	recorded in cash book	
8.	Deduct: Received unaccounted cheque Balance in bank	
	according to pass book	
	Balance in bank according to pass book	

Signature Secretary BMC / Drawing Disbursement Officer

	•		n
U	नल	पंज	11

बीएमसी का नाम		
पंजी पृष्ठ क्रमांक	वित्तीय वर्ष	


ि	तेथि	क्रमांक	लेखा शीर्ष	लेखा पृष्ठ क्रमांक	नामे राशि	जमा राशि	विवरण	प्राधिकारी के हस्ताक्षर
((1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Journal Register

Name of BMC	
Register Page No.	Financial Year

Date	Serial No.	Account Head	Account Page Serial	Amount Debited	Amount Credited	Particulars	Signature of Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			100				
					100		
					J. Av		
					EVEN		
						To all	A Contract

अध्याय-२ भाग-२




जन-जैव विविधता पंजी

2013



शब्द्रीय जैव विविधता प्राधिकश्ण, भारत

Chapter -2 Part-2



Biodiversity Register

2013 Guidline of Revised Public biodiversity Register



शब्द्रीय जैव विविधता प्राधिकश्ण, भारत

40

भाग- 1

1.0 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 एवं नियम, 2004

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (क्र. 18, 2003) को भारत सरकार द्वारा 5 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम पूरे भारत वर्ष में लागू है और राष्ट्र की इसके जैविक संसाधनों के प्रति सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता दर्शाता है। आगे जाकर भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता नियम, 2004 (15 अप्रैल, 2004) प्रकाशित किए गए। इसकी धारा 22 के अन्तर्गत नियमानुसार 'प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा।'

2.0 जन—जैव विविधता पंजी और जैव विविधता प्रबंधन समिति की भूमिका

जैव विविधता नियम, 2002 में जैव विविधता प्रबंधन समिति हेतु निर्देश निम्नानुसार स्पष्ट किए गए हैं—

- जैव विविधता प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जन-जैव विविधता पंजी तैयार करना है। इस पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान के साथ-साथ उनके चिकित्सीय और अन्य उपयोगों पर विस्तृत जानकारी का समावेश होगा।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति के अन्य कार्यों में इसे राज्य जैव विविधता प्रबंधन निगम अथवा प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य मामले पर सलाह देना, स्थानीय वैद्यों और जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले (प्रेक्टिशनरों) की जानकारी संधारित करना सम्मिलित हो।
- प्राधिकरण जन-जैव विविधता पंजियों को तैयार करने में प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव-विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- जन—जैव विविधता पंजियों का संधारण और पुष्टि जैव—विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा।
- 3.0 जन जैव विविधता समितियाँ और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की भूमिका

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जन—जैव विविधता पंजी तैयार करने हेतु मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।

लोक जैव विविधता पंजियों को तैयार करने एवं उसके रख-रखाव तथा सुचारु क्रियाकलापों एवं नेटवर्किंग में सहायता प्रदान करने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जिला के तकनीकी सहायता समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा।

जन-जैव विविधता पंजियां और तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) की भूमिका तकनीकी सहायता समूह में विभिन्न विधाओं और मैदानी विभागों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों,

Part I

1.0 The Biological Diversity Act, 2002 & Rules, 2004

The Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003) was notified by the Government of India on 5th February, 2003. The Act extends to the whole of India and reaffirms the sovereign rights of the country over its biological resources. Subsequently the Government of India published Biological Diversity Rules, 2004 (15th April, 2004). The Rules under section 22 states that 'every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee (BMC's) within its area of jurisdiction'.

2.0 People's Biodiversity Registers and the role of the Biodiversity Management Committee

The mandate of the Biodiversity Management Committee has been clearly highlighted in the Biological Diversity Rules 2002 as follows:

- The main function of the BMC is to prepare People's Biodiversity Register in consultation with the local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use.
- The other functions of the BMC are to advice on any matter referred to it by the State Biodiversity Board or Authority for granting approval, to maintain data about the local vaids and practitioners using the biological resources.
- The Authority shall take steps to specify the form of the People's Biodiversity Registers, and the particulars it shall contain and the format for electronic database.
- The Authority and the State Biodiversity Boards shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers.
- The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Biodiversity Management Committees.
- 3.0 People's Biodiversity Registers and the role of National biodiversity Authourty (MBA)

महाविद्यालयों और विद्यालयों तथा गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यह तकनीकी सहायता समूह पौधों और पशुओं की पहचान करने, जन जैव विविधता पंजियों सम्बन्धी कार्यकलापों की निगरानी एवं मूल्यांकन करने, गुप्त जानकारी के परीक्षण और विधिक संरक्षण सम्बन्धी सलाह देने, जैव विविधता के सम्बन्ध में स्थानीय और बाहरी विशेषज्ञों के डाटाबेस संधारित करने में जैव प्रबंधन समिति को तकनीकी सहयोग और सलाह उपलब्ध कराएगा।

4.0 जन जैव विविधता पंजियाँ

मानव समाज के सदियों पुराने उद्विकास का पौधों और पशुओं से गहरा नाता है। कोई बारह हजार वर्ष पूर्व फसली पौधों और पालतू पशुओं को अपनाए जाने के साथ ही मानव सभ्यता में अधिक स्थिर समुदायों के बनने से मानो क्रांति ही हो गई। प्रागैतिहासिक और मध्यकाल में धीरे—धीरे जंगली पेड़ पौधों और जन्तुओं से मानव अंतः क्रिया कम होती चली गई। आधुनिक विज्ञान और तकनीकों के, औद्योगिक और पश्चात औद्योगिक काल के दौरान भी प्रकृति से हमारा नाता समाप्त नहीं हो सका।

लोगों के विभिन्न समूहों की विभिन्न पैमानों पर नैसर्गिक संसाधनों के ऊपर निर्भरता बनी रही। कुछ इन संसाधनों को विश्व के कोनों—कोनों से प्राप्त करते रहे तो कुछ किसी देश या क्षेत्र विशेष के भीतर से लेते रहे। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आजीविकाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय जैव विविधता और जैव—संसाधनों पर ही निर्भर हों। ऐसी आबादी जो स्थानीय जैव संसाधनों पर सीधे—सीधे निर्भर है, वह अपनी तीक्ष्ण निरीक्षण क्षमता, प्रथाओं और प्रयोगों के बल पर ऐसा ज्ञान भंडार स्थापित कर चुकी है जो पीढ़ी—दर—पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। इनमें से कुछ तो खेती—बाड़ी जैसी व्यापक पारंपरिक जानकारियाँ हैं तो कुछ अति विशेषज्ञतापूर्ण कौशल हैं— जैसे— हड़ी बिठाना या पीलिया का इलाज कर लेना जो परिवार के निकट संबंधियों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती रही हैं।

भारत जैविक और सांस्कृतिक विविधताओं की भूमि है। यह विश्व के विशालतम जैव विविधतापूर्ण देशों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में जनजातीय समूह निवास करते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रकृति आधारित आजीविकाओं से अपना निर्वाह करते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कृषक और मछुआरे समुदाय तथा घुमन्तु समूह हैं, जिनके पास अलग—अलग तरह की पारंपरिक जानकारियों का भंडार है। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी खास तौर पर जैव तकनीक और सूचना तकनीकों के विकास ने जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान सिहत इससे संबंधित जानकारियों के मूल्य में वृद्धि की है। जैव विविधता, जैव संसाधनों और इससे जुड़ी जानकारियों का महत्व बहुत कुछ स्वीकारा जाने लगा है। संरक्षण के पहले चरण में जैव विविधता के टिकाऊ उपयोग और इसके दस्तावेजीकरण को शामिल किया जा सकता है। जैव—विविधता और उससे संबंधित ज्ञान विभिन्न पर्यावरण—प्रणालियों में, विभिन्न विधिक प्रबंधन अनुशासनों (रेजियों) के अन्तर्गत देखने को मिलता है और इसीलिए इनके परिणाम और दस्तावेजीकरण की रीतियाँ भी अलग—अलग होंगे।

Technical Support Group (TSG) of the district and enable smooth functioning and aid in networking for creation and maintenance of People's Biodiversity Registers (PBRs).

People biodiversity Registers and Role of the Technicical Support Group(TSG)

The Technical Support Group (TSG) will consist of experts from various disciplines and line departments universities, research institutes, colleges and schools and non-governmental organizations. The Technical support Group will provide technical inputs and advice of the BMCs on identification of plants and animals monitor and evaluate the PBR excercise, examine confiderntial information and advice on legal protection, maintain a database of local and external experts on biodiversity.

4.0 People's Biodiversity Registers (PBR)

The evolution of human societies over several millennia is closely related to plants and animals. The domestication of crop plants and farm animals about 12000 years ago revolutionized the human civilization by creating more stabilized societies. The early historic and medieval period gradually reduced human interaction with the wild plants and animals. The development of modern science and technologies during the industrial and post-industrial period did not do away with our link to nature. Different groups of people continue to depend on natural resources at varying scales. Some draw resources from across continents while others within a country or a region. There are also people continue to depend on locally available biodiversity and bio-resources for their livelihoods. Such population who are directly dependent on local biological resources have, through their keen sense of observation, practices, and experimentation developed and established a body of knowledge that is passed on from generation to generation. Some are widespread traditional knowledge like cultivation practices; others are highly specialized such as bone setting or jaundice, which are generally passed only to close members of the family.

India is land of biological and cultural diversity. It is one of the mega biodiverse countries of the world. It also the home of a large number of tribal groups, pursuing different kinds of nature based livelihoods. In addition, a large number of farming and fishing communities and nomadic groups posses traditional knowledge of varying degrees. The development of modern science and technologies notably biotechnology and information technologies have increased the value of biodiversity and associated knowledge including traditional knowledge (TK). The growing importance of biodiversity, bio-resources and associated knowledge is fairly well understood. The first step towards conservation is sustainable utilization of biodiversity and its documentation. Biodiversity and associated knowledge is found in different ecosystems, under different legal management regimes

and hence the results and manner of documentation will also differ.

मौजूदा मार्गनिर्देशिका के निर्देशों की रचना विभिन्न पर्यावरण प्रणालियों को विचार में लेते हुए की गई है और दस्तावेजीकरण की रीति भी बदल जाएगी। इन मार्गनिर्देशों को आवश्यकतानुसार अपनाया जा सकता है और इस प्रयास को अधिक मूल्यवान बनाने की दृष्टि से अग्रेतर जानकारी का समावेश किया जा सकता है। जन जैव विविधता पंजियों से संबंधित मुद्दों को लेकर कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है:—

- इसे सहभागी तरीके से ग्राम—समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर किया जाना है।
- दस्तावेजीकरण करते समय स्त्री—पुरुष दोनों की जानकारी और विचारों को लेखबद्ध किया जाना है।
- लोगों द्वारा दी गई जानकारी को तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों द्वारा दस्तावेजीकरण से पहले संकलित, विश्लेषित करेगा और परस्पर जांचने (पुष्टि) करना आवश्यक है।
- विधिक जगत में जन जैव विविधता पंजी का पूरा ज्ञान के साक्ष्य के बतौर महत्वपूर्ण आधार—दस्तावेज माना जाता है और इसलिये इसका सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है।
- इस दस्तावेज की जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए और बाद में इसे ग्रामसभा / ग्राम पंचायत में प्रचारित करना चाहिए। यह दस्तावेज, जैव संसाधनों के प्रबंधन और उनके टिकाऊ उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शालाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर इस दस्तावेज को उपयोगी शिक्षण साधन के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है।
- जब कभी तैयार हो तब इसमें अतिरिक्त और नवीन जानकारी जोड़कर अद्यतन करना चाहिए।

4.1 जन जैव विविधता पंजी प्रक्रिया

जन जैव विविधता पंजी तैयार करने में बड़ी संख्या में लोगों की सक्रिय सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें वे अपनी साझा के साथ—साथ विशेषज्ञतापूर्ण जानकारी को बाँटें। किसी जन जैव विविधता पंजी को तैयार करने हेतु प्रारंभिक चरण में से एक है— इस कार्य को सम्पन्न करने के ध्येयों और उद्देश्यों को समझाने के लिए समूह की बैठक आयोजित करना। इन समूहों से जानकारी (डाटा) एकत्र करने के उद्देश्य को देखते हुए पहले गांव में विभिन्न सामाजिक समूहों को चिन्हांकित करना जरूरी होगा। शहरों में उन स्थानों की पड़ताल जरूरी है जहाँ अध्ययन और दस्तावेजीकरण के लिहाज से जैव—विविधता महत्वपूर्ण है। दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में सिम्मिलत है— विस्तृत प्रश्नाविलयों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों से और जानकार लोगों की केन्द्रित समूह चर्चा से तथा प्रकाशित द्वैतीयक जानकारी के माध्यम से जानकारी को एकत्र करना।

The present manual guidelines have drafted taking into consideration different ecosystems and include the rural, urban and protected areas. The guidelines may be customized and further information may be added to enrich the effort. It is important to keep in mind some of the issues related to PBRs:

- It is to be undertaken in a participatory mode involving varying sections of village society.
- While documenting, the knowledge and views of both genders are to be recorded.
- Information provided by people need to be collated, analysed and crosschecked by the members of the Technical Support Group (TSG) before documentation.
- The PBR is important base document in the legal arena as evidence of prior knowledge and hence careful documentation is necessary.
- The document should be endorsed by the BMC and later publicized in the Gram Sabha / Gram Panchayat / Panchayat Samiti. The document can be a very useful tool in the management and sustainable use of bioresources. The document can also be a very useful teaching tool for teaching environmental studies at schools, colleges and university level
- The document should be periodically updated with additional and new information as and when generated.

4.1 The PBR Process

The preparation of People's Biodiversity Registers (PBRs) involves the active support and cooperation of a large number of people who need to share their common as well as specialized knowledge. One of the first steps for preparing a PBR is to organize a group meeting to explain the objectives and purpose of the exercise. Different social groups in the village need to be identified for purpose of data collection from those groups. In an urban situation, spots where biodiversity are important need to be identified for the purpose of the study and documentation. The documentation process includes information gathered from individuals through detailed questionnaire, focused group discussion with persons having knowledge and published secondary information.

4.2 जैव विविधता से सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण

जैव विविधता और इसके उपयोगों के सम्बन्ध में लोगों के ज्ञान का दस्तावेजीकरण जन—जैव विविधता पंजीकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्थानीय जैव विविधता का प्रामाणिक ज्ञान रखने वाले लोगों को चिन्हित करने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए, उसमें भी ऐसे बुजुर्ग लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो जैव विविधता सम्बन्धी ऐसी बातों की जानकारी दे सकें जो पहले उपलब्ध थीं लेकिन वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ मामलों में दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से केन्द्रित समूह चर्चायें भी रखी जा सकती हैं।

4.3 जन-जैव विविधता सम्बन्धी पद्धति

जन जैव विविधता पंजी एक ऐसी सहभागी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के व्यापक और गहन परामर्श की आवश्यकता होती है। समूह की बैठक लेकर पंचायत, जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों, जानकार लोगों और इस प्रयास में रुचि रखने वाले सभी लोगों के समस्त वर्गों की मौजूदगी में इसके ध्येय और उद्देश्यों का खुलासा किया जाना चाहिए। दस्तावेजीकरण में चित्रों (डिजिटल इमेजों सहित), रेखाचित्रों, ध्विन और वीडियो रिकार्डिंग तथा मुद्रित सामग्री जैसे अन्य अभिलेखों को सिम्मिलत किया जाता है।

4.4 जन-जैव विविधता पंजी तैयार करने की प्रक्रिया

चरण- 1: जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन

चरण- 2 :अध्ययन, सर्वेक्षण और संभावित प्रबंधन के सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता।

चरण— 3 : जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के सम्बन्ध में जानकारी के चिन्हांकन और संग्रहण हेतु सदस्यों का प्रशिक्षण

चरण— 4: सामग्री का संकलन। सामग्री संकलन में सिम्मिलित है जिलों के नैसर्गिक संसाधनों सम्बन्धी साहित्य की समीक्षा, ग्राम स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, घर में लिए जाने वाले साक्षात्कार, ग्रामीण नेताओं और जानकार लोगों, घर मुखिया, ग्राम पंचायत संस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठनों के साथ साक्षात्कार और प्रत्यक्ष मैदानी निरीक्षण।

चरण— 5 : तकनीकी सहायता समूह और जैव विविधता प्रबंधन समिति के परामर्श से सामग्री का विश्लेषण और पुष्टि करना।

चरण— 6 : जन—जैव विविधता पंजी तैयार करना।

चरण— 7 : जानकारी और स्रोतों का कम्प्यूटरीकरण।

जन जैव विविधता पंजी : सामान्य विवरण

पंचायत समिति का नाम:

तहसील :

जिला:

राज्य:

4.2 Documentation of Traditional Knowledge (TK) related to biodiversity

Documentation of knowledge of individuals with regard to biodiversity and its uses is an important part of PBR. Every effort should be made to identify the persons with proven knowledge of local biodiversity; special attention should be given to the elderly persons who can also provide informations on the biodiversity which was available in the past but no longer seen at present. In some cases focus group discussion may be held for the purpose of documentation.

4.3 PBR Methodology

The PBR is a participatory process requiring intensive and extensive consultation with the people. The objectives and purpose is to be explained in a group meeting in the presence of all sections of people in the Panchayat, members of the BMC, students, knowledgeable individuals and all those interested in the effort. Documentation includes photographs (including digital images), drawings, audio and video recordings and other records like printed material.

4.4 Process in PBR Preparation

- Step 1: Formation of Biodiversity Management Committee (BMC)
- Step 2: Sensitization of the public about the study, survey and possible management
- Step 3: Training of members in identification and collection of data on biological resourcesand traditional knowledge
- Step 4: Collection of data. Data collections includes review of literature on the natural resources of the districts, Participatory Rural Appraisal (PRAs) at village level, house hold interviews, individual interviews with village leaders and knowledgeable individuals, household heads, key actors of the panchayat raj institutions and NGOs and direct field observations
- Step 5: Analysis and validation of data in consultation with technical support group and BMC
- Step 6: Preparation of People's Biodiversity Register (PBR)
- Step 7: Computerization of information and resources

Peoples' Biodiversity Register (PBR): General Details

Name of the Panchayat Samity:

Taluk:

District:

State:

पंचायत समिति का भौगोलिक क्षेत्रफल: पंचायत समिति के अन्तर्गत कुल आबादी:

पुरुष वास स्थल और टोपोग्राफी महिला

जलवायु : (वर्षा, तापमान और अन्य मौसम के प्रतिमान) भूमि का उपयोग (ग्रामीण अभिलेखों में उपलब्ध नौ स्तरीय वर्गीकरण)

प्रबंधन नियंत्रण : संरक्षित वन / संयुक्त वन प्रबंधन /

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

संरक्षित क्षेत्र / समुदाय / स्वामित्व और प्रबंधन के वन		
परिशिष्ट— 1		99)
पंचायत की जैव प्रबंधन समिति का विवरण (एक निर्वाचित निर्दिष्ट छह व्यक्ति, जिनमें एक तिहाई से अन्यून महि अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य होंगे।) 1) अध्यक्ष का नाम : आयु : लिंग : पता : विशेषज्ञता का क्षेत्र :	ा अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा हेलायें और 18 प्रतिशत से अन्यून	
2) नाम : आयु : लिंग : पता : विशेषज्ञता का क्षेत्र :		
3) नाम : आयु : लिंग : पता : विशेषज्ञता का क्षेत्र :		
4) नाम : आयु : लिंग : पता : विशेषज्ञता का क्षेत्र :		
5) नाम : आयु : लिंग : पता :		

Geographical Area of the Panchayat Samity: Population under the Panchayat Samity: Total Male Female Habitat and Topography: Climate (Rainfall, Temperature and other weather patterns) Land Use (Nine fold classification available with village records) Date, Month and Year of PBR preparation Management Regime: Reserve Forests (RF)/Joint Forest Management (JFM)/Protected Areas (PA) / Community Owned and Managed Forests (COM) Annexure 1 Details of Biodiversity Management Committee (BMC) of the panchayat (One elected Chairperson and six persons nominated by the local body; not less than one third to be women and not less than 18% belonging to SC/ST) 1) Name of the Chairperson: Age: Gender: Address: Area of specialization: 2) Name: Age: Gender: Address: Area of specialization: 3) Name: Age: Gender: Address: Area of specialization: 4) Name: Age: Gender: Address: Area of specialization: 5) Name: Age:

Gender: Address:

Area of specialization:

पंचायत समिति का भौगोलिक क्षेत्रफल: पंचायत समिति के अन्तर्गत कुल आबादी: महिला वास स्थल और टोपोग्राफी जलवायु : (वर्षा, तापमान और अन्य मौसम के प्रतिमान) भूमि का उपयोग (ग्रामीण अभिलेखों में उपलब्ध नौ स्तरीय वर्गीकरण) प्रबंधन नियंत्रण : संरक्षित वन / संयुक्त वन प्रबंधन / संरक्षित क्षेत्र / समुदाय / स्वामित्व और प्रबंधन के वन परिशिष्ट- 1 पंचायत की जैव प्रबंधन समिति का विवरण (एक निर्वाचित अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट छह व्यक्ति, जिनमें एक तिहाई से अन्यून महिलायें और 18 प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य होंगे।) 1) अध्यक्ष का नाम: आयु: लिंग : पता: विशेषज्ञता का क्षेत्र : 2) नाम : आयु: लिंग: पता: विशेषज्ञता का क्षेत्र : 3) नाम: आयु: लिंग : पता: विशेषज्ञता का क्षेत्र : 4) नाम : आयु: लिंग: पता: विशेषज्ञता का क्षेत्र :

5) नाम : आयु : लिंग : पता :

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

Geographical Area of the Panchayat Sam Population under the Panchayat Samity: The Male Habitat and Topography: Climate (Rainfall, Temperature and others) Land Use (Nine fold classification available) Date, Month and Year of PBR preparation Management Regime: Reserve Forests (Inc.)	Female weather patterns) le with village records) RF)/Joint Forest Management (JFM)/Protected Areas
(PA) / Community Owned and Managed F Annexure 1	orests (COM)
	ment Committee (BMC) of the panchayat
(One elected Chairperson	
and six persons nominated by women and not less	the local body; not less than one third to be
than 18% belonging to SC/ST)	
1) Name of the Chairperson:	
Age:	
Gender:	
Address:	
Area of specialization:	The state of the s
2) Name:	
Age:	
Gender:	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Address:	
Area of specialization:	
3) Name:	
Age:	
Gender:	
Address:	
Area of specialization:	
4) Name:	
Age:	
Gender:	
Address:	
Area of specialization:	
5) Name:	
Age:	
Gender:	
Address:	

Area of specialization:

परिशिष्ट 2	100
विशेषज्ञता का क्षेत्र :	
पता :	
लिंग :	
आयु :	40
7) नाम :	
विशेषज्ञता का क्षेत्र :	
पता :	
लिंग:	
आयु :	
6) नाम :	

ग्राम के क्षेत्राधिकार में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले और / अथवा निवास करने वाले वैद्यों, हकीमों और पारंपरिक स्वास्थ्यकर्मियों (मनुष्य और पालतू प्राणियों) की सूची।

नाम : आयु : लिंग :

पता:

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

वह स्थल जहाँ से यह व्यक्ति जैविक सामग्री प्राप्त करता है : संसाधन की स्थिति के सम्बन्ध में उस व्यक्ति का दृष्टिकोण : औषधीय उपयोग :

नाम : आयु : लिंग :

पता:

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

वह स्थल जहाँ से यह व्यक्ति जैविक सामग्री प्राप्त करता है : संसाधन की स्थिति के सम्बन्ध में उस व्यक्ति का दृष्टिकोण : औषधीय उपयोग :

नाम : आयु :

लिंग : पता :

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

वह स्थल जहाँ से यह व्यक्ति जैविक सामग्री प्राप्त करता है : संसाधन की स्थिति के सम्बन्ध में उस व्यक्ति का दृष्टिकोण : औषधीय उपयोग :

6) Name:			MARKET I
Age:			
Gender:			
Address:			
Area of specialization:			
7) Name:			
Age:		441	
Gender:			
Address:			
Area of specialization:			
Annexure 2			

List of Vaids, hakims and traditional health care (human and livestock) practitioners residing and or using biological resources occurring within the jurisdiction of the village

Name: Age: Gender: Address:

Area of Specialization:

Location from which the person accesses biological material:

Perception of the practitioner on the resource status:

Medicinal use:

Name: Age:

Gender:

Address:

Area of Specialization:

Location from which the person accesses biological material:

Perception of the practitioner on the resource status:

Medicinal use:

Name:

Age:

Gender:

Address:

Area of Specialization:

Location from which the person accesses biological material:

Perception of the practitioner on the resource status:

Medicinal use:

परिशिष्ट 3

india o		
ऐसे व्यक्तियों की सूची जो ग्रामीणों व जैव विविधता से सम्बन्धित पारंपरिक ज	ही दृष्टि में कृषि, मत्स्य पालन और वानिर्क जानकारी रखते हैं।	ो के क्षेत्र में
नाम :		
आयु :	-	
लिंग:		- 4
पता : विशेषज्ञता का क्षेत्र :		
विश्वविद्याति की क्षेत्र :		
नाम:		
आयु :		
लिंग :		
पता:		
विशेषज्ञता का क्षेत्र :		
नाम :		
आयु :		
लिंग:		
पता:		
विशेषज्ञता का क्षेत्र :		
नाम :		
आयु :		
लिंग:		
पता :		
विशेषज्ञता का क्षेत्र :		

Annexure 3

List of individuals perceived by the villagers to possess Traditional Knowledge (TK) related to

biodiversity in agriculture, fi	isheries, and	forestry	
Name:			
Age:			
Gender:			
Address:			
Area of specialization:			
Name:			
Age:			
Gender:			
Address:			A OF STREET
Area of specialization:			
Name:	-		
Age:			
Gender:			
Address:			
Area of specialization:			
Name:			
Age:			
Gender:			
Address:			
Area of specialization:			

परिशिष्ट 4

ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विभागों, विश्वविद्यालयों, शासकीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों का विवरण जो जन—जैव विविधता पंजी को तैयार करने के कार्य में जुड़े हैं।

1) सम्पर्क व्यक्ति नाम और पता

2) सम्पर्क व्यक्ति

नाम और पता

3) सम्पर्क व्यक्ति

नाम और पता

4) सम्पर्क व्यक्ति नाम और पता

यहाँ आप और अधिक संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों / व्यक्तियों आदि के नामों को आवश्यकतानुसार जोड़ सकते हैं।

परिशिष्ट 5

जैविक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान तक पहुँच का विवरण, लगाया गया शुल्क संग्रहण का विवरण और प्राप्त किये जाने वाले लाभों तथा उनको बांटने के तौर—तरीकों का विवरण :

क्र.	व्यक्ति/संस्था/कंपनी/ अन्य का नाम और पता	ली गई जैविक सामग्री का स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम और मात्रा	जैव विविधता प्रबंधन समिति के संकल्प और दिनांक तथा उस पर पंचायत की सहमति और उसका दिनांक	लगाये गये संग्रहण शुल्क का विवरण	अपेक्षित लाम बांटने की रीति अथवा बांटे गये लामों की मात्रा
-	Total Marian				-
-	-				

Annexure 4

Details of schools, colleges, departments, universities, government institutions, non-governmental

organization and individuals involved in the preparation of the PBR

 Contact Pers 	son
----------------------------------	-----

Name and Address:

2) Contact Person

Name and Address:

3) Contact Person

Name and Address:

4) Contact Person

Name and Address:

You may add names of more institutions / NGO / Individuals, etc. if necessary.

Annexure 5

Details of access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing

No	Name and address of the Person /institution/ company/ others	Local and Scientific Name of the biological material	Accessed and quantity Date and resolution of the BMC and endorsement by the panchayat	Details of collection fee imposed	Anticipated mode of sharing benefits or quantum of benefits shared
					10 to
	**				
		702.3			

भाग 2 जन—जैव विविधता पंजी— प्रारूप कृषि जैव विविधता

प्रारूप 1 : फसली पौधे

14.	झान रखने वाले/ समुदाय का विवरण		कुरीनिया कुरमा डब्ल्यू शही	
13.	वीजों/ पीयों का स्रोत			
12.	अन्य विवरण	0.00	वलीचा खेती के लिए उपयोगी	
11.	संबंद्ध पंरपरागत ज्ञान		अधिक उपर्ता कराने वाली	
10.	उपयोग		खाद्य पशु घलाई ईंधन	
6.	फसल का मौराम			
8.	विशेषतायं		लंबी फिरम उच्च पूर्वा, सूखा, बाढ़, कीट और प्रोग प्रतिरोधी	
	स्थात		उद्यम	
7.	स्थानीय स्थिति	पूर्ववर्ती	मचुर	
6.	अनुमानित बोया गया क्षेत्र			
5.	भू परिदृश्य / निवास		मिचली माने/ घाटी	
4	किस		वेलियन	
6,	स्थानीय नाम			
2.	वैज्ञानिक नाम		ओरइजा सेटाइवा	
+	फसल		धान	

प्रारूप 1 का उपयोग मोटे अनाज, खाद्यान्न, तेल बीयों, वाणिज्यिक फसलों, रबर फसलों, सब्जियों, फलियों, सुगंधित फसलों आदि के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। अन्य विवरण सम्बन्धी कॉलम फसल की प्रकृति के साथ बदला जा सकता है। स्थानीय स्थिति की नाप–जोक के लिए कोई वर्ष विशेष–पारिस्थितिकी में हुए विशिष्ट बदलाव–और पूर्व तथा वर्तेमान स्थिति की तुलना (पूर्व अर्थात घटना विशेष के पहले) को चिन्हित करना होगा। हुमें किसी फसल / पौघा विशेष की सभी संभव विशेषताओं को सूचीबद्ध करना होगा और उसे लघु रूप में दर्शाना होगा। यदि सुसंगत हो तो खेती की पद्धतियों, बढ़वार की तकनीकों, उपयोगों आदि को सम्बद्ध पारेंपरिक ज्ञान के साथ कॉलम क्रमोंक 8 में सम्मिलित किया जा संकता है

Part II PBR - Formats AGROBIODIVERSITY

Format 1: Crop Plans

14	Other Source of Community/ details Seeds/ Knowledge Plants Holde		Kurichiya Kuruma W. Chetty	
13				
12		details	Suitable for "Valicha" culthation	
11	Associated	¥	Food Provides Suitable Fodder more for Roofing energy "Valicha" Fuel	
10	Uses		Food Provid Fodder more Roofing energ Fuel	
6	Cropping	000000000000000000000000000000000000000		
60	Special	reatures	Tall variety High yield Resistant to drought, flood, pest & diseases	
	Status	Present	Plenty Rare	
7	Local	Past	Plenty	
9	Approx.	shown		
5	Landscape	/ nabitat		
4	Crop Scientific Local Variety Landscape Approx. Local Status Special Cropping Uses Associated Name Name Ame Approx. Local Status Special Cropping Uses Associated TK TK TK TK TK TK Sativa valieys valieys Sativa Plenty Rare Tall Fooder More		Lowland	
33			Veliyan	
2	Scientific		Oryza sativa	
1	Crop		Rice	

status, there need to identify a particular year - significant changes in ecology occurred - and compare the status as past and present (past = before the particular incident). We have to list out all possible features of a crop/plant and give short forms The format 1 could be used for documenting information about Millets, Cereals, Oil seeds, Commercial crops, Tuber crops, Vegetables, Legumes, Aromatic crops etc. The column No. 9 'other details' vary with the nature of crops. For measuring local of the same. If relevant, cultivation practices, propagation techniques, usage etc can be included in the column 8, in associated

। 2 : फलदार पौधे

43	समुदाय / ज्ञान रखने वाला व्यक्ति										
11	अन्य विवरण– बाजार/ स्वयं का	1550									
10	उपयोग										
6	संबंधित पारंपरिक ज्ञान										
8	फलने का मौसम										
7.	बीज/पौध का स्रोत										
. 9	स्थानीय स्थिति बीज/पौधे फलने का का स्रोत मौसम	पूर्ववर्ती वर्तमान									
	भू परिदृश्य / निवास										
4.	किस										
3,	स्थानीय नाम										
2.	वैज्ञानिक स्थानीय नाम नाम										
	पीधा										

Format 2: Fruit Plants

12.	Community / Knowledge holder													
11.	Other details market / own use													
10.	Uses													
9.	Associated TK				Chella Sec									
%	Season of Fruiting													
7.	Source of Seeds/Plants			A CONTRACTOR										
.9	Local Status Past Present													
-	1000										100	-		
	Landscape / Habitat													
4.	Local Variety Name											1		7
								100	The same					
I. 2.	Scientific Name					Side of the last								
-	Plant													

प्रारुप 3 : वारा फसल/किस्में (प्रजातियाँ)

40	समुदाय/ ज्ञान रखने वाला त्यानि	DAIL									
6	अन्य विवरण										
89.	उपयोगी भाग										
.9	पौधों/बीजों का स्रोत										
.5	भू परिदृश्य/ स्थानीय स्थिति पौधौ/बीजों संबंधित निवास का स्रोत पारंपरिक ज्ञान	पूर्ववर्ती वर्तमान									
4.	भू परिदृश्य / निवास										
3.	स्थानीय नाम										
2.	वैज्ञानिक नाम स्थानीय नाम										
1.	पौधा										

अन्य विवरण में सम्मिलित है चारा किस पशु के लिए हैं, विशेष लक्षण, चिकित्सीय उपयोग यदि कोई हो, मौसम के अनुसार उपलब्धता, बड़वार की पद्धतियाँ, जंगली अथवा फसलीय क्षेत्रों से संकलन

Format 3: Fodder Crops / Species

8. 9. 10.	Other	ed details Knowledge holder										
7.	Associated Part	TK Us										
.9	Source of Plants/	Seeds										
5.	Local Status	t Present										
4	/ edi	Habitat Past										
ë.	Local	Name									100	
7.	Scientific	Name								TIG		
-:	Plant											

Other detail include fodder for which animal, speal features, medicinal uses if any, seasons of availity, propagation mathods collecting from wild of cutivated etc.

प्रारुप 4 : खरपतवार

4	समुदाय / ज्ञान रखने वाला	ज्यावदा								
44	अन्य स विवरण ज्ञा जैसे एक्सोटिक	Admica.								
40	संबंधित परंपरागत ज्ञान									
6	प्रबंधन के विकल्प									
89	उपयोग यदि कोई हो									
7.	य स्थिति	पूर्ववर्ती वर्तमान								
	. स्थानीर	पूर्ववती								
9.	बीज/पौधे स्थानीय स्थिति का स्रोत									
5.	प्रभाव									
4.	प्रभावित फसल									
3.	स्थानीय नाम									
2.	वैज्ञानिक स्थानीय नाम नाम									
-	वीद्या									

अन्य विवरणों में सम्मिलित किया जा सकता है— कितने समय से यह खरपतवार स्थानीय फसलों को दबा रही है / वितरित रूप से प्रभावित कर रही है, इस पर कब ध्यान गया, प्राकृतिक रूप से बड़वार की तीव्रता आदि।

9

Format 4: Weeds

	4.	_	. 9	_	7.	8.	9.	10.	_	12.
7	ffected	Impact	Landscape/	_	Status	Uses	Management	Associated	_	Community/
=	crop		Habitat		Past Present if any	if any	options	¥	details like exotic	Knowledge
		1								
						12				
	100									
	200									
0										
		7.6					-			
	No. of Control					-				

Other detail may include how long the weeds have been supperessing/ adversely effecting the crops in this locality, when it came undernoties intensty of natural multiplication etc.

प्रारुप 5 : फसलों के कीट

40	समुदाय/ज्ञान रखने वाला	DAIL										
6	अन्य विवरण											
8.	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान											
7.	प्रबंधन की प्रणाली											
9	समय⁄मौसम जब प्रकोप होता है									Tech		
ń (ानवास :											
4.	स्थानाय नाम											
3	वज्ञानिक नाम											
2.	कीट / प्राणा											
-	लगता है	100										

अन्य विवरणों में सम्मिलित किया जा सकता है कीट/पशु के प्रकोप के संभावित कारण

Format 5: Pests of Crops

10.	Community knowledge holder											
9.	Other											
%	Associated TK											
7.	Management mechanism											
.9	Time / season of attack											
	Habitat											
	Local											
3.	Scientific							The state of the s		100000000000000000000000000000000000000		
	Insect / Animal											
1.	Host										18	

Other details may include possible reasons for insects animal attack

प्रारुप 6 : पालतू प्राणियों के लिए बाजार

	9.	मछलियों का स्रोत						
	8.	मछलियों के बेचे जाने वाले प्रकार						
-	1.	मछली बाजार का नाम और ठिकाना						
9	The state of	स्थान, जहा क लिए प्राणी खरीदे⁄ परिवहन किये जाते हैं						
		प्राणी लाये जाते क्र						
4.	एक दिन में	खरीद बिक्री किये जाने वाले प्राणियों की औसत संख्या और						
3.	लाये और	बेचे जाने वाले प्राणियों की किस्में (1)						
2.	साप्ताहिक	(दिन) / पाक्षिक (दिन) मासिक (दिन) द्वैमासिक (महीना) वार्षिक (महीना)						
1.	बाजार का	नाम और स्थिति						

नोट : (1) प्राणियों की किस्मों में सम्मिलित है – कुक्कुट / भेड़ / बकरी / दुधारू पशु / बतख / सुअर / गधे / खच्चर / घोड़े / ऊँट / अन्य (व्याख्या कीजिये)

Format 6: Markets for Domesticated animals

Note: [1] (D) - day; (M) - month; [2] Types of animals may include: Poultry/Sheep/Goats/ Cattle/ Ducks/ Pigs/ Donkeys/ Mules/ Horses/ Camels/ Others (Specify)

प्रारुप 7 : जनदर्शिका

	ा. घरों की संख्या					
10	निवासियों की प्रकृति					
o	सामाजिक स्थिति					
80	जाति/ जनजाति					
7.	संसाधन प्रबंधन प्रथाये					
.9	भू परिदृश्य प्रबंधन प्रथाये					
5.	प्रमुख उपलब्ध संसाधन और पहुंच के मौसम					
4.	निर्मरता क्षेत्र					
e,	उप					
2.	परिवार और प्रमुख व्यवसाय					
-	समुदाय और आबादी					

प्रमुख व्यवसाय में कृषि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। उप व्यवसाय में मछली पकड़ने एनटीपीएफ पशुपा्लन स्थलों से संग्रहण, शिल्पियों, सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

निर्भरता भूपरिदृश्य के उदाहरण हैं। कृषि भूमि परिदृश्य, नदियाँ, वन आदि। पहुँच के प्रमुख साधनों में विभिन्न प्रकृति के कृषि संसाधन, मछली, पक्षी, जल, कीचड़ आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

समुदाय किस प्रकार भू परिदृश्य का प्रबंधन करता है जिससे विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसकी रणनीतियाँ और उसके बारे में दृष्टिकोण।

समुदाय किस प्रकार संसाधनों का प्रबंधन करता है जिससे विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसकी रणनीतियाँ और उसके बारे में दृष्टिकोण, टकराव आदि

Format 7: Peoplescape

=	No. of HHs								
10.	Nature of inhabitants								
9.	Social								
œ.	Cast / tribe								
7.	Resource management practices								
	Landscape management practices								
è.	Major resources accessed and seasons of access								
	ng pe								
3.	Sub- occupation						99	The second second	
2.	Families & Major occupation								
Τ.	Community & Population								

How the community manages the resources they access for satisfying different needs, their strategies and perception, conflicts etc Major occupation may be farming. Sub-occupations could be fishing, collection of NTFP animal husbandry, artisans, services How the community manages the landscapes they use for satisfying different needs, their strategies and perception Major resources accessed could be agriculture resources of different nature, fish, birds, water, mud, and etc Examples of depending landscapes are agriculture landscape, rivers, forest etc.

प्रारुप 8 : मू परिदृश्य

	IC.								Т
	सामुदायिक पहुंच								
11.	अन्य विवरण								
10.	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान								
.6	सामान्य उपयोग								
8.	प्रबंधन प्रथाये								
7.	उपयोगकर्ता समूह								
	सामान्य . फना								
5.	सामान्य पलोरा	9							
4.	स्वामित्व								
3.	विशेषताएँ और अनुमानित क्षेत्रफल								
2.	उप भू परिदृश्य	H							
+	प्रमुख भू परिदृश्य	कृषि तालाब फैलो भूमि भूमि							

भू परिदृश्य का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करायें । जैसे वन, वृक्षारोपण, फसलदार भूमि, तालाब, नदी का मुहाना, झील या अन्य तत्व

Format 8: Landscape

1.	Major Landscapes	Agricultur I									
	dscape	Pon F						17			
	ş	Fallo w land		T			-				-
2.	- qnS	Landscape							36	A Marie	
3.	Feature	s and approx. area									
	Ownershi Genera Genera	c.									
'n	Genera	1 110ra									
.9	Genera	Liauna									
7.	User	group									
%	Manageme	nt praetices									
9.	Genera	ı nses									
10.	Genera Associate	4									
11.	Other	actall s									
12.	Communit	s s accessed									

Provide a brief description of landscapes such as forests, plantations, cultivated land, estuary, pond, lake or other elements

प्रारुप 9 : जल परिदृश्य

	12. 13. अन्य सामुदायिक विवरण पहुंच									
	अन्य विवरण									
1	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान							-		
40	सामान्य									
	प्रबंधन प्रथाये									
80	उपयोगकर्ता समूह [.]									
7.	प्रमुख उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता समूह									
9.	सामान्य									
_	सामान्य फ्लोरा									
4.	स्वामित्व									
.0.	विशेषताये स्वामित्व और अनुमानित क्षेत्रफल									
۲.	उप प्रकार									
- 0	जल पारेंदुश्य प्राथमिक प्रकार									

उदाहरणार्थः तालाब, झरने, नदी, झील, नहर, ट्यूबवेल, खोदे हुए कुएं आदि।

Format 9: Waterscape

1.	2.	3.	4	5.	.9	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
cape	oo ←		Features Ownership General General Major and flora fauna uses approx	General	General	Major	User	Management	General	Associated Other TK details	Other	Community
	-	The second second										
			196									

Examples: Ponds, Streams, Rivers, Lake, Canal, Tubewell, Dug well etc.,

रुप 10 : मिट्टी का प्रकार

89	अन्य जानकारियां								
7.	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान					•			
. 6.	फना एवं फ्लोरा								
. 5.	वृक्ष/फंसल के फना एवं पत्नोरा उपयुक्त								
4.	मृदा प्रबधन								
	লক্ষণ								
2.	स्य और गुणवता								
1.	मिट्टी का प्रकार								

9%

Format 10: Soil type

	_	_	_	_						_		_	_	
8.	Other information													
7.	Associated TK													
.9	Flora and fauna								Second Avenue and	Comment of the last				
5.	Plants / crop suitable Flora and fauna Associated TK Other information													
4.	Soil management		S. A. C.											
3.	Features													
2.	Soil Type Color & Texture													
1.	Soil Type													

अपनाई गई जैव विविधता

प्रारुप ११ : फलदार वृक्ष

				_	_					
13.	समुदाय / ज्ञानधारक									
12.	अन्य विवस्ण बाजार/ स्वयं हेतु उपयोग									
11.	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान						•			
10.	उपयोग (उपयोगिता)									
9.	फलने का मौसम									
8.	.वृक्ष/बीजों का स्रोत									
- 1	स्थानीय स्थिति	पूर्व वर्तमान								
.6	निवास									
5.	भू परिदृश्य									
4.	किस									
3.	वैज्ञानिक नाम									
2.	स्थानीय									
1.	वृक्ष का प्रकार स्थानीय वैज्ञानिक किस्म नाम नाम									

DOMESTICATED BIODIVERSITY

Format 11: Fruit Trees

	nity/	older	T											
13	Community/	Кпом. h												
- 1	_													
=	Associated	¥												
10	Uses	(usage)												
6	Season	of Fruiting												
œ	Source of	plant/seeds												
7	Local Status	Past Present												
	Local	Past												
9	Landscape/	Habitat												
4	Variety									10	4			
6	Scientific	Name	-77								-			
7	Local	Name												
_	Plant	lype											1	

प्रारुप 12 : औषधीय पौधे (जड़ी बूटियाँ, झाडियाँ, वृक्ष आदि)

	12. समुदाय / झानधारक								
_	अन्य विवरण बाजार/ स्वयं हेतु	वसवीन							
	ग0. सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान								
0	अपयोगी भाग								
60	उपयोगिता) उपयोगिता)								
7.	स्थानीय स्थिति	पूर्व वर्तमान							
6.	का भ्रोत का भ्रोत ं								
5.	भू परिदृश्य/ निवास								
4	किस्म								
3.	य वैज्ञानिक नाम								
2.	र स्थानीय वैइ								
	ИФИ								

/ कृषि उद्देश्य (जैव कीटनाशक) संग्रह किये जाते हैं अथव टिप्पणी : उपयोग : मोजन / पशु औषधि / मानव औषधि (उप विमाग जैसे– बच्चों, महिलाओं आदि के लिए), अन्य विवरणः बढ़वार के तरीके, / फलने की अवधि, / उगाये जाते है अथवा जंगल से दोनों, / वर्षानुवर्षी / वार्षिक / मौसमी

Format 12: Medicinal Plants (Herbs, Shrubs, Trees etc.)

12.	Community/	Know. Holders									
11.	Other	details market/own use									
10.	Associated	¥									
9.	Part	pesn						111	Ti ki		
8.	Uses	(usage)									
7.	status	Past Present (usage)									
	Local	Past									
.9	Source of	plant/seeds									
5.	Landscape/	Habitat									
4.	Variety										
3.	Scientific	Name									
7.	Local	Name									
		Type									

Note: Uses: Food/Veterinary Medicine,/ Human Medicine (Sub-divisions like for children, women etc),/ Agricultural Purpose (Bio-pesticide) Other detials Propagation methods/ Harvesting period,/Cultivated or collected from wild or both,/ Parenial/ annual/ seasonal

प्रारुप 13 : शोभाकारी पौधे/वृक्ष/बेलें आदि

10.	समुदाय / ज्ञानधारक										
.6	अन्य विवरण										
8.	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान										
7.	उपयोग										
6.	वाणाज्यक / गैर वाणिज्यिक										
10. 10.	नाव/बाज का स्रोत										
4. (Astro-	LVO-										
	नीम र										
Zon-flyr	नाम नाम										
一年 出	प्रकार										

Format 13: Ornamental Plants/ Trees/Climbers etc.

10.	Community/ Know. holder											
	Other details											
8.	Uses Associated TK										+	
7.	Uses											
.9	Commercial/ non- commercial											
5.	Variety Source of plant/seeds											
4.	Variety											
3.	Scientific Name											
2.	Local Name	-										
-	Plant Type											

प्रारुप 14 : इमारती पौधे/वृक्ष

	समुदाय / ज्ञानधारक										
6	अन्य विवरण								8		
89	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान										
7.	अन्य उपयोग (बहुल)										
. 6.	स्थानीय स्थिति जंगली / घरेलू अन्य बगीचा उपयोग ' (बहुल)										
	स्थिति	पूर्व वर्तमान									
2	स्थानीय	पूर्व									
4.	निवास										
e,	वैज्ञानिक नाम										
	स्थानीय नाम										
1.	पौधे का प्रकार		1								

Format 14: Timber Plants / Trees

10.	Community/ Know.	holder											
	Other												
8.	Associated	TK											
7.	Other	uses (multi)					4						
.9	Wild/ home-	garden											
5.	Local status	Past Present											
4.		Past											
	Scientific	Name											
2.	Local	Name											
1.	Plant	Type											

प्रारुप १५ : पालतू पशु

40	12. समुदाय / ज्ञानधारक	
++	उत्पाद और सेवाओं सिहित अन्य विवरण	
10	10. वाणिडियक पक्ष	
6	भ्रम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान	
8.	ह . 9. उपयोगिता) पारंपरिक पारंपरिक प	
7.	7. स्थानीय स्थिति पूर्व वर्तमान	
	त्रीका	
5.	लक्षण	
4	- 4. - नस्ल (स्थानीय / सकर)	
eri (वैश्वामिक नाम	
2.	.ट. स्थानीय नाम	
1.	Xex	

उपयोग में सम्मिलित हैं दूध, मांस, त्वचा, पंख आदि।

Format 15: Domesticated Animals

12.	Community Know.	Holders										
11.	Other details including	products and services										
10.	Commercial rearing											
	Associated TK											
	Uses											
7.	Local status	Past Present										
	Sta	Past										
.9	Method	keeping										
.5	Features											
4	Breed (local/	hybrid)										
3.	Scientific Name											
7.	Local Name								-			
-	_											

Uses include milk, meat, skin, fur and etc

प्रारुप 16 : पालतू (कल्वर) मछलियाँ

-	समुदाय / ज्ञानधारक									
	अन्य विवरण									
10.	वाणिरियक पक्ष									
6	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान									
8,	उपयोग सम्बद्ध र (उपयोगिता) पारंपरिक ज्ञान									
7.	स्थानीय स्थिति	पूर्व वर्तमान								
_	जल परिदृश्य (तालाब, भेरी, पोखर)									
.5	विवरण									
4.	कस									
ri e	वैज्ञानिक नाम									
2.	स्थानीय वैज्ञानिक नाम नाम									
	मछली का प्रकार		1							

टिप्पणी : अन्य विवरण में सम्मिलित है मछली पकड़ने का तरीका, उपलब्धता का समय, प्रजनन का समय, आहार आदि।

Format 16: Culture Fisheries

	·		Т	Т	П	Т	7	П											
12	Communit	Know. Holders																	
=	Other	details																	
10	Commercial	rearing																	
6	Associated	ТK																	
00	Uses		T									-							
7	l status	Past Present																	
	Loca	Past																	
		0																	
S	Features																		
4	Variety														100	100	-		
3	Scientific	Name						-									2 -		
2	Local	Name																	
-	Fish	Type		-															

Note: other details include mode of catching fish, time of availability, breeding time, feeds and etc.

प्रारुप 17 : बाजार/पालतू पशुओं, औषधीय पौधों और अन्य उत्पादों के हाट/मेले

0	वे स्थान जहाँ पर पशु भेजे जाते हैं।									
α	वे स्थान जहाँ से पशु लाये जाते हैं।									
7.	प्रतिदिन संव्यवहार किए जाने वाले पशुओं की संख्या (औसत)									
.9	लाये/बंचे जाने वाले पशुओं के प्रकार									
5.	द्विवार्षिक अथवा वार्षिक मेले के प्रकरण में महीना									
4.	लगने का दिन									
m; (साप्ताहिक/ पाक्षिक अथवा अन्य द्विवार्षिक/ वार्षिक									
2.	स्थान									
	साप्ताहिक बाजार / हाट का नाम	-								

Format 17: Markets / Fairs for Domesticated Animals, Medicinal Plants and other products

9.	Places to where the animals are transported										
90.	Places from where the animals are arrived										
7.	Number of animals (average) transacted in a day				The same of the sa						
.9	Types of animal bought and sold										
5.	Month incase of bi-annual or annual market fair										
4	Day held										
3.	Weekly / Fortnightly & Others Bi-annual / Annual								100		
2.	Location										
Τ.	the y Fair										

जैव विविधता प्रारुप 18 : वृक्ष, झाहियाँ, जड़ी—बूटियाँ, कन्द, घास, बेलें आदि।

11.	समुदाय / ज्ञानधारक									
10.	अन्य विवरण									
6	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान						,			
8.	संग्रह किया जाने वाला भाग									
7.	डपयोगिता) (डपयोगिता)									
. 6.	स्थांनीय स्थिति (५	पूर्व वर्तमान								
5.	निवास									
4	स्वभाव									
3.	वैज्ञानिक नाम									
2.	स्थानीय नाम									
1.	ोंधे का प्रकार स्थानीय वैज्ञानिक नाम नाम									

WILD BIODIVERSITY

Format 18: Trees, Shrubs, Herbs, Tubers, Grasses, Climbers etc.

9. 10.	Part Associated Other Community collected TK details Knowledge Holder											
-	Commercial / own use	+										
.9	Local status Past Present											
3.	Habit Habitat											
4	Habit											
3.	Scientific F									V 1		
	Local											
Γ.	Plant											

प्रारुप 19 : जंगली प्रजातियों के उपयोगी पौध

	हें स्थिति							
-	महत्त्व (जैसे– आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक आदि)			•				
4.	किस्म							
69	वैज्ञानिक							
2.	स्थानीय नाम							
1.	क्रमांक							

Format 19: Wild Plant Species of Importance

	Status I,											
5.	Importance (as economic, social, cultural etc.)											
4	Variety			-							THE RESERVE THE PERSON	
3.	Scientific Name											
2.	Local Name						100					
1.	SI. No.											

प्रारुप 20 : जलीय जैव विविधता

+	2.	.9	4.	.5	6.	- 1	89	6	
थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	野田	विशेषताएँ		स्थानीय स्थिति	उपयोग	सबाधित पारंपरिक झान	अन्य विवरण	समुदाय ज्ञानधारक
					पूर्व वितमान				
3.									
							. 1/2		

अन्य विवरणों में मछली पकड़ने का तरीका, उपलब्धता का समय, प्रजनन समय आदि को सिम्मिलित किया जा सकता है

Format 20: Aquatic Biodiversity

10.	mity/ Knowledge	Holder												
	Commi													
9.	Other	details												
%	Associated	TK								1				
7.	Cses		1											
9.	Status	Past Present												
	Local	Past												
Š.	Habitat													
	Features Habitat Local Status Uses													
3.	Variety											G		
		Name			10.00									
1.	Local	Name	,											

Other detail may include mode of catching fihs, time of availability, breeding time etc.

प्रारुप 21 : महत्वपूर्ण जंगली जलीय पौधों की प्रजातियाँ

		T	Г	Г					Т	
9	लक्षण									
5.	ਸहत्व									
4.	किस्म									
	वैज्ञानिक नाम									
2.	स्थानीय नाम									
1.	क्रमांक									

Format 21: Wild Aquatic Plant Species of Importance

.9	Trends									
5.	Importance									
.4	Variety									
3.	Scientific Name									
2.	Local Name									
Ι.	Sl. No.									

प्रारुप 22 : औषधीय उपयोग के जंगली पौधे

	समुदाय ज्ञानधारक								
	अन्य विवरण बाजार या स्वयं का उपयोग								
6	उपयोगी भाग								
	उपयोगिता) (उपयोगिता)								
	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान								
	स्थानीय स्थिति	पूर्व वर्तमान							
2.	भू परिदृश्य / निवास								
4.	किस्म								
63	वैज्ञानिक नाम								
2.	स्थानीय वैज्ञानिक नाम नाम								
-:	पीधा (जड़ी—झाड़ी वृक्ष)								

टिप्पणी— उपयोग: मोजन, पशु औषधि/मानव औषधि (उप प्रमाग जैसे— बच्चे, माँ, महिला आदि)/ खेती सम्बन्धित उपयोग (जैव कीटनाशक)

अन्य विवरण– फसल का समय, वर्षानुवर्षी / वार्षिक / मौसमी।

Format 22: Wild Plants of Medicinal Importance

11.	Community/	Knowledge Holder								The second second			
10.	Other details	market/ own use											
	Part												
œ	Uses	(usage)											
7.	Associated	¥			7.00								
.9	atus												
	Loca	Past											
.5	Variety Landscape/	Habitat									70		
4.	Variety												
	Scientific							100					
2.	Local	Name					-						
Τ.	Plant (Herb,	Shrub, Tree)											

Note: Uses: Food/veterinary Medicine/ Human Medicine (Sub-divisions like for children, women etc)/ Agricultural Purpose (Bio-pesticide) Other details Harvesting period/ Perennial/ annual/ seasonal

प्रारुप 23 : फसलों के जंगली सम्बन्धी

10.	समुदाय झानधारक								
6	अन्य विवरण								
89	संबंधित पारंपरिक ज्ञान								
7.	उपयोगी भाग								
9.	उपयोग ज (पारंपरिक)								
5.	स्थानीय स्थिति ्त् (पा	वर्तमान							
	स्थानी	र्य							
4.	भू परिदृश्य निवास								
e,	संबंधित फसल								
2.	वैज्ञानिक नाम								
.1.	स्थानीय नाम								

में कार्य को सम्मिलित किया जा टिप्पणी - अन्य विवरणों में किसी विशिष्ट पौधे की अनुपरिथति में प्रतिस्थापित पौधे के रूप

Format 23: Wild relatives of Crops

0.	y / Know ler											
-	Community / Know holder											
.6	Other details											
8.	Associated TK											
	Part Used											
	Uses (usage)											
5.	Local Status Past Present											
	Landscape/ Habitat											
3.	Associated								- 100			
2.	Scientific Name								10000	1		
Τ.	Local Name						1					

Note: Other details may include 'function as a substitute plant' in the absence of a particular plant

प्रारुप 24 : सजावटी पौधे

-	2.	3.	4.	5.			89
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म	निवास	वाणिज्यिक/ गैर वाणिज्यिक उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	कोई अन्य विवरण	समुदाय / ज्ञानधारक
			7				
						*	

Format 24: Ornamental Plants

8.	Community/ Knowledge Holder											
7.	Any other Detail											
4.	Associated TK											
5.	Commercial / Non-commercial Uses											
4	abitat											
3.	Variety Ha								100	88		
2.	Scientific Name						S. Carlotte St. Ca				-	
Τ.	Local											

प्रारुप 25 : धुंआ करने/चबाने वाले पौधे

	11. समुदाय ज्ञानधारक									
	अन्य विवरण (उपयोग का	(Idhi)								
-	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान									
α	अप्योगी									
7.	उपयोग (पारंपरिक)									
.9	स्थानीय स्थिति	पूर्व वर्तमान								
5.	निवास									
4.	किस									
.0.	वेज्ञानिक नाम									
7.	स्थानीय									
	पाधा स्थानीय वैज्ञानिक (जड़ी—झाड़ी नाम नाम वृक्ष)									

Format 25: Fumigate / Chewing Plants

Ξ.	Community knowledge holder											
10.	Other details (mode of use)											
9.	Associated TK											
8.	Part used											
7.	Uses (usage)											
.9	Local Status Past Present											
.5	Variety Habitat											
4	Variety											
3.	Scientific Name								10			
2.	Local											
-	Plant (Herb, Shrub, Tree)											

प्रारुप 26 : इमारती पौधे

8.	समुदाय / ज्ञानधारक										
7.	अन्य विवरण							4			
.9	ं संबद्ध पारंपरिक 3 ज्ञान										
.5.	. अन्य उपयोग यदि कोई हो										
2	स्थानीय स्थिति	वर्तमान									
7	阿伦	पूर्व									
3.	निवास										
2.	वैज्ञानिक नाम										
1.	स्थानीय नाम										

Format 26: Timber Plants

8.	Other Uses, if any Associated TK Other Details Community/ Knowledge Holder							The state of the s					
7.	Other Details												
.9	Associated TK												
5.	Other Uses, if any												
4.	Local Status	Present											
	Local	Past											
3.	Habitat												
2.	Local Name Scientific Name Habitat												
Τ.	Local Name												

प्रारुप 27 (क) : तटीय और समुद्री फ्लौरा (वनस्पति जगत)

	समुदाय / ज्ञानधारक										
σ	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान										
60	अन्य उपयोग										
7.	वाणिज्यिक उपयोग (यदि कोई हो)										
.9	संग्रहीत भाग (यदि कोई हो)										
5.	स्थानीय स्थिति	पूर्व वर्तमान									
4.											
ri (वैज्ञानिक नाम										
2.	स्थानीय नाम										
1.	पौधे का प्रकार										

ra
0
F-
-
0
rine
Ξ.
2
-
2
] pue
\simeq
ane
00
7
stal
2
22
,0
0
-
-
1
4
+
4
Ξ
\equiv
0
fr.

प्रारुप 27 (ख) : तटीय और समुद्री जीव (प्राणी जगत)

	समुदाय / झानधारक										
6	सम्बद्ध पारंपरिक झान										
8	अन्य उपयोग										
7.	संग्रहीत वाणिज्यिक भाग उपयोग (यदि (यदि कोई हो) कोई हो)										
9.	संग्रहीत भाग (यदि कोई हो)										
5.	स्थानीय	पूर्व वर्तमान									
4.	निवास	Å.									
e,	वैज्ञानिक नाम										
2.	स्थानीय										
	प्राणी का नाम										

Format 27 B; Coastal and Marine Fauna

1.	2	3.	4.		5.	.9	7.	89	6	10.
Animal	Local	Scientific Name	Habitat	- S	Local Status	Parts Collectd (if any)	Commercial Uses (if any)	Other	Assosicated TK	Assosicated Community/ TK Knowledge Holder
				Parts	Parts Presents					
									100	
		d								
										-
					1					

प्रारुप 28 : जंगली पशु (स्तरनधारी, पक्षी, रेंगने वाले, उभयचर, कीट, अन्य)

43	समुदाय / झानधारक								
11	अन्य								
10.	शिकार, संगह का तरीका								
6	सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान								
8.	उपयोग गदि कोई हो)								
. 7.	स्थानीय स्थिति (१	पूर्व वर्तमान	1						
.9	दिखाई देने का मौसम								
5.	विवरण								
4	निवास								
ri i	स्थानीय वैज्ञानिक नाम नाम								
2.	स्थानीय								
1.	पशु का प्रकार								110

Format 28: Wild Animals (Mammals, Birds, Reptiles, Amphibia, Insects, others)

12.	Community/	Knowledge Holder											-	
11.	Other	details												
10.	Mode of	Hunting, collecting (if any)												
.6	Associated	TK												
8	Uses	(if any)		1										
7.	Local Status	Present												
	Loca	Past												
.9	Season	when										100		
5.	Description													
4.	Habitat							100	58	1		The second		
3.	Scientific Habitat	Name				4				1 . 7				
7.	Local	Name												
-1	Animal	Type												

शहरी जैव विविधता

प्रारुप 29 : फ्लौरा (वनस्पति जगत)

	/. टिप्पणियाँ (दुर्लभ / सामान्य	(*15)							
	फूल देने का मौसम								
5.	निवास								
4.	पौधों का प्रकार								
3	वैज्ञानिक नाम								
2.	स्थानीय नाम								
-	क्रमांक								

'आवासीय स्थलों / वाणिज्यिक भवनों / अन्य संस्थागत क्षेत्रों, निजी क्लब परिसरों और अन्य टिप्पणी– सड़क किनारे/बाग–बगीचों/आवासीय स्थलों/वाणिज्यिक भवनों/अन्य संस्थागत क्षेत्रे जलीय निवासों तथा स्थल निवासों के लिए भिन्न–भिन्न प्ररूपों का उपयोग किया जाना चाहिए।

URBAN BIODIVERSITY

Format 29: Flora

Separate format should be used for road side plantation / Parks and Gardens / Housing estate / Commercial buildings/ other institutional areas, Private club premises and also for Aquatic (water) habitat and Terrestrial (land) habitat Note:

प्रारुप 30 : फना (प्राणी जगत)

ď	िप्पणियाँ (दुर्लभ / सामान्य आदि)									
5.	निवास									
. 4.	प्राणियों का प्रकार (स्तंनधारी / पक्षी / मछली / कीट आदि)		-							
3.	वैज्ञानिक नाम									
2.	स्थानीय नाम									
1.	क्रमांक									

टिप्पणी– सड़क किनारे/बाग–बगीचों/आवासीय स्थलों/वाणिज्यिक भवनों/अन्य संस्थागत क्षेत्रों, निजी क्लब परिसरों और अन्य जलीय निवासों तथा स्थल निवासों के लिए भिन्न–भिन्न प्ररूपों का उपयोग किया जाना चाहिए।

Formuat 30, Fauna

.9	Remarks (Rare/ Common etc.)									
5.	Habitat									
4.	Type of Animals (Mamais/ Birds/ Fish/ Inseet etc.			-						
69	Scientific Name									
2.	Local Name					No.				
-	Sr. No.									

Commercial buildings / other institutinal areas, Private Club Premises and also for Aquatic (water) habitat and Note: Separate format should be used for road side plantation habitat/ Parks and Gardens / Housing estate/ Terrestrial (land) habitat

प्रारुप 31 : स्थानीय महत्त्व की अन्य कोई जानकारी

1. 2. क्रमांक स्थानीय महत्व की जानकारी टिप्पणियाँ						
	3.	टिप्पणियाँ				
त्रमांक	2.	स्थानीय महत्व की जानकारी				
	1.	क्रमांक				

Format 31: other information of local importance

	3.	Remarks				
Ally	2.	Sr. No. Information of local importance				
	Γ.	Sr. No.				

End of Part II

मैदानी अध्ययन हेतु मार्ग निर्देश, अध्ययन क्षेत्र का विवरण

3.1 सामान्य परिचय

प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। जन—जैव विविधता पंजी में उस क्षेत्र के सामान्य परिचय— इसके भौगोलिक स्थिति, जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत, मौजा के हल्का क्षेत्र / वार्ड नक्शे, अक्षांश, देशांतर (जहां कहीं संभव हो) को सम्मिलित किया जाना है। अध्ययन क्षेत्र की सीमा और यहाँ तक की पहुंच को भी अतिरिक्त बिंदु के रूप में सामान्य परिचय में सिमिलित किया जाना चाहिए।

3.2 समाजार्थिक परिचय-

अध्ययन क्षेत्र की समाजार्थिक विवरणिका को सम्मिलित करने से लोगों की जैविक संसाधनों पर निर्भरता को समझने में सहायता मिलती है, फिर चाहे वह उनका आन्तरिक उपयोग हो अथवा बाहरी आपूर्ति। समाजार्थिक परिचय तैयार करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी:

 आंबांदी— अध्ययन क्षेत्र की कुल आबादी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक घर का सर्वेक्षण निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में किया जाना है :--

* कुल सदस्यों की संख्या

- पुरुष-

18 वर्ष से नीचे, 18-65 वर्ष, 65 वर्ष से ऊपर

– महिला–

18 वर्ष से नीचे, 18-65 वर्ष, 65 वर्ष से ऊपर

– साक्षरता दर–

- पुरुष-

4 से 18 वर्ष, 18 से 65 वर्ष, 65 वर्ष से ऊपर

- महिला-

4 से 18 वर्ष, 18 से 65 वर्ष, 65 वर्ष से ऊपर

- पेयजल— स्रोत, संख्या (खोदे गये कुयें और ट्यूबवेल के प्रकरण में)
- स्वच्छता– स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हैं अथवा नहीं
- भूमि स्वामित्व— कृषि भूमि— पांच कोटा तक पांच कोटा से एक बीघा एक से पांच बीघा पांच बीघा से ऊपर

(एक कोटा = 720 वर्ग फीट; एक बीघा = 14440 वर्ग फीट)

Chapter -3

Guide to Field Study, Profile of the Study Area

3.1 General Profile

Each study area has its own characteristics. The PBR is to include the general

profile of the area – its geographical location, district, block, gram panchayat, J.L no. from Mouza / Ward map, altitude, latitude, longitude (whenever possible). The boundary of the study area and also its connectivity should be additional point in the general profile.

3.2 Socio-Economic Profile

An outlined socio-economic profile of the study area will help to understand people's dependency on the biological resources, either for internal use or for external supply. The following information will be required to get the socioeconomic profile:

- Population to get the total population of the study area individual household survey is to be carried out with reference to the following parameters.
- Total number of members
- Male below 18 years, 18 65 years, above 65 years
- Female below 18 years, 18 65 years, above 65 years
- Literacy rate
- Male 4-18 years, 18-65 years, above 65 years
- Female 4-18 years, 18-65 years, above 65 years
- Drinking water Source, Number (in case of dug well and tube well)
- Sanitation Sanitary latrine present or absent
- Land holding
- Agricultural land Upto 5 cottah,

5 cottah - 1 bigha,

1-5 bigha,

Above 5 bigha

(1 cottah - 720 sq.ft; 1 bigha - 14400 sq.ft)

- व्यवसाय
- कृषि
- मछली पालन
- पशुपालन
- व्यापार
- निर्माण (उत्पादन)
- अन्य असंगठित मजदूर
- संगठित मजदूर
- परिवार- वार मासिक आय
- स्वास्थ्य की देखभाल और पारंपरिक दवाओं पर निर्भरता
- ईंधन का उपयोग और स्रोत
- दैनंदिन भोजन की आदतें
- रेशेदार खाद्य सामग्री
- दालें
- सब्जियाँ
- तेल बीये
- मछली, अंडा, माँस
- पालतू प्राणी
- संख्या, प्रकार और नस्ल (उदाहरणार्थ गाय, बकरी, मुर्गी, बतख)
- आवास का प्रकार
- कच्चा, पक्का
- जैव विविधता के प्रति उत्तरदाता की जागरूकता

जानकार व्यक्ति, पुरुष और महिला के प्रति विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रारूप को जानकार व्यक्तियों की जानकारी दर्ज करने हेतु उपयोग में लिया जाना चाहिए।

नैसर्गिक संसाधन : सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण

नैसर्गिक संसाधनों में सम्मिलित हैं निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज और जीवित पदार्थ जैसे वनस्पतियाँ, प्राणी और सूक्ष्मजीवी। इन सबको मिलाकर प्रकृति जीवन को बनाये रखने की प्रणाली उपलब्ध कराती है।

- Occupation
- —Agriculture
- Fisheries
- Animal husbandry
- Trading
- Manufacturing
- Other unorganized worker
- Organized worker
- Family wise monthly income
- Healthcare and dependency on traditional medicine
- Fuel use and source
- Daily food habit
- -Staple food
- -Pulses
- —Vegetables
- -Oilseeds
- -Fish, egg, meat
- Domesticated animals number, types and breed (e.g., cow, goat, chicken,duck)
- Type of housing Kutchha, Pucca

Respondent's awareness to biological diversity
 Special focus should be given to the more knowledgeable individual, men and women. During the survey, the following format may be used for recoding of information of knowledgeable individuals:

Natural Resources: Survey and Documentation

Natural Resources include non-living elements like air, water, soil, minerals and also living elements like, plants, animals and microorganisms. Together the nature provides the life sustaining system.

1.0 निर्जीव नैसर्गिक संसाधन

1.1 जमीनी संसाधन

जैव विविधता को बनाये रखने की दृष्टि से भूमि और मिट्टी बेहद महत्वपूर्ण संसाधन हैं। मिट्टी कोई उदासीन पदार्थ नहीं है। यह बैक्टीरिया और फनजाई (कवक) के साथ—साथ माइक्रो आर्थोपोर्ड (सूक्ष्म रेंगने वाले कीड़े) और केंचुओं आदि जो आसानी से खुली आंखों नहीं दिखते, हेतु आश्रय प्रदान करती है।

भूमि और मिट्टी को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले एक आधारभूत लक्ष्य क्षेत्र (शहरी, गैर वानिकी, ग्रामीण, वन, पहाड़ी, तटवर्ती, टापू आदि) आधारित भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार किया जाए। इस प्रकार का मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित का अध्ययन करना आवश्यक होगा:—

शहरी क्षेत्र हेतु

- (i) मनुष्य की बसाहट हेतु भूमि
 - क) कितनी भूमि का उपयोग किया जाए?
 - ख) किस प्रकार की भूमि को पसंद किया जाता है?
- (ii) सड़कें
 - क) 'पक्की सड़क की लम्बाई
 - ख) कच्ची सड़क की लम्बाई
- (iii) संस्थागत और वाणिज्यिक क्षेत्र
 - क) लघु उद्योग
 - ख) बाजार
 - ग) कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान जैसी अन्य संस्थायें
- (iv) उद्यान, बगीचे और खुले स्थान
 - क) उद्यान और बगीचों का कुल क्षेत्रफल
 - ख) कुल खुला क्षेत्रफल
- (v) वेटलेंड्स (गीली भूमि)
 - क) नाम, स्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल और गीली भूमि का वर्तमान उपयोग (जल संसाधन के अन्तर्गत विस्तृत विवरण दिया गया है।)
- (vi) निदयाँ / नहरें / क्रीक्स (Creeks)— बहते हुए पानी की प्रकृति को समझने हेतु (यदि कोई हो)
 - क) नदी/नहर की लंबाई

1.0 Non-Living Natural Resources

1.1 Land Resource:

Land and soil is a vital resource supporting biological diversity. Soil is not an inert substance. It provides shelter to tiny microbial organisms like bacteria and fungi as also micro arthropods and earthworms, not easily visible to naked eyes.

In order to understand land and soil, it is therefore essential to prepare a basic target area (urban, non-forest rural, forest, mountain, coastal, island etc.) based land use map. To prepare such a map one has to study the following:

For Urban Area:

- (I) Land for human habitation
 - a. How much land is used
 - b. What type of land is preferred
- (II) Roads
 - Length of the Pucca road
 - b. Length of the Kutchha road
- (III) Institutional and Commercial Area
 - a. Small scale industries
 - b. Markets
 - c. Institutions like office, educational institution
- (IV) Parks, Gardens and Open Space
 - Total park and garden area
 - b. Total open space area
- (V) Wetlands
 - Name, location, ownership, area and current uses of wetlands
 (Details are given under Water Resource)
- (VI) Rivers / Canals / Creeks to understand the flowing water profile (if any)
- a. Length of the river/canal

ख) नदी / नहर के जल का मौजूदा उपयोग गैर वानिकी ग्रामीण क्षेत्र हेतु

- (i) कृषि भूमि
 - क) निचली, मध्यम और ऊँची भूमि पर कितना जल एकत्रित है?
 - ख) क्या भूमि का उपयोग एक फसल, दो फसल अथवा अधिक लेने हेतु किया जाता है?
 - ग) वर्तमान में किस प्रकार की सिंचाई अपनाई गई है?
 - घ) खेती के लिए कौन-सी प्रमुख फसलों का उपयोग किया जा रहा है?
- (ii) गीली भूमि
 - क) नाम, स्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल और गीली भूमि का वर्तमान उपयोग (जल संसाधन के अन्तर्गत विस्तृत विवरण दिया गया है।)
- (iii) मानवीय बस्ती हेतु भूमि
 - क) कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है?
 - ख) किस प्रकार की भूमि पसंद की जाती है?
- (iv) संग भूमि (Fallow Land)
 - क) फैलो का क्षेत्रफल और उनकी स्थिति
 - ख) फैलो भूमि में वनस्पति
 - ग) फैलो की प्राणी विविधता (Fauna)
 - घ) क्या इसका उपयोग किन्हीं धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है?
 - ड.) क्या ये स्थायी फैलो हैं अथवा प्रचलित फैलो?
- (v) निदयाँ / नहरें / क्रीक- जल परिचय को निम्नानुसार समझने हेतु
 - क) नदी / नहर का उद्यम
 - ख) नदी / नहर की लम्बाई
 - ग) नदी / नहर के जल का उपयोग
- (vi) सड़कें
 - क) पक्की सड़क की लम्बाई
 - ख) कच्ची सड़क की लम्बाई
- (vii) जलवायु / झाड़ियाँ / वन क्षेत्र
 - क) स्थिति
 - ख) क्षेत्रफल

b. Current uses of river/canal water

For Non-Forest Rural Area:

- (I) Agricultural Land
 - a. How much water is accumulated in low, medium and high land?
 - b. Whether such land is used for single crop, two crops or more?
 - c. What type of irrigation is currently practiced?
 - d. What are the major crops used for cultivation?
- (II) Wetlands
 - Name, location, ownership, area and current uses of wetlands in the village (Details are given under Water Resource)
- (III) Land for human habitation
 - a. How much land is used?
 - b. What type of land is preferred?
- (IV) Fallow Land
 - a. Area of fallow and their location
 - b. Vegetation in the fallow land
 - c. Fauna in the fallow
 - d. Whether it is used for any religious purposes?
 - e. Whether permanent fallow or current fallow?
- (V) Rivers / Canals / Creeks to understand the flowing water profile
 - a. Origin of the river/canal
 - b. Length of the river/canal
 - Current uses of river/canal water
- (VI) Roads
 - Length of the Pucca road
 - b. Length of the Kutchha road
- (VII) Jungle / bushes / forest patch
 - a. Location
 - b. Area

- (viii) पवित्र उपवन / पोखर
 - क) स्थिति
 - ख) क्षेत्रफल
 - ग) इतिहास
 - घ) प्रमुख विशेषताएँ

वन क्षेत्र हेतु

- (i) सामान्य विशेषताएं
 - क) वन के प्रकार (पर्ण पाती, सदाबहार, शुष्क, गीले आदि)
 - ख) बंद वन के अन्तर्गत क्षेत्रफल
 - ग) खुले वन के अन्तर्गत क्षेत्रफल
 - घ) वन की श्रेणी (संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत)
- (ii) गीली भूमि
 - क) नाम, स्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल और गीली भूमि का वर्तमान उपयोग (जल संसाधन के अन्तर्गत विस्तृत विवरण दिया गया है।)
- (iii) निदयाँ / नहरें / क्रीक्स प्रवाहित जल प्रोफाइल को समझने हेतु
 - क) नदी / नहर का उद्गम
 - ख) नदी / नहर की लम्बाई
 - ग) नदी / नहर के जल का मौजूदा उपयोग
- (iv) वन ग्राम, यदि कोई हो
 - क) ग्राम की स्थिति
 - ख) ग्राम का आकार
 - ग) सड़क की लम्बाई और प्रकार
- (v) पवित्र तालाब / पोखर
 - क) स्थिति
 - ख) क्षेत्रफल
 - ग) इतिहास
 - घ) प्रमुख विशेषताएँ

- (VIII) Sacred Grove / Pond
 - a. Location
 - b. Area
 - c. History
 - d. Salient features

For Forest Area:

- (I) General features
 - Forest types (Deciduous, evergreen, dry, wet etc.)
 - b. Area under closed forest
 - Area under open forest
 - d. Category of forest (protected, reserved, unclassed)
- (II) Wetlands
 - Name, location, area and current uses of wetlands (Details are given under Water Resource)
- (III) Rivers / Canals / Creeks to understand the flowing water profile
 - a. Origin of the river/canal
 - b. Length of the river/canal
 - c. Current uses of river/canal water
- (IV) Forest village, if any
 - a. Location of the village
 - b. Size of the village
 - c. Road length and type
- (V) Sacred Grove / Pond
 - a. Location
 - b. Area
 - c. History
 - d. Salient features

पहाड़ी क्षेत्र हेतु

- (i) सामान्य विशेषताएं
 - क) एल्टीट्यूट या ऊँचाई
 - ख) ढलान
- (ii) वन के अन्तर्गत भूमि
 - क) वन के प्रकार (पर्ण पाती, सदाबहार, शुष्क, गीले आदि)
 - ख) बंद वन के अन्तर्गत क्षेत्रफल
 - ग) खुले वन के अन्तर्गत क्षेत्रफल
 - घ) वन की श्रेणी (संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत)
- (iii) बंजर भूमि
- (iv) भूस्खलन क्षेत्र
- (v) कृषि भूमि
 - क) निम्न, मध्यम और उच्च भूमि पर कितना जल एकत्रित किया गया है?
 - ख) क्या इस प्रकार की भूमि का उपयोग एक फसली, दो फसली अथवा अधिक फसल लेने हेतु किया जाता है?
 - ग) . वर्तमान में किस प्रकार की सिंचाई का उपयोग किया जाता है?
 - घ) खेती के लिए कौन-सी प्रमुख फसलें ली जाती हैं?
 - ड.) छोड़ दी गई जूम भूमि के अन्तर्गत क्षेत्रफल
 - च) छत पर फसल (टेरिस कल्टीवेशन) के अन्तर्गत क्षेत्रफल
- (vi) गीली भूमि
 - क) नाम, स्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल और गीली भूमि का वर्तमान उपयोग (जल संसाधन के अन्तर्गत विस्तृत विवरण दिया गया है।)
- (vii) मानवीय बसाहट हेतु भूमि
 - क) कितनी भूमि का उपयोग किया गया है?
 - ख) किस प्रकार की भूमि पसंद की जाती है?
- (viii) निदयाँ / नहर / क्रीक्स- प्रवाहित जल के प्रोफाइल को समझने हेतु
 - क) नदी / नहर का उद्गम
 - ख) नदी / नहर की लम्बाई
 - ग) नदी / नहर के जल का मौजूदा उपयोग

For Mountain Area:

- (I) General features
 - a. Altitude
 - b. Slope
- (II) Land under Forest
 - a. Forest types (Deciduous, evergreen, dry, wet etc.)
 - b. Area under closed forest
 - c. Area under open forest
 - d. Category of forest (protected, reserved, unclassed)
- (III) Barren land
- (IV) Landslide zone
- (V) Agricultural Land
 - a. How much water is accumulated in low, medium and high land?
 - b. Whether such land is used for single crop, two crops or more?
 - c. What type of irrigation is currently practiced?
 - d. What are the major crops used for cultivation?
 - e. Area under abandoned Jhum land
 - f. Area under terrace cultivation
- (VI) Wetlands
 - Name, location, ownership, area and current uses of wetlands in the village (Details are given under Water Resource)
- (VII) Land for human habitation
 - a. How much land is used?
 - b. What type of land is preferred?
- (VIII) Rivers / Canals / Creeks to understand the flowing water profile
 - a. Origin of the river/canal
 - b. Length of the river/canal
 - c. Current uses of river/canal water

- (ix) सड़कें
 - क) कच्चे सड़क की लम्बाई
 - ख) पक्के सड़क की लम्बाई
- (x) जंगल/झाडियाँ/वन क्षेत्र
 - क) स्थिति
 - ख) क्षेत्रफल
- (xi) पवित्र तालाब / पोखर
 - क) स्थिति
 - ख) क्षेत्रफल
 - ग) इतिहास
 - घ) प्रमुख विशेषताएँ

तटीय क्षेत्र हेतु सामान्य विशेषताएँ

- क) स्थिति
- ख) तट रेख की लम्बाई
- ग) मौजूदा उपयोग
- (i) मानवीय बसाहट
- (ii) बस्ती विहीन क्षेत्र
- (iii) तटीय उद्योग
- (iv) तटीय मत्स्य उद्योग
- (v) तटीय वन
- (vi) तटीय कृषि
- (vii) तटीय सड़क
- (viii) तटीय गीली भूमि

टिप्पणी— प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत उपर्युक्त अनुसार विवरण दर्ज किये जा सकते हैं। उपर्युक्त के अध्ययन के पश्चात भूमि के उपयोग—मानचित्र को मौजा मानचित्र के आधार पर तैयार किया जाना है। जिसमें,

क) लक्षित क्षेत्र पृथक दिखाये जायेंगे।

- (IX) Roads
 - a. Length of the Pucca road
 - b. Length of the Kutchha road
- (X) Jungle / bushes / forest patch
 - a. Location
 - b. Area
- (XI) Sacred Grove / Pond
 - a. Location
 - b. Area
 - c. History
 - d. Salient features

For Coastal Area:

- (I) General features
 - a. Location
 - b. Length of coastline
 - c. Current uses:
- i. Human habitation
- ii. Area without habitation
- iii. Coastal industries
- iv. Coastal fisheries
- v. Coastal forest
- vi. Coastal agriculture
- vii. Coastal road
- viii. Coastal wetland

Note: Details under each category can be followed as given above.

After studying the above, a Land Use Map is to be prepared on the basis of Mouza map to

a. Demarcate target areas

- ख) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत भूमि के पार्सल चिन्हित किये जायेंगे (जैसा कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), ———) में दर्शाया गया है।
- ग) मानचित्र में भूमि के उपयोग हेतु रंग संकेत रहेंगे।

1.2 जल संसाधन

जीवन के विविध प्रकारों को बनाये रखने के लिए जल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमिगत जल (खोदे हुए कुएं और हैंडपंप सम्बन्धी आंकड़े) और सतह जल की जानकारी एकत्र करें और उसे निम्नानुसार लेखबद्ध करें।

- सतह जल संसाधन
 - क) नदी, नहर, गीली भूमि- स्थिति / नाम
 - ख) क्षेत्रफल
 - ग) उपयोग- पेयजल हेतु / पकाने हेतु / सिंचाई हेतु
 - घ) गीली भूमि के उत्पाद- मछलियाँ / सब्जियाँ / फूल / जलीय पौधे
 - ड.) गीली भूमि के पक्षी
 - च) क्या गीली भूमि बाढ़ से आप्लावित होती है / जल के पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में काम आती है?
 - छ) मनोरंजन सम्बन्धी उपयोग
- भूमिगत जल संसाधन (पहाड़ी जैव प्रणाली को छोड़कर)
 - क) पेयजल खींचने के लिए उपयोग किये जाने वाले हैंडपंपों की संख्या और प्रत्येक की अनुमानित गहराई
 - ख) गहरे और उथले सिंचाई हेतु उपयोग में लिये जाने वाले ट्यूबवेलों की संख्या— प्रत्येक की हार्स पावर, प्रतिदिन संचालन की अवधि सहित।

2.0 जीवित नैसर्गिक संसाधन

2.1 प्राणी विविधता (जीव)

क्षेत्र में प्राणियों का किस प्रकार निरीक्षण करना?
प्रत्येक लिक्षत क्षेत्र में प्राणियों के विभिन्न समूह वहाँ की जलवायु अनुसार पाये जा सकते हैं। इनमें सिम्मिलित हैं बिना मेरुदंड के प्राणी जैसे केंचुए, कीड़े, मकड़ियाँ, बिच्छू, मौलूस्क (mollusks) आदि, अथवा मेरुदंडधारी (कशेरुक) प्राणी जैसे— मछितयाँ, टोड़ और मेढ़क, साँप, छिपकितयाँ, कछुए, पक्षी और स्तनधारी (गिलहरी, चूहा, मोले (mole), सीवेट (civet), बिल्ली, लोमड़ी आदि) चूँिक ये प्राणी विभिन्न समयाविधयों और मौसमों के दौरान पाये जाते हैं अतः इनका निरीक्षण उन मौसमों में और दो बार (रात और दिन) भी करना पड़ेगा। कुछ प्राणियों को बिल्कुल सवेरे (उदाहरणार्थ पिक्षयों को अथवा कुछ को साँझ ढले (उदाहरणार्थ चमगादड़) तो कुछ को दिन का तापमान बढ़ने से

- Identify parcel of land under each category (as shown above under I, II, III.....)
- c. Color code the land uses on the map

1.2 Water Resources

Water is a vital resource sustaining life forms. Collect the information on ground water (from dug well data and hand pump data) and surface water and document

- Surface Water Resource
 - a. River, Canal, Wetland location / name
 - b. Area
 - c. Uses-drinking/cooking/irrigation
 - d. Produces of wetlands fishes / vegetables / flower / aquatic plant
 - e. Birds in the wetland
 - f. Does the wetland acts as receptacle during flood / serve as water recharging area?
 - g. Recreational use
- Groundwater Resources (except in Mountain ecosystem)
 - Number of hand-pumps used for lifting drinking water and approx. depth of each
 - Number of shallow and deep tube wells used for irrigation horsepower of motors used for each, hours of operation per day

2.0 Living Natural Resources

2.1 Animal Diversity (Fauna)

How to observe animals in the field?

In every target area, diverse groups of animals can exist in tropical climates. These may include animals without backbones (invertebrates) like earthworm, insects, spiders, scorpions, mollusks etc., or animals with backbones like fishes, toads and frogs, snakes, lizards, turtle, tortoises, birds and mammals (squirrels, rat, mole, civet cat, fox etc). Since the animals occur at different period of time and season, they have to be observed both

पहले (उदाहरणार्थ तितिलयों को) देखा जा सकता है। यह याद रखना होगा कि ये प्राणी अलग—अलग जगहों पर पाये जाते हैं जैसे पेड़ की ऊँची शाखाओं पर, घास में, नदी किनारे, गहरे गड्डों में, पेड़ों के तनों के छिद्रों में, छाल के नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे।

• निरीक्षण हेतु स्थल का चयन

जहाँ विभिन्न प्रकार की जैविक प्रजातियाँ उपलब्ध हों ऐसे स्थान का चयन निरीक्षण हेतु सर्वोत्तम रहेगा। इसमें कृषि भूमि, कल्चर किये जा सकने वाले फॉलो, ग्राम के हरे—भरे स्थलों, ग्रामीण तालाबों, वन आच्छादित क्षेत्रों, नहर के किनारों और सड़क के किनारों को सम्मिलित किया जा सकता है। यदि वर्ष भर, मौसमी निरीक्षणों और अभिलेखकरण को सम्पन्न किया जा सके तो ही यह संभव होगा कि सम्पूर्ण जानकारी उभरकर आए।

प्राणियों के चयनित समूह हेतु निरीक्षण की पद्धतियों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार की जाती

2.1.1 गैर कशेरूकी प्राणी

गैर कशेरूकी प्राणी जल और स्थल दोनों की विशिष्ट रहवासी अवस्थाओं (पत्थर के नीचे, सड़े हुए लकड़ी के लड़ों में, फूलों में, फलदार वृक्षों में, झाड़ियों में, खेतों आदि) में पाये जा सकते हैं। सबसे छोटा गैर कशेरूकी प्राणी प्रोटोजोआ (जिसमें मात्र एक कोशिका होती है) साधारणतया खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन वह मिट्टी, पानी यहाँ तक कि मनुष्यों और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रह सकता है। सामान्यतया देखे जा सकने वाले प्राणी प्रजातियों को जन—जैव विविधता पंजी में दर्ज किया जाना है। इनमें सम्मिलित हैं:—

2.1.1.1 केंचुए

केंचुए सामान्यतया खनिज से भरपूर मिट्टी में रहते हैं। केंचुए के नमूने देखने और संग्रहीत करने के लिए:

- कृषि और अन्य प्रकार की भूमि का चयन करें; एक फीट गुणा एक फीट गुणा एक फीट आकार के पांच / दस स्थानों पर गड्डे बनाए और प्लास्टिक अथवा कांच के बने वाइल में 70-80 प्रतिशत अल्कोहल (स्प्रिट) डालकर नमूनों को एकत्रित करें।
- मैदानी पुस्तिका में संग्रह की तारीख, समय और स्थान को दर्ज करें।
- विषय विशेषज्ञों द्वारा एक बार चिन्हांकित कर दिये जाने पर आगे जाकर इसके वैज्ञानिक नाम की पुष्टि की जा सकती है।

2.1.1.2 कीड़े और मकड़ियाँ

संसार में जीवित प्राणियों में सबसे बड़ी संख्या कीड़ों की है। अब तक लगभग 8,50,000 कीड़ों की प्रजातियाँ विश्व में अभिलेखित की जा चुकी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भी विश्व की मौजूदा seasonally and also diurnally (day and night). Some animals are best observed during early morning (e.g., Birds) or at the dusk time (e.g., Bat) while others may be observed before the day temperature increase (e.g. Butterflies). It has to be remembered that animals inhabit different habitats viz., upper branches of the tree, grassland, banks of river, deep foliage, holes in the tree trunk, under the bark, on the ground or underground.

Selection of sites for observation

It will be useful to select the best possible site for observation where diverse biological species may be available. These may include the agricultural land, culturable fallow, village orchards, village ponds, forest patch, canal side and roadside. A complete information base can only emerge if year round, seasonal observations and recording is carried out.

A brief outline of methods of observation for selected group of animals is given below:

2.1.1 Invertebrate Animals

Invertebrate animals can occur both in land and water in specific habitat condition (under the stone, in rotten logs, in the flowers, on fruit trees, in bushes, in agricultural fields etc.). The smallest invertebrate animal called protozoa (body with single cell) cannot be seen by naked eyes but they may exist in soil, water even within the body of the human being or other animals. Normally the visible animal species are recorded in PBR. These include:

2.1.1.1 Earthworms

Earthworms normally live in mineral rich soil. To observe and collect earthworm specimen:

- Select agricultural and other land; make 1 ft x 1 ft x 1 ft deep cavity at least in 5 / 10 places and collect earthworm sample in small plastic glass vial containing 70-80 percent alcohol (spirit).
- Note the date, time and place of collection in the field notebook.
- Local names can be further validated by scientific names once identified by a subject specialists.

2.1.1.2 Insects & Spiders

Insects comprise the largest number of living organisms in the world. So far nearly 8,50,000 species of insects have been documented in the world. Scientists believe this is only 4-5 percent of the total insects species that may

कीड़ा प्रजातियों का बमुश्किल तीन—चार प्रतिशत ही है, अर्थात कीड़ों के 95 प्रतिशत का अभी भी वर्णन और नामकरण किया जाना बाकी है। स्वाभाविक है कि भारत सहित दक्षिण ट्रॉपिकल देशों में इनकी सर्वाधिक संख्या संभावित है। अब तक विश्व के कुल कीड़ा प्रजातियों का मात्र 6.5 प्रतिशत भारत में अभिलेखित किया जा चुका है। कीड़ों के 29 आर्डरों (श्रेणियों) में से 27 श्रेणियों के प्रतिनिधि हमारे देश में प्राप्त होते हैं।

आमतौर पर कीटों को मानव समाज का शत्रु समझा जाता है क्योंकि वे कृषि फसलों को काफी नुकसान पहुँचाते हैं और उनकी कई प्रजातियाँ तो वाहकों की तरह काम कर सकती हैं और वनस्पतियों, प्राणियों तथा मनुष्यों में गंभीर बीमारियों के कीटाणुओं (हैजा, मलेरिया, काला आजार, डेंगू जैसी बीमारियाँ कीटों के द्वारा फैलाई जाती हैं।) को एक स्थान से दूसरे तक पहुँचाती हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में कीट वनस्पति जगत और मानव समाज को परागण, दीमकों के नैसर्गिक शत्रुओं के रूप में, रेशम—शहद—लाख आदि के उत्पादन में लाभपूर्ण सेवायें उपलब्ध कराते हैं। मकड़ियाँ विभिन्न प्रकारों की हो सकती हैं। ये मकड़ियाँ अनेक प्रकार के कीड़ों की रोकथाम करती हैं और अपने से उच्चतर प्राणियों जैसे छिपकिलयों और पिक्षयों हेतु आहार उपलब्ध कराती हैं। सामान्य तौर पर कीटों और मकड़ियों से प्राप्त होने वाले सामग्रियाँ और सेवायें निम्नानुसार सूचीबद्ध की जा सकती हैं:—

- शहद, लाख और रेशम उपलब्ध कराना।
- कृषि, वानिकी और उद्यानिकी फसलों हेतु परागणकर्ता के तौर पर काम करना।
- विश्व के अनेक भागों में भोजन के तौर पर उपयोगी होना।
- दीमक जैसे कीटों (लेडी बर्ड बीटल का लार्वा) की रोकथाम करना।
- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढाने में सहायता करना। (मिट्टी में रहने वाले कीटों के द्वारा)
- सामाजिक व्यवहार का पाठ पढ़ाना (उदाहरणार्थ— तितलियाँ और मधुमिक्खयाँ) तथा
 सौंदर्यगत आनंद उपलब्ध कराना।
- अनेक कीट और मकड़ियाँ जनजातीय समुदायों द्वारा औषधीय उपयोग में ली जाती हैं।
- प्रकृति की भोजन श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करना
- कीटों की सामान्य विशेषताएँ
 कीटों और मकड़ियों की जोड़युक्त टाँगें होती हैं; इनमें से कुछ समान विशेषताएं जल स्थलीय

exist in today's world; that means 95 percent of the insects are yet to be described and named. Obviously, the largest numbers are expected from southern tropical countries including India. So far only 6.5 percent of the insect species of the world have been recorded from India. Out of 29 orders of insects, representatives of 27 orders have been located in the country.

Usually insects are considered as enemies to the human society because they cause considerable damage to the agricultural crop and many species can act as vectors and transmit pathogens causing serious diseases in plants, animals and human being (Cholera, Malaria, Kala Azar, Dengue are some of the insect borne diseases).

On the other hand, a number of insects offer useful services to the plant kingdom and to the human society as pollinators, as natural enemies for pests, as providers of silk, honey, lac etc. Insects are the largest group of pollinators in the natural world. Spiders may occur in several forms. Spiders act as predators for many of the insects and provide food to the higher animals like lizards and birds.

In general, the goods and services from insects and the spiders can be listed as follows:

- Provide honey, lac and silk.
- Act as pollinators in agriculture, forestry and horticultural crops.
- Act as food in many parts of the world.
- Act as predator for pest insects (larva of Lady bird beetle)
- Help to increase fertility of the soil (soil inhabiting insects)
- Provide aesthetic pleasure and lessons in social behavior (e.g., butterflies and honey bees)
- Many insects and spiders are used for medicinal purposes by the tribal communities
- Play an important role in the food chain in nature.
 - 3/4 General Characteristics of Insects

Insects and spiders have jointed legs; the same character can also be seen in

प्राणियों (प्रॉन, श्चिम्प, केंकड़े), सेंटीपीड और मिलीपीड (शतपादीय और सहस्त्रपादीय) जीवों में भी देखी जा सकती हैं। सामान्यतः कीटों में एक जोड़ ऐंटीना और एक एक्जोस्केलेटर पाया जाता है। वयस्क कीट में तीन स्पष्ट भाग होते हैं— सिर, धड़ और पेट। कीटों में तीन जोड़ पैर तथा एक अथवा दो जोड़ पंख आम तौर पर होते हैं। नर अथवा मादा कीट को उनके रंग, आकार और प्रकार में विभिन्नता से पहचाना जा सकता है।

- संग्रहण और निरीक्षण
 कीटों और मकड़ियों का संग्रह करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।
 जैसे—
- छोटे ऊँट के बाल से बने ब्रश (नाजुक कीड़ों के लिए) अथवा चिमटों द्वारा हाथ से। इस प्रकार के कीटों को शीशे के बॉयल में रखे 70 प्रतिशत अल्कोहल के घोल में सामान्यतः संरक्षित किया जाता है।
- जाल से पकड़ना— तितली और अन्य उड़ने वाले कीटों को विशेष प्रकार की लंबे हत्थे वाली जाली से अथवा छोटे हत्थे की फैलाने वाली जाली से पकड़ा जा सकता है।
- ट्रेप- कीटों को विभिन्न प्रकार के ट्रेप लगाकर भी संग्रह किया जा सकता है, जैसे-
- प्रकाशं का ट्रेपः रात में खास तौर पर गहरी अंधेरी रातों में प्रकाश कीटों को आकर्षित करता है। बिजली का एक बल्ब जलाकर अथवा पेट्रोमेक्स की रोशनी से खुले स्थान पर प्रकाश का स्रोत लगाया जा सकता है; सफेद कपड़े के टुकड़े (तीन गुणित तीन फीट) को घास पर प्रकाश स्रोत के पास बिछाया जा सकता है; जब कीट प्रकाश की ओर आकर्षित हो जायें और सफेद कपड़े पर बैठ जायें तो उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है।
- गड्डे का ट्रेपः एक प्लास्टिक कप (9 संमी गुणित आठ संमी) का उपयोग करके जमीन की सतह में ऊपरी सिरा बराबर रहे ऐसे गड्डे में रखकर बनाया जा सकता है। ऐसे कप को तार की जाली और पत्तियों और टहिनयों से ढंका जा सकता है। ऐसे कप में कीड़े को आकर्षित करने वाला कोई खाद्य अथवा तरल पदार्थ रख देना चाहिए। इन्हें तीन—चार दिन के लिए ढंका छोड़ देना चाहिए और फिर निकालकर देखना चाहिए।
- कीटों का निरीक्षण और संग्रहण
- स्थल का चयन करें और पचास मीटर गुणा दस मीटर के क्षेत्रफल को चिन्हित कर दें।
- कीटों और मकड़ियों को हाथ से, जाली से अथवा ट्रेप लगाकर (तरीकों के लिए कृपया ऊपर देखें।) पकड़ लें और देखें।
- चयन किये गये स्थल के कुल आकार को देखते हुए इस कार्यवाही को दोहराया जा सकता है।

crustacean (Prawn, Shrimp and Crabs), centipedes and millipedes. Insects have normally a pair of antenna and an exoskeleton. Adult insects have three distinct parts – head, thorax and abdomen. Insects have three pairs of legs and usually one or two pairs of wings. Male and female insects may vary in colour, shape and size.

Collection and Observation

To collect insects and spiders, several methods can be used viz.,

- Hand collection with a soft camel hair-brush (soft body insects) or with a pair of forceps. Such insects are normally preserved in 70 percent alcohol in glass vial.
- Net collection Butterflies and other flying insects can be collected with the help of a specially prepared aerial net with a long handle or with a sweeping net attached to a short handle.
- Traps Insects can also be collected by setting up different types of traps, viz.,
- Light trap: Light attracts insects at night especially at dark nights. An illuminated electric bulb or a petromax lamp can be used as a light source in the open field; a piece white cloth (3 ft X 3 ft) may be placed on the grass near the light source; when the insects are attracted to the light and settle on the white cloth they can easily be collected.
- Pitfall Trap: This is a simple devise of using a plastic cup (9 cm X 8 cm), which is placed in a dug out pit at the floor level. Such cups are covered by a wire mesh and then by leaves and twigs. The cups should contain some attractant food or liquid. Such containers should be kept for 3-days and then taken out for observation.
- To observe and collect insects:
- Select a site and demarcate an area measuring 50m X 10m.
- Observe and collect the insects and spiders by hand, net and traps (for methods, see above).
- This can be repeated depending on the total area of the selected site.

- नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए क्लोरोफार्म या बैंजीन का उपयोग करते हुए पहले कीड़ों और मकड़ियों को मारना होगा। तितिलयों और मोथ को सूखी अवस्था में लिफाफों में रखा जा सकता है और अन्य कीटों को 70 प्रतिशत अल्कोहल (स्प्रिट) के घोल वाली कांच की वॉइल में सुरक्षित रखा जा सकता है।
- संग्रहीत नमूने का सरल क्रमांक वॉइल अथवा लिफाफे पर लिखें तथा उसे मैदानी पुस्तिका में भी दर्ज करें। लगे हाथ संग्रहीत कीट का संग्रह समय, दिनांक, स्थल का विवरण और कीट का प्रकार तथा प्रत्येक प्रकार की क्रमांक भी अंकित करें।
- संग्रहीत कीट नमूने की पहचान (चिन्हांकन) :
- सबसे पहले तो यह पहचानना होगा कि संग्रहीत नमूना कीट का है अथवा नहीं। इसके
 लिए निम्नलिखित चरणों में कार्य करना होगा।
- दो जोड़ एंटीना और न्यूनतम पांच जोड़ पैरों की मौजूदगी— क्रस्टेशियन
- चार जोड़ पैर होना और किसी एंटीना का मौजूद न होना– एरेक्निड
- तीन जोड़ पैरों की मौजूदगी और वयस्क नमूने में पंखों की उपस्थिति (स्प्रिंग टेल, लाइस, ईयरविग आदि जैसे कुछ प्रकरणों को छोड़कर) – इन्सेक्ट या कीट
- विभिन्न श्रेणियों के कीटों की विशेषतायें : कीटों को 29 श्रेणियों में बांटा गया है; सामान्य कीटों की विशेषतायें निम्नानुसार हैं : क – ओडोनाटा

क- ओडोनाटा



- विभिन्न और कई शिराओं सहित दो जोड़ी पंख
- II. सिर पर बड़ी संयुक्त आँखों की मौजूदगी
- एक्जोस्केलेटा सिहत तीन जोड़ ा टाँगें। उदाहरणार्थ— ड्रेगनफ्लाइस, डेमसेल्फीज

ख- आर्थोडेरा



- दो जोड़ा पंख, आगे के पंख पतले, पीछे के बड़े जालीदार शिराओं युक्त होते हैं।
- पीछं के पैर लम्बे और मोटे होते हैं जो कूदने के काम आते हैं। उदाहरणार्थ- ग्रासहूपर, क्रिकेट

- To preserve the collected specimens, first kill the insects and spiders using chloroform or benzene. Preserve butterflies and moths in envelops in dry condition and other insects in plastic or glass viol containing 70% alcohol (spirit).
- Put serial number in the collected specimens and write it in the field notebook. Also note the date, time, description of the site, type of insect collected and number of each type.
- Identification of collected insect specimen:

Firstly, it should be identified whether the collected specimen is insect or not.

For this following steps to be adopted:

- Presence of two pairs of antennae and not less than five pairs of legs
 crustacean
- Presence of four pairs of legs and no antenna arachnid
- Presence of three pairs of legs and adult specimen possessing wings (except in some cases like Springtails, Lice, Earwigs etc.) – insect
- Characteristics of insects of different orders:
 Insects are divided into 29 orders. The characteristics of most common insects are given below:

A. Odonata:



i. Two pairs of wings with several or many cross veins

ii. Large compound eyes present on the head

iii. Three pairs of legs with exoskeleton

e.g. Dragonflies, Damselflies

B. Orthoptera



i. i. Two pairs of wings, fore wings are thin, hind wings are large with cross veins

ii. Hind legs are thick and long, used for jumping e.g. Grass hoppers, Crickets

ग- फासमीडा



- शरीर चपटी पत्ती के आकार का या लंबा और बेलनाकार,छड़ी जैसा हो सकता है।
- II. पंखविहीन, उदाहरणार्थ- वाकिंगस्टिक

घ- डिक्टोटेरा



- शरीर चपटा पैरों पर पंख
- II. ऊपरी पंख चमकीले और पतले होते हैं।
- III. निचले पंख जालीदार शिराओं युक्त होते हैं। उदाहरणार्थ- तिलचट्टे

ड.- मेन्टोडिया




- जोडी पंख
- आगे की टांगे खाने के लिए कीट पकड़ने हेतु अनुकूलित। उदाहरण प्रेयिंग मेंटिस

च- आइसोटेरा



- कोमल शरीर
- समान आकार के पंख जिनमें शिराएं स्पष्ट दिखलाई नहीं देतीं।
- III. कुछ प्रकारों में पंख नहीं होते।
- IV. पंख युक्त प्रकार सामान्यतः वर्षा के मौसम में बाहर निकलते हैं। उदाहरण दीमक, वाईट एंट

C. Phasmida



- i. Body flat leaf like or long and slender, stick likeii. Wingless
- e.g. The Walking Sticks,

D. Dictyoptera



- i. Body flattened, swift on foot
- ii. Upper wings are bright and thin
- iii. Lower wings with cross veins
- e.g. Cockroaches

E.Mantodca



- i. Two pairs of wings present
- ii. Front legs adapted for catching insect preys
- e.g. Praying Mantis

F. Isoptera




- i. Soft body
- ii. Wings are equal in size and with indistinct veins
- iii. In some forms wings are absent.
- iv. Winged insects normally comes out during rainy season.
- e.g. Termites, White Ants

छ- थाइसेनोपेट्रा



- छोटा आकार
- II. चित्तेदार शरीर
- III. शिराओं और केश युक्त पतले पंख उदाहरण थ्रिप


ज- हेटेरोपेट्रा



131

- बडा कठोर शरीर
- II. अगले पंख मोटे, कभी-कभी सुई जैसे
- III. पिछले पंखों में क्रास शिराएं
- IV. दूसरे जानवरों के शरीर से खून चूसते हैं। उदाहरण खटमल

झ- होमोपेट्रा



- सामान्यतः छोटा आकार।
- II. कोमल टांगें, क्रास शिराओं वाले पंखों के दो जोड़े
- III. सिर के अग्र भाग में चूसने की क्षमता प्रदान करने वाला अंग
- IV. जीवन चक्र के कुछ चरणों में पंख रहित उदाहरण अफिड़, सिकाड़ा, वाईट फ्लाई, लीफहापर

यं- कोलियोपेट्रा



- दो जोड़ी पंख, आगे के पंख कठोर, जिन्हें ऐलिट्रा कहा जाता है। पीछे के पंखों में क्रॉस शिराएं।
- चमकीला रंग उदाहरण लेडी बर्ड, बीटेल, डंग बीटेल


G. Thysanoptera



- i. Small in size
- ii. Pigmented body
- iii. Thin wings with veins and hairs

e.g. Thrips

H. Heteroptera



- i. Large, hard body
- ii. Fore wings thick, sometimes needle like
- iii. Hind wings with cross veins
- iv. Suck blood from other animal's body

e.g. Bug

I. Homoptera



- i. Generally small insect
- ii. Soft legs, two pairs of wings with cross veins
- iii. Anterior part of head with sucking mouthparts
- iv. Wing less insects are also found in some stage of life cycle

e.g. Aphids, Cicada, White flies, Leaf hoppers


J. Coleoptera



- i. Two pairs of wings, fore wings hard called elytra, hind wings with cross veins
- ii. Bright in colour

e.g. Lady bird beetle, Dung beetle

ट- हाईमेनोपेट्रा




- क्रॉय शिराओं वाले दो जोड़ी पंख
- पीछे के पंख हमेशा आगे के पंखों से छोटे होते हैं। उदाहरण— मधुमक्खी, चींटी, वास्प

ठ- डिप्टेरा




- सामान्यतः छोटा आकार
- केवल सामने के पंख, जिनमें कम क्रॉस शिरायें होती हैं उदाहरणार्थ मक्खी, मच्छर

ड- लेपिडोपेट्रा




- पतले, शुल्क युक्त दो जोड़ी पंख
- II. शरीर और पंख पतले और चपटे
- III. चमकीले रंग के पंख उदाहरण— तितली, पतंगा

ढ— थाईसेन्यूरा



- छोटा, पंख विहीन, कोमल शरीर
- पूरे शरीर पर रूपहले बाल उदाहरण— सिल्वर फिश, ब्रिसिलटेल

K. Hymenoptera



- i. Two pairs of wings with cross veins
- ii. Hind wings are always smaller than fore wings

e.g. Honey bee, Ant, Wasps

L. Diptera



- i. Generally smaller in size
- ii. Only fore wings present with less cross veins

e.g. Flies, Mosquito


M. Lepidoptera



- i. Two pairs of wings with fine scales
- ii. Body and wings are thin and flat
- iii. Wings are bright in colour

e.g. Butterflies, Moths


N. Thysanura



- i. Small, wing less, soft body
- ii. Whole body is covered with silvery hairs

e.g. Silverfish, Bristletails

ण- कोलेम्बोला



- छोटा पंख रहित, कोमल शरीर
- पूंछ के सिरे पर स्प्रिंग जैसी संरचना जो कूदने में मदद करती है उदाहरण- स्प्रिंगटेल

2.1.1.3 मोलस्क

मोलस्क में घोंघा व सीपदार कीट शामिल हैं। ये मुख्यतः दलदली भूमि पर पाए जाते हैं परंतु सूखी भूमि में भी देखे जा सकते हैं। मोलस्क का अवलोकन करने के लिए दलदली भूमि, बारिश के मौसम में खेत और खेतों के मेढ़ के आसपास का क्षेत्र उपयुक्त है।

2.2 रीढ़धारी जंत्

2.2.1 मछलियां

111

गांव में मछिलयां छोटे तालाबों, बीड़ व निवयों में पाई जाती हैं। मछिलयों के विभिन्न प्रकारों में अंतर उनकी संरचना, शल्क, रंग व आकार आदि के आधार पर किया जाता है। अब तक भारत में मछिलयों की 2,586 जातियां सूचिबद्ध की जा चुकी हैं।

किसी स्थान विशेष की मछलियों के अध्ययन के लिए:

- गांव में तालाबों इत्यादि में पाई जाने वाली मछिलयों के नाम इकट्ठा कीजिए।
- ऐसी मछिलयों के नाम इकट्ठा कीजिए जिनका पालन नहीं किया जाता।
- बुजुर्गों से उन मछिलयों के नाम जानिए जो अब नहीं पाई जातीं।

2.2.2 एमफीबिया (मंडूक श्रेणी के जन्तु)

एमफीबिया समूह में मेंढक, दादुर, न्यूस्ट आदि शामिल हैं। ये सभी अनियततापी जन्तु हैं। एमफीबिया के अवलोकन के लिए रात्रि का समय सर्वोत्तम है। भारत में अब तक एमफीबिया की लगभग 209 जातियों की पहचान की जा चुकी है। मेंढक और दादुर, धान के खेतों में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाते हैं और इस तरह मनुष्यों के लिए लाभप्रद हैं।

एमफीबिया जन्तुओं का अवलोकन और उनका संकलन

धान के खेतों या जल स्त्रोतों के समीप ज़मीन में गढ्ढा कर उसमें कप गाड़कर इसका इस्तेमाल मेंढकों आदि को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। इन्हें कपड़े की जाली या हाथ से भी पकड़ा जा सकता है।

इनकी पहचान उनकी आवाज के आधार पर की जा सकती है।

O. Collembola



- i. Small, wing less, soft body
- ii. Spring like structure present at the end of the tail, help in jumping

e.g. Springtail

2.1.1.3 Mollusk

Mollusks are represented by snails, mussels etc. They can be found in marshy areas as well as in the high land. Observation place for mollusks may be marshy land, agricultural field during monsoon, bund area of the field etc.

2.2 Vertebrate Animals

2.2.1 Fishes

Fishes can be found from small ponds, beels and rivers in the village. Fishes can be distinguished based on the structure, scales, colour, size etc. A total of 2586 species of fishes have been recorded from India.

To observe fish diversity of the particular place:

- Collect the names of fishes cultured in the village wetlands
- Collect the names of non-cultured fishes
- Also collect the information regarding the fishes which are not found nowadays from elderly people

2.2.2 Amphibia

The group amphibian is represented by frogs, toads and newts. They are the cold blooded animals. Night time is the best time to observe Amphibia. In India about 209 species of amphibians have been recorded. Frogs and toads eat harmful insects of paddy field and therefore beneficial for the human being.

To observe and collect Amphibia specimen

- Pit fall trap can be used near the water bodies or paddy field. The trapped specimen can be collected and observed later on. Amphibia can also be collected by cloth nets and by hand.
- Species can be identified by the call of the Amphibia

2.2.3 रेप्टाईल (सरीसृप)

सरीसृपों में सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, केंकड़े आदि शामिल हैं। सांप विषेले भी हो सकते हैं और बिना विष वाले भी। हमारे देश में सरीसृपों की कुल 485 जातियां पाई जाती हैं। इन्हें दिन और रात किसी भी समय देखा जा सकता है।

सरीसृपों का अवलोकन

- चुने गए स्थान पर (पेड़ों, ज़मीन, पत्थरों के नीचे, चट्टानों की दरारों और पानी के पास)
 किया जा सकता है।
- सांपों की केंचुली से
- बुजुर्ग लोगों से क्षेत्र में पाए जाने वाले सरीसृपों की जानकारी इकट्ठा कर।

2.2.4 पक्षी

पक्षी पंख वाले, रंगबिरंगे जन्तु होते हैं। नर और मादा पक्षियों के बीच अंतर करना आसान है क्योंकि नर लगभग हमेशा मादाओं से ज्यादा रंगबिरंगे होते हैं। बहुत सुबह और शाम का समय पक्षियों के अवलोकन के लिए सबसे अच्छा होता है। पक्षियों की आवाज़, रंग, पंख की संरचना, चोंच, टांग इत्यादि उनकी जाति पहचानने में उपयोगी होती है।

पक्षियों के अवलोकन के लिए वही स्थान उपयुक्त होते हैं जहां कीट, सरीसृप, एमफीबिया इत्यादि देखे जाते हैं।

- एक 50 मीटर लंबे स्थल का चयन कीजिए। इसके अंदर एक 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त
 की कल्पना कीजिए।
- इस वृत के केंद्र में खड़े होकर 10-15 मिनट तक पक्षियों का अवलोकन कीजिए।
- जिन पक्षियों को आप पहचानते हैं उनके नाम लिखिए।
- अनजाने पक्षियों के मुख्य शारीरिक लक्षण लिखिए।

2.2.5 स्तनधारी जन्तु

जन्तु जगत में स्तनधारी सबसे उच्च स्थान पर हैं। वे नियततापी जन्तु होते हैं, जिनके शरीर पर बाल और स्तन ग्रंथियां होती हैं। भारत में स्तनधारियों की 372 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी जन्तुओं के अवलोकन के लिए गंध, आवाज, पदचिन्ह और उनकी विष्टा महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः स्तनधारी पशु रात में बाहर निकलते हैं इसलिए उन्हें सीधे देखने के लिए रात का समय उपुयक्त होता है। उनके पदचिन्हों, आवाज़ व रहने के स्थान के आधार पर उनके संबंध में अपरोक्ष रूप से जानकारियां इकट्ठी की जा सकती हैं।

2.2.6 पालतू पशु

पालतू पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बतख, मुर्गी आदि शामिल हैं।

2.2.3 Reptiles

Reptiles include snakes, lizards, crocodiles, turtles etc. Snakes may be poisonous or non-poisonous. Atotal of 485 species of reptiles are found in our country. These animals can be found during day time as well as night time.

Reptiles may be observed

- at the selected sites by direct sighting (on trees, on ground, under stone, in crevices, near water)
- by the molt of the snakes
- from the elderly people about the common reptiles found in the area

2.2.4 Birds

Birds are colorful feathered animals. The male and female birds can be easily distinguished as the males are more colorful than females. Early morning and dusk time are the best for observing birds. The call, colour, structure of wing, beak, legs etc. are important for observing a bird species.

Birds can be observed at the places where insects, amphibia, reptiles etc are observed.

- Select 50 m., long site. Imagine a circle of 10 m., radius at the two end points of the 50 m., long site.
- Stand at the centre of the circle and observe the birds for 10-15 minutes.
- Note the name of the known birds. Record major features of the unknown birds.

2.2.5 Mammals

Mammals are placed at the highest level of animal kingdom. They are characterized as warm-blooded animals with hairy body and by the presence of mammary glands. In India, a total of 372 species of mammals are found. The smell, call, foot-print, excreta etc., are important for observing mammalian species. Generally most of the mammalian species come out during night. Therefore for direct observation, night time is preferred. Indirect information may be collected from their foot-print, call, habitat etc.

2.2.6 Domesticated Animals

Domesticated animals include cow, buffalo, sheep, goat, poultry chicken, duck etc.


चित्रः पक्षियों की टांगों के विभिन्न प्रकार

कांग्रेटीनकहार श	মাছরাঙার পা	-totalia -t
कठफोड़वा	किंगफिशर	जलकाग
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	PIRSTS 91	
उकाब .	कबूतर	पाम स्विफ्ट

Figure: Different types of Legs of Birds

witcheses wi	मां हता होता व	
Woodpecker	Kingfisher	Cormorant
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	গামনাৰ পা	
Eagle	Pigeon	Palm Swift

चित्रः पक्षियों की चोंचो के विभिन्न प्रकार



3.0 वनस्पति विविधता


वनस्पति जगत को जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजी) व एंजियोस्पर्म (आवृतबीजी) में विभाजित किया जाता है।

3.1 अनावृतबीजी

अनावृतबीजी पौधों में फूल नहीं होते और ये बीजाणुओं के ज़रिए पुनरूत्पादन करते हैं। इस समूह को तीन उपसमूहों में विभाजित किया जाता है:

- थैलोफाइटाः ये सामान्यतः एक—कोशिक या बहुकोशिक होते हैं। बहुकोशिक प्रजातियों के मामले में शरीर के विभिन्न अंगों में अंतर नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ—शैवाल व कवक।
- ब्रायोफाइटः छोटा तना, पत्तियां उपस्थित, सामान्यतः दलदली भूमि में उगते हैं।
 उदाहरणार्थ—काई।
- टेरिडोफाइटः इस तरह के पौधों में तना, जड़ व पित्तियां अलग—अलग देखी जा सकती
 हैं। वाहिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ—फर्न।

Figure: Different types of Beaks of Birds



3.0 Plant Diversity (Flora)

Plant kingdom can be divided into Gymnosperms and Angiosperms.

3.1 Gymnosperms

Gymnosperms are non-flowering plant group and reproduces by spores. This group can be divide into three sub-groups:

- Thalophyta: Generally once-celled or multi cellular body. In case of multicellular species, body parts cannot be differentiated. e.g. Algae, Fungi
- Bryophyte: Small, shoot, leaves present, generally grows on marshy land. e.g. Moss
- Pteridophyte: The plant is having distinct root, shoot and leaves.
 Vascular bundle present. e.g. Fern

3.2 आवृतबीजी

इन पौधों में फूल होते हैं और ये बीज द्वारा पुनरूत्पादन करते हैं। इस समूह को दो समूहों में बांटा जा सकता है।

- अ. जिनमें बीज खुले होते हैं और उन पर कोई बाह्य आवरण नहीं होता। उदाहरणार्थ— देवदार, साईकस।
- ब. जिनमें बीज पर बाहरी आवरण होता है। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री। पहली श्रेणी के पौधों में एक अविभीजित बीज होता है जैसे चावल और गेहूं। दूसरे प्रकार के पौधों के बीज विभाजित होते हैं जैसे चना, आम आदि।

द्विबीजपत्री पौधों को तीन उपसमूहों में विभाजित किया जाता है।

3.2.1 हर्ब (अकाष्टिल पौधे)

- कोमल तना
- अकाष्ठिल पौधों का जीवन चक्र अलग–अलग हो सकता है।
- एक वर्ष का जीवन चक्र । उदाहरण–धान, गेहूं ।
- दो वर्ष का जीवन चक्र । उदाहरण–मूली
- दो वर्ष से अधिक का जीवन चक्र । उदाहरण–अदरक ।
- अकाष्टिल पौधों को बेल व लताओं में भी विभाजित किया जा सकता है।

3.2.2 झाड़ियां

- ये पौधे अकाष्ठिल पौधों से बड़े परंतु वृक्षों से छोटे होते हैं।
- लकड़ी का कठोर तना, मध्यम ऊँचाई, शाखा युक्त। उदाहरण—चाइना रोज़।

3.2.3 वृक्ष

- लंबा लकड़ी का तना।
- धरती से कुछ ऊँचाई के बाद शाखओं में विभाजन। उदाहरण—आम, बरगद। पौधों के लिए अवलोकन प्रक्रिया
- अ. जंगली पौधे
- 50 मीटर लंबे क्षेत्र का चिन्हांकन करें।
- इसे 10 मीटर गुणित 10 मीटर के पांच चौथाई भागों में बांटे पहला 50 मीटर लंबाई के मध्य और दोनों सिरों पर दो—दो।
- स्थल का विवरण लिखें।
- पौधों के नाम लिखें विशेषकर अगर उनके औषधीय उपयोग हों। उनकी प्रचुरता के बारे में
 लिखें और उन पौधों का विवरण भी लिखें जो पुराने समय में प्रयोग किए जाते थे परंतु अब

3.2 Angiosperms

These are the flowering plants and reproduce by seed. This group is further divided into two groups:

- When the seeds are open without any external coating. e.g. Pine,
 Cycas
- b. When the seeds have outer seed coating. This may again be divided into two groups called Monocot and Dicot. The first one having only one undivided seed, like rice and wheat and the second one has got divided seed, like gram, mango etc.

The dicot group is again divided into following three sub-groups:

3.2. 1 Herbs:

- Plants with soft shoot
- Herbs can be on the basis of duration of lifecycle.
- Life cycle completes in one year. e.g. Paddy, Wheat
- Life cycle completes in two years. e.g. Radish
- Life cycle completes in more than two years. e.g. Ginger
- Herbs can also be divided in to climbers and creepers

3.2.2 Shrubs:

- The plants larger than herbs but smaller than trees.
- Woody stem, medium height, branched. e.g. China rose,

3.2.3 Trees:

- Plants with long, woody stem.
- Branching out after a certain height from the ground. e.g. Mango,
 Banyan Observation Procedure for Plants
- Wild Plants:
- Demarcate 50 m., long area
- Demarcate five 10 m., X 10 m., quadrant, one at the middle of 50 m.,
 length and two each at the two sides of end two points
- Write description of the site
- Write down the uses of the plants especially medicinal use, abundance, and plants, which were present and used in the earlier

उपलब्ध नहीं हैं। यह जानकारी स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर बुजुर्गों से एकत्रित की जा सकती है।

ब. कृषि फसल पौधे

कृषि फसलों में शामिल हैं अनाज, दालें, सब्जियां, मसाले, तिलहन, रेशेदार पौधे, शक्कर उत्पादक पौधे, उगाए जाने वाले फल या फूल के पौधे, हरित खाद इत्यादि (गर्मी, वर्षा, वर्षा उपरांत व शीत ऋतु)।

धान

धान की कई किस्में होती हैं, जिनमें देशी और उच्च उत्पादकता वाली किस्में शामिल हैं। धान की किस्मों के बारे में जानकारी के सबसे अच्छे स्त्रोत किसान हो सकते हैं। धान की फसल के आकार संबंधी जो अवलोकन दर्ज किए जाने हैं वे हैं—

- पौधा–अंकुर की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई
- डंठल-डंठलों की संख्या
- पत्ती—पत्ती की चौड़ाई, लंबाई, कोण, ध्वजपर्ण का कोण और रंग।
- पुष्पगुच्छ-पुष्पगुच्छ का प्रकार, लंबाई, वजन, द्वितीयक शाखा विभाजन, दानों की संख्या, बंध्य दानों का अनुपात, पुष्प गुच्छ का अक्ष।
- वाना—दाने की लंबाई और चौड़ाई, सौ दानों का वजन, भूरे रंग के चावल के दाने की लंबाई और चौड़ाई, भूरे रंग के चावल का रंग, सुगंध इत्यादि।

पौधों की बीमारियों व नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को सीधे या बीमारियों और हानि पहुंचाने वाले कीटों से होने वाले नुकसान से समझा जा सकता है।

स. उद्यानिकी पौधे

इनमें फूल व फलदार वृक्ष जैसे आम, अमरूद, चायना रोज, जासमीन इत्यादि शामिल हैं।

द. इमारती लकड़ी के वृक्ष

इनमें वे वृक्ष शामिल हैं जिनसे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जैसे सागौन, महोगनी आदि। पौधों की प्रजाति की पहचान हेतु वनस्पति संग्रह प्रपत्र तैयार करना

वनस्पति संग्रह प्रपत्र, पौधों की प्रजाति की पहचान का महत्वपूर्ण साधन हैं। पौधों के नमूनों को वनस्पति संग्रह प्रपत्र के रूप में कई वर्षों तक भविष्य में होने वाले शोध के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। स्थल पर पौधे की पहचान न होने की स्थिति में वनस्पति संग्रह प्रपत्र तैयार किया जाना चाहिए।

वनस्पति संग्रह प्रपत्र तैयार करने के लिए निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होगीः

- संग्रहित नमूनों को रखने के लिए थैला (जूट, कागज या पोलीथीन)
- पौधे का नमूना काटने के लिए चाकू
- आवश्यक जानकारियां लिखने के लिए नोटबुक और पेंसिल
- पौधे के नमूने को अखबार के पृष्ठों के बीच दबाकर सुखाने के लिए वजन

times but no longer available. this data can be collected from the help of local villagers specially the elderly people.

b. Agricultural Crop Plants

Agricultural crops include cereals, pulses, vegetable, spices, oil seeds, fiber yielding plants, sugar yielding plants, cultivated fruit and flowers, green manure etc.

[S=Summer; M=Monsoon; PM=Post Monsoon; W=Winter] Paddy:

Paddy can be of many varieties, both indigenous as well as high yielding. Farmers are the best source for getting the information regarding cultivation of rice varieties. The morphological characters to be noted are:

- Total plant: seedling height, plant height
- Culm: culm number
- Leaf: leaf length and width, leaf angle, flag leaf angle and colour
- Panicle: panicle type, length, weight, secondary branching pattern, number of grains, proportion of sterile grains, panicle axis
- Grain: grain length and width, 100-grain weight, brown rice length and width, brown rice colour, aroma etc

Disease and pest resistance of plants may be observed directly by the rate incidence of pest insects and diseases.

- Horticultural Plants
 This includes flowering and fruit-bearing plants like Mango, Guava,
 China Rose, Jasmine etc.
- Timber yielding Plants This type includes woody plants grown for timber. E.g. Teak, Mahogany etc.
 - Preparation of herbarium sheets for identification of plant species Herbarium sheets are important tools for identification of plants species. Specimen can be kept for many years as herbarium sheet for future research. Herbarium sheets must be prepared in case the plants cannot be identified at the site.
 - Following materials are needed for herbarium sheet preparation:
- Bag (jute, paper, polythene) for keeping the specimen collected
- Knife for cutting the plant specimen
- Note book and pencil for note down the information required
- Weight for pressing the plant specimen between newspapers

प्रक्रियाः

- पत्तियों, फूलों और फलों सहित पौधे का नमूना काटें। नमूने का आकार 30 सेमी गुणित
 20 सेमी होना चाहिए। उस पर लेबिल लगाकर क्रम संख्या, स्थान, संग्रह की तारीख
 और संग्राहक का नाम लिखें।
- इन सभी जानकारियों को भविष्य के संदर्भ हेतु नोटबुक में दर्ज करें।
- नमूने को दो अखबारों के बीच रखें। यह ध्यान रखें कि पत्तियां, फूल और फल ठीक तरह से रखे हों।
- नमूने को अखबार सिहत समतल पृष्ठ पर रख दें और उस पर कुछ वजन रख दें।
- आवश्यकतानुसार अखबार बदलते जाएं जब तक कि नमूना पूरी तरह से सूख न जाए।
- सूखे हुए नमूने को धूप में और सूखने के लिए रख दें।
- मोटे गत्ते का 41.7 सेमी गुणित 26.5 सेमी का टुकड़ा लेकर उसके बीच में नमूने को या तो चिपका दें अथवा सिल दें।
- वनस्पति संग्रह प्रपत्र के दाएं निचले कोने पर पौधे का वैज्ञानिक नाम, कुल, संग्रहण का स्थान व तिथि, संग्राहक का नाम व संग्रहण के स्थान की समुद्रतल से ऊंचाई इत्यादि लिखें।


ठीक तरह से देखभाल करने पर इस तरह के वनस्पति संग्रह प्रपत्र को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा संकता है।

3.3 औषधीय पौधों का सर्वेक्षण:

जिस क्षेत्र में औषधीय पौधे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं वहां इस संसाधन और उसके वर्तमान प्रयोग का दस्तावेजीकरण किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह के दस्तावेजीकरण से बीएमसी यह पता लगा सकेगी कि किन औषधीय पौधे की कितनी मांग है और उनकी खेती करने, उनके धारणीय उपयोग और व्यापार की कितनी संभावनाएं हैं।

3.4 जैव विविधता के कर्मकांडीय व सामाजिक उपयोग

अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्ति जैविक संसाधनों का धार्मिक व कर्मकांडीय उपयोग करते हैं। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के उपयोग के लिए सामग्री बाहर से एकत्रित की जाती है। शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः यह दुकानों में उपलब्ध होती है।



Procedure:


- Collect the plant specimen with leaves, flower and fruit. The size of the specimen must be 30 cm. x 20cm. Put necessary label with number, location, date of collection and name of the collector.
- Now write down these information in the notebook for future reference
- Put the specimen in between two newspapers and place the leaves, flowers and fruit properly
- Put the specimen within the paper on a plain surface and place some weight on it
- Change the newspaper as and when required for complete drying the specimen.
- Place the dried specimen outdoor for sun-drying
- Take a hard art paper of size 41.7 cm., X 26.5 cm. Place the dried specimen at the center of the paper and glued or stitched it with the paper.
- Put herbarium label at the lower right hand side of the herbarium sheet with information like scientific name, family, location/place, date, collects name, altitude from msl etc.
 - This complete herbarium sheet can be preserved for many years with proper care.

3.3 Medicinal Plants Survey

In case the area in rich in medicinal plants, special focus is to be given to document the resources and its current use pattern. Based on the results of the documentation the BMC will be in a position to determine the resource potential, prospects of cultivation, sustainable use and trading.

3.4 Ritualistic and Social Use of Biodiversity

The population in the study area may use different biological resources for religious and other ritualistic purposes. In the rural areas, such materials are normally collected from nature but in the urban areas such materials are traded through commercial stores.



छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़

फॉरेस्ट कैम्पस, राजातलाब, (छत्तीसगढ़) - 492001

ई-मेलcgmsbdb@gmail.com

फोन नं. 0771 2420488, Fax: 0771-2552203

कमांक / जै.वि.बो. / 15 / 18 रायपुर दिनांक 07 / 08 / 2015 प्रति,

> वनमण्डलाधिकारी, धमतरी / जगदलपुर / सरगुजा / कोरबा / कटघोरा कवर्धा / बलौदाबाजार / जशपुर नगर / मनेन्द्रगढ़ छततीसगढ़

विषय – भारत सरकार से प्राप्त जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity heritage Site) का चयन एवं प्रबंधन से संबंधित दिशा–निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि जैव विविधता, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार को सीनिय संस्था से परामर्श के उपरांत जैव विविधता विरासत सील का चयन एवं उसे प्रबंधन करने हेतु अधिकार प्राप्त है.। जैव विविधता विरासत सीलों का चयन एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिशा—निर्देश जारी की गयी है, जो इस प्त्रके साथ संलग्न है। भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्न में दर्शाये क्षेत्र को जैव विविधता विरासत सीलों के रूप में चयनित किया जा सकेगा।

- 1. जैव विविधिता से समृद्ध क्षेत्र।
- आजीविका सुरक्षा से संबद्ध जैविक संरक्षण क्षेत्र।
- 3. पवित्र उपवन (Sacred Groves)
- ऐसे जलस्रोत जहाँ पक्षियों का आवागमन होता है।
- वन विभाग के प्रीजरवेशन प्लॉट।
- 6. औषघीय पादप संरक्षण क्षेत्र (Medicinal Plant Conservation Area)

अतः कृपया आपके वनमण्डल क्षेत्र के अंतर्गत ऐसेस्थलों का सर्वेक्षण कर उसका चयन करें एवं सीीनीय संस्था से परामर्श उपरांत प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देश।

(के.सी. बेबर्ता) भा.व.से. अ.प्र.मु.व.सं.(व.प्रा.) एवं सदस्य सचिव छततीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, छततीसगढ़, रायपुर

CHHATTISGARH STATE BIODIVERSITY BOARD, RAIPUR, CHHATTISGARH

Forest Campus, Rajatalab, Raipur, (Chhattisgarh) - 492 001

Email: cgmsbdb@gmail.com

Tel: 0771-2420488, Fax: 0771-2552203

No:/JVB/15/98 Raipur Dated: 07/08/2015 To.

> Divisional Forest Officers, Dhamtari/ Jagdalpur / Surguja / Korba / Katghora Kawardha / Baloda Bazar / Jaspur Nagar / Manendragarh CHHATTISGARH

Sub:- Guidelines regarding selection and management of Biodiversity Heritage Sites received from the Government of India.

-0-

The state government, in consultation with local bodies, is empowered to select and manage biodiversity heritage sites in the state under section 37 of the Biodiversity Act, 2002. The Ministry for Forests, Environment and Climate Change, Government of India have issued guidelines regarding the selection and management of Biodiversity Heritage Sites, which are attached with this letter. As per the directives of the Gol, the following areas can be selected as Biodiversity Heritage Sites.

- Areas rich in biodiversity
- Bio preservation areas related with livelihood protection
- Sacred groves
- Water sources frequented by birds
- Preservation plots of forest department
- Medicinal Plant Conservation Area.

Therefore, please conduct a survey to select such sites in your forest division and after consultation with the local body, send a proposal to this office.

Encl: Guidelines as mentioned above

Sd/ KC Bebarta APCCF (Admn) & member-secretary Chhattisgarh State Biodiversity Board, Chhattisgar, Raipur

कमांक / जै.वि.बो. / 15 / 11

रायपुर दिनांक 07 / 08 / 2016

प्रतिलिपि -

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छततीसगढ़ रायपुर
- 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छततीसगढ़ रायपुर
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छततीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर
- संचालक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)
 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अ.प्र.मु.व.सं.(व.प्रा.) एवं सदस्य सचिव छततीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, छततीसगढ़, रायपुर No/JVB/15/99

Raipur

07/08/2015

Copy to:

- Principal Chief Conservator of Forests, Chhattisgarh, Raipur
- Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Chhattisgarh, Raipur
- Chief Executive Officer, Chhattisgarh Medicinal Plants Board, Raipur
- Director, State Forest Research and Training Institute, Raipur (CG)
 For information

Sd/
APCCF (wild life) & member-secretary
Chhattisgarh State Biodiversity Board,
Chhattisgar, Raipur

जैव विविधता धरोहर स्थलों के चयन व प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

1. भूमिका

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी एक्ट) की धारा 37 के अंतर्गत, राज्य सरकार, स्थानीय, संस्थाओं के परामर्श से, जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आधिकारिक गजट में जैव विविधता धरोहर स्थलों (बीएचएस) के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

धारा 37 की उपधारा (2) के अंतर्गत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के परामर्श से, बीएचएस के प्रबंधन व संरक्षण के लिए नियम बना सकती है।

धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत, राज्य सरकार, इस तरह की अधिसूचना से आर्थिक दृष्टि से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति हेतु या उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाएगी।

अधिनियम के उक्त प्रावधानों के प्रकाश में, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण (एनबीए) एतदद्वारा बीएचएस के चयन और उनके प्रबंधन के लिए निम्न दिशानिर्देश जारी करता है:

2. जैव विविधता धरोहर स्थलों का महत्व और उनके चिन्हांकन के उददेश्य

- (अ) जैव विविधता का पारिस्थितिकी सुरक्षा से निकट संबंध है और इसलिए यह मानव कल्याण से भी जुड़ी हुई है। पारंपरिक प्रबंधन के अंतर्गत क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को पुष्ट करने के लिए, और, जिन क्षेत्रों में जैव उत्पादों का गहन उपयोग हो रहा है वहां जैव विविधता को क्षिति से बचाने के लिए, ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (आ) इस तरह के क्षेत्र प्रकृति, संस्कृति, समाज और तकनीकी के बीच सकारात्मक अंतर्सम्बन्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनसे संरक्षण और आजीविका की सुरक्षा के दोनों लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों से वन्य और घरेलू / पालतू जैव विविधता के बीच सकारात्मक संबंध विकसित होते हैं।
- (इ) किसी समुदाय में या उसके आसपास, बीएचएस का होना, उस समुदाय के लिए सम्मान और गौरव का विषय होना चाहिए। समुदाय का यह पवित्र कार्य पूरे देश के लिए उदाहरण तो बनेगा ही, समुदाय की भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। ऐसे क्षेत्रों, जिनमें वर्तमान में पवित्र कुंज हैं, व, विशेषकर पश्चिमी घाट के पवित्र कुंजों को, तुरंत बीएचएस घोषित कर इस रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

Guidelines for selection and management of the Biodiversity Heritage Sites

1. Introduction

Under Section 37 of Biological Diversity Act, 2002 (BDA) the State Government in consultation with local bodies may notify in the official gazette, areas of biodiversity importance as Biodiversity Heritage Sites (BHS).

Under sub section (2) of Section 37, the State Government in consultation with the Central Government may frame rules for the management and conservation of BHS.

Under sub section (3) of Section 37, the State Governments shall frame schemes for compensating or rehabilitating any person or section of people economically affected by such notification.

Considering the above provisions of the Act, the National Biodiversity Authority (NBA) hereby issues the following guidelines for selection and management of the BHS.

2. Significance and objectives of Biodiversity Heritage sites

- a. Biodiversity is closely linked to ecological security and therefore, human welfare. To strengthen the biodiversity conservation in traditionally managed areas and to stem the rapid loss of biodiversity in intensively managed areas, such areas need special attention.
- b. Such areas also often represent a positive interface between nature, culture, society, and technologies, such that both conservation and livelihood security are or can be achieved, and positive links between wild and domesticated biodiversity are enhanced.
- c. To have a BHS in or around a community should be a matter of pride and honour to such community and this virtuous act of community may work as an example to the entire nation apart from ensuring availability of the resources to their own future generation. The areas like existing sacred grooves in general and those existing in Western Ghats in particular can be straight away be declared and notified as BHS.

- (ई) समाज के सभी वर्गों में संरक्षण के प्रति रूचि पैदा करना और उसे बढ़ावा देना आवश्यक है। बीएचएस से समाज में प्राकृतिक संरक्षण के मूल्यों का प्रसार होगा, प्राकृतिक संसाधनों का अति—दोहन रूकेगा और पर्यावरण को होने वाली क्षति से बचाव होगा।
- (उ) बीएचएस से स्थानीय समुदायों की प्रथाओं और जैविक संसाधनों के उनके उपयोग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगेगी, जब तक कि वे अपनी इच्छा से ऐसी रोक लगाने का निर्णय न करें। संरक्षण के इस उपाय का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी लाना है।

परिभाषाएं

जैव विविधता धरोहर स्थल, ऐसे सुपरिभाषित क्षेत्र हैं जो अनूठे हों व जिनका पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक हो। वे स्थलीय, तटीय या समुद्री अथवा आंतरिक जल क्षेत्र हो सकते हैं, जिनमें समृद्ध जैव विविधता हो और जिनमें निम्न में से एक या अधिक विशिष्टताएं हों: जंगली व मनुष्य द्वारा उपयोग की जा रही प्रजातियां या इनके बीच की प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो क्रमविकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, जहां दुर्लभ अथवा विलुप्तप्राय प्रजातियां हों, जहां उच्च स्थानिकता हो, जहां पालतू / खेती में इस्तेमाल की जाने वाली प्रजातियों या उनकी किरमों के वनों में रहने या पाए जाने वाले पूर्वज हों, जिनमें प्राचीनकाल में जैविक अवयवों की उपस्थिति के प्रमाण, जिनमें जीवाष्ट्रम शामिल हैं, हों और जिनका सांस्कृतिक, नैतिक अथवा सौंदर्यबोध की दृष्टि से महत्व हो और जो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। इनमें मानव की उपस्थिति का लंबा इतिहास हो भी सकता है और नहीं भी।

दिशानिर्देशों में प्रयुक्त अन्य शब्दों की परिभाषाएं वही हैं, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 2 में दी गईं हैं।

4. बीएचएस की पहचान के मापदंड

बीएचएस की पहचान के लिए खंड (2) में दी गई परिभाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। तदानुसार, जिन क्षेत्रों में निम्न में से कोई भी विशिष्टता हो, वे बीएचएस के रूप में चिन्हित किए जा सकते हैं:

- (अ) वे क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक, अर्द्ध-प्राकृतिक और मानव निर्मित आवास स्थलों और जिनमें जीव जंतुओं की विविधता हो।
- (आ) वे क्षेत्र जिनमें पालतू / घरेलू जैव विविधता हो या / और जो ऐसे प्रातिनिधिक कृषि / पारिस्थितिकी तंत्र हों जिनमें वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही कृषि तकनीकी, इस विविधता को बनाए रखने में सहायक हो।
- (इ) वे क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जिनका महत्व हो जैसे पवित्र कुंज / वृक्ष या स्थल अथवा समुदाय द्वारा संरक्षित अन्य बड़े क्षेत्र।
- (ई) ऐसे क्षेत्र, जो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, परंतु जो लुप्तप्राय या स्थानिक वनस्पति अथवा

- d. It is necessary to instill and nurture conservation ethics in all sections of the society. The creation of BHS will ensure bringing home these values in the society and thereby put an end to over-exploitation of natural resources and avoid environmental degradation.
- e. The creation of BHS may not put any restriction on the prevailing practices and usages of the local communities, other than those Agenda for 19th Authority Meeting of NBA dt.04.05.11 at CSIR, Ghaziabad voluntarily decided by them. The purpose is to enhance the quality of life of the local communities through this conservation measure.

Definitions

4.

"Biodiversity Heritage Sites" (BHS) are well defined areas that are unique, ecologically fragile ecosystems - terrestrial, coastal and inland waters and, marine having rich biodiversity comprising of any one or more of the following components: richness of wild as well as domesticated species or intraspecific categories, high endemism, presence of rare and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance, wild ancestors of domestic/cultivated species or their varieties, past pre-eminence of biological components represented by fossil beds and having significant cultural, ethical or aesthetic values and are important for the maintenance of cultural diversity, with or without a long history of human association with them.

All other terms used are as defined in Section 2 of the Biological Diversity Act (2002)

The criteria for identification of BHS

The BHS may be identified in accordance with the definition in (2) above. Accordingly areas having any of the following characteristics may qualify for inclusion as BHS.

- Areas that contain a mosaic of natural, semi-natural, and man made habitats, which together contain a significant diversity of life forms.
- Areas that contain significant domesticated biodiversity component and /or representative agro-ecosystems with ongoing agricultural practices that sustain this diversity.
- Areas that are significant from a biodiversity point of view as also are important cultural spaces such as sacred groves/trees and sites, or

जंतुओं के लिए शरणस्थली अथवा प्रवास के गलियारे हों। इनमें समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र या शहरी आद्र भूमि व शहरी हरित क्षेत्र शामिल हैं।

- (उ) उक्त श्रेणियों में आने वाले सभी प्रकार के क्षेत्र, जिनमें भूमि का कानूनी दृष्टि से मान्य उपयोग किया जा रहा हो, इनमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वे शासकीय हों, सामुदायिक अथवा निजी।
- (ऊ) जहां तक संभव हो, ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया जाना चाहिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र न हों।
- (ए) जो मौसमी प्रवासी प्रजातियों द्वारा भोजन अथवा प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाते ही चाहे व जलीय हों या स्थलीय।
- (ऐ) ऐसे क्षेत्र जिनका वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा संरक्षित भूखंड के रूप में प्रबंधन किया जा रहा है।
- (ओ) औषधीय पौधे संरक्षण क्षेत्र।

जैव विविधता धरोहर स्थलों की पहचान और उनकी घोषणा

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी), बीएमसी अथवा अन्य सामुदायिक संस्थाओं जैसे ग्राम समाओं, पंचायतों, शहरी म्यूनिसिपल वार्डों, वन सुरक्षा सिमितियों, आदिवासी परिषदों आदि से किसी क्षेत्र को बीएचएस घोषित करने के लिए सुझाव / सिफारिशें आमंत्रित कर सकते हैं (या उन सुझावों पर विचार कर सकते हैं जो पहले से ही उन्हें दिए गए हों)। एसबीबी को प्रस्तावित बीएचएस के संबंध में सूचना का स्थानीय दृष्टि से उपयुक्त माध्यमों से गैर—सरकारी संगठनों, कृषकों / मांचुआरों / आदिवासियों के संघों, शहरी समूहों, शोध संस्थानों, सरकारी एजेंसियों व अन्य संगठनों में व्यापक प्रचार—प्रसार करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषा के समाचारपत्रों और रेडियों के इस्तेमाल के अतिरिक्त, समुदाय के साथ बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और ग्राम पंचायतों, स्थानीय संस्थाओं व अन्यों को पत्र लिखे जा सकते हैं। इसके लिए निम्न कदम भी उठाए जा सकते हैं:

- (अ) गैर-सरकारी संस्थान व सामुदायिक संस्थान (जिनमें पंचायती राज संस्थाएं, जैव दिविधता प्रबंधन समितियां या समुदाय द्वारा अथवा अन्य पर्यावरण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत, पर्यावरण व विकास की दृष्टि से स्थापित की गई संस्थाएं शामिल हैं) अपनी ओर से भी किसी क्षेत्र को बीएचएस घोषित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर सकते हैं।
- (आ) एसबीबी द्वारा सभी प्राप्त सुझावों को संकलित कर ऐसे स्थलों की सूची तैयार की जावेगी, जिन्हें जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया जा सकता है। संकलन की इस प्रक्रिया के दौरान भी, बीएचएस के संबंध में प्राप्त होने वाले सुझावों व आवेदनपत्रों पर विचार किया जा सकता है।
- (इ) स्थानीय संस्थाओं, ग्राम सभाओं, शहरी वार्ड समितियों व अन्य संबंधित स्थानीय

- other large community conserved areas.
- d. Areas including very small ones that offer refuge or corridors for threatened and endemic fauna and flora, such as community conserved areas or urban greens and wetlands.
- All kinds of legal land uses whether government, community or private land could be considered under the above categories.
- f. As far as possible those sites may be considered which are not covered under Protected Area network under the Wildlife Protection Act 1972 as amended.
- g. Areas that provide habitats, aquatic or terrestrial, for seasonal migrant species for feeding and breeding.
- Areas that are maintained as preservation plots by the research wing of Forest department.
- i. Medicinal Plant Conservation Areas.

5. Identification and Declaration of Biodiversity Heritage Sites

State Biodiversity Boards (SBB) may invite suggestion (or consider those already coming from communities) for declaration of BHSs, through BMCs and other relevant community institutions including gram sabhas, panchayats, urban wards, forest protection committees, tribal councils. SBB may undertake widespread dissemination of information related to the proposed BHS among rural communities, NGOs, farmer/fishermen/adivasi associations, urban groups, research institutions, government agencies, and other organizations, regarding the provision of BHSs, through locally appropriate means. These could include local language newspapers, radio, holding meetings with the communities, letters to line departments, gram panchayats, local bodies and others. The process may further be achieved through the following:

- a. NGOs and community institutions (including Panchayat Raj institutions, Biodiversity Management Committees, or institutions set up for environment and development purposes by communities on their own or under other environmental schemes) to carry out their own process, may also initiate proposals for declaring BHSs.
- b. Consolidation of the suggestions, by the SBBs, to come up with a list of areas which can be designated as the Biodiversity Heritage Sites; even while such consolidation is ongoing, suggestions and applications for individual BHSs to be considered as and when they are made.

संस्थानों में उनके क्षेत्र में किसी स्थल को बीएचएस के रूप में घोषित किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में सार्वजनिक विचार—विमर्श आयोजित किए जाना चाहिए और इनमें संसाधन के उपयोग पर लगने वाली संभावित रोक से पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस तरह के विचार—विमर्श में समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए। इनमें पुरूष और महिलाएं व विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

- (ई) संबंधित ग्राम सभा या शहरी स्थानीय संस्था द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, एसबीबी एक प्राथमिक अधिसूचना जारी कर सकता है, जिसमें प्रस्तावित बीएचएस की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन हो। इसके लिए ज़मीनी सर्वेक्षण और मानचित्रीकरण की आवश्यकता भी हो सकती है। इस अधिसूचना में बीएचएस के प्रबंधन के लिए जो प्रतिबंध लगाए जाना आवश्यक होंगे, उनका विवरण भी दिया जाना चाहिए। इस अधिसूचना को स्थानीय मीडिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए और संबंधित व्यक्तियों / संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए, विशेषकर यदि संबंधित भूमि का स्वामित्व समुदाय या व्यक्तियों के हाथ में हो।
- (उ) सुझावों और आपित्तयों के आधार पर बीएमसी / संबंधित स्थानीय संस्था / एसबीबी द्वारा स्थानीय संस्थाओं के परामर्श से एक दल का गठन किया जा सकता है जो बीएचएस के संबंध में और स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए अध्ययन करेगा। दल में निम्न सदस्य (अधिकतम 12) होंगे, जिनमें से एक को दल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। यथा संभव, मुखिया स्थानीय समुदाय / समुदायों का सदस्य होना चाहिए।
- 1. संबंधित समुदाय के जानकार व अनुभवी पुरूष व महिलाएं, जो सभी सामाजिक—आर्थिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हों और जिन्हें संबंधित ग्रामीण / शहरी स्थानीय संस्था द्वारा नामांकित किया गया हो।
- पारिस्थितिकी / संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक या अधिक एनजीओ / संस्थान (जिनमें संबंधित बीएचएस की वनस्पित व जीव जन्तुओं से परिचित संरक्षण जीविवज्ञानी शामिल हैं)।
- सामाजिक (लैंगिक, जीविका आदि) क्षेत्र में काम करने वाले एक या अधिक एनजीओ / संस्थान।
- कृषि पर केंद्रित एक या अधिक एनजीओ / संस्थान।
- कृषि, वन अथवा अन्य संबंधित विभागों की अनुसंधान शाखा (जहां संभव व उपयुक्त हो)।
- 6. सबसे निकटवर्ती महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान व जंतु विज्ञान विभागों के प्रतिनिधि।

- c. Public discussions amongst the local bodies, gram sabhas, urban ward committees, and other relevant local institutions, regarding concrete proposals for declaring BHSs, in their area, including the implications such as possible restrictions on resource use; a full attempt to be made to bring on board various sections of society with gender and social representation, in such discussions.
- d. Once approved by the relevant gram sabhas or urban local bodies, SBB to move for issuing a preliminary notification specifying the boundaries of the BHS, which may require some prior surveying and mapping, and specifying also restrictions if any that may be required for management of the BHS, this to be published in the local media inviting suggestions and objections from the interestedparties/stakeholders, particularly in case of lands owned by communities and individuals.
- e. Based on the suggestions and objections raised, a team may be constituted by the BMCs/other relevant local institutions/SBB in consultation with the local bodies for conducting studies to gain a clear understanding of the BHS. The team would include the following members (not exceeding 12 individuals) with one member preferably from the local community/ies selected to head the team:
- Knowledgeable or experienced women & men representing all socio-economic groups of the concerned communities, nominated by the relevant rural/urban local bodies.
- One or more NGOs/institutes focusing on ecology / conservation (including conservation biologists familiar with the flora and fauna of the particular BHS).
- One or more NGOs/institutes working on social (gender, livelihood, etc) issues.
- One or more NGOs/institutes focusing on agriculture.
- Research wing of the agriculture, forest or other relevant department (where appropriate and possible).
- vi. Representatives of Botany and Zoology departments of nearest College/University.

- (ऊ) उक्त दल, (3 से 6 माह की अवधि में), सम्बंधित समुदाय के सदस्यों के साथ, बिना लिंग, आजीविका व सामाजिक स्तर आदि के आधार पर विभेद किये, विचार—विमर्श कर अध्ययन करेगा। इस विचार—विमर्श में वनवासियों, किसानों व तटीय और पशु चराने वाले व अन्य संगत समुदायों को शामिल किया जायेगा। समुदाय—आधारित जन जैव विविधता पंजियों / ग्रामीण सह—सम्मत समीक्षा, सहभागिता के साथ मानचित्रण व सम्बंधित समुदाय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य साधनों का उपयोग कर, निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जायेगा। इस प्रक्रिया में सभी शासकीय विभागों का सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन विभागों को प्रासंगिक सूचनाएं, मानचित्र व अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाकर, इस अध्ययन को अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाने में सहयोग करना चाहिए। अध्ययन में निम्न पहलू शामिल हो सकते हैं:
 - भूमि / जल स्त्रोतों के स्वामित्व / अधिकारों का इतिहास, जिसमें सार्वजिनक संसाधन,
 प्रशासिनक नियंत्रण व भूमि व संसाधन उपयोग शामिल हों।
- 2. भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति, सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच/अधिकार व उनके पट्टे आदि से सम्बंधित जानकारी, भूमि / वन भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद, यदि हों तो, भूमि व संसाधनों के उपयोग (जैवविविधता—आधारित जीविकोपार्जन सहित), विधिक व प्रशासनिक नियंत्रण, अधिकार व जिम्मेदारियां।
- समुदाय की संरचना, उसका चिरत्र, संसाधनों पर निर्भरता में सामाजिक—आर्थिक व लैंगिक विभिन्नताएं और सामाजिक—आर्थिक व जनसांख्यिकीय रूपरेखा।
- वर्तमान संस्थाएं, उनकी विशिष्टताएं, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित नियम आदि और महिलाओं सहित हाशिये के तबकों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी।
- क्षेत्र की पारिस्थितिक रूपरेखा, महत्वपूर्ण वन्य प्राणी, कृषि जैव विविधता व जैविक विविधता पर दबाव या उसे खतरे, यदि कोई हों तो।
- समुदायों की ऐसी सांस्कृतिक (कृषि सिहत) प्रथाएं, जो जैविविविधता पर (सकारात्मक या नकारात्मक) प्रभाव डालती हों।
- 7. क्षेत्र में (संसाधनों के उपयोग व समुदाय—आधारित ईको टूरिज्म सहित) जीविका के साधनों के निर्माण की संभावनाएं।
- प्रतिबंधों (अगर कोई हों तो) का लोगों व जैव विविधता पर पड़ने वाला प्रभाव।,

- f. The above team will conduct a study (over a period of 3 to 6 months) in consultation with the concerned community irrespective of occupation, gender or social strata. Such consultations should inevitably include groups such as forest dwellers, farmers, coastal and pastoral community(ies) and / or other relevant occupations. The study on the following aspects needs to be carried out with the use of community-based PBRs/PRA, participatory mapping, and other possible tools that are considered appropriate by the concerned communities. All state departments are to ensure that they cooperate in this exercise through the provision of relevant information, maps, and other documents that would enhance the productivity of the exercise. The study may include:-
- History of land/water bodies ownership/rights, including Common Property Resources (CPRs), administrative control, and land and resource use.
- Current status of land ownership, tenurial status of and access/ rights to CPRs, disputed claims over land/ forests, if any, land and resource use pattern (including biodiversity-based livelihoods), legal and administrative control, rights and responsibilities.
- Community composition, character, socio-economic and gender differentiated dependence on the resources, socio- economic and demographic profile.
- Existing institutions, their characteristics, rules and regulations governing natural resources, and access to decision making by marginalized sections including women.
- Ecological profile of the area, critical wildlife and agricultural biodiversity values, and threats and pressures to the biological diversity, if any.
- vi. Use of the area as the corridor or refugia for the wild animals or any other use for the wildlife.
- vii. Cultural (including agricultural) practices followed by the communities affecting the biodiversity (whether positively or negatively).
- viii. Scope of livelihood generation (including from resource use, community-based ecotourism, etc) in the area.

- (ए) अध्ययन की रपट, दल द्वारा बीएमसी व बीएमसी का गठन न होने की स्थिति में, स्थानीय संस्थाओं को सौंपी जा सकती है। अध्ययन के नतीजों को एसबीबी के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व, इन्हें स्थानीय भाषा में सम्बंधित समुदायों व अन्य हितधारकों के बीच, जैवविविधता धरोहर स्थल घोषित करने संबंधी प्रस्ताव सहित, समुचित रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए।
- (ऐ) एसबीबी, बीएचएस सर्वेक्षण दल या बीएमसी या बीएमसी के अस्तित्व में न होने की स्थिति में स्थानीय संस्थाओं से संबद्ध संगत स्थानीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का तीन माह के भीतर परीक्षण करेगा। इसमें संबंधित समुदाय की प्रतिक्रिया / सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।
- (ओ) प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय, एसबीबी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सभी हितधारकों की संयुक्त बैठक में किया जा सकता है। प्रारूप अधिसूचना और किसी स्थल को बीएचएस के रूप में अधिसूचित करने संबंधी घोषणा, राज्य स्तर पर उपयुक्त तरीके से की जा सकती है। इसका मीडिया, विशेषकर स्थानीय भाषा के मीडिया, में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।
- (औ) बीएचएस की प्रारूप अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के बाद, बीएमसी या बीएमसी के अस्तित्व में न होने की स्थिति में स्थानीय संस्थाओं से संबद्ध संगत स्थानीय संस्थान, स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर एक जनसुनवाई आयोजित कर सकते हैं जिसमें बीएचएस के संबंध में सभी विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और लोगों की इस संबंध में टिप्पणियों को अभिलेखित किया जाना चाहिए। इस जनसुनवाई में किसी क्षेत्र को बीएचएस घोषित करने के परिणामों के संदर्भ में लोगों के संदेहों को दूर करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदाय को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि संबंधित स्थल को बीएचएस घोषित करने से उनके पारंपरिक अधिकार और सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी।
- (अं) बीएचएस की घोषणा हो जाने के बाद, एसबीबी को सभी संबंधित शासकीय विभागों को इस संबंध में सूचित करना चाहिए।
- (अ:) यद्यपि सामान्यतः उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाना वांछनीय है तथापि कई परिस्थितियों में किसी खतरे को दूर करने की त्वरित आवश्यकता या किसी अन्य कारण से समुदाय, इस प्रक्रिया का पालन करने की स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं। कई मामलों में प्रस्ताव किसी ऐसे समुदाय की ओर से आ सकता है जिसका जैव संरक्षण के मामले में पूर्व का अच्छा ट्रेक रिकार्ड हो और उसे अपने संरक्षण कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए स्थल को बीएचएस के रूप में तुरंत घोषित करना आवश्यक हो। इस तरह की परिस्थितियों में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है और बिना

- ix. Impacts of restrictions, if any, on people and on the biodiversity.
- g. Report of the study may be submitted by the team to the BMCs or other relevant local institutions linked to the local bodies in case BMC does not exist, which before submitting it to the SBB may disseminate the findings of the team (in local languages), along with the proposal for declaring the BHS, to the concerned communities and to all stakeholders.
- h. SBB shall review the document submitted by BHS survey group or BMCs or other relevant local institutions linked to the local bodies in case BMC does not exist within a period of 3 months, including feedback if any to the relevant community.
- Final decision on the proposal may be made by the SBB in a joint sitting of all stakeholders, at the proposed site.
- Draft notification and announcement for declaring the BHS may be made at the state level in an appropriate manner giving it wide media coverage particularly in the local language.
- k. After 30 days of the draft notification of the BHS, the BMC or other relevant local institutions linked to the local bodies in case BMC does not exist along with the Local bodies may conduct a Public Hearing where all details about the BHS should be placed and the comments received from the public recorded and, attempts made to remove aspersions, if any, that they may have on the consequences of declaring the area as BHS. The local community should be taken to confidence assuring that by declaring the BHS their traditional rights and privileges will not be affected.
- On declaration of the BHS, the SBB may write to all the concerned Government departments announcing the establishment of the BHS.
- m. While the above process is desirable in all situations, it should be noted that in many situations communities may not be in a position to follow them in view of the urgency for declaration as a BHS to ward off a threat, or for other reasons. In some cases proposals may be coming from a community that has already a proven track record of conservation, and urgently requires the BHS status to consolidate its position. In such situations, the requirement for these detailed studies

विस्तृत अध्ययन के अधिसूचना जारी की जा सकती है। परंतु, अधिसूचना के जारी होने के पश्चात उपरोक्त अध्ययन किया जाना चाहिए और जैविक संसाधनों तक पहुंच पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए और ना ही किसी रहवासी का पुनर्वसन किया जाना चाहिए, ऐसे प्रतिबंधों को छोड़कर जिन्हें समुदाय स्वयं लगाता आ रहा हो।

6. बीएचएस का प्रबंधन

- (अ) बीएमसी या उसकी अनुपस्थिति में संबंधित स्थानीय झंस्था द्वारा निर्धारित कोई उपयुक्त संस्थान, अधिनियम के अंतर्गत उसके कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रत्येक बीएचएस के प्रबंधन का कार्य भी कर सकता है। जिन मामलों में बीएचएस का विस्तार एक से अधिक स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में हो, वहां बीएचएस के प्रबंधन की जिम्मेदारी बीएमसी और उसके अस्तित्व में न होने की स्थिति में स्थानीय संस्था से संबद्ध संगत स्थानीय संस्थान द्वारा गठित और एसबीबी द्वारा अनुमोदित जैव विविधता धरोहर स्थल प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना चाहिए।
- (आ) बीएचएस के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी समिति में स्थानीय समुदाय के सभी वर्गों का प्रितिनिधित्व होना चाहिए, विशेषकर उन वर्गों का जो प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर हैं और उनका भी जो पारंपरिक रूप से क्षेत्र में संरक्षण का कार्य कर रहे हैं।
- (इ) बीएमसी / बीएचएस प्रबंधन समिति की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह बीएचएस की पांच से दस वर्ष की प्रबंधन योजना तैयार करे और उसे लागू करे।
- (ई) एसबीबी अंतिम प्रबंधन योजना को स्वीकृति देगा और उसे लागू करने में सहायता करेगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे योजना को लागू करने में समुदायों की मदद करें और अपनी योजनाओं में इस तरह के परिवर्तन करें जिससे जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियां न हों। एसबीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि समुदायों को जैव विविधता के संरक्षण के लिए सक्षम और सशक्त बनाया जाए। जहां आवश्यक हो, एनजीओ और विभागों के लिए ओरिएन्टेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।
- (ज) एसबीबी व संबंधित सरकारी विभाग, खराब या लुप्त हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र या प्रजाति के पुनर्जनन या पुनः प्रवर्तन में मदद करेंगे। इसमें शामिल हैं वनस्पतियों व जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों को क्षेत्र में पुनर्स्थापित करना जो उक्त क्षेत्र में खतरे में हैं या लुप्त हो गई हैं और पालतू / घरेलू प्रजातियों, जो लुप्त हो गई हैं या जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, को अन्य क्षेत्रों से, जहां वे उपलब्ध हैं, संबंधित क्षेत्र में लाना।
- (ऊ) जिस स्थान पर पहले से संरक्षण से संबद्ध ऐसा प्रबंधन हो रहा है, जो बीएचएस के संरक्षण में सहायक है, उसका दस्तावेजीकरण कर उसे बीएचएस प्रबंधन योजना का भाग बनाना।

may be waived for the purpose of the notification, but should be applied subsequent to the notification and no relocations and restrictions to access will be declared till then other than what the community is already imposing upon itself.

Management of BHS

- a. The Biodiversity Management Committee or other appropriate institution as determined by relevant local body in the absence of BMCs, which in addition to their duties defined in the Act, may also take care of the management of each BHS. Wherever the BHS extends to more than one 3 local bodies, the management of the BHS shall be the responsibility of the Biodiversity Heritage Site Management Committee constituted by the BMC or other relevant local institutions linked to the local bodies in case BMC does not exist, and approved by the SBB.
- b. The committee responsible for the management of the BHS may include representatives of all sections of local communities, and in particular those most dependent on the natural resources as also those who have been traditionally conserving the area.
- c. It may be the responsibility of the BMC/BHS Management Committee to prepare and implement a management plan for the BHS which should cover a period of five to ten years.
- d. SBBs will then recognize and facilitate the implementation of the final management plan. Such facilitation may include directions to all relevant government departments to assist the communities in implementation, including through appropriate changes in their plans and schemes, to eliminate biodiversity-damaging practices and to fully enable and empower the communities in conserving biodiversity. Where necessary orientation programmes may be organized for such departments and NGOs.
- e. SBBs and concerned government departments will also facilitate the regeneration or revival of degraded or lost ecosystems and taxa, including the reintroduction of threatened/locally extinct wildlife where feasible, and the repatriation of lost/declining domesticated biodiversity from ex-situ collections.
- f. Wherever there are existing conservation related management practices serving the purpose of the BHS may be documented and considered as the BHS Management Plan.

- (ए) ऐसी कोई परियोजना / गतिविधि जो सरकार या अन्य किसी एजेंसी द्वारा की जा रही हो और जिसका बीएचएस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उसे रोका जाना चाहिए।
- (ऐ) सामान्यतः प्रस्तावित बीएचएस में उपलब्ध संसाधनों के समुदाय द्वारा वर्तमान में किए जा रहे उपयोग पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना नहीं है।
- (ओ) कुछ मामलों में संसाधनों के उपयोग के विनियमन के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने आवश्यक हो सकते हैं और ऐसे प्रतिबंध समुदाय की ओर से पूर्णतः स्वैच्छिक हो सकते हैं।
- (औ) जिन मामलों में अधिसूचित बीएचएस, शासकीय वन क्षेत्र या शासन के स्वामित्व वाले अन्य क्षेत्रों में हो, वहां उक्त क्षेत्र के प्रबंधन के ढांचे और संसाधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय राज्य सरकार के संबंधित शासकीय विभाग लेंगे।

7. बीएचएस प्रबंधन योजना के घटक

- (अ) बीएचएस का मानचित्र, जिसमें अधिसूचित क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाएं स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हों।
- (आ) स्वामित्व की स्थिति।
- (इ) वर्तमान भूमि उपयोग, संरक्षण से जुड़े विश्वास और प्रथाएं व स्थानीय समुदायों की जैव संसाधनों पर निर्भरता।
- (ई) क्षेत्र की प्रमुख जैव विविधता और उसकी स्थितिः स्थानिक, खतरे में, लुप्तप्राय या कमज़ोर।
- (उ) क्या इलाके में शीत ऋतु में जलपक्षियों की शरणस्थली या प्रजनन स्थल हैं या वह किन्हीं वन्य पशुओं का गलियारा है।
- (ऊ) स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग किए जा रहे संसाधनों का प्रकार और मात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका / महत्व व अगर उनका विपणन किया जाता है तो उनसे होने वाली औसत आय।
- (ए) संसाधनों के उपयोग के स्वरूप में पिछले दस वर्षों में आया कोई परिवर्तन और उसके कारण।
- (ऐ) क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में प्रामाणिक आंकड़े।
- (ओ) क्षेत्र में चल रही शासकीय/अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का विवरण।
- (औ) जैव विविधता के बेहतर संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से बेहतर जीविकोपार्जन के संबंध में स्थानीय समुदाय से प्राप्त सुझाव, अगर कोई हों तो।

- g. Any project/activity to be implemented by government or any other agency, which is likely to have adverse impact on the BHS may be avoided.
- Generally no restriction is likely to be placed on the community on the existing utilization of resources from the proposed BHS.
- Restriction in form of regulating the use of the resources may be warranted in some cases and such restriction may be totally voluntary on the part of community.
- j. The management structure and utilization of resources for BHS notified on Government forest areas and other government owned areas will be determined by the concerned departments of the State Government.

Components of the management plan of BHS

- A map of the BHS with clear administrative boundaries as notified.
- b. The status of ownership
- The current land-use pattern, conservation related practices and beliefs, and the dependence of local communities
- Major biodiversity in the area and their status as endemic, threatened, endangered or vulnerable
- e. Whether a waterfowl refuge during winter, breeding place for water birds or corridor for any wild animals
- f. The type and quantum of resources being used by the local community and their role/importance in the domestic economy as also the average income from them in situations where they are marketed.
- g. Any shift in the pattern of utilisation during the past 10 years. If so the reason for the same.
- h. Authentic data on the flora, fauna and natural resources in the area
- Details of projects, if any, in the area under any government/ international schemes.
- The suggestions, if any, from the local communities for the improved conservation of biodiversity, and the betterment of the livelihood by using natural resources.

- (अं) बीएचएस को वर्तमान व भविष्य में संभावित खतरे, अगर कोई हों तो।
- (अः) स्थानीय समुदाय के आजीविका के साधनों में वृद्धि के लिए जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके धारणीय उपयोग के संबंध में प्रबंधन की योजना।
- (क) बीएचएस की स्थापना से होने वाले अपेक्षित परिणामों का आंकलन, जिनमें पारिस्थितिकी और सामाजिक—आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। जहां प्रासंगिक हो, वहां परियोजना की समाप्ति के बाद अपेक्षित आय का आंकलन।
- (ख) योजना के प्रत्येक घटक को लागू करूने में लगने वाले समय का अनुमान और प्रत्येक घटक की सफलता का आंकलन करने के लिए संभावित संकेतक।
- (ग) प्रबंधन योजना की उक्त प्रक्रिया से स्थानीय समुदायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने के विभिन्न तरीकों पर किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर समुदाय पहले से ही अन्य तरीकों से संरक्षण व धारणीय प्रबंधन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन योजना बनाई जाना आवश्यक नहीं है। कई परिस्थितियों में समुदाय ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते कि वे तुरंत इस तरह की प्रबंधन योजना तैयार करें। परंतु यह उनके स्थल को बीएचएस घोषित करने की राह में बाधक नहीं होना चाहिए।
- (घ) प्रबंधन योजना प्राप्त होने के बाद, एसबीबी उसके अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की सिमिति नियुक्त कर सकता है और आवश्यकता होने पर, यह सिमिति बीएचएस स्थल की यात्रा कर स्थानीय समुदायों व स्थानीय संस्था से विचार—विमर्श कर, उनसे प्रबंधन योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त कर सकती है। प्रबंधन योजना को जिला स्तर की योजना प्रक्रिया का हिस्सा भी बनाया जा सकता है, जिससे सम्बंधित शासकीय एजेंसियों से वित्त पोषण और अन्य सहायता मिलने में सुविधा हो।
- (ড.) अनुमोदित योजना प्राप्त होने पर, एसबीबी उसे स्वीकृत कर सकता है।
- (च) एसबीबी द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति समय—समय पर प्रबंधन योजना की समीक्षा कर सकती है और बीएमसी अथवा बीएमसी की अनुपस्थिति में स्थानीय संस्था से संबद्ध संगत संस्था से प्राप्त और एसबीबी द्वारा स्वीकृत सुझावों के आधार पर उसमें उपयुक्त संशोधन कर सकती है। इस तरह के संशोधनों को लागू करने से पूर्व, उन्हें सभी हितधारकों की जानकारी में लाया जायेगा।

बीएचएस का पर्यवेक्षण:

(अ) एसबीबी द्वारा राज्य-स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जा सकता है।

- Threats, present and potential if any, to the BHS.
- Management prescription separately for conservation and, sustainable use of bio-resources to enhance the livelihood of the local community
- A rough projection of the expected outcomes of setting up the BHS, including ecological and social/economic (including, where relevant, estimate of the income expected of on completion of the project).
- Estimated time frame for completion of each component of the plan, and rough indicators to judge success of each component.
- o. The above process of management planning must not be one that constrains the wide variety of ways in which communities conserve and manage natural resources. It should also not be considered absolutely necessary to formulate a management plan, if the community has other adequate means of sustaining the effort and if thereby, conservation and sustainable management is taking place. In many situations also, communities may not be in a position to immediately or quickly formulate such a plan, which should not be a reason for not accepting their site as a BHS.
- p. The SBB on receipt of the Management Plan may constitute an expert committee to evaluate the same, if necessary visit the BHS and hold consultations with the local communities and the local bodies and obtain their approval of the Management Plan. The Management Plan may also be integrated into the district level planning process, to enable optimum facilitation and funding by relevant government agencies.
- On receipt of approved plan, the SBB may accept the same.
- r. Management plan may be periodically reviewed and modified appropriately by the expert committee constituted by the SBB, based on the recommendations of the BMC or other relevant local institutions linked to the local bodies in case BMC does not exist, and accepted by the SBB. Such modifications shall be brought to the notice of all stakeholders before implementing the same.

Monitoring of BHS

 There may be a State-level Monitoring Committee constituted by the SBB.

- (आ) राज्य—स्तरीय पर्यवेक्षण समिति में निम्न श्रेणियों में से पालतू / घरेलू व जंगली जैव विविधता व सम्बन्धित सामाजिक—आर्थिक पहलुओं के जानकार व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है:
- एसबीबी के सदस्य-सचिव, पर्यवेक्षण सिमित के अध्यक्ष और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसके सह-अध्यक्ष हो सकते हैं।
- 2. स्थानीय समुदाय का एक प्रतिनिधि।
- वानिकी / वन्यजीवन / कृषि—जैव विविधता / एक्वाकल्चर प्रबंधन या सम्बंधित बीएचएस से संगत अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में ज्ञान और अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ ।
- सम्बंधित बीएचएस प्रबंधन सिमिति / बीएमसी अथवा बीएमसी की अनुपस्थिति में स्थानीय संस्था से संबद्ध संगत संस्था का एक सदस्य।
- 5. स्थानीय संस्था / पंचायत द्वारा नामांकित एक सदस्य।
- राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि।
- इ) राज्य-स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, समय-समय पर, प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेगी और एसबीबी को रपट देगी, जिसमें प्रबंधन योजना के प्रत्येक घटक की उपलब्धियों (गुणात्मक और जहां संभव हो मात्रात्मक) का स्पष्ट विवरण होगा और तत्सम्बंध में सुधार के लिए अनुशंसाएं होगीं। यह समिति, प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन का समय-समय पर पर्यवेक्षण करेगी।
- ई) पर्यवेक्षण समिति का कार्यकाल तीन वर्ष हो सकता है।

9. **बज**ट

(अ) राज्य सरकार द्वारा बीएचएस अधिसूचित कर दिए जाने के बाद, एनबीए इसकी प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता, प्रारंभिक धन के रूप में एसएसबी के जिरये उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही, बीएचएस के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए, स्थानीय संस्था के वार्षिक बजट में प्रावधान किये जा सकते हैं। राज्य सरकार भी, अधिसूचना जारी होने के बाद, एसबीबी के जिरये, प्रत्येक बीएचएस को प्रारंभिक धनराशि उपलब्ध करवा सकती है। बीएमसी अथवा बीएचएस का प्रबंधन कर रही अन्य संस्था, सभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत व अन्य वित्तपोषण संस्थाओं से विधि अनुसार मिलने वाली आर्थिक सहायता को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। इस

- b. The State level Monitoring Committee may comprise the following chosen out of knowledgeable individuals in the field of conservation of wild and domesticated biodiversity, and related socio-economic aspects, from the following categories:
- The Member Secretary of the SBB, may act as Chairman of the monitoring committee and CEO, Zilla Parishad may act as Co-Chairman.
- ii) One representative of local community,
- An expert having knowledge and experience in the field of forestry/wildlife/agro-biodiversity/ aquaculture management or in the area relevant to the particular BHS,
- a member of the BMC / BHS management committee concerned or other relevant local institutions linked to the local bodies in case BMC does not exist
- v) a nominee of the Local body/Panchayat concerned
- vi) a representative from Revenue Department.
- c. The State-level Monitoring Committee shall monitor the implementation of management plan periodically and submit a report to the SBB indicating clearly the extent (in qualitative and where possible quantitative terms) of achievement under each component of the Management Plan and recommendations for improvement. This committee shall monitor the implementation of management plan periodically.
- The tenure of the Monitoring Committee may be three years.

9. Budget

a. Once the BHS is notified by the State Government, the NBA may support the initial establishment of BHS financially by allocating adequate funding support as seed money through SBB. Simultaneously, the financial requirement of BHS may be included in the annual budget of the local body(ies). The State Government may also allocate adequate seed money to each BHS on its notification through SBB. The BMC or other institution which is managing BHS would be recognized as an authorized body to avail the financial assistance under all government schemes and other funding sources as legally permissible. The existing/new interest accruing

तरह की सहायता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में बीएमसी या अन्य संस्था के नए / वर्तमान ब्याजयुक्त बचत खाते में प्राप्त की जा सकेगी। बीएचएस का प्रबंधन करने वाली उपर्युक्त संस्थाओं के लेखा की स्थानीय संस्थाओं की तरह नियमानुसार वार्षिक संपरीक्षा की जाएगी।

(आ) एसबीबी अपने राज्य में किसी क्षेत्र को बीएचएस घोषित किए जाने या बीएचएस के निर्माण संबंधी अधिसूचनाओं की जानकारी एनबीए को देगी। एनबीए, विशेषज्ञों की सिमिति के ज़िरए बीएचएस के बीएमसी/अन्य संस्थाओं/एसबीबी द्वारा प्रबंधन की सिमीक्षा करवा सकेगी।

10. विविध

- (अ) एसबीबी, मीडिया, कार्यशालाओं, ब्रोशर आदि के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि बीएचएस के संबंध में आम लोगों को जानकारी हो और वे उनके महत्व से परिचित हो सकें। एनबीए, आवश्यकतानुसार उक्त गतिविधियों के लिए एसबीबी को धनराशि आवंटित कर सकेगी।
- (आ) एनबीए, सभी बीएचएस की वर्ष में एक बार राष्ट्र स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर सकेगी जिसमें एनजीओ, बीएचएस का प्रबंधन कर रही बीएमसी/अन्य संस्थाएं, संबंधित शासकीय विभाग, शिक्षण संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि व विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस बैठक का कार्य विवरण भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (इ) यह केवल आदर्श दिशानिर्देश हैं जो विभिन्न विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए आधारपत्र बन सकते हैं। इनमें उपयुक्त संशोधन किए जा सकते हैं जब तक कि ऐसे संशोधन बीडी अधिनियम 2002 के प्रावधानों और उसकी आत्मा के अनुरूप हों।
- (ई) राज्य सरकार, एनबीए के ज़रिए केंद्र सरकार से परामर्श कर, इन नियमों को अधिसूचित कर सकती है।

- saving account of BMC or other institution maintained in a nationalized bank or post office is authorized to receive all such amounts. The accounts maintained by the aforesaid institutions managing BHS shall be audited annually as per the rules and as done in case of Local bodies.
- b. The SBBs shall keep the NBA informed of notification of creation/declaration of BHS in their states. The NBA through its expert committees may get the performance audit of the management of BHS done by BMCs/ other institutions/SBBs.

Miscellaneous

- a. The SBBs may ensure adequate and sensitive public visibility of the BHSs through popular media, workshops, brochures etc., to ensure consideration of their importance and status. The NBA may allocate fund as required to SBB only for undertaking aforesaid activities.
- b. The NBA may organize one National level review meeting of all BHSs involving NGOs, BMCs/other institutions managing, SBBs, officials of line departments, academic institutions, experts etc., annually and may submit the proceedings of the minutes to the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- c. These are only model guidelines framed after consulting various experts to act as precursor for framing rules under the biodiversity Act by various State Governments with suitable modifications but are within the spirit and frame work of BD Act 2002.
- The State Governments may notify the rules after consulting the Central Government through National Biodiversity Authority.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एस॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

आसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3- उप-खंड (ii)

Part-II- Section 3- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858 No. 858 नई दिल्ली,वृहस्पतिवार, अप्रैल 7,2016 / चैत्र 18, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2016/CHATTRA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016

का.आ. 1352(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं; का.आ. 2726(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2009 को अधिक्रांत करते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से यह घोषणा करती है कि इस अधिनियम के उपबंध नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट जैविक संसाधनों को लागू नहीं होंगे जिनका पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथा विनिर्दिष्ट पादप के भाग के साथ उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथा उल्लिखित व्याख्यात्मक व्यापारिक या सामान्य नाम है और जिनका पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (6) में यथा उल्लिखित स्त्रोत है, यदि उक्त जैविक संसाधनों का सामान्यतया उक्त सारणी के नीचे दिए गए टिप्पण में प्रगणित निबंधनों के अधीन रहते हुए वस्तुओं के रूप में व्यापार किया जाता है, अर्थात:—

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

Oll their t

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3- उप-खंड (ii)

Part-II- Section 3- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858

नई दिल्ली,बृहस्पतिवार, अप्रैल 7,2016 / चैत्र 18, 1938

No. 858

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2016/CHATTRA 18, 1938

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, 7th April, 2016

S.O. 1352 (E)— In exercise of the powers conferred by section 40 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and to supersession of the notification number S.O. 2726(E), dated the 26th October 2009, the Central Government, in consultation with the National Biodiversity Authority, here by declares that the provisions of this Act shall not apply to the biological resources specified in column (3) of the Table below, having the illustrative trade or common name as mentioned in column (4) of the said Table, with plant part as specified in column (5) of the aforesaid Table and having the source as mentioned in column (6) of the aforesaid Table, provided the said biological resources are normall traded as commodities subject to the terms enumerated in the Notes given below the said Table, namely.

क्र. सं.	मद	जैविक संसाधन	व्याख्यातमक व्यापार या सामान्य नाम	पादम भाग	स्त्रोत (कृषित=सी; वन्य डब्ल्यू कृषित+वन्य= मिश्रित एम)
1	2	3	4	5	6
300	I. अनाज				
1.a		होर्डियम वुलगेर	তাী *	वाली / दाना	सी
1.b		होर्डियम वुलगेर	जौ	सम्पूर्ण पौधा	सी
2.a		ओराइजा सटाइवा	धान	वाली / दाना	सी
2.b		ओराइजा सटाइवा	धान	सम्पूर्ण पौधा	सी
3.a		सिकल सिरेल	राई	वाली / दाना	सी
3.b		सिकल सिरेल	राई	सम्पूर्ण पौघा	सी
4.a	N. S. L. D. A.	ट्रिटिकम एस्टीवम	गेंहू	बाली / दाना	सी
4.b		ट्रिटिकम एस्टीवम	गेंह्	सम्पूर्ण पौधा	सी
5.a	The same of	ट्रिटिकम ड्यूरम	मैकरोनी गेंहू	वाली / दाना	सी
5.b		ट्रिटिकम ड्यूरम	मैकरोनी गेंहू	सम्पूर्ण पौधा	सी
6.a		जिया मेस	मक्का	वाली / दाना	सी
6.b	Marie To a	जिया मेस	मक्का	सम्पूर्ण पौधा	सी
DE JANA	II. बाजरा			2	
7.a	15-75-10	इकाइनोक्लोवा कोलोना	वड़ा वाजरा	वाली / दाना	सी
7.b		इकाइनोक्लोवा कोलोना	वड़ा बाजरा	सम्पूर्ण पौधा	सी
8.a	7	इल्यूसिन कोराकाना	रागी बाजरा	वाली / दाना	सी
8.b	Carlo Chambre	इल्यूसिन कोराकाना	रागी बाजरा	सम्पूर्ण पौधा	सी
9.a		पैनिकम मिलियासियम	सामान्य वाजरा	बाली / दाना	सी
9.b	RING COL	पैनिकम मिलियासियम	सामान्य बाजरा	सम्पूर्ण पौधा	सी
10.a		पैनिकम सुमात्रेन्स	छोटा बाजरा	बाली / दाना	सी
10.b		पैनिकम सुमात्रेन्स	छोटा बाजरा	सम्पूर्ण पौधा	सी
11.a		पैसपलम स्क्रोबिकुलेटम	कोडो बाजरा	बाली / दाना	सी
11.b		पैसपलम स्क्रोबिकुलेटम	कोडो बाजरा	सम्पूर्ण पौधा	सी
12.a		पेन्निसिटम ग्लावकम	मोती बाजरा	वाली / दाना	सी

111

SI. No.	Items	Biological resources	Illustrative trade or common name	Plant part	Source: (cultivated=C; wild= W; cultivated plus wild=Mixed-M)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. Cereals			0.0	
1.a		Hordeum vulgare	Barley	Grain	С
1.b		Hordeum vulgare	Barley	Whole Plant	С
2.a		Oryza sativa	Paddy	Grain	С
2.b		Oryza sativa	Paddy	Whole Plant	С
3.a		Secale cereale	Rye	Grain	C
3.b		Secale cereale	Rye	Whole Plant	С
4.a		Triticum aestivum	Wheat	Grain	C
4.b		Triticum aestivum	Wheat	Whole Plant	С
5.a		Triticum durum	Macaroni wheat	Grain	С
5.b		Triticum durum	Macaroni wheat	Whole Plant	С
6.a		Zea mays	Maize	Grain	С
6.b		Zea mays	Maize	Whole Plant	С
	II. Millets				
7.a		Echinochloa colona	Barnyard millet	Grain,	С
7.b		Echinochloa colona	Barnyard millet	Whole Plant	С
8.a		Eleusine coracana	Finger millet /Ragi	Grain	С
8.b		Eleusine coracana	Finger millet /Ragi	Whole Plant	C
9.a		Panicum miliaceum	Common millet	Grain	С
9.b		Panicum miliaceum	Common millet	Whole Plant	С
10.a		Panicum sumatrense	Little millet	Grain	С
10.b		Panicum sumatrense	Little millet	Whole Plant	С
11.a		Paspalum scrobiculatum	Kodo millet	Grain	С
11.b	1	Paspalum scrobiculatum	Kodo millet	Whole Plant	С
12.a		Pennisetum glaucum	Pearl millet /Bajra	Grain	С

12.b	पेन्निसिटम ग्लावकम			
13.a	सिटेरिया इटेलिका	मोती याजरा	सम्पूर्ण पौधा	सी
13.b	सिटेरिया इटेलिका	इटैलियन वाजरा	वाली / दाना	सी
14.a		इटैलियन बाजरा	सम्पूर्ण पोघा	सी
14.b	सोरघम वाइकोलर	ज्वार	वाली / दाना	सी
14.0	सोरघम वाइकोलर	ज्यार	सम्पूर्ण पौधा	सी
	III. दालें		रान्ध्रम वाचा	711
15.a	कैंजेनस केंजन			
15.Ь	कैजेनस कैजन	अरहर	वीज	सी
16.a	सिसर एरिटिनम	अरहर	फली	सी
16.b		यंगाल चना	वीज	सी
17.a	सिसर एरिटिनम	वंगाल चना	फली	सी
17.b	लयलय पुरपुरियस	लोबिया	वीज	सी
	लवलव पुरपुरियस	लोविया	1879.9%	
18.a	लैथाइरस सटाइवस		फली	सी
18.Ь		खेसरी दाल	वीज	सी
19.a	लैथाइरस सटाइवस	खेसरी दाल	फली	सी
19.b	लेंस कुलिनेरिस	मसूर	वीज	सी
20.a	लेंस कुलिनेरिस	मसूर	फली	सी
20.b	मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम	काला चना	वीज	
23520	मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम		0.000000	सी
21.a		काला चना	फली	सी
1.b	पाइसम सटाईवम प्रभेद अर		यीज	सी
2.a	पाइसम सटाईवम प्रभेद अर	वेन्से मटर	फली	सी
2.b	विसिया क्रासा	लोविया	यीज	सी
3.a	विसिया क्रासा	लोविया	फली	सी
b	विसिया फावा			
		लोविया वड़ा	बीज	सी
.a	विसिया फावा	लोविया वड़ा	फली	सी
b	विसिया सटाईवा	खेसरी दाल	वीज	सी
a	विसिया सटाईवा	खेसरी दाल	फली	सी
5	विग्ना एकोनिटिफोलिया	मूंग	वीज	सी
	विग्ना एकोनिटिफोलिया	मूंग	फली	सी
	विग्ना एन्गुलेरिस	लाल लोबिया	यीज	सी
	विग्ना एन्गुलेरिस	लाल लोबिया	फली	सी

12.b		Pennisetum glaucum	Pearl millet /Bajra	Whole Plant	С
13.a		Setaria italica	Italian millet	Grain	С
13.b		Setaria italica	Italian millet	Whole Plant	С
14.a		Sorghum bicolor	Sorghum /Jawar	Grain	С
14.b		Sorghum bicolor	Sorghum /Jawar	Whole Plant	С
	III. Pulses				
15.a		Cajanus cajan	Pigeon pea /Arhar	Seed	С
15.b		Cajanus cajan	Pigeon pea /Arhar	Pod	С
16.a		Cicer arietinum	Bengal gram	Seed	С
16.b		Cicer arietinum	Bengal gram	Pod	С
17.a		Lablab purpureus	Lablab bean	Seed	С
17.b		Lablab purpureus	Lablab bean	Pod	С
18.a		Lathyrus sativus	Khesari /Chickling vetch	Seed	С
18.b		Lathyrus sativus	Khesari /Chickling vetch	Pod	С
19.a		Lens culinaris	Lentil	Seed	С
19.b		Lens culinaris	Lentil	Pod	С
20.a		Macrotyloma uniflorum	Horse gram	Seed	С
20.b		Macrotyloma uniflorum	Horse gram	Pod	С
21.a		Pisum sativum var. arvense	Field Pea	Seed	С
21.b		Pisum sativum var. arvense	Field Pea	Pod	С
22.a		Vicia crassa	Cow pea	Seed	С
22.b		Vicia crassa	Cow pea	Pod	С
23.a		Vicia faba	Field bean	Seed	С
23.b		Vicia faba	Field bean	Pod	С
24.a		Vicia sativa	Common vetch	Seed	С
24.b		Vicia sativa	Common vetch	Pod	С
25.a		Vigna aconitifolia	Moth Bean/ Kidney bean	Seed	С
25.b		Vigna aconitifolia	Moth Bean/ Kidney bean	Pod	С
26.a		Vigna angularis	Adzuki bean	Seed	С
26.b		Vigna angularis	Adzuki bean	Pod	С

27.a		विग्ना मूंगो	मूंग काली	बीज	सी
27.b		विग्ना मूंगो	मूंग काली	फली	सी
28.a		विग्ना रेडियाटा	मूंग हरी	वीज	सी
28.b		विग्ना रेडियाटा	मूंग हरी	फली	सी
29.a		विग्ना अम्बेलाटा	चावल मूंग	वीज	सी
29.b	TA IT	विग्ना अम्बेलाटा	चावल मूंग	फली	सी
77	IV. तैलीय वीज				-49
30.a		अरेकिस हाइपोजिया	मूंगफली	वीज	सी
30.b	11-11	अरेकिस हाइपोजिया	मूंगफली	फली	सी
31.a		ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीस प्रभेद पीली सरसों	पीली सरसों	यीज	सी
31.b		. ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीस प्रभेद पीली सरसों	पीली सरसों	फली	सी
32.a		ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीस प्रभेद भूरी सरसों	भूरी सरसों	वीज	सी
32.b		ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीस प्रभेद भूरी सरसों	भूरी सरसों	फली	सी
33.a		ब्रेसिका जन्सिया	सरसों काली	वीज	सी
33.b		ब्रेसिका जन्सिया	सरसों काली	फली	सी
34.a		ब्रेसिका नेपस	सरसों	वीज	सी
34.b		ब्रेसिका नेपस	सरसों	फली	सी
35.a		ब्रेसिका रापा	सरसों	वीज	सी
35.b		ब्रेसिका रापा	सरसों	फली	सी
36.		कारथेमस टिंक्टोरियस	कुसुम	वीज	
37.a		इरूका सटाईवा उपजाति सटाईवा	तारामीरा	फली	सी
37.b		इरूका सटाईवा उपजाति सटाईवा	तारामीरा	यीज	सी
38.a		ग्लाइसिन मैक्स	सोयाबीन	फली	सी
38.b		ग्लाइसिन मैक्स	सोयावीन	बीज	सी

27.a		Vigna mungo	Black gram	Seed	С
27.b		Vigna mungo	Black gram	Pod	С
28.a		Vigna radiata	Green gram	Seed	С
28.b		Vigna radiata	Green gram	Pod	С
29.a		Vigna umbellata	Rice bean	Bean	C
29.b		Vigna umbellata	Rice bean	Pod	С
	IV. Oil Seeds				
30.a		Arachis hypogaea	Ground nut	Seed	С
30.b		Arachis hypogaea	Ground nut	Pod	C
31.a		Brassica campestris var.	Indian rape seed /	Seed	C
7		Yellow sarson	Mustard		
31.b		Brassica campestris var. Yellow sarson	Indian rape seed / Mustard	Pod	C
32.a		Brassica campestris var. Brown sarson	Indian rape seed / Mustard	Seed	С
32.b		Brassica campestris var. Brown sarson	Indian rape seed / Mustard	Pod	С
33.a		Brassica juncea	Indian rape seed / Mustard	Seed	С
33.b		Brassica juncea	Indian rape seed / Mustard	Pod	С
34.a		Brassica napus	Indian rape seed / Mustard	Seed	С
34.b		Brassica napus	Indian rape seed /Mustard	Pod	С
35.a		Brassica rapa	Indian rape seed /Mustard	Seed	С
35.b		Brassica rapa	Indian rape seed /Mustard	Pod	С
36.		Carthamus tinctorius	Safflower	Seed	С
37.a		Eruca sativa subsp. sativa	Rocket salad / Taramira	Seed	С
37.b		Eruca sativa subsp. sativa	Rocket salad / Taramira	Leaf	С
38.a		Glycine max	Soybean	Seed	С
38.b		- Glycine max	Soybean	Pod	С

39.		ग्यूजोटिया एवायस्सीनिका	नीगर	फली	सी
40.a		हेलिऐन्थस एन्नस	सूर्यमुखी	वीज	सी
40.b		हेलिऐन्थस एन्नस	सूर्यमुखी	फली	सी
41.a		लाइनम यूसिटाटिस्सीमम	अलसी	वीज	सी
41.b		लाइनम यूसिटाटिस्सीमम	अलसी	फली	सी
42.a		रिसिनस कोम्मूनिस	अरंडी,	वीज	सी
42.b		रिसिनस कोम्मूनिस	अरंडी	फली	सी
43 .a		सिसेमम इंडिकम	तिल	बीज	सी
43.b		सिसेमम इंडिकम	तिल	फली	
	V. रेशा प्रदत्त फसलें				
44.a		कोरकोरस कैप्सूलेरिस	सफेद जूट	वीज	सी
44.b		कोरकोरस कैप्सूलेरिस	सफेद जूट	सम्पूर्ण पौधा	सी
44.c		कोरकोरस कैप्सूलेरिस	सफेद जूट	फाइवर	सी
44.d		कोरकोरस कैप्सूलेरिस	सफेद जूट	तना	सी
45.a	•	कोरकोरस ऑलिटोरियस	टोसा जूट	वीज	सी
45.b		कोरकोरस ऑलिटोरियस	टोसा जूट	सम्पूर्ण पौधा	सी
45.c		कोरकोरस ऑलिटोरियस	टोसा जूट	फाइवर	सी
45.d		कोरकोरस ऑलिटोरियस	टोसा जूट	तना	सी
46.a		गोसिपियम अरबोरियम	वृक्ष कपास	फाइबर	सी
46.b		गोसिपियम अरबोरियम	वृक्ष कपास	वीजावरण	सी
47.a		गोसिपियम वारवाडेन्से	कपास	फाइवर	सी
47.b		गोसिपियम बारबाडेन्से	कपास	वीजावरण	सी
47.c		गोसिपियम बारबाडेन्से	कपास	सम्पूर्ण पौधा	सी
48.a		गोसिपियम हरबेसियम	कपास	फाइवर	सी
48.b		गोसिपियम हरवेसियम	कपास	वीजावरण	सी
48.c		गोसिपियम हरवेसियम	कपास	सम्पूर्ण पौधा	सी
49.a		गोसिपियम हिरसूटम	कपास	फाइबर	सी
49.b		गोसिपियम हिरसूटम	कपास	बीजावरण	सी
49.c		गोसिपियम हिरसूटम	कपास	सम्पूर्ण पौधा	सी

39.	Guizotia abyssinica	Niger	Seed	С
10.a	Helianthus annuus	Sunflower	Seed	С
40.b	Helianthus annuus	Sunflower	Kernel	С
41.a	Linum usitatissimum	Linseed	Seed	С
41.b	Linum usitatissimum	Linseed	Pod	С
42.a	Ricinus communis	Castor	Seed	С
42.b	Ricinus communis	Castor	Pod	С
43.a	Sesamum indicum	Sesame	Seed	C
43.b	Sesamum indicum	Sesame	Pod	С
V. Fib	· 1			15-4
44.a	Corchorus capsularis	White Jute	Seed	С
44.b	Corchorus capsularis	White Jute	Whole Plant	С
44.c	Corchorus capsularis	White Jute	Fiber	С
44.d	Corchorus capsularis	White Jute	Stem	С
45.a	Corchorus olitorius	Tossa Jute	Seed	С
45.b	Corchorus olitorius	Tossa Jute	Whole Plant	С
45.c	Corchorus olitorius	Tossa Jute	Fiber	С
45.d	Corchorus olitorius	Tossa Jute	Stem	С
46.a	Gossypium arboreum	Tree cotton	Fiber	С
46.b	Gossypium arboreum	Tree cotton	Seed capsule	С
47.a	Gossypium barbadense	Cotton	Fiber	- C
47.b	Gossypium barbadense	Cotton	Seed Capsule	С
47.c	Gossypium barbadense	Cotton	Whole Plant	С
48.a	Gossypium herbaceum	Cotton	Fiber	С
48.b	Gossypium herbaceum	Cotton	Seed Capsule	С
48.c	Gossypium herbaceum	Cotton	Whole Plant	С
49.a	Gossypium hirsutum	Cotton	Fiber	С
49.b	Gossypium hirsutum	Cotton	Seed Capsule	С
49.c	Gossypium hirsutum	Cotton	Whole Plant	С

50.a		हिविस्कस सबदरिपफा	लाल बेंत	तना	सी
50.b		हिविस्कस सबदरिफ्फा	लाल येंत	फाइवर	सी
50.c		हिविस्कस सबदरिपफा	लाल येंत	सम्पूर्ण पौधा	सी
50.d		हिविस्कस सबदरिएफा	लाल वेंत	वीज	सी
	V. चारा फसलें				
51.a		एविना सटाईवा	> जई	सम्पूर्ण पौधा	अ) सी
51.b		एविना सटाईवा	जई	याली	सी
52.a		सेन्क्रस सिलिऐरिस	वूफेल घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
52.b		सेन्क्रस सिलिऐरिस	वूफेल घास	वाली	सी
53.a		सेन्क्रस सेटिजेरस	वर्डवुड घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
53.b		सेन्क्रस सेटिजेरस	वर्डवुड घास	वाली	सी
54.a		क्राइसोपोगोन फल्वस	दाराफ घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
54.b		क्राइसोपोगोन फल्वस	दाराफ घास	वाली	सी
55.a		डाईकैन्थियम एन्नूलेटम	मारवेल घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
55.b	*	डाईकैन्थियम एन्नूलेटम	मारवेल घास	वाली	सी
56.a		यूकैलेयना मैक्सिकाना	टियोसिंटे	सम्पूर्ण पौधा	सी
56.b	****	यूकैलेयना मैक्सिकाना	टियोसिंटे	वाली	सी
57.a		फैगोपायरम एस्कुलेनटम	मोथी अनाज	सम्पूर्ण पौधा	सी
57.b		फैगोपायरम एस्कुलेनटम	मोथी अनाज	वाली	सी
58.a		फिस्टुका जाति	फिस्टुका	सम्पूर्ण पौधा	सी
58.b		फिस्टुका जाति	फिस्टुका	याली	सी
59.a		मेडिकागो सटाईवा	लूसिरिन (घास)	सम्पूर्ण पौघा	सी
59.b		मेडिकागो सटाईवा	लूसिरिन (घास)	वीज	सी
59.c		मेडिकागो सटाईवा	लूसिरिन (घास)	फली	सी
60.a		मेलिलोटस इंडिकस	मीठी लॉंग	सम्पूर्ण पौधा	सी
60.b		मेलिलोटस इंडिकस	मीठी लौंग	वीन	सी
60.c		मेलिलोटस इंडिकस	मीठी लॉंग	फली	सी
61.a		पैनिकम मैक्सिमम	ग्वेना घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
61.b		पैनिकम मैक्सिमम	ग्वेना घास	वाली	सी

50.a		Hibiscus sabdariffa	Red sorrel	Stem	С	
50.b		Hibiscus sabdariffa	Red sorrel	Fiber	С	
50.c		Hibiscus sabdariffa	Red sorrel	Whole Plant	С	
50.d		Hibiscus sabdariffa	Red sorrel	Seed	С	0.1
	VI. Forage Crops			-200		
51.a		Avena sativa	Oats	Whole Plant	C	
51.b		Avena sativa	Oats	Grain	С	
52.a		Cenchrus ciliaris	Buffel grass	Whole Plant	С	
52.b		Cenchrus ciliaris	Buffel grass	Grain	С	
53.a		Cenchrus setigerus	Birdwood grass	Whole Plant	С	
53.b		Cenchrus setigerus	Birdwood grass	Grain	C-	
54.a		Chrysopogon fulvus	Dharaf grass	Whole Plant	С	
54.b		Chrysopogon fulvus	Dharaf grass	Grain	С	
55.a		Dichanthium annulatum	Marvel grass	Whole Plant	С	
55.b		Dichanthium annulatum	Marvel grass	Grain	С	
56.a		Euchlaena mexicana	Teosinte	Whole Plant	С	
56.b		Euchlaena mexicana	Teosinte	Grain	С	
57.a		Fagopyrum esculentum	Buck wheat	Whole Plant	С	
57.b		Fagopyrum esculentum	Buck wheat	Seed	С	
58.a		Festuca spp.	Fescue	Whole Plant	С	
58.b		Festuca spp.	Fescue	Seed	С	
59.a		Medicago sativa	Lucerne	Whole Plant	С	
59.b		Medicago sativa	Lucerne	Seed	С	7.70
59.c		Medicago sativa	Lucerne	Pod	С	
60.a		Melilotus indicus	Sweet clover /senji	Whole Plant	С	
60.b		Melilotus indicus	Sweet clover /senji	Bean	С	
61.a		Panicum maximum	Guinea grass	Whole Plant	С	
61.b		Panicum maximum	Guinea grass	Grain	С	

62.a		पेन्निसिटम पेडिसिलेटम	दिनानाथ घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
62.b		पेन्निसिटम पेडिसिलेटम	दिनानाथ घास	याली	सी
63.a		पेन्निसिटम पुरपुरियम	नेपियर घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
63.b		पेन्निसिटम पुरपुरियम	नेपियर घास	वाली	सी
64.		सिटेरिया स्फेसिलाटा	गोन्डन ब्रिस्टल घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
65.a		सोरघम बाईबोलर उपजाति ड्रमोन्डाई	सूडान घास	सम्पूर्ण पौधा	सी
65.b		सोरघम वाईबोलर उपजाति ड्रमोन्डाई	सूडान घास	याली	सी
66.a		स्टाईलोजेन्थस गुयानेन्सिस	स्टाईलो	सम्पूर्ण पौधा	सी
66.b		स्टाईलोजेन्थस गुयानेन्सिस	स्टाईलो	वाली	सी
67.a		ट्राईफोलियम एलक्सेन्ड्रियम	इजीप्टीयन लॉग	सम्पूर्ण पौधा	सी
67.b		ट्राईफोलियम एलक्सेन्ड्रियम	इजीप्टीयन लॉंग	वाली	सी
	VII.हरी खाद प्रदत्त पौधे				
68.a		क्रोटोलेरिया जंसिया	पटसन	सम्पूर्ण पौधा	सी
68.b		क्रोटोलेरिया जंसिया	पटसन	वाली	सी
69.a		हिबिस्कस कैन्नाबिनस	भांग	सम्पूर्ण पौधा	सी
69.b		हिविस्कस कैन्नाविनस	भांग	वाली	सी
70.a		सेसबानिया एक्यूलियाटा	ढेंचा	सम्पूर्ण पौधा	सी
70.b		सेसबानिया एक्यूलियाटा	ढँचा	वाली	सी
70.c		सेसबानिया एक्यूलियाटा	ढेंचा		सी
	VIII. शक्कर प्रदत्त फसलें	- 7			
71.a		सैकेरम ऑफिसिनारम	गन्ना	तना	सी
71.b		सैकेरम ऑफिसिनारम	गन्ना	सम्पूर्ण पौधा	सी
	IX. मादक औषधी			×	सी
72.a		निकोटियाना तवाकम	तम्बाकू	पत्तियाँ	सी
72.b		निकोटियाना तबाकम	तम्बाकू	पत्तियाँ	सी

62.a		Pennisetum pedicellatum	Dinanath grass	Whole Plant	C
62.b		Pennisetum pedicellatum	Dinanath grass	Grain	С
63.a		Pennisetum purpureum	Napier grass	Whole Plant	C
63.b		Pennisetum purpureum	Napier grass	Grain	C
64.		Setaria sphacelata	Golden bristle grass	Whole Plant	С
65.a		Sorghum bicolor subsp.	Forage sorghum	Whole Plant	С
		drummondii	(incl. sudan grass)		
65.b		Sorghum bicolor subsp.	Forage sorghum	Grain	C
		drummondii	(incl. sudan grass)		THE PERSON NAMED IN
66.a		Stylosanthes guyanensis	Stylo/Tropical lucerne	Whole Plant	С
66.b		Stylosanthes guyanensis	Stylo/Tropical lucerne	Grain	С
67.a		Trifolium alexandrium	Berseem/Egyptian clover	Whole Plant	С
67.b		Trifolium alexandrium	Berseem/ Egyptian clover	Grain	С
	VII. Green Manures				
68.a		Crotolaria juncea	Sunhemp	Whole Plant	С
68.b		Crotolaria juncea	Sunhemp	Seed	С
69.a		Hibiscus cannabinus	Mesta	Whole Plant	С
69.b		Hibiscus cannabinus	Mesta	Seed	С
70.a		Sesbania aculeata	Dhaincha	Whole Plant	С
70.b		Sesbania aculeata	Dhaincha	Seed	С
70.c		Sesbania aculeata	Dhaincha	Pod	С
	VIII. Sugar Crops				
71.a		Saccharum officinarum	Sugar cane	Stem	С
71.b		Saccharum officinarum	Sugar cane	Whole Plant	С
	IX. Narcotics			11	
72.a		Nicotiana tabacum	Tobacco	Leaf	С
72.b		Nicotiana tabacum	Tobacco	Whole Plant	С

Tally,	X. सीताफल				
	कुल के पौधे				
73.a		वेनिन्कासा हिस्पीडा	सफेद लोकी	पत्तियाँ	सी
73.b		वेनिन्कासा हिस्पीडा	सफेद लोकी	फल	सी
73.c	100	वेनिन्कासा हिस्पीडा	सफेद लौकी	पुष्प	सी
74.a		सिट्रुल्लस लानाटस	तरबूज	<u> </u>	सी
74.b		सिद्रुल्लस लानाटस	तरवूज	ਵਿੱ ਤ	सी
75.a		कोक्सीनिया ग्रैन्डिस	घीया लौकी ै	<u></u> जड	सी
75.b		कोक्सीनिया ग्रैन्डिस	धीया लौकी	फल	सी
76.a			खीरा		सी
76.b		कुकमिस कैल्लोसस	100000	फल	23.50
77.a	100	कुकमिस कैल्लोसस	खीरा	वीज	सी
		कुकुमिस मेला	खरवूजा	फल	सी
77.b		कुकुमिस मेला	खरवूजा	वीज	सी
78.		कुकुमिस मेलो प्रभेद यूटिलिस्सीमस	ककड़ी	जड़ ट्यूबर	सी
79.a		कुकुमिस मेलो प्रमेद यूटिलिस्सीमस	ककड़ी	जड़ ट्यूबर	सी
79.b		कुकुमिस मेलो प्रभेद यूटिलिस्सीमस	ककड़ी	फल	सी
80.a		कुकुमिस सटाईवस	खीरा	फल	सी
80.b		कुकुमिस सटाईयस	खीरा	जड़ ट्यूबर	सी
81.		कुकुरविटा मैक्सीमा	सीताफल	फल	सी
82.a		कुकुरबिटा मोस्काटा	सीताफल	पुष्प	सी
82.b		कुकुरविटा मोस्काटा	सीताफल	तना	सी
82.c		कुकुरबिटा मोस्काटा	सीताफल	फल	सी
83.a		कुकुरबिटा पेपो	पीला सीताफल	फल	सी
83.b		कुकुरविटा पेपो	पीला सीताफल	पुष्प	सी
83.c		कुकुरविटा पेपो	पीला सीताफल	पत्तियाँ	सी
83.d		कुकुरबिटा पेपो	पीला सीताफल	वीज	सी
84.		लेजिनेरिया सिसेरेरिया	लौकी	फ ल	सी
35.a		लूफा एक्यूटेन्गुला	तोरी	<u> जड</u>	सी

	X. Cucurbits				
	Cucurbits				
73.a		Benincasa hispida	White Gourd /Petta	Leaf	C
73.b		Benincasa hispida	White Gourd /Petta	Fruit	С
73.c		Benincasa hispida	White Gourd	Flower	С
			/Petta		-
74.a		Citrullus lanatus	Watermelon	Fruit	С
74.b		Citrullus lanatus	Watermelon	Rind	С
75.a		Coccinia grandis	Gherkin/Ivy Gourd	Root	С
75.b		Coccinia grandis	Gherkin-lvy	Gourd Fruit	С
76.a		Cucumis callosus Melon/Bitter	Cucumber	Fruit	С
76.b		Cucumis callosus Melon/Bitter	Cucumber	Seed	С
77.a		Cucumis melo	Muskmelon	Fruit	С
77.b		Cucumis melo	Muskmelon	Seed	С
78.		Cucumis melo var. momordica	Cantaloupe/ Mushmelon	Fruit	С
79.a		Cucumis melo var. utilissimus Snake	Cucumber/Kakri	Root tubers	С
79.b		Cucumis melo var. utilissimus Snake	Cucumber/Kakri	Fruit	С
80.a		Cucumis sativus	Cucumber/Keera	Fruit	C
80.b		Cucumis sativus	Cucumber/Keera	Root tubers	С
81.		Cucurbita maxima	Indian squash	Fruit	С
82.a		Cucurbita moschata	Pumpkin	Flower	С
82.b		Cucurbita moschata	Pumpkin	Stem	С
82.c		Cucurbita moschata	Pumpkin	Fruit	С
83.a		Cucurbita pepo	Field Pumpkin	Fruit	С
83.b		Cucurbita pepo	Field Pumpkin	Flower	С
83.c		Cucurbita pepo	Field Pumpkin	Leaf	С
83.d		Cucurbita pepo	Field Pumpkin	Seed	С
84.		Lagenaria siceraria	Bottle Gourd/ Giya/Lauki	Fruit	С
85.a		Luffa acutangula	Angled Luffa/Toria	Root	С

85.b		लूफा एक्यूटेन्गुला	तोरी	फल	सी
36.a		लूफा सिलेन्ड्रिका	तोरी	फल	सी
86.b		लूफा सिलेन्ड्रिका	तोरी	बीज	सी
87.a		मोमोर्डिका करेन्सिया	करेला	फल	सी
87.b		मोमोर्डिका करेन्सिया	करेला	यीज	सी
87.c	199	मोमोर्डिका करेन्सिया	करेला	जङ	सी
88.a		प्रेसिट्रुलस फिस्टोलोस्स	टिंडा	फल	सी
88.b		प्रेसिट्रूलस फिस्टोलोस्स	हिंडा ³	जड़	M
88.c		प्रेसिट्रूलस फिस्टोलोस्स	टिंडा	वीज	सी
89.a		सेसियम इड्यूले	क्वास	फल	सी
89.b	ay 6	सेसियम इड्यूले	- क्वास	ट्यूबर	सी
89.c		सेसियम इड्यूले	क्वास	पत्तियाँ	सी
90.a		ट्राइकोसेन्थीस कुकुमेरिना	चचिण्डा	पत्तियाँ	सी
90.b		ट्राइकोसेन्थीस कुकुमेरिना	चचिण्डा	तना	सी
90.c		ट्राइकोसेन्थीस कुकुमेरिना	चचिण्डा	बीज	सी
90.d		ट्राइकोसेन्थीस कुकुमेरिना	चचिण्डा	ट्यूबर	सी
90.e		ट्राइकोसेन्थीस कुकुमेरिना	चचिण्डा	फल	सी
91.a		ट्राइकोसेन्थीस डायोका	परवल	जड़	सी
91.b		ट्राइकोसेन्थीस डायोका	परवल	फल	सी
	XI. गोभी कुल की फसलें				
92.a		ब्रेसिका रापा उपजाति चाइनेन्सिस	गोभी	पत्ती	सी
92.b		ब्रेसिका रापा उपजाति चाइनेन्सिस	गोभी	सम्पूर्ण पौधा	सी
93.a		ब्रेसिका रापा उपजाति चाइनेन्सिस	गोभी	पत्तियाँ	सी
93.b		ब्रेसिका रापा उपजाति चाइनेन्सिस	गोभी	सम्पूर्ण पौधा	सी
-					सी

85.b		Luffa acutangula	Angled Luffa/Toria	Fruit	С
86.a		Luffa cylindrica	Sponge Gourds	Fruit	C
86.b		Luffa cylindrica	Sponge Gourds	Seed	С
87.a		Momordica charantia	Bitter Gourd/ Karela	Fruit	С
87.b		Momordica charantia	Bitter Gourd/ Karela	Seed	С
87.c		Momordica charantia	Bitter Gourd/ Karela	Root	С
88.a		Praecitrullus fistulosus	Tinda	Fruit	С
88.b		Praecitrullus fistulosus	Tinda	Root	С
88.c	- W	Praecitrullus fistulosus	Tinda	Seed	С
89.a		Sechium edule	Chow-chow	Fruit	С
89.b		Sechium edule	Chow-chow	Tuber	C -
89.c		Sechium edule	Chow-chow	Leaf	С
90.a		Trichosanthes cucumerina	Snake Gourd/ Chachinda	Leaf	С
90.b		Trichosanthes cucumerina	Snake Gourd/ Chachinda	Stem	С
90.c		Trichosanthes cucumerina	Snake Gourd/ Chachinda	Seed	С
90.d		Trichosanthes cucumerina	Snake Gourd/ Chachinda	Tuber	С
90.e		Trichosanthes cucumerina	Snake Gourd/ Chachinda	Fruit	С
91.a		Trichosanthes dioica	Parwal/Pointed	Gourd Root	С
91.b		Trichosanthes dioica	Parwal/Pointed	Gourd Fruit	С
	XI. Cole Crops				
92.a		Brassica rapa subsp. chinensis	Chinese cabbage	Leaf	С
92.b		Brassica rapa subsp. chinensis	Chinese cabbage	Whole Plant	С
93.a		Brassica rapa subsp. pekinensis	Chinese cabbage	Leaf	С
93.b		Brassica rapa subsp. pekinensis	Chinese cabbage	Whole Plant	С

	XII. हरी पत्तेदार सब्जियाँ				
94.		एवेलमोस्कस एस्कुलेन्टस	भिंडी/ओकरा	फल	सी
95.		लियम एम्पीलोप्रेसम	लीक	सम्पूर्ण पौधा	सी
96.a		एमारेन्थस ब्लाईटम	चौलाई	पत्तियाँ	सी
96.b		एमारेन्थस ब्लाईटम	चौलाई	सम्पूर्ण पौधा	सी
97.a		एमारेन्थस क्रुएटनस	चौलाई	वाली	सी 🧌
97.b		एमारेन्थस क्रुएटनस	चौलाई	पत्तियाँ	सी
98.a		एमारेन्थस ट्राइकलर	चौलाई लाल	पत्तियाँ	सी
98.b	744	एमारेन्थस ट्राइकलर	चौलाई लाल	सम्पूर्ण पौधा	सी
99.a		एपियम ग्रेवियोलेन्स प्रभेद डूल्स	सिलेरी	पत्तियाँ	सी
99.b		एपियम ग्रेवियोलेन्स प्रभेद डूल्स	सिलेरी	सम्पूर्ण पौधा	सी
100.a		,एस्परेगस ऑफिसिनेलिस	शतावर	तना	सी
100.b		एस्परेगस ऑफिसिनेलिस	शतावर	सम्पूर्ण पौधा	सी
101.a		बिटा वुलगेरिस	चुकन्दर	जड़	सी
101.b		विटा वुलगेरिस	चुकन्दर	पत्तियाँ	सी
102.a		विटा बुलगेरिस प्रभेद वेन्गालेन्सिस	समुद्री चुकन्दर	पत्तियाँ	सी
102.b		विटा वुलगेरिस प्रभेद बेन्गालेन्सिस	समुद्री चुकन्दर	Aet	सी
102.c		बिटा वुलगेरिस प्रभेद बेन्गालेन्सिस	समुद्री चुकन्दर	जड	सी
103.a		बिटा वुलगेरिस प्रभेद फ्लेविसेन्स	पालक चुकन्दर	पत्तियाँ	सी
103.b		बिटा वुलगेरिस प्रभेद फ्लेविसेन्स	पालक चुकन्दर	सम्पूर्ण पौधा	सी
104.		ब्रेसिका ऑलिरेसिया प्रभेद बोट्राटिस	फूलगोभी	पुष्प कलिका	सी
105.		ब्रेसिका ऑलिरेसिया प्रभेद कैपिटाटा	बंदगोभी	पत्तियाँ	सी
106.a		ब्रेसिका ऑलिरेसिया प्रमेद जेम्मिफेरा	गांठगोभी	पत्तियाँ	सी
106.b		ब्रेसिका ऑलिरेसिया प्रभेद	गांठगोभी	कलिका	सी

	XII. Green/ Leafy egetables				
94.		Abelmoschus esculentus	Lady's Fingers/ Bhindi/Okra	Fruit	С
					-
95.		Allium ampeloprasum	Leek	Whole Plant	С
96.a		Amaranthus blitum	Amaranth/chauli	Leaf	С
96.b		Amaranthus blitum	Amaranth/chauli	Whole Plant	С
97.a		Amaranthus cruentus	Amaranth/grain	Grain	С
7.b		Amaranthus cruentus	Amaranth/grain	Leaf	С
98.a		Amaranthus tricolor	Amaranth /tender	Leaf	С
98.b		Amaranthus tricolor	Amaranth /tender	Whole Plant	C
99.a		Apium graveolens var.dulce	Celery	Leaf	С
99.b		Apium graveolens var.dulce	Celery	Whole Plant	С
100.a		Asparagus officinalis	Asparagus	Shoot	С
100.b		Asparagus officinalis	Asparagus	Whole Plant	С
101.a		Beta vulgaris	Beet Root	Root	С
101.b		Beta vulgaris	Beet Root	Leaf	C
102.a		Beta vulgaris var. bengalensis	Beet (Sea beet)	Leaf	С
102.b		Beta vulgaris var. bengalensis	Beet (Sea beet)	Flower	С
102.c		Beta vulgaris var. bengalensis	Beet (Sea beet)	Root	С
103.a		Beta vulgaris var.flavescens	Spinach beet	Leaf	С
103.b		Beta vulgaris var.flavescens	Spinach beet	Whole Plant	С
104.		Brassica oleracea var. botrytis	Cauliflower	Flower Bud	С
105.		Brassica oleracea var. capitata	Cabbage	Leaf	С
106.a		Brassica oleracea var.gemmifera	Brussels Sprouts/ Cabbage	Leaf	С
106.b		Brassica oleracea var.gemmifera	Brussels Sprouts/Cabbage	Bud	С

107.a	ब्रेसिका ऑलिरेसिया प्रभेद गोन्गायलोडिस	कोल्सबी	ट्यूबर तना	सी
107.b	ब्रेसिका ऑलिरेसिया प्रभेद गोन्गायलोडिस	कोल्सवी	पत्तियाँ	सी
108.a	ब्रेसिका ऑलिरेसिया प्रभेद इटेलिका	ब्रोकली	पुष्प कलिका	सी
108.b	व्रेसिका ऑलिरेसिया प्रभेद इटेलिका	ब्रोकली ै	बीज फली	सी
109.a	सायमोप्सीस ट्रेटागोनोलोबा	ग्वार लोविया	फली	सी
109.b	सायमोप्सीस ट्रेटागोनोलोवा	ग्वार लोविया	वीज	सी
110.	सायनारा कार्डून्कुलस प्रभेद स्कोलायमस	जंगली चुकंदर	सम्पूर्ण पौधा	सी
111.a	डाउकस कैरोटा	जंगली गाजर	जड़	सी
111.b	डाउकस कैरोटा	जंगली गाजर	पुष्प	सी
112.a	लवलव पुरपुरियेस (समरूप डोलिकस लवलव)	संम	फली	सी
112.b	लवलव पुरपुरियेस (समरूप · · डोलिकस लवलव)	सेम	वीज	सी
113.a	लेक्टूका सटाईवा	पालक	पत्तियाँ	सी
113.b	लेक्टूका सटाईवा	पालक	वीज	सी
114.	लाइकोपरसिकोन एस्कुलेन्टस	टमाटर	फल	सी
115.a	मोरिन्गा ऑलिफेरा	सहजनी	फल	सी
115.b	मोरिन्गा ऑलिफेरा	सहजनी	पत्तियाँ	सी
115.c	मोरिन्गा ऑलिफेरा	सहजनी	वीज	सी
115.d	मोरिन्गा ऑलिफेरा	सहजनी	जड़	सी
116.a	पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम	अजवायन	पत्तियाँ	सी
116.b	पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम	अजवायन	जड़	सी
116.c	पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम	अजवायन	वीज	सी
117.a	फेसियोलस युलगेरिस	राजमा	पत्तियाँ	सी
117.b	फेसियोलस युलगेरिस	राजमा	फली	सी
117.c	फेसियोलस युलगेरिस	राजमा	बीज	सी

33

107.a	Brassica oleracea	Kohlrabi	Tuberous stem	С
	var.gongylodes			
107.b	Brassica oleracea var.gongylodes	Kohlrabi	Leaf	С
108.a	Brassica oleracea var.italica	Broccoli	Flower Bud	С
108.b	Brassica oleracea var. italica	Broccoli	Seed pod	C =
109.a	Cyamopsis tetragonoloba	Guar Bean	Pod	С
109.b	Cyamopsis tetragonoloba	Guar Bean	Seed	С
110.	Cynara cardunculus var.scolymus	Artichokes	Whole Plant	С
111.a	Daucus carota	Carrot (Wild)	Root	С
111.b	Daucus carota	Carrot (Wild)	Flower	C
112.a	Lablab purpureus (Syn. Dolichos lablab)	Lablab/Sem	Pod	С
112.b	Lablab purpureus (Syn. Dolichos lablab)	Lablab/Sem	Seed	С
113.a	Lactuca sativa	Lettuce	Leaf	С
113.b	Lactuca sativa	Lettuce	Seed	С
114.	Lycopersicon esculentum	Tomato	Fruit	С
115.a	Moringa oleifera	Drumstick tree	Fruit	С
115.b	Moringa oleifera	Drumstick tree	Leaf	С
115.c	Moringa oleifera	Drumstick tree	Seed	С
115.d	Moringa oleifera	Drumstick tree	Root	С
116.a	Petroselinum crispum Parsley/Biennian	Plant	Leaf	С
116.b	Petroselinum crispum Parsley/Biennian	Plant	Root	С
116.c	Petroselinum crispum Parsley /Biennian	Plant	Seed	С
117.a	Phaseolus vulgaris Kidney	Bean/Rajmah	Leaf	С
117.b	Phaseolus vulgaris Kidney	Bean/Rajmah	Bean	С
117.c	Phaseolus vulgaris Kidney	Bean/Rajmah	Seed	С

118.a		पाइसम सटाईवम	ਸਟਵ	फली	सी
118.b		पाइसम सटाईवम	मटर	वीज	सी
119.a		रेफेनस सटाईवूस	मूली	पत्तियॉ	सी
119.b		रेफेनस सटाईवूस	मूली	वीज	सी
119c		रेफेनस सटाईवूस	मूली	जड़	सी
120.a	100000000000000000000000000000000000000	सेसवानिया ग्रैन्डिफ्लोरा	अगाती	<u>व</u>	सी
120.b		सेसवानिया ग्रैन्डिफ्लोरा	अगाती	फली	सी
121.		सोलेनम मिलोन्जीना	वेंगन	फल	सी
122.	113	स्पीनासिया ऑलिरेसिया	पालक	पत्तियों	सी
123.a		ट्राइगोनेल्ला कार्निकुलाटा	मेथी	वीज	सी
123.b		ट्राइगोनेल्ला कार्निकुलाटा	मेथी	सम्पूर्ण पौधा	सी
124.a		विग्ना उन्पुईकोलाटा	लोविया	पत्तियाँ	सी
124.b		विग्ना उन्गुईकोलाटा	लोबिया	यीज	सी
124.c		विग्ना उन्गुईकोलाटा	लोबिया	फली	सी
	XIII. सरसों कुल की सब्जियॉ				
125.a		रेफेनस कॉउडेटस	मूली	फली	सी
125.b		रेफेनस कॉउडेटस	मूली	वीज	सी
	XIV. कंद फसलें				सी
126.a		एलियम सेपा प्रभेद एग्रिगेटम	प्याज	बल्ब / कंद	सी
126.b		एलियम सेपा प्रभेद एग्रिगेटम	प्याज	बल्ब / कंद	सी
	XV. ट्यूबर, राइजोम्स एवं पीथ				सी
		एलियम सेपा	प्याज	बल्ब / कंद	सी
127.		एलियम सेपा	प्याज	बल्ब / कंद	सी
127.		एलियन संपा			
128.		एमोरफोफेल्लस पियोनिफोलियस	जिमीकंद	ত্তৰ	सी
			37-37	जड़ ट्यूबर	सी सी

118.a		Pisum sativum	Pea/Garden	Pea Pod	C
118.b		Pisum sativum	Pea/Garden	Pea Seed	С
119.a		Raphanus sativus	Radish/Mooli	Leaf	С
119.b		Raphanus sativus	Radish/Mooli	Seed	С
119.c		Raphanus sativus	Radish/Mooli	Root	С
120.a		Sesbania grandiflora	Agati/ Gaach -Munga	Flower	C
120.b		Sesbania grandiflora	Agati/ Gaach -Munga	Pod	С
121.		Solanum melongena	Brinjal/Eggplant	Fruit	C
122.		Spinacia oleracea	Spinach	Leaf	С
123.a		Trigonella corniculata	Fenugreek/ kasuri methi	Seed	C
123.b		Trigonella corniculata	Fenugreek/kasuri methi	Whole Plant	С
124.a		Vigna unguiculata	Cowpea/Lobia	Leaf	С
124.b		Vigna unguiculata	Cowpea/Lobia	Seed	С
124.c		Vigna unguiculata	Cowpea/Lobia	Pod	С
	XIII. Cruciferous Vegetable				
125.a		Raphanus caudatus	Rat-tail Radish	Pod	С
125.b	XIV. Bulb Crops	Raphanus caudatus	Rat-tail Radish	Seed	С
126.a		Allium cepa var.aggregatum	Multiplier onion / Potato onion	Bulb	С
126.a 126.b		Allium cepa var.aggregatum Allium cepa var.aggregatum	The second section of the second	Bulb Whole Plant	С
29500000	XV. Tubers, Rhizomes and Pith		Potato onion Multiplier onion /		
126.b	XV. Tubers, Rhizomes and	Allium cepa var.aggregatum	Potato onion Multiplier onion /	Whole Plant	
29500000	XV. Tubers, Rhizomes and	Allium cepa var.aggregatum	Potato onion Multiplier onion / Potato onion	Whole Plant	С
126.b	XV. Tubers, Rhizomes and	Allium cepa var.aggregatum Allium cepa	Potato onion Multiplier onion / Potato onion Onions	Whole Plant Bulb Bulb	C
126.b 127. 128.	XV. Tubers, Rhizomes and	Allium cepa var.aggregatum Allium cepa Allium cepa Allium sativum	Potato onion Multiplier onion / Potato onion Onions Garlic	Whole Plant Bulb Bulb	C C
126.b 127. 128.	XV. Tubers, Rhizomes and	Allium cepa var.aggregatum Allium cepa Allium cepa Allium sativum Amorphophallus	Potato onion Multiplier onion / Potato onion Onions Garlic Elephant foot yam/	Whole Plant Bulb Bulb	C C

31.a		कोलोकेशिया एस्कुलेन्टा	अरबी	पत्ती	सी
3 l.b		कोलोकेशिया एस्कुलेन्टा	अरवी	राइजोम	सी
132.	1000	डायोस्कोरिया अलाटा	अरारोट	ट्यूबर	सी
133.	3-13-13	डायोस्कोरिया कायनेन्निस उपजाति रोटून्डा	ग्वेना कंद	ट्यूवर	सी
134.		डायोस्कोरिया एस्कुलेन्टा	लेस्सर कंद	ट्यूबर	सी
135.		आइपोमिया बटाटस	शकरकंद	द्यूंबर जड़	सी
136.a		मनिहोत एस्कुलेन्टा	कसावा	ट्यूबर जड़	सी
136.b		मनिहोत एस्कुलेन्टा	कसावा	तना	सी
137.	17.5	मारान्टा एरून्टीफोलियूस	अरारोट	ट्यूबर जड़	सी
138.		मेट्रोजायलोन सागू	सागो	पीथ	सी
139.		पैचिराइजस इरोसस	मिश्रीकंद	जड़	सी
140.		प्लेक्टेरेन्थ्स रोटून्डिफोलियस	कोलीयस आलू	ट्यूबर जड़	सी
141.		सोलेनम ट्यूबरोसम	आलू	ट्यूबरस तना	सी
111	XVI. जड़ीय फसलें				सी
142.a		एपियम ग्रेवियोलेन्स प्रभेद रापिसियम	सिलेरी	जड़ कंद	सी
142.b		एपियम ग्रेवियोलेन्स प्रभेद रापिसियम	सिलेरी	सम्पूर्ण पौधा	सी
143.a		विटा वुल्गेरिस प्रभेद रूब्रा	चुकंदर	जड़ ट्यूबर	सी
143.b		बिटा वुल्गेरिस प्रभेद रूब्रा	चुकंदर	सम्पूर्ण पौधा	सी
	XVII. फल				सी
144.		एक्टीनिडिया चाइनेन्सिस	कीवी फल	फल	सी
145.		अनानस कोमोसूस	अनानास	फल	सी
146.a		एनोना रेटिकुलाटा	शरीफा / रामफल	फल	सी
146.b		एनोना रेटिकुलाटा	शरीफा / रामफल	छाल	सी
146.c		एनोना रेटिकुलाटा	शरीफा / रामफल	पत्तियाँ	सी
147.		एनोना स्क्वेमोसा	शरीफा / रामफल	फल	सी
148.a		आर्टीकार्पस हेटरोफायलस	कटहल	फल	सी

131.a		Colocasia esculenta	Taro (Arvi)	Corm	С
31.b		Colocasia esculenta	Taro (Arvi)	Rhizome	С
132.		Dioscorea alata	Guyana arrowroot/ Ratalu/ Violet Yam	Tuber	С
133.		Dioscorea cayennensis subsp. rotundata	Guinea Yam	Tuber	С
134.		Dioscorea esculenta	Lesser Yam	Tuber	C
135.		Ipomoea batatas	Sweet Potato/ Shakarkand	Tuberous Root	С
136.a		Manihot esculenta	Tapioca/Cassava	Tuberous Root	С
136.b		Manihot esculenta	Tapioca/Cassava	Stem	С
137.		Maranta arundinacea	Arrowroot	Root tuber	С
138.		Metroxylon sagu	Sago	Pith	C
139.		Pachyrhizus erosus	Jicama/ Mishrikano	d Root	C
140.		Plectranthus rotundifolius	Hausa Potato, Coleus potato, Country potato	Root tuber	С
141.		Solanum tuberosum	Potato	Tuberous stem	С
	XVI. Root Crops				
142.a		Apium graveolens var. rapeceum	Celeriac	Root bulb	С
142.b		Apium graveolens	Celeriac	Whole Plant	С
		var.rapeceum			
143.a		Beta vulgaris var. rubra	Garden beet	Root Tuber	С
143.b		Beta vulgaris var. rubra	Garden beet	Whole Plant	С
	XVII. Fruit Crops				
144.		Actinidia chinensis	Kiwi Fruit	Fruit	С
145.		Ananas comosus	Pineapple	Fruit	C
146.a		Annona reticulata	Custard Apple /Ramphal	Fruit	С
146.b		Annona reticulata	Custard Apple /Ramphal	Bark	С
146.c		Annona reticulata	Custard Apple	Leaf	С
			/Ramphal	100000	
-		Annona squamosa	Custard apple	Fruit	С
147.	1	rumona aquamoda	o dottor o appro	1 June	

146.b	एनोना रेटिकुलाटा	शरीफा / रामफल	छाल	सी
146.c	एनोना रेटिकुलाटा	शरीफा / रामफल	पत्तियाँ	सी
147.	एनोना स्क्वेमोसा	शरीफा / रामफल	फल	सी
148.a	आर्टीकार्पस हेटरोफायलस	कटहल	फल	सी
148.b	आर्टीकार्पस हेटरोफायलस	कटहल	यीज	सी
148.c	आर्टीकार्पस हेटरोफायलस	कटहल	पत्तियाँ	सी
148.d	आर्टीकार्पस हेटरोफायलस	कटहल	पल्प	सी
149.a	आर्टोकार्पस इन्सीसस	ब्रेड फल	फल	सी
149.b	आर्टीकार्पस इन्सीसस	ब्रेड फल	वीज	सी
150.	एवरोहोया कैरमबोला	तारा फल	फल	सी
151.a	कैरिका पापाया	पपीता	1,000,000	सी
151.b	केरिका पापाया	50.05761	फल	
152.a	कैरिस्सा कारान्डस	पपीता	वीज	सी
152.b	कैरिस्सा कारान्डस	करौंदा	फल	एम
153.a		करौंदा	वीज	एम
	कैरिया इलिनोनेन्सिस	पीकन नट	नट	सी
153.b	कैरिया इलिनोनेन्सिस	पीकन नट	यीज	सी
154.	सिट्रस आरियेन्टिफोलिया	नींबू कागजी	फल	सी
155.	सिट्रस लेटिफोलिया	नींबू	फल	सी
156.	सिट्रस लिमोन	नींवू	फल	सी
157.	सिट्रस नोविलिस	किन्तू	फल	सी
158.	सिट्रस लेटिकुलाटा	मंदारिन	फल	सी
159.	सिट्रस सायनेन्सिस	मीठा संतरा	फल	सी
160.a	कोरिलस कालूरना	हेजल नट		सी
160.b	कोरिलस कालूरना		फल	सी
161.	सायडोनिया आब्लोंगा	हेजल नट	नट	
162.	ड्यूरियो जिबेथिनस	श्रीफल	फल	सी
163.a	इलियोकेरिस डलसिस	ड्यूरियॉन	फल	सी
63.b		सिंगोडा	फल	सी
	इलियोकैरिस डलिसस	सिंगोडा	नट	सी
64.	इरियोबोट्राया जैपोनिका	लोकाट	फल	सी
65.a	फाइकस कैरिका	अंजीर	फल	सी

146.b	Annona reticulata	Custard Apple /Ramphal	Bark	С
146.c	Annona reticulata	Custard Apple	Leaf	С
		/Ramphal		
147.	Annona squamosa	Custard apple	Fruit	C
148.a	Artocarpus heterophyllus	Jackfruit/Kathal	Fruit	С
948.b	Artocarpus heterophyllus	Jackfruit/Kathal	Seed	С
148.c	Artocarpus heterophyllus	Jackfruit/Kathal	Leaf	С
148.d	Artocarpus heterophyllus	Jackfruit/Kathal	Pulp	C
149.a	Artocarpus incisus	Breadfruit	Fruit	С
149.b	Artocarpus incisus	Breadfruit	Seed	С -
150.	Averrhoa carambola	Carambola/ Star	Fruit Fruit	С
151.a	Carica papaya	Papaya	Fruit	С
151.b	Carica papaya	Papaya	Seed	С
152.a	Carissa carandas	Karanda/Currants	Fruit	M
152.b	Carissa carandas	Karanda/Currants	Seed	M
153.a	Carya illinoinensis	Pecan nut	Nut	С
	Carya illinoinensis	Pecan nut	Seed	С
153.b	Citrus aurantiifolia	Lime	Fruit	С
154.	Citrus aurantinona Citrus latifolia Leemo/Tahiti	Lime	Fruit	С
155.		Lemon	Fruit	С
156.	Citrus limon	Kinnow	Fruit	С
157.	Citrus nobilis	Mandarin	Fruit	С
158.	Citrus reticulata	Sweet orange	Fruit	С
159.	Citrus sinensis	Hazel nut	Fruit	С
160.a	Corylus colurna	Hazel nut	Nut	С
160.b	Corylus colurna	Quinces	Fruit	C
161,	Cydonia oblonga	Durian	Fruit	С
162.	Durio zibethinus	Singoda	Fruit	C
163.a	Eleocharis dulcis	Singoda	Nut	С
163.b	Eleocharis dulcis	Loquat/Japonica	Fruit	С
164.	Eriobotrya japonica	Common fig/Angir	Fruit	С
165.a	Ficus carica	00		

165.b	फाइकस कैरिका	अंजीर	पत्तियाँ	सी
166.	फ्रागेरिया अनानासा	स्ट्रावेश	फल	सी
167.a	गारसिनिया मैन्गोस्टाना	मंगोस्टीन	फल	सी
167.b	गारसिनिया मैन्गोस्टाना	मंगोस्टीन	वीज	सी
168.a	ग्रिविया एशियाटिका	फलशा	फल	सी
168.b	ग्रिविया एशियाटिका	फलशा	पत्तियाँ	सी 🦓
168.c	ग्रिविया एशियाटिका	फलशा	जड़	सी
168.d	ग्रिविया एशियाटिका	फलशा	छाल	सी
168.e	ग्रिविया एशियाटिका	फलशा	वीज	एम
169.a	जुगलंस रेजिया	अखरोट	पत्तियाँ	सी
169.b	जुगलंस रेजिया	अखरोट	वीज	सी
169.c	जुगलंस रेजिया	अखरोट	फल	सी
170.	लिची चाइनेन्सिस	लिची	फल	सी
171.	मैलस डोमेस्टीका	सेव	फल	
172.	मैनाफेरा इंडिका	आम	फल	सी
173.	 मिलकारा जैपोटा (उपजाति एक्रस सैपोटा) 	चीकू	फल	सी
174.a	मूसा पेराडिजिएका	केला	फल	सी
174.b	मूसा पेराडिजिएका	केला	पत्तियाँ	सी
174.c	मूसा पेराडिजिएका	केला	जड़ कंद	सी
174.d	मूसा पेराडिजिएका	केला	सम्पूर्ण पौधा	सी
175.a	नेफिलियम लप्पसियम	रमबुटान / लिची	फल	सी
175.b	नेफिलियम लप्पसियम	रमबुटान / लिची	तना	सी
175.c	नेफिलियम लप्पसियम	रमबुटान / लिची	छाल	सी
175.d	नेफिलियम लप्पसियम	रमबुटान / लिची	जड़	सी
176.	ओलिया यूरोपिया	जैतून	फल	सी
177.	पास्सिफ्लोरा इडूलिस	पैसन फल	फल	
178	पर्सिया अमेरिकाना	नाशपाती	फल	सी
179.	फोयनिक्स डेक्टीलिफेरा	खजूर	फल	सी
180.	फायलेंथस इम्बलिका	आंवला	फल	एम
		1		Control of the Contro

165.b	Ficus carica	Common fig/Angir	Leaf	C
166.	Fragaria ananassa	Strawberry	Fruit	С
67.a	Garcinia mangostana	Mangosteen	Fruit	С
167.b	Garcinia mangostana	Mangosteen	Seed	С
168.a	Grewia asiatica	Phalsa	Fruit	M
168.b	Grewia asiatica	Phalsa	Leaf	С
168.c	Grewia asiatica	Phalsa	Root	С
168.d	Grewia asiatica	Phalsa	Bark	C
168.e	Grewia asiatica	Phalsa	Seed	M
169.a	Juglans regia	Walnut	Leaf	C
169.b	Juglans regia	Walnut	Seed	C
169.c	Juglans regia	Walnut	Fruit	С
170.	Litchi chinensis	Lichee/Litchi	Fruit	С
171.	Malus domestica	Apple	Fruit	С
172.	Mangifera indica	Mango	Fruit	С
173.	Manilkara zapota (Syn. Achras sapota)	Cheeku/Sapote	Fruit	С
174.a	Musa paradisiaca	Banana	Fruit	C
174.b	Musa paradisiaca	Banana	Leaf	С
174.c	Musa paradisiaca	Banana Root	Tuber	С
174.d	Musa paradisiaca	Banana	Whole Plant	С
175.a	Nephelium lappaceum	Rambutan/Lichi	Fruit	С
175.b	Nephelium lappaceum	Rambutan/Lichi	Shoot	С
175.c	Nephelium lappaceum	Rambutan/Lichi	Bark	С
175.d	Nephelium lappaceum	Rambutan/Lichi	Root	С
176.	Olea europaea	Olive	Fruit	С
177.	Passiflora edulis	Passion Fruit	Fruit	С
178.	Persea americana	Avacado/Pear	Fruit	С
179.	Phoenix dactylifera	Dates	Fruit	С
180.	Phyllanthus emblica	Aamla	Fruit	M

181.		प्रूनस एमायग्डेलस	वादाम	फल	सी
182.a		प्रूनस अरमेनिएका	खुवानी	फल	
182.b		प्रूनस अरमेनिएका	खुवानी	यीज	सी
183.		प्रूनस एवियूम	चेरी	फल	सी
184.		प्रूनस डोमेस्टीका	प्लम	फल	सी
185.		प्रूनस परसिका	आडू	» फल	सी
186.		प्रूनस सालिसिना	प्लम	फल	सी
187.		सिडियम ग्वाजावा	अमरूद	फल	सी
188.a		पूनिका ग्रानेटम	अनार	फल	सी
188.b		पूनिका ग्रानेटम	अनार	वीज	सी
189.		पायरस कोम्मूनिस	सामान्य नाशपाती	फल	सी
190.		राइवस जाति	कुरंट	फल	सी
191.		रूवस जाति	रसवेरी	फल	सी
192.a		सिजाईजियम क्यूमिनी	जामुन	फल	एम
192.b		सिजाईजियम क्यूमिनी	जामुन	यीज	एम
193.		सिजाईजियम जैम्बोस	मालावार प्लम	फल	सी
194.		वेक्सीनियम जाति	क्रानवेरी	फल	सी
195.		विटिस विनिफेरा	अंगूर	फल	सी
196.		जिजिफस मोरिसियाना	वेर	फल	एम
	XVIII. पुष्पीय एवं सजावटी फसलें				सी
197.		एल्पीनिया पुरपुराटा	लाल जिन्जर	पुष्प शीर्ष	सी
198.a		एत्थूरियम जाति	एन्धूरियम	पुष्प शीर्ष	सी
198.b		एत्थूरियम जाति	एन्थूरियम	वीज	सी
199.a		ऐन्टिराइहनम जाति	स्नैपड्रेगन	पुष्प शीर्ष	सी
199.b		ऐन्टिराइहनम जाति	स्नैपड्रेगन	सम्पूर्ण पौधा	सी
200.a		कालेन्डूला ऑफिसिनालिस	कालेन्डूला	तैवा	सी
200.b		कालेन्डूला ऑफिसिनालिस	कालेन्डूला	बीज	सी
201.a		क्राइसेन्थिमम इंडिकम	वार्षिक क्राइसेन्थिमम	पुष्प शीर्ष	सी

201.a		Chrysanthemum indicum	Annual chrysan- themum	Flower Head	С
200.b		Calendula officinalis	Calendula	Seed	С
200.a		Calendula officinalis	Calendula	Flower	С
199.b		Antirrhinum spp.	Snapdragon	Whole Plant	C
199.a		Antirrhinum spp.	Snapdragon	Flower head	С
198.b		Anthurium spp.	Anthurium	Seed	С
198.a		Anthurium spp.	Anthurium	Flower head	С
197.		Alpinia purpurata	Red ginger	Flower head	C
107	XVIII. Flower crops & Ornamentals	Aloisia pussusata	Dod sives	Clause	
196.		Ziziphus mauritiana	Jujube/Ber	Fruit	M
195.		Vitis vinifera	Grapes	Fruit	С
194.		Vaccinium spp.	Cranberry	Fruit	С
193.		Syzygium jambos	Malabar Plum	Fruit	С
192.b		Syzygium cumini	Jambul/Jamun	Seed	M
192.a		Syzygium cumini	Jambul/Jamun	Fruit	M
191.		Rubus spp.	Raspberry	Fruit	С
190.		Ribes spp.	Currant	Fruit	C
189.		Pyrus communis	Common Pear	Fruit	C -
188.b		Punica granatum	Anar/Pomegranate	Seed .	С
188.a		Punica granatum	Anar/Pomegranate	Fruit	С
187.		Psidium guajava	Amrud/Guava	Fruit	С
186.		Prunus salicina	Plum	Fruit	С
85.		Prunus persica	Peaches	Fruit	С
84.		Prunus domestica	Plum	Fruit	С
83.		Prunus avium	Cherry	Fruit	С
82.b		Prunus armeniaca	Apricot/ Khubani	Kernel/Seed	С
82.a		Prunus amygdalus Prunus armeniaca	Apricot/ Khubani	Fruit	С

201.b	क्राइसेन्थिमम इंडिकम	वार्षिक क्राइसेन्थिमम	जड़	सी
201.c	क्राइसेन्थिमम इंडिकम	वार्षिक क्राइसेन्धिमम	सम्पूर्ण पौधा	सी
202.	कोंडियम वेरिगेटम	क्रोटोन	सम्पूर्ण पौधा	सी
203.a	कोरियोप्सिस लेन्सियोलाटा	कोरियोप्सिस	पुष्प	सी
203.b	कोरियोप्सिस लेन्सियोलाटा	कोरियोप्सिस	वीज	सी
204.a	कोरियोप्सिस टिंक्टोरिया	कोरियोप्सिस	तेल	सी
204.b	कोरियोप्सिस टिंक्टोरिया	कोरियोप्सिस	वीज	सी
205.a	कोसमोस वाइपिन्नाटस	कोसमोस	पुष्प	सी
205.b	कोसमोस वाइपिन्नाटस	कोसमोस	वीज	सी
206.a	क्रोस्साएन्ड्रा जाति	क्रोस्साएन्ड्रा	पुष्प	सी
206.b	क्रोस्साएन्ड्रा जाति	क्रोस्साएन्ड्रा	वीज	सी
207.	डायएफेन्वाचिया जाति	डायएफेन्वाचिया	सम्पूर्ण पौधा	सी
208.a	डायमोर्फोथिका आरिऐन्टेल	अफ्रिकन डेजी	पुष्प	सी
208.b	डायमोफॉथिका आरिऐन्टेल	अफ्रिकन डेजी	वीज	सी
209.a	एशिसोल्जीया कार्लिफोर्निका	कैलिफोर्निया अफिम	पुष्प	सी
209.b	. एशिसोल्जीया कार्लिफोर्निका	कैलिफोर्निया अफिम	वीज	सी
210.a	गजानिया स्पलेन्डेन्स	गजानिया	तेव्य	सी
210.b	गजानिया स्पलेन्डेन्स	गजानिया	वीज	सी
211.a	जरवेरा जाति	जरवेरा	पुष्प शीर्ष	सी
21 l.b	जरवेरा जाति	जरवेरा	वीज	सी
212.a	ग्लेडियोलस जाति	ग्लेडियोलस	पुष्प शीर्ष	सी
212.b	ग्लेडियोलस जाति	ग्लेडियोलस	सम्पूर्ण पौधा	सी
213.a	हेलिऐन्थस जाति	सूर्यमुखी	पुष्प शीर्ष	सी
213.b	हेलिऐन्थस जाति	सूर्यमुखी	बीज	सी
214.	हेलिकोनिया जाति	हेलिकोनिया	पुष्प शीर्ष	सी
215.a	हेलिक्रायसम ब्रेक्टीऐटम	पेपर पुष्प	तेल	सी
215.b	हेलिक्रायसम ब्रेक्टीऐटम	पेपर पुष्प	वीज	सी
216.a	जेसमिनम जाति	जेसमिन	ded	सी
216.b	जेसमिनम जाति	जेसमिन	दलपुंज	सी
217.	कैलोन्चे जाति	कैलोन्चे	सम्पूर्ण पौघा	सी

201.b	Chrysanthemum indicum	Annual chrysan- themum	Root	С
201.c	Chrysanthemum indicum	Annual chrysan- themum	Whole Plant	С
202.	Codiaeum variegatum	Croton	Whole Plant	С
203.a	Coreopsis lanceolata	Coreopsis	Flower	C
203.b	Coreopsis lanceolata	Coreopsis	Seed	С
204.a	Coreopsis tinctoria	Coreopsis	Flower	С
204.b	Coreopsis tinctoria	Coreopsis	Seed	C
205.a	Cosmos bipinnatus	Cosmos	Flower	С
205.b	Cosmos bipinnatus	Cosmos	Seed	C
206.a	Crossandra spp.	Crossandra	Flower	C
206.b	Crossandra spp.	Crossandra	Seed	С
207.	Dieffenbachia spp.	Diffenbachia	Whole Plant	С
208.a	Dimorphotheca orientale	African daisy	Flower	С
208.b	Dimorphotheca orientale	African daisy	Seed	С
209.a	Eschscholzia californica	Californica poppy	Flower	С
209.b	Eschscholzia californica	Californica poppy	Seed	С
210.a	Gazania splendens	Gazinia	Flower	С
210.b	Gazania splendens	Gazinia	Seed	С
211.a	Gerbera spp.	Gerbera Flower	head	С
211.b	Gerbera spp.	Gerbera	Seed	С
212.a	Gladiolus spp.	Gladiolus	Flower head	С
212.b	Gladiolus spp.	Gladiolus	Whole Plant	С
213.a	Helianthus spp.	Ornamental sunflower	Flower head	С
213.b	Helianthus spp.	Ornamental sunflower	Seed	С
214.	Heliconia spp.	Heliconia	Flower head	С
215.a	Helichrysum bracteatum	Paper flower	Flower	С
215.b	Helichrysum bracteatum	Paper flower	Seed	С
216.a	Jasminum spp.	Jasmine	Flower	С
216.b	Jasminum spp.	Jasmine	Petal	С
217.	Kalanchoe spp.	Kalanchoe	Whole Plant	С

218.	लिलियम एशियाटिकम	एशियाटिक लिलि	dad	सी
219.	लिलियम लोन्गिपलोरम	इस्टर लिलि	dat	
220.a	मेसेम्ब्रायान्धेमम जाति	आइस प्लांट	ded	
220.b	मेसेम्ब्रायान्थेमम जाति	आइस प्लांट	वीज	सी
221.a	पपावर रोहियास	मक्का अफीम	पुष्प	सी
22 l.b	पपावर रोहियास	मक्का अफीम	बीज	सी
222.a	पिटूनिया हाइब्रिड	पिटूनिया	तेल	सी
222.b	पिटूनिया हाइब्रिड	पिटूनिया	बीज	सी
223.b	पिटूनिया जाति	पिटूनिया	पुष्प शीर्ष	सी
224.a	फ्लोक्स ड्रमींडाई	पलोक्स	तेवा	सी
224.b	पलोक्स ड्रमोंडाई	पलोक्स	वीज	सी
225.a	रोजा डामास्केना	डामास्क रोज	पुष्प	सी
225.b	रोजा डामास्केना	डामास्क रोज	पत्तियां	सी
226.a	रोजा हाइब्रिडा	गुलाव	पुष्प	सी
226.b	रोजा हाइब्रिडा	गुलाव	पत्तियां	सी
227.	टेजेटेस जाति	गेंदा	पुष्प शीर्ष	सी
228.a	्रोपेयोलम मैजस	जलकुंभी वनस्पति	पुष्प	सी
228.b	ट्रोपेयोलम मैजस	जलकुंभी वनस्पति	वीज	सी
229.a	स्ट्रीलिटजिया जाति	वर्ड ऑफ पैराडाइस	तेब्र	सी
229.b	स्ट्रीलिटजिया जाति	वर्ड ऑफ पैराडाइस	समग्र पौधा	सी
230.a	वरवेना हाइब्रिडा	वरवेन जाति का पौधा	पुष्प	सी
230.b	वरवेना हाइब्रिडा	वरवेन जाति का पौधा	वीज	सी
231.a	पोलियेंथेस टयूबेरोजा	रजनीगंधा	पुष्प	सी
23 l.b	पोलियेंथेस टयूबेरोजा	रजनीगंधा	वीज	सी
232.	डायेन्थस केरियोफाइलस	गुलाबी लौंग	तेल	सी
233.a	केल्लिसट्रेफस चाइनेंसिस	चाइना एस्टर	Aed	सी
233.b	केल्लिसट्रेफस चाइनेंसिस	चाइना एस्टर	बीज	सी

13

218.	Lilium asiaticum	Asiatic Lily	Flower	C
219.	Lilium longiflorum	Easter Lily	Flower	С
220.a	Mesembryanthemum spp.	Ice Plant	Flower	C
220.b	Mesembryanthemum spp.	Ice Plant	Seed	C
221.a	Papaver rhoeas	Corn poppy	Flower	С
221.b	Papaver rhoeas	Corn poppy	Seed	C =
222.a	Petunia hybrid	Petunia	Flower	С
222.b	Petunia hybrid	Petunia	Seed	С
223.a	Petunia spp.	Petunia Flower	Head	С
223.b	Petunia spp.	Petunia	Whole Plant	С
224.a	Phlox drumondii	Phlox	Flower	- C
224.b	Phlox drumondii	Phlox	Seed	C
225.a	Rosa damascena	Damask	Rose Flower	С
225.b	Rosa damascena	Damask	Rose Petals	С
226.a	Rosa hybrid	Rose	Flower	С
226.b	Rosa hybrid	Rose	Petals	С
227.	Tagetes spp.	Marigold	Flower head	С
228.a	Tropaeolum majus	Nasturtium	Flower	С
228.b	Tropaeolum majus	Nasturtium Seed C		
229.a	Strelitzia spp.	Bird of paradise	Flower	С
229.b	Strelitzia spp.	Bird of paradise	Whole Plant	С
230.a	Verbena hybrida	Verbena	Flower	С
230.b	Verbena hybrida	Verbena	Seed	С
231.a	Polianthes tuberosa	Tuberose/ Rajnigandha	Flower	C
231.b	Polianthes tuberosa	Tuberose/ Rajnigandha	Seed	С
232.	Dianthus caryophyllus	Carnation/ Clove	Pink Flower	С
233.a	Callistephus chinensis	Aster/ China Aster	Flower	С
233.b	Callistephus chinensis	Aster/ China Aster	Seed	C

	XIX. औषधी पौधे				सी
234.		एवेलमौस्कम मॉसकेटस	मस्कदाना	वीज	सी
235.a		अकेशिया निलोटिका	वयूल	पत्ती	एम
235.b		अकेशिया निलोटिका	ववूल	गोंद	एम
235.c		अकेशिया निलोटिका	वबूल	छाल	-9) सी
236.a		एकाइरेंथेस एस्पेरा	अपामारगा	समग्र पौध	एम
236.b		एकाइरेंथेस एस्पेरा	अपामारगा	फल	एम
236.c		एकाइरेंथेस एस्पेरा	अपामारगा	जङ	एम
237.		एकोरस केलामस	वाच	प्रकन्द	सी
238.	-	एलोय वेरा	एलोय	पत्ती	सी
239.		एलिपनिया केलकारटा	<u>આર્થા</u>	प्रकन्द	सी
240.a		एल्टेरनेन्थेरा सेसाइलिस	मेटसियाकसी	वायवीय अंश	एम
240.b		एल्टेरनेन्थेरा सेसाइलिस	मेटसियाकसी	समग्र पौधा	सी
241.		एम्मी मैजस	विसप्स वीड	फल	सी
242.a		आर्टिमिसिया एनुआ	एफसैनटिन	वायवीय अंश	सी
242.b	***	आर्टिमिसिया एनुआ	एफसैनटिन	समग्र पौधा	सी
243.a		आर्टिमिसिया निलगिरिका	दवाना	dat	• सी
243.b		आर्टिमिसिया निलगिरिका	दवाना	समग्र पौधा	सी
244.a		आर्टिमिसिया पैलेन्स	धावनम	पत्ती	सी
244.b		आर्टिमिसिया पैलेन्स	धावनम	तुष्प	सी
245.a		एट्रोफा बेल्लाडोना	बेलेडोना	पत्ती	सी
245.b		एट्रोफा बेल्लाडोना	वेलेडोना	जड़	सी
246.a		ऐजाडिरक्टा इंडिका	नीम	पत्ती	सी
246.b		ऐजाडिरक्टा इंडिका	नीम	जड	एम
247.		वेकोपा मोन्नेरी	निरब्राही	समग्र पौधा	एम
248.		वेसेला एल्वा	भारतीय शाक	पत्ती	सी
249.a		वोरहेविया डिफ्यूया	पुनर्रनवा	<u></u> जड	एम
249.b		बोरहेविया डिफ्यूया	पुनर्रनवा	समग्र पौधा	एम
250.		व्रैसिका नाइग्रा	सरसो	वीज	सी
251.		सिंजलिपनिया सैपन	पाथीमुखम	हार्ट वुड	सी

	XIX. Medicinal Plants (incl. medicinal crops and aromatic plants)				
234		Abelmoschus moschatus	Mushkdana	Seed	С
235.a		Acacia nilotica	Babul	Leaf	M
235.b		Acacia nilotica	Babul	Gum	M
235.c		Acacia nilotica	Babul	Bark	- C
236.a		Achyranthes aspera	Apamarga	Whole Plant	M
236.b		Achyranthes aspera	Apamarga	Fruit	М
236.c		Achyranthes aspera	Apamarga	Root	M
237.		Acorus calamus	Vach	Rhizome	С
238.		Aloe vera	Aloe	Leaf	С
239.		Alpinia calcarata	Aratha	Rhizome	С
240.a		Alternanthera sessilis	Matsyakshi	Aerial part	M
240.b		Alternanthera sessilis	Matsyakshi	Whole Plant	С
241.		Ammi majus	Bishop's weed	Fruit	С
242.a		Artemisia annua	Afsanteen	Aerial part	С
242.b		Artemisia annua	Afsanteen	Whole Plant	С
243.a		Artemisia nilgirica	Davana	Flower	С
243.b		Artemisia nilgirica	Davana	Whole Plant	С
244.a		Artemisia pallens	Dhavanam	Leaf	С
244.b		Artemisia pallens	Dhavanam	Flower	С
245.a		Atropha belladonna	Belladona	Leaf	С
245.b		Atropha belladonna	Belladona	Root	С
246.a		Azadirachta indica	Neem	Leaf	С
246.b		Azadirachta indica	Neem	Fruit	M
247.		Bacopa monnieri	Nirbrahmi	Whole Plant	M
248.		Basella alba	Indian saag	Leaf	С
249.a		Boerhavia diffusa	Punamava	Root	M
249.b	-	Boerhavia diffusa	Punarnava	Whole Plant	M
250.		Brassica nigra	Sarso	Seed	С
251.		Caesalpinia sappan	Pathimukham	Heart wood	С

252.	कैलोट्रोपिस जैजेन्सिया	आख फूल	पुष्प	एम
253.a	कैलोट्रोपिस प्रोसेरा	आख	पत्ती	एम
253.b	कैलोट्रोपिस प्रोसेरा	आख	लेटेक्स	एम
254.a	कैसिया फिस्टुला	अमलताश फली	पुष्प	एम
254.b	कैसिया फिस्टुला	अमलताश फली	फल	एम
254.c	कैसिया फिस्टुला	अमलताश फली	छाल	सी
255.a	कैसिया टोरा	चकोदा वीज	फल	एम
255.b	कैसिया टोरा	चकोदा वीज	यीज	्र ⁹ एम
255.c	कैसिया टोरा	चकोदा वीज	पत्ती	एम
256.a	कैथारेन्थस रोसियस	सदावहार	जड़	सी
256.b	कैथारेन्थस रोसियस	- पत्ती	पत्ती	सी
257.a	सेंटेला एशियाटिका	ब्राहमी	पत्ती	एम
257.b	सेंटेला एशियाटिका	ब्राहमी	समग्र पौधा	एम
258.a	सेफालिस इपिकाकुन्हा	इपेक	जड़	सी
258.b	सेफालिस इपिकाकुन्हा	इपेक	प्रकन्द	सी
259.	सेसट्रम डाइयूरनम	दिन का राजा	पत्ती	सी
260.	क्लोरोफाइटम बोरिविलियान	म मूसली	जड़ नली	सी
261.	ः क्राइसनथिमम पार्थेनियम	फियर फियु	पत्ती	सी
262.	क्राइसोपोगन जिजानियोडिस	। खसखस	जड़	सी
263.a	साइकोरियम इनटीवस	कसनी	वीज	सी
263.b	साइकोरियम इनटीयस	कसनी	पुष्प	सी
263.c	साइकोरियम इनटीवस	कसनी	पत्ती	सी
264.	साइसस क्वाड्रेगुलेरिस	हाथजोड़ी	तना	एम
265.a	सिटुलस कोलोसिंथिस	इंद्रायन	फल	एम
265.b	सिटुलस कोलोसिंथिस	इंद्रायन	जड़	एम
266.	क्रोटोन टीग्लियम	जमाल घोटा	यीज	सी
267.	कुर्कुमा एंगस्टीफोलिया	एरारूट	प्रकन्द	सी
268.	कुर्कुमा जिडोरिया	काचर	प्रकन्द	सी
269.	कस्कुटारिफलेक्सा	अमर बेल	समग्र पौधा	एम
270.	सिम्बोपोगन सिट्राटसं	लेमन घास	पत्ती	एम

252.	Calotropis gigantea	Akh phool	Flower	M
253.a	Calotropis procera	Akh	Leaf	M
253.b	Calotropis procera	Akh	Latex	M
254.a	Cassia fistula	Amalthasphali	Flower	M
254.b	Cassia fistula	Amalthasphali	Fruit	M
254.c	Cassia fistula	Amalthasphali	Bark	C
255.a	Cassia tora	Chakoda	Beeja Fruit	M
255.b	Cassia tora	Chakoda	Beeja Seed	M
255.c	Cassia tora	Chakoda	Beeja Leaf	M
256.a	Catharanthus roseus	Sadabahar	Root	C
256.b	Catharanthus roseus	Leaf	Leaf	С
257.a	Centella asiatica	Brahmi	Leaf	M
257.b	Centella asiatica	Brahmi	Whole Plant	M
258.a	Cephalis ipecacuanha	Ipecac	Root	C
258.b	Cephalis ipecacuanha	Ipecac	Rhizome	С
259.	Cestrum diurnum	Din ka raja	Leaf	С
260.	Chlorophytum borivilianum	Musali	Root tuber	С
261.	Chrysanthemum parthenium	Fewer few	Leaf	С
262.	Chrysopogon zizanioides	Khuskhus, Usira	Root	C
263.a	Cichorium intybus	Kasani	Seed	С
263.b	Cichorium intybus	Kasani	Flower	C
263.c	Cichorium intybus	Kasani	Leaf	С
264.	Cissus quandragularis	Hathajodi	Stem	M
265.a	Citrullus colocynthis	Indrayan	Fruit	M
265.b	Citrullus colocynthis	Indrayan	Root	M
266.	Croton tiglium	Jamal Ghota	Seed	C
267.	Curcuma angustifolia	Arrow Root/Tikhur	Rhizome	С
268.	Curcuma zedoaria	Kachur	Rhizome	С
269.	Cuscuta reflexa	Amar bel	Whole Plant	М
270.	Cymbopogon citratus	Lemongrass	Leaf	M

271.	सिम्बोपोगन पलेक्सोसस	लेमन घास	समग्र पौधा	सी
272.a	सिम्बोपोगनमार्टिनी	अदरक घास	पुष्प शीर्ष	सी
272.b	सिम्बोपोगनमार्टिनी	अदरक घास	पत्ती	एम
272.c	सिम्बोपोगनमार्टिनी	अदरक घास	तना	सी
273.	सिम्बोपोगन विंटरियानस	सिट्रोनेला	पत्ती ,	सी
274.	साइपेरस रोटैंडस	नाग मौथा	जङ	एम
275.	साइपेरस स्केरियोसस	नाग मीथा	অঙ	एम
276.a	डिजिटैलिस लेनाटा	फक्स ग्लोव	फली	सी
276.b	डिजिटैलिस लेनाटा	फक्स ग्लोव	समग्र पौधा	सी
276.c	डिजिटैलिस लेनाटा	फक्स ग्लोव	यीज	सी
277.	डाइस्कोरिया पलोरीबुंडा	यम	जड़	सी
278.	इकलीप्टा प्रोसट्राटा	भूंगराज	समग्र पौधा	एम
279.a	यूक्लेपटस सिटरीडोरा	यूक्लेपिटस	पत्ती	सी
279.b	यूक्लेपटस सिटरीडोरा	यूक्लेपिटस	काष्ठ	सी
280.a	यूक्लेपटस ग्लोब्यूलस	यूक्लेपिटस	पत्ती	सी
280.b	यूक्लेपटस ग्लोब्यूलस	यूक्लेपिटस	काष्ट	सी
281.	इवोलवुलस एल्सीनोयडिस	शंख पुष्पी	समग्र पौधा	एम
282.a	ग्लोसियम फ्लेवम	समुद्री खसखस	पत्ती	सी
282.b	ग्लोसियम फ्लेवम	समुद्री खसखस	पुष्प	सी
282.c	ग्लोसियम फ्लेवम	समुद्री खसखस	वीज	सी
283.a	ग्लोरियोसा सुपर्वा	कलिहारी	जड़	सी
283.b	ग्लोरियोसा सुपर्वा	कलिहारी	वीज	सी
284.a	ग्लैसीराइजा ग्लेब्रा	मुलेठी	जङ	सी
284.b	ग्लैसीराइजा ग्लेब्रा	मुलेठी	तना	सी
285.	हेडाइकियम कोरोनारियम	काचर	प्रकन्द	सी
286.	हेडाइकियम स्पाइकाटम	कपूरकचरी	प्रकन्द	सी
287.a	हिविस्कस रोजा-साइनेंसिस	गुडहल	पुष्प	सी
287.b	हिबिस्कस रोजा-साइनेंसिस	गुडहल	जड़	सी
288.	हायोसायमस म्यूटिकस	हेनवेन	पत्ती	सी
289.	इंडिगोफीर टिंकटोरिया	काली मेंहदी	पत्ती	सी

271.	Cymbopogon flexuosus Gavati Chaha	Lemon Grass/ Citronella/	Whole Plant	С
272.a	Cymbopogon martinii	Palmarosa/ Gingergrass	Flower Head	С
270.1	Cymbopogon martinii	Palmarosa/	Leaf	M
272.b	Суньородон таки	Gingergrass		
	O to a soon mortinii	Palmarosa/	Stem	C =
272.c	Cymbopogon martinii	Gingergrass		C
273.	Cymbopogon winterianus	Citronella	Leaf	M
274.	Cyperus rotundus	Nagarmotha	Root	1988
275.	Cyperus scariosus	Nagarmotha	Root	M
276.a	Digitalis lanata	Foxglove/		
MINOVES .	Austrian Digitalis	Hritapatari/	Pods	C -
276.b	Digitalis lanata	Foxglove/ Hritapatari/ Austrian Digitalis	Whole plant	С
276.c	Digitalis Ianata Foxglove/ Hritapatari/	Austrian Digitalis	Seed	С
277.	Dioscorea floribunda	Yam	Root	С
	Eclipta prostrata	Bhringaraj	Whole Plant	M
278	Eucalyptus citriodora	Eucalyptus	Leaf	С
279.a		Eucalyptus	Wood	C
279.b	Eucalyptus citriodora	Eucalyptus	Leaf	С
280.a	Eucalyptus globulus	Eucalyptus	Wood	С
280.b	Eucalyptus globulus	Sankhapushpi	Whole Plant	M
281.	Evolvulus alsinoides	Sea Poppy/ Horn	Poppy Leaf	С
282.a	Glaucium flavum	Sea Poppy/ Horn	Poppy Flower	С
282.b	Glaucium flavum	Sea Poppy/ Horn	Poppy Seed	С
282.c	Glaucium flavum	Kalihari	Root	С
283.a	Gloriosa superba		Seed	C
283.b	Gloriosa superba	Kalihari Athimadhuram/	Root	C
284.a	Glycyrrhiza glabra Liquorice	Mulathi/		C
284.b	Glycyrrhiza glabra	Athimadhuram/ Mulathi/	Stem	-
	Liquorice	Kachur	Rhizome	С
285.	Hedychium coronarium	Kapurkachri	Rhizome	С
286.	Hedychium spicatum	Hibiscus	Flower	С
287.a	Hibiscus rosa-sinensis	Hibiscus	Root	С
287.b	Hibiscus rosa-sinensis	Henbane	Leaf	С
288. 289.	Hyoscyamus muticus Indigofera tinctoria	Black Henna/ Neel/Amari	Leaf	С

290.	इन्यूला रेसीमोसा	पुसकामूल	जड	सी
291.	जेट्रीफा कारकस	रतनजोत	वीज	सी
292.	जस्टीसिया एढाटोडा / एढाटोडा जेलानिका	वसाका	पत्ती	सी
293.	केंपफेरिया ग्लांगा	कचोरा	प्रकन्द	सी
294.	लोसोनिया इनारमिस	मेंहदी	पत्ती	सी
295.	लेपिडियम सेंटीवम	चानसारी आली	वीज	सी
296.	लेप्टाडेनिया रेटीकुलाटा	दुग्धवेल	तना	सी
297.	ल्यूकस एस्पेश	द्रोण पुष्पी	समग्र पौध	एम
298	मेथा आरवेंसिस	पुदिना	पत्ती	सी
299.	मेथा पाइपेरिया	पुदिना	पत्तियां	सी
300.	मेथा स्पाइकाटा	पुदिना	पत्ती	सी
301.	मोरस अल्या	शहतूत	पत्तियां	सी
302.a	नेरियम इंडिकम	कनेर	पत्ती	एम
302.b	नेरियम इंडिकम	कनेर	जड़	सी
302.c	नेरियम इंडिकम	कनेर	छाल	सी
303.	ओसिमम वेसिलिकम	तुलसी	समग्र पौधा	सी
304.a	ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम	काली तुलसी	पत्ती	सी
304.b	ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम	काली तुलसी	वायवीय अंश	सी
305.a	ओरिगेरम मेजोराना	मेजोरम	पत्ती	सी
305.a	ओरिगेरम मेजोराना	मेजोरम	समग्र पौधा	सी
306.	पेपावर सोम्निफेरम	अफीम दाना	वीज	सी
307.	पेडालियम म्यूरेक्स	वड़ा गोखरू	फल	एम
308.a	पेलारगोनियम ग्रेवियोलेंस	जरनियम रोज	पत्ती	सी
308.b	पेलारगोनियम ग्रेवियोलेंस	जरनियम रोज	पुष्प	सी
309.	फाइलेंथस एमारस	भूमि आंवला	समग्र पौधा	एम
310.	पाइपर बिटल	पान पत्ता	पत्ती	सी
31 l.a	पाइपर लोंगम	पिपली / लौंग पिपर	फल	सी
311.b	पाइपर लोंगम	पिपली/लॉंग पिपर	जड़	सी
311.c	पाइपर लोंगम	पिपली / लौंग पिपर	तना	सी
	and the second s			

290.	Inula racemosa	Pushkarmool	Root	С
291.	Jatropha curcas	Nepalam/ Ratanjot Seed		С
292.	Justicia adhatoda	Vasaka (syn. Adhatoda zeylanica)	Leaf	С
293	Kaempferia galangal	Kachora	Rhizome	C
294.	Lawsonia inermis	Henna/Mehndi	Leaf	C
295.	Lepidium sativum	Chansar/ Aali	Seed	C
296.	Leptadenia reticulata	Dhoodabhel	Stems	C
297.	Leucas aspera	Drona pushpi	Whole Plant	M
298.	Mentha arvensis	Field Mint/Pudina	Leaf	С
299.	Mentha piperata	Mint	Leaves -	С
300.	Mentha spicata	Pudina/Spearmint	Leaf	C
301.	Morus alba	Mulberry	Leaves	C
302.a	Nerium indicum	Kaner	Leaf	M
302.b	Nerium indicum	Kaner	Root	С
302.c	Nerium indicum	Kaner	Bark	С
303.	Ocimum basilicum	Tulasi	Whole plant	С
304.a	Ocimum tenuiflorum	Black	Tulasi Leaf	С
304.b	Ocimum tenuiflorum	Black	Tulasi Aerial parts	С
305.a	Oreganum majorana	Marjoram	Leaf	С
305.b	Oreganum majorana	Marjoram	Whole Plant	С
306.	Papaver somniferum	Opium Poppy / Gasagase Seed/	Seed coat	С
307.	Pedalium murex	Bada gokhru	Fruit	M
308.a	Pelargonium graveolens	Geranium	Rose Leaf	С
308.b	Pelargonium graveolens	Geranium	Rose Flower	С
309.	Phyllanthus amarus	Bhumi amla	Whole Plant	M
310.	Piper betel	Betel Leaf	Leaf	С
311.a	Piper longum	Pippali / long pepper	Fruit	С
311.b	Piper longum	Pippali / long pepper	Root	С
311.c	Piper longum	Pippali / long pepper	Stem	С

312.a	प्लेनटागो ओवाटा	इसवगुल	हस्क	सी
12.b	प्लेनटागो ओवाटा	इसवगुल	वीज	सी
313.a	प्लेकट्रेनथास वारवटास/ कोलियस फोर्स कोली	इंडियन कोलेयस	पत्ती	सी
313.b	प्लेकट्रेनथास वारवटास/ कोलियस फोर्स कोली	इंडियन कोलेयस	जड	सी
314.	पोगोस्टेमन कैवलिन	पटचौली 🦻	समग्र पौधा	सी
315.	पोंगामिया पिन्नाटा	करंज	यीज	एम
316.a	रोजमारियानास ऑफिसिनालिस	मेंहदी	पत्ती	सी
316.b	रोजमारियानास ऑफिसिनालिस	मेंहदी	पत्ती	सी
317.	सालवोडोरा पर्सिका	मेसवाक	तना	सी
318.	सेन्ना एलेक्जेनड्रिना	सेना	पत्ती	सी
319.a	साइडा कोर्डिफोलिया	याला	ডাঙ্	एम
319.b	साइडा कोर्डिफोलिया	वाला	फल	एम
319.c	साइडा कोर्डिफोलिया	वाला	वीज	एम
319.d	साइडा कोर्डिफोलिया	वाला	समग्र पौधा	सी
320.a	सीलिवम मारियानम	दुग्ध रोम	पत्ती	सी
320.b	सीलिवम मारियानम	दुग्ध रोम	पत्ती	सी
321.a	साइमोन्डसिया चाइनेंसिस	जोजोवा	वीज	सी
32Kb	साइमोन्डसिया चाइनेंसिस	जोजोवा	वीज	सी
322.a	स्रोलेनम नाइग्रम	काकामाची	फल	एम
322.b	सोलेनम नाइग्रम	काकामाची	जङ	एम
322.c	सोलेनम नाइग्रम	काकामाची	समग्र पौधा	एम
323.a	सोलेनम लेसिनियाटम	कंगारू सेवा	पत्ती	सी
323.b	सोलेनम लेसिनियाटम	कंगारू सेवा	dat	सी
323.C	स्रोलेनम लेसिनियाटम	कंगारू सेवा	बीज	सी
324.a	सोलेनम प्यूवेंसेंस	सुनडाइ काई	पत्ती	एम
324.b	सोलेनम प्यूवेंसेंस	सुनडाइ काई	फल	एम
325.a	सोलेनम वायारम	उष्णकटिबंधीय सोडा सेव	जड़	सी

312.a	Plantago ovata	Isabgul	Husk	C
312.b	Plantago ovata	Isabgul	Seed	С
313.a	Plectranthus barbatus (Syn. Coleus forskohlii)	Indian Coleus	Leaf	С
313.b	Plectranthus barbatus (Syn. Coleus forskohlii)	Indian Coleus	Root	C
314.	Pogostemon cablin	Patchouli	Whole plant	С
315.	Pongamia pinnata	Karanj	Seed	M
316.a	Rosemarianus officinalis	Rosemary	Leaf	C
316.b	Rosemarianus officinalis	Rosemary	Aerial parts	C
317.	Salvodora persica	Meswak	Stem	C
318.	Senna alexandrina	Senna	Leaf	С
319.a	Sida cordifolia	Bala	Root	M
319.b	Sida cordifolia	Bala	Fruit	M
319.c	Sida cordifolia	Bala	Seed	M
319.d	Sida cordifolia	Bala	Whole Plant	M
320.a	Silybum marianum	Milk Thistle	Leaf	С
320.b	Silybum marianum	Milk Thistle	Seed	M
321.a	Simmondsia chinensis	Jojoba	Seed	С
321.b	Simmondsia chinensis	Jojoba	Seed	С
322.a	Solanum nigrum	Kakamachi	Fruit	M
322.b	Solanum nigrum	Kakamachi	Root	M
322.c	Solanum nigrum	Kakamachi	Whole Plant	M
323.a	Solanum laciniatum	Kangaroo apple	Leaf	C
323.b	Solanum laciniatum	Kangaroo apple	Flower	С
323.c	Solanum laciniatum	Kangaroo apple	Seed	С
324.a	Solanum pubescens	Sundai kaai	Leaf	M
324.b	Solanum pubescens	Sundai kaai	Fruit	M
325.a	Solanum viarum	Tropical Soda	Apple Root	С

325.b	सोलेनम वायारम	उष्णकटिवंधीय सोडा सेव	पुष्प	सी
325.c	सोलेनम वायारम	उष्णकटिवंधीय सोडा सेव	फल	सी
326.a	सोलेनम जेंथाकारपम	कटेली	फल	एम
326.b	सोलेनम जेंथाकारपम	कटेली	समग्र पौधा	एम
327.a	स्फीरेंथस इंडिकस	गोरक मुंडी	समग्र पौधा	एम
327.b	स्फीरेंथस इंडिकस	गोरक मुंडी	पुष्प गुच्छ	एम
328.	स्टीविया रिवोडियाना	स्टेविया	पत्तियां	सी
329.a	टेफ्रोसिया परपुरिया	शरद फोका	पत्ती	एम
329.b	टेफ्रोसिया परपुरिया	शरद फोका	जड़	एम
329.c	टेफ्रोसिया परपुरिया	शरद फोका	वीज	एम
329.d	टेफ्रोसिया परपुरिया	शरद फोका	फल	एम
330.a	टेरमिनेलिया केटेप्पा	जंगली बादाम	वीज	एम
330.b	टेरमिनेलिया केटेप्पा	जंगली बादाम	फल	एम
330. с	टेरमिनेलिया केटेप्पा	जंगली बादाम	पत्ती	एम
331.a	. श्रेसपेसिया पोपूलनिया	परिशा	पत्ती	एम
331.b	थेसपेसिया पोपूलनिया	परिशा	फल	एम
332.a	थाइमस बुलगारिस	वन अजवायन	पत्ती	सी
332.b	थाइमस बुलगारिस	वन अजवायन	वीज	सी
333.a	टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया	अमृतवाली	तना	सी
333.b	टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया	अमृतवाली	समग्र पौधा	सी
334.	ट्रेकिस्पर्मम एम्मी	अजवायन	वीज	सी
335.	ट्राइब्यूलस टेरेसट्रिस	गोक्षहुरा	फल	एम
336.	विंका माइनर	पेरिविंकल	पत्ती	एम
337.a	वाइटेक्स नेगोन्डो	नीरगुंडी	पत्ती	सी
337.b	वाइटेक्स नेगोन्डो	नीरगुंडी	बीज	एम
338.	वाइटेक्स ट्राइफोलिया	नेक्की	पत्ती	एम
339.	विथानिया सोम्निफेरा	अश्वगंधा	जड़	सी
340.	वुडफोर्डिया फुटीकोसा	दाइफूल	फूल	एम

325.b	Solanum viarum	Tropical Soda	Apple Flower	С
325.c	Solanum viarum	Tropical Soda	Apple Fruit	С
326.a	Solanum xanthocarpum	Kateli	Fruit	M
326.b	Solanum xanthocarpum	Kateli	Whole Plant	M
327.a	Sphaeranthus indicus	Gorak mundi	Whole Plant	M
327.b	Sphaeranthus indicus	Gorak mundi	Inflorescence	M
328.	Stevia rebaudiana	Stevia	Leaves	С
329.a	Tephrosia purpurea	Sarad foka	Leaf	M
329.b	Tephrosia purpurea	Sarad foka	Root	M
329.c	Tephrosia purpurea	Sarad foka	Seed	M
329.d	Tephrosia purpurea	Sarad foka	Fruit	M -
330.a	Terminalia catappa	Jungli badam	Seed	M
330.b	Terminalia catappa	Jungli badam	Fruit	M
330.c	Terminalia catappa	Jungli badam	Leaf	M
331.a	Thespesia populnea	Parisha	Leaf	M
331.b	Thespesia populnea	Parisha	Fruit	M
332.a	Thymus vulgaris	Thyme /Ban	Jawain Leaf	С
332.b	Thymus vulgaris	Thyme /Ban	Jawain Seed	С
333.a	Tinospora cordifolia	Amirthavalli	Stem	С
333.b	Tinospora cordifolia	Amirthavalli	Whole Plant	С
334.	Trachyspermum ammi	Ajjwain	Seed	C
335.	Tribulus terrestris	Gokshura	Fruit	M
336.	Vinca minor	Periwinkle	Leaf	M
337.a	Vitex negundo	Neergundi	Leaf	С
337.b	Vitex negundo	Neergundi	Seed	М
338.	Vitex trifolia	Nekki	Leaf	М
339.	Withania somnifera	Ashwagandha	Root	С
340.	Woodfordia fruiticosa	Daiphool	Flower	M

341.		जिजिफस जुजुवा	जुजुवा	फल	एम
	XX. मसाला फसलें				सी
342.		एल्पीनिया ग्लांगा	बृहत्तर ग्लांगा / कुलंजन	प्रकंद	सी
343.		एमोमम सुबुलाटम	वड़ी इलायची	बीज	सी
344.a		एनेथम ग्रेवियोलेंस	डिलू/सोआ	पत्ती	सी
344.b		एनेथम ग्रेवियोलेंस	डिल / सोआ	यीज	र्भी सी
345.		एपियम ग्रेवियोलेंस	अजवायनध्वादाम	पूरा पौधा	सी
346.		कैप्सिकम एनम	शिमला मिर्च	फल	सी
347.		कैप्सिकम फ्रूटेसेन्स	मिर्च	फल	सी
348.		केरम कावीं	जीरा	फल	सी
349.		सिनामोमम केशिया	किसिया	छाल	सी
350.a		सिनामोमम टमाला	तेजपत्ता	छाल	सी
350.b		सिनामोमम टमाला	तेजपत्ता	पत्ती	सी
351.		सिनामोमम वेरम	दालचीनी	छाल	सी
352.		कोरिएंड्रम सेटिवम	धनिया	पूरा पौधा	सी
353.a	***	क्रोकस सैटिवस	केसर	पुष्प शीर्ष	सी
353.b		क्रोकस सैटिवस	केसर	वर्तिकाग्र	सी
354.		क्यूमिनस सिमिनम (समरूपक्यूमिनम ओडोरम)	जीरा	वीज	सी
355.		कूर्कमा लौंगा	हल्दी	प्रकंद	सी
356.a		इलेटेरिया कार्डेमोमम	छोटी इलायची	फल	सी
356.b		इलेटेरिया काउँमोमम	छोटी इलायची	वीज	सी
357.		फोयेनिकुलम वल्गेर	बड़ी साँफ/मोती साँफ	फल	सी
358.		मूरैया कोयेनिगी	करी पत्ता	पत्ती	सी
359.a		माइरिस्टिका फ्रेंगरेन्स	जायफल	वीजोपांग	सी
359.b		माइरिस्टिका फ्रेगरेन्स	जायफल	फल	सी
360.		नाइगेला सेटिवा	मंगराइल / काला जीरा	बीज	सी

341.		Ziziphus jujuba	Jujuba	Fruit	M
	XX. Spice crops				
342.		Alpinia galanga Greater Kulanjan	Galanga/	Rhizome	С
343.		Amomum subulatum ilyachi	Cardamom (Large) Badi	Seed	С
344a.		Anethum graveolens	Dill/Sowa	Leaf	C
344b.		Anethum graveolens	Dill/Sowa	Seed	С
345.		Apium graveolens	Celery/Ajmod	Whole plant	С
346.		Capsicum annuum	Capsicum/Chili peppers	Fruit	С
347.		Capsicum frutescens	Bird's Eye (Chilli)	Fruit	C
348.		Carum carvi	Caraway	Fruit	-
349.		Cinnamomum cassia	Cassia	Bark	C
350.a		Cinnamomum tamala	Tejpat/Bay	Leaf Bark	С
350.b		Cinnamomum tamala	Tejpat/Bay Leaf	Leaf	C
351.		Cinnamomum verum	Cinnamon/ Dalchini	Bark	С
352.		Coriandrum sativum	Coriander/ Dhaniya	Whole plant	С
353.a		Crocus sativus	Saffron	Flower head	С
353.b		Crocus sativus	Saffron	Stigma	С
354.		Cuminum cyminum (Syn. Cuminum odorum)	Cumin/Jeera	Seed	С
355.		Curcuma longa	Turmeric/Haldi	Rhizome	C
356.a		Elettaria cardamomum (Small)/Elachi	Cardamom	Fruit	С
356.b		Elettaria cardamomum (Small)/Elachi	Cardamom	Seed	С
357.		Foeniculum vulgare	Fennel/ Badi/Moti	Saunf Fruit	C
358.		Murraya koenigii Curry Leaves/Karipatha	Tree/Curry	Leaf	С
359.a		Myristica fragrans	Nutmeg/Mace/	Jaibhal Aril	С
359.b		Myristica fragrans	Nutmeg/Mace/	Jaibhal Fruit	С
360.		Nigella sativa Black	Cumin/Mamgarail/ Kalonji	Seed	С

361.a,		पिमेंटा डायोइका	पिमेंटो / जमैका की गोल मिर्च	फल	सी
361.b		पिमेंटा डायोइका	पिमेंटो/जमैका की गोल मिर्च	पत्ती	सी
362.		पिंपिनेला एनिसम	सौंफ बीज	वीज	सी
363.		पाइपर नाइग्रम	काली मिर्च	* ਯੂਗ	सी
364.		साइजिजियम एरोमेटिकम	लॉंग	पुष्पकली	सी
365.		टैमेरिन्डस इंडिका	इमली	फल	सी
366.		ट्रैकिस्पर्मम एम्मी	अजवायन	बीज	सी
367.a		ट्राइगोनेला फोयेनम-ग्रैकम	मेथी	पत्ती	सी
367.b		ट्राइगोनेला फोयेनम-ग्रैकम	मंथी	बीज	सी
368.a		वैनिला प्लेनिफोलिया (पर्याय : वैनिला फ्रेंगरेन्स)	वैनिला	फली	सी
368.b		वैनिला प्लेनिफोलिया (पर्याय : वैनिला फ्रैगरेन्स)	वैनिला	पत्तियाँ	सी
369.		जिंजिवर औफिसिनेल	अदरक	प्रकंद	सी
	XXI. बागवानी फसलें				
370.a		एनेकार्डियम ओसिडेंटेल	काजू	फल	सी
370.b		एनेकार्डियम ओसिडेंटेल	काजू	वीज	सी
371.		एरेका कैटेचु	सुपारी	छाली	सी
372.		बोरेसस फ्लैबेलिफेर	ताड़	फल	सी
373.		कैमेलिया साइनेंसिस	चाय	पत्ती	सी
374.a		कोकस न्यूसिफेरा	नारियल	पौधा	सी
374.b		कोकस न्यूसिफेरा	नारियल	फल	सी
374.c		कोकस न्यूसिफेरा	नारियल	তাঙ্	सी
375.a		कॉफिया अरेबिका	काफी	वीज	सी
375.b		कॉफिया अरेबिका	काफी	फली	सी
376.a		कॉफिया कैनेफोरा	काफी	वीज	सी
376.b		कॉफिया कैनेफोरा	काफी	फली	सी

361.a		Pimenta dioica	Allspice/Pimento/ Jamaica Pepper	Fruit	С
361.b		Pimenta dioica	Allspice/Pimento/ Jamaica Pepper	Leaf	С
362.		Pimpinella anisum	Aniseed	Seed	C
363.		Piper nigrum Kali Mirch/Black	Pepper/ Mirch	Fruit	С
364.		Syzygium aromaticum	Clove/Laung	Flower bud	С
365.		Tamarindus indica	Tamarind/Imli	Fruit	С
366.		Trachyspermum ammi	Ajwain /Carum/ Ajowain	Seed	С
367.a		Trigonella foenum-graecum	Fenugreek/Methi	Leaf	С
367.b		Trigonella foenum-graecum	Fenugreek/Methi	Seed	С
368.a.		Vanilla planifolia (Syn.Vanilla fragrans)	Vanilla	Pod	С
368.b		Vanilla planifolia (Syn.Vanilla fragrans)	Vanilla	Leaf	С
369.	7-30-71	Zingiber officinale	Ginger/ Adrak	Rhizome	С
	XXI. Plantation Crops			o fale	
370.a		Anacardium occidentale	Cashew	Fruit	C
370.b		Anacardium occidentale	Cashew	Nut(Seed)	С
371.		Areca catechu Betel	Tree/Supari	Arecanut	С
372.		Borassus flabellifer	Palmyra Palm/ Toddy Palm/tad	Fruit	С
373.		Camellia sinensis	Tea	Leaf	С
374.a		Cocos nucifera	Coconut	Palm Plant	С
374.b		Cocos nucifera	Coconut Palm	Fruit	С
374.c		Cocos nucifera	Coconut Palm	Root	С
375.a		Coffea arabica	Coffee	Seed	С
375.b		Coffea arabica	Coffee	Bean	С
376.a		Coffea canephora	Coffee	Seed	С
010.0					

377.c		इलेइस ग्यूइनेन्सिस	ताड	वीज	सी
378.a		हेविया ब्रैसिलिऐन्सिस	रवड़	क्षीर	सी
378.b		हेविया व्रैसिलिऐन्सिस	रवड़	वीज	सी
378.c		हेविया ब्रैसिलिऐन्सिस	रवड़	ठगक	सी
379.a		थियोब्रोमा कोकोवा	कोकोआ	पत्ती	सी
379.b		थियोब्रोमा कोकोवा	कोकोआ	फूल	सी
379.c		थियोब्रोमा कोकोवा	कोकोआ *	फल	सी
379.d		थियोब्रोमा कोकोवा	कोकोआ	वीज	सी
	XXII. मशरूम				सी
380.		एगेरिकस वाइस्पोरस	छोटे मशरूम	सम्पूर्ण पौधा	सी
381.		औरिकुलारिया औरीकुला-जुड़इ	काष्ठ वीज	सम्पूर्ण पौधा	सी
382.		औरिकुलारिया पोलिट्राइका	रोयेंदार काष्ठ वीज	सम्पूर्ण पौधा	सी
383.		प्लियूरोटस ओस्ट्रिएटस	धींगरी	सम्पूर्ण पौधा	
384.		ट्रेमेला मेसेंटेरिका	गोल्डन जेली	सम्पूर्ण पौधा	सी
385.		टेमेला पयूसिफार्मिस	सफेद जेली	सम्पूर्ण पौधा	सी

टिप्पण

- यह अधिसूचना ऐसी मदों जिनके अंतर्गत जैविक संसाधन भी हैं के व्यापार को सुकर बनाने के लिए है जिसका सामान्यतः वस्तुओं के क्रय में व्यापार किया जाता है और यदि इन मदों में से कोई मद किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित है तो पूर्वोक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंध लागू होंगे।
- 2. ऐसे उत्पाद जो उपरोक्त सारणी में सूचीबद्ध मदों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, सामान्य प्रचलन के पदार्थ के रूप में व्यापार किए जाते हैं, सामान्य वस्तुओं के रूप में सामान्य रूप से व्यापार किए गए रूप में भी माना जाएगा और ऐसे मामलों में सिद्ध करने का भार कि उक्त उत्पाद सामान्य प्रचलन के अंतर्गत आते हैं, दावेदार पर होगा।
- 3. अधिसूचना कृषित प्रजातियों (जैविक संसाधनों) वन्य सापेक्षों को लागू नहीं होंगे।
- 4. ऊपर उल्लिखित जैविक संसाधनों के स्त्रोत इस अधिसूचना से संलग्न प्रारूप में

377.a		Elaeis guineensis	Palm	Fruit	C
377.b		Elaeis guineensis	Palm	Kernel	С
377.c		Elaeis guineensis	Palm	Seed	C
378.a		Hevea brasiliensis	Rubber	Latex	C
378.b		Hevea brasiliensis	Rubber	Seed	C
378.c		Hevea brasiliensis	Rubber	Wood	C
379.a		Theobroma cacao	Cocoa	Leaf	C
379.b		Theobroma cacao	Cocoa	Flower	C
379.c		Theobroma cacao	Cocoa	Fruit	С
379.d		Theobroma cacao	Cocoa	Seed	С
	XXII. Mushrooms				
380.		Agaricus bisporus	Button mushroom	Whole Plant	C
381.		Auricularia auricula-judae	Wood ear	Whole Plant	С
382		Auricularia polytricha	Hairy Wood ear	Whole Plant	C -
383.		Pleurotus ostreatus	Dhingri	Whole Plant	С
384.		Tremella mesenterica	Golden Jelly	Whole Plant	С
385.		Tremella fuciformis	White Jelly	Whole Plant	С

Notes

- This notification is to facilitate trade of items including biological resources which are normally traded as commodities and if any of these items is intended to be used for any other purpose, the relevant provisions of the aforesaid Act shall apply.
- The products that are derived from the items listed in the Table above and traded as a matter of common practice shall also be treated as normally traded as commodities and in such cases, the onus of substantiation that the said products fall within common practice, shall lie on the claimant.
- This notification shall not apply to the wild relatives of cultivated species (biological resources).
- 4. The source (S) of above mentioned biological resources shall be declared for

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के समक्ष विनिर्माता या निर्यात अभिकरण द्वारा कृशित या मिश्रित प्रवर्ग (कृशित + वन्य = एम के लिए घोशित किए जाएंगे।)

- उपरोक्त सूचीबद्ध जैविक संसाधनों का प्रवर्गीकरण औशधीय पौधे, रेशदार फसलें, चारा फसलें और हरी खाद केवल व्याख्यात्मक प्रयोजन के लिए है और एक उपयोग प्रवर्ग के अधीन उल्लिखित जैविक संसाधन अन्य उपयोग प्रवर्ग के अंतर्गत भी आ सकता है।
- इस अधिसूचना के लागू होने के प्रयोजन के लिए, ऊपर सारणी के स्तंभ (3) में दिए गए जैविक संसाधनों के वैज्ञानिक नाम लागू होंगे।

प्ररूप (टिप्पण 4 देखें)

सेवा में,	6. शासकीय प्रयोग के लिए
18. निम्नलिखित से प्रेषित माल (निर्यातकर्ता / विनिर्माता–कारवार का नाम तथा पता	
रजिस्ट्रीकरण सं. पैन सं., मोबाइल नं., ई.मेल पहचान और आई ई कोड)	
2. निम्नलिखित प्रेषित माल	
(प्रेषिति का नाम, पता देश)	
3. प्राप्त व्यापार आदेश के व्यौरे	
4. परिवहन के साधन और मार्ग (जहां तक ज्ञात हो)	
5. पत्तन का नाम (यदि निर्यात किया गया हो)	
(क) भारत में	
(ख) आयात करने वाला देश	

cultivated or mixed category (cultivated+wild=M) by the manufacturer or exporting agency before the National Biodiversity Authority in the Form appended to this notification.

- Categorisation of biological resources listed above as medicinal plants, fiber crops, forage crops and green manures are for illustrative purpose only and the biological resource mentioned under one use category may fall under other use category also.
- For the purpose of application of this notification, the scientific names of the biological resources given in column (3) of the Table above shall be applicable.

То	(See Note 4)
	*
_	

Goods consigned from (Exporters/Manufacturers - Business name and address, Registration No., PAN number, Mobile No., e-mail ID and IE Code)	6. For Official use
Goods consigned to (Consignee's Name, Address, Country)	
3. Details of trade order received	
4. Means of transport and route(as far as known)	
5. Name of port (If exported) (a) In India (b) In importing country	

7.भारतीय व्यापार	८. पर्यावरण,	9.	10. जैविक	11.	12. अंतिम
र्गीकरण सुमेलित	वन और	याखात्मक	संसाधन का	पादप	(ओषधीय/प्रजाती/फलोध्यान/सुगंधित/खाद्य)
प्रणाली कोड	जलवायु	व्यापार या	नाम	भाग	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(आईटीसी-एचएस)	परिवर्तन	सामान्य नाम	अधिमानतः		
(जहां उपलब्ध हो)	मंत्रालय की		वैज्ञानिक		
	अधिसूचना		नाम		
	₹İ.—				
	तारीख				
	में वस्तुओं				
	सामान्यतः				
	के रूप में				in the second se
	व्यापार				
	किया गया				
13. पैकेजों की	14. कृषित	15. भार (कि.	16. कुल मूल	य (रूपए	17. बीजक संख्या और तारीख
संख्या और प्रकार :	स्त्रोत या	ग्रा.) में	में)		
वस्तुओं,का वर्णन	कृषित +		17		
	वन्य =	(*)			
	मिश्रित				
	(एम)				

18. निर्यातकर्ता / विनिर्माता द्वारा घोषणा

अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता है कि ऊपर दिए गए ब्यौरे और कथन सही हैं। उक्त सामग्री/जैविक संसाधन...... में उत्साहित किए गए थे/से उपाप्त किए गए थे।

(स्थान/ग्राम/ताल्लुक/मंडल/जिले का नाम)

और वे स्त्रोत अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा......को निर्यात किए जा रहे हैं।

(आयात करने वाली फर्म का पता और देश)

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी सत्य और सही है और मैं इसमें दी गई किसी मिथ्या सूचना के लिए दायी हूं।

प्रति : राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 5वां तल, टीआईसीईएल जैव पार्क, सीएसआईआर रोड, तारामनी, चैन्नई–600113

(फा.सं. 28–13 / 2008–सीएस–III (एनबीए) खंड 2) डा. सुजाता अरोडा, (वैज्ञानिक 'जी' / सलाहकार)

7. Indian Trade Classification- Harmonised System Code (ITC-HS) (where available)	8. SI.No. Normally Traded as Commoditiesin notification No dated of Ministry of Environment, Forest and Climate change	common name.	10. Name of the biological resource preferably scientific name.	Plant part	12. End use (Medicinal/ Spices/ Horticultural/ Aromatic/Food/ Others (please specify)	
13. Number and kind	14. Source	15. Weight	16. Gross		17. Invoice number	
of packages: description of commodities	{Cultivated or Cultivated+W ild= Mixed (M)}	(in kgs.)	value (in Rs.)		and date	

18. Declaration by the Exporter/Manufacturer

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct. The said material/biological resources were produced in/procured from

(Place/Village/Tehsil/Mandal/District/State)

and that they comply with the source requirements and are being exported to

(Address of importing firm and country)

I hereby solemnly affirm and declare that the information provided here is true and correct and I shall be liable for any misinformation provided herein.

Place and date, signature of the Exporter/Manufacturer

Copy to: National Biodiversity Authority, 5th Floor, TICEL Bio Park, CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113.



National Biodiversity Authority (An Autonomous and Statutory Body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)



T. Rabikumar, IFS Secretary

Tel: +91 44 2254 1071 Fax: 491 44 2254 1074 email: secretary@nba.nic.in Website: www.nbaindia.org

TICEL Bio Park 5th Floor, CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113 Tamil Nadu, India

NBA/Tech Gen/22/34/15/16-17/

Date:

महोदय, महोदया,

विषय - जैविक संसाधनों और अथवा सहयुक्त जानकारी तक पहुँच देने संबंधी आवेदनों को स्वीकार करने और उनके निराकरण के सम्बन्ध में निर्देशों बाबत

राज्य जैव विविधता बोर्डो द्वारा जैव संसाधनों तक पहुँच सम्बन्धी आवेदनों के निराकरण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परस्परव्याप्ति गतिविधियों के कारण गलत या त्रुटिपूर्ण निर्णय न लिए जायें और जैव विविधता अधिनियम २००२ (बीडी एक्ट) व जैव विविधता विनियम २००४ (बीडी रूल्स) के प्रावधानों का उल्लंघन न हो.

- अधिकरण की ३-वीं बैठक में जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा 2. बंटाना विनियम, २०१४ के कार्यान्वयन की दृष्टि से राज्य जैव विविधता बोर्डो (एसबीबी) की गतिविधियों के समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कुछ एसबीबी विनियमन ३(२) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं जबकि एसबीबी केवल उन आवेदनों को स्वीकार और निराकृत कर सकते हैं जो विनियमन ७ अंतर्गत आते हों और यह भी कि वे परस्पर सहमति से शर्तों का निर्धारण किये बगैर, जैव संसाधनों तक पहुँच में अपना संघटक अंश प्राप्त कर रहे हैं. तत्पश्चात, अधिकरण ने एनबीए सचिवालय को यह निर्देश दिया कि वह सभी राज्य जैव विविधता बोर्डों को यह निर्देशित करें कि वे वे बीडी एक्ट के प्रावधानों और उसकी भावना के अनुरूप कार्य करें, विशेषकर जैव संसाधनों तक पहुँच संबंधी आवेदनों का निराकरण करते समय. तदानुसार, निम्न निर्देश जारी किये जा रहे हैं, जिनका कठोरता से अनुपालन सुनिश्च्त किया जावेरू
 - विनियमन ३ के अधीन, बीडी एक्ट की धारा ३(२) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियोंध संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एनबीए ही सक्षम प्राधिकारी है. यह पाया गया है कि धारा ३(२) के अंतर्गत आने वाले कतिपय व्यक्तिध् संस्थाएं, एसबीबी के समक्ष आवेदन कर, अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. धारा ३(२) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तिध् संस्था की पहचान के लिए, एनबीए सचिवालय आवेदकों से इस आशय का घोषणापत्र (प्रति संलग्न) लेता रहा है. एसबीबी भी, अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने के अतिरिक्त, इस पद्धति को अपना सकते हैं. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एसबीबी द्वारा किसी भी स्थिति में धारा ३(२) के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्तिध् संस्था को अनुमोदन प्रदान न किया जावे क्योंकि यह अधिकारातीत होगा और इससे भविष्य में



National Biodiversity Authority

(An Autonomous and Statutory Body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)



T. Rabikumar, IFS Secretary

Tel:+91 44 2254 1071 Fax:+91 44 2254 1074 email: secretary@nba.nic.in Website: www.nbaindia.org TICEL Bio Park 5th Floor, CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113 Tamil Nadu, India

NBA/Tech Gen/22/34/15/16-17/

Date:

Madam/Sir,

Sub: Instructions for entertaining and processing of application for access to biological resources and /or associated knowledge - reg.

With regard to the processing of ABS applications by the State Biodiversity Boards, the following instructions are issued for adherence so as to ensure that there are no overlapping activities involved leading to incorrect or wrong decisions in contravention of the provisions of the Biological Diversity Act, 2002 (BD Act) and Biological Diversity Rules, 2004 (BD Rules).

- The Authority in its 38,h meeting, while reviewing the activities of the State Biodiversity Boards on implementation of the ABS Regulation, 2014, observed that few SBBs are entertaining the applications from the Section 3(2) persons, whereas the SBB can process only the application which falls under section 7, similarly, receiving ABS component without entering in to Mutually Agreed Terms with the applicants, etc. Thereafter, the Authority directed the NBA Secretariat to send a communication to all the State Biodiversity Boards with direction to adhere to the provisions of the BD Act in letter and spirit particularly dealing with ABS applications. Accordingly the following instructions are issued for strict compliance:
 - The NBA is the competent authority under Section 3 to grant approvals for persons / entities covered u/s 3(2) of the BD Act. Whereas it has been noticed that certain entities covered under section 3(2) are filing applications with the State Biodiversity Boards and seeking approvals, which is not correct. Before identifying a person/entity covered u/s 3(2), it has been the practice of NBA Secretariat to obtain a declaration (Copy &enclosed) from the applicant in this regard. The SBB may adopt similar method to ascertain the status of the person /entity in addition to devising its own

कानूनी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. अतः एसएसबी को पुनः यह परामर्श दिया जाता है कि किसी व्यक्ति या संस्था का आवेदन स्वीकार करने के पूर्व, वे यह सुनिश्चित कर लें कि वह व्यक्ति या संस्था अधिनियम की धारा ७ के अंतर्गत आता है.

- यह भी पाया गया है कि जैव संसाधनोंध सहयुक्त जानकारी पर आधारित किसी प्रकार का ₹. शोध कार्य करने से पहले, एसबीबी, भारतीय वैज्ञानिकोंध्शोधकर्ताओं से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वे इस आशय के आवेदन पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करें. यह उचित नहीं है. बीडी एक्टध् विनिमियनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अंतर्गत किसी भारतीय शोधकर्ताध् वैज्ञानिक के लिए किसी भी प्रकार का शोध अथवा जैव सर्वेक्षण अथवा जैव-उपयोग करने के पूर्व एसबीबी अथवा एनबीए को सूचना देना अथवा उनकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो. इस सन्दर्भ में जैव संसंधनों तक पहुँच सम्बन्धी दिशानिर्देशों के विनिमयन १७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है. जिसमें यह कहा गया है कि "जैव संसाधन और ध्या सहयुक्त जानकारी को, जो भारत में उदभूत हो रही है या भारत में अभिप्राप्त है, में अनुसंधान या जैविक सर्वेक्षण और भारत में अनुसंधान के लिए जैव उपयोग के लिए पहुँच करते हुए भारतीय नागरिक या निकाय को एनबीए या एसबीबी के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी. भारतीय निकाय से यहाँ आशय हैं कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट संगठन, संघ या संस्था जो भारत में तत्समय प्रवृत किसी कानून के अंतर्गत निगमित या पंजीकृत हो और जिसकी अंश पूंजी या प्रबंधन में किसी गैर-भारतीय की सहभागिता नहीं हो
- एसबीबी को यह परामर्श दिया जाता कि बीडी एक्ट की धारा ७ के अंतर्गत किसी भी आवेदन को स्वीकार करते या उसका निराकरण करते समय बीडी एक्ट की धारा २४ के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें. वे आवेदनों के आंकलनध् मूल्यांकन के लिए स्वयं प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें निम्न बिंदु शामिल हो सकते हैं—
- अ) आवेदक की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, एसबीबी आवश्यक दस्तावेजों जैसे आवेदकोंध प्राधिकृत प्रतिनिधियों की पहचानध पते के सबूत व किसी निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के मामले में बोर्ड के संकल्प की प्रतियाँ मांग सकते हैं. जहाँ आवश्यक हो, एसएसबी कंपनी के विधान या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या शेयरधारण के स्वरुप के सम्बन्ध में दस्तावेज मांग सकते हैं.
- ब) धारा २३(ब) के अंतर्गत, अनुमोदन प्रदान के पूर्व, आवेदनों के परीक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति का गठन कर सकती है या धारा २२(४)(स) के अंतर्गत, बोर्ड में शामिल विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं.
- स) अनुमोदन प्रदान करने के पूर्व, जिस जैव संसाधन तक पहुँच चाही गयी है, उसके विलुप्त होने का कितना खतरा है, इसका आंकलन कर सकती है और इसका भी कि इस तरह

procedures. It may be ensured that on no account a person /entity covered u/s 3(2) is given approval by the SBB since such a decision would be ultra vires and may lead to legal tangle at a later date. Hence the SBBs are once again advised to satisfy before entertaining an application from a person or entity that they are covered u/s 7 of the Act only.

- It is also noticed that the SBBs are insisting the Indian ii) scientists/researchers to file applications before undertaking any research using biological resources/associated knowledge, which is not correct. No such provision in the BD Act/Rules requires any Indian researcher/scientist to inform or seek approval of SBB or NBA before undertaking any research or bio-survey or bio-utilization. In this connection, attention is invited to Regulation 17 of the ABS Guidelines 2014 which states that Indian citizens or entities accessing biological resources and/ or associated knowledge, occurring in or obtained from India, for the purposes of research or bio-survey and bio-utilization for research in India are exempted from approval of NBA or SBB. The Indian entity -specified here, denotes a body corporate, association or organization incorporated or registered in India under any law for the time being in force which has no. non-Indian participation in its share capital or management.
- iii) SBBs are advised to follow the procedure enunciated under section 24 ©fth©#© Act while entertaining and processing of any application received u/s 7 of the BD Act They may devise their own method for evaluating the application, which may include the following:
- To establish the status of the applicant, the SBB may call for the required documents such as ID/address proofs of the applicants/ authorized agents and copies of board resolution for a person representing an entity. Wherever required and to satisfy about the status of the entity the SBB may obtain articles of association or memorandum of association or shareholding pattern of the company.
- b) May consult the experts who are inducted in the Board as provided u/s 22 (4) (c) or form a small committee of experts drawn from various fields, for examining the applications and take decisions before granting approval as per section 23 (b).

 Before granting of approval shall take into account the threat status of the biological resources sought to be accessed and whether such

- की गतिविधि, जैव विविधता के संरक्षण और उसके धारणीय उपयोग के लक्ष्यों के प्रतिकूल या उनके लिए हानिकारक तो नहीं है.
- यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमोदन का स्वरुप, बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी और आवेदक के बीच अनुबंध के रूप में हो.
- इ) अगर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता तो आवेदक को सुनवाई का मौका देने के बाद उसे निरस्त करने का आदेश जारी किया जायेगा
- ई) एसबीबी जैव संसाधनों तक पहुँच में अपना संघटक अंश तब प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि आवेदकों और उनके बीच परस्पर सहमति से शर्तों का निर्धारण न हो जावे.
- ४. फायदा बंटाने वाले संघटक का निर्धारण करते समय, एसबीबी, एनबीए द्वारा जारी जैव संसाधनों तक पहुँच दिशानिर्देश २०१४ के विनिमयन १४ में उल्लेखित सामान्य सिद्धांतों का परिपालन करेंगे एसएसबी से यह अनुरोध किया जाता कि बीडी एक्ट की धारा ७ में उल्लेखित गतिविधियों के लिए जैविक संसाधनों पहुँच देने संबंधी आवेदनों को स्वीकार करने और उनके निराकरण के सम्बन्ध में उपर्युक्त बिन्दुओं का पालन करें.

संलग्नरू उपरोक्तानुसार टी. रबी कुमार, सचिव, एनबीए

- activity is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity or equitable sharing of benefits arising out of such activity.
- d) To ensure that granting of approval shall be in the form an agreement executed by the applicant and the competent authority of the Board.
- Wherever the application is not considered the order of rejection shall be passed after giving an opportunity of hearing to the applicant.
- f) No ABS component shall be received by the SBB without entering into agreement on Mutually Agreed Terms with the applicants.
- iv) With regard to determination of benefit sharing, the SBB shall follow the broad principles outlined in Regulation 14 of the ABS Guidelines, 2014 issued by the NBA.
- 3. SBBs are requested to follow the above points while entertaining and processing the applications received from the applicants for access to the biological resources for the activities envisaged under Section 7 of the BDAct.

Yours faithfully, Encl. as above (T. Rabikumar) Secretary, NBA.

घोषणा पत्र

मुझे ज्ञात है कि जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3(2) निम्नानुसारहै :-

धारा 3(2) वे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन उप–धारा (1) के अंतर्गत लेना आवश्यक है, नामतः निम्नानुसार है–

- क) कोई व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक नहीं है;
- ख) भारत का कोई नागरिक, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30) द्वारा यथा परिभाषित अनिवासी है :
- ग)कोई शासीनिकाय, सगठन या सम्मिलन, जो भारत में निगमित या पंजीकृत नहीं हुआ है; अथवा
- ii) जो किसी अनिवासी सहभागिता धारित करते हुए भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगमित या पंजीकृत किया गया है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद् द्वारा निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करता / करती हूँ :-

मैं / हम, एतद द्वारा घोषित करते / करती हैं कि मैं / हम जैव—विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3(2) में अंतर्विष्ट प्रावधान की परिधि मेंआते / नहीं आते हूँ / हैं।

•जो लागू न हो, काट दें।

दिनाक

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रति,

सचिव राष्ट्रीय जैवविविधताप्राधिकरण 5वीं मंजिल, टिसेलबायोपार्क सीएसआईआररोड, तारामणि चेन्नई— 600113, तामिलनाडु

DECLARATION

I am aware that the section 3 (2) of the Biological Diversity Act 2002 states as under:-Section 3.(2) The persons who shall be required to take the approval of the National Biodiversity Authority under sub section (1) are the following, namely:

- (a) a person who is not a citizen of India;
- (b) a citizen of India, who is a non-resident as defined in clause (30) of section 2 of the Income tax Act, 1961;
- a body corporate, association or organization-(i)not incorporated or registered in India; or
- (ii)incorporated or registered in India under any law for the time being in force which has any non-Indian participation in its share capital or management

In this connection, I am herewith submitting the following declaration:-

I/we hereby declare that I / we "fall" / "do not fall" under the scope of the provision contained in section 3(2) of the Biological Diversity Act 2002.

*Strike out which is not applicable.

Signature of the Applicant

Date:

Seal

To,
The Secretary,
National Biodiversity Authority
5th Floor, Ticel Biopark
CSIR Road, Taramani,
Chennai-600 113
Tamil Nadu

